ग्रामीण विकास
को समर्पित

कुरुक्षेत्र

वार्षिक मूल्य : 70 रुपये

वर्ष 52 अंक : 10 अगस्त 2006 मूल्य : 7 रुपये

पंचायती राज

हमारे नये प्रकाशन

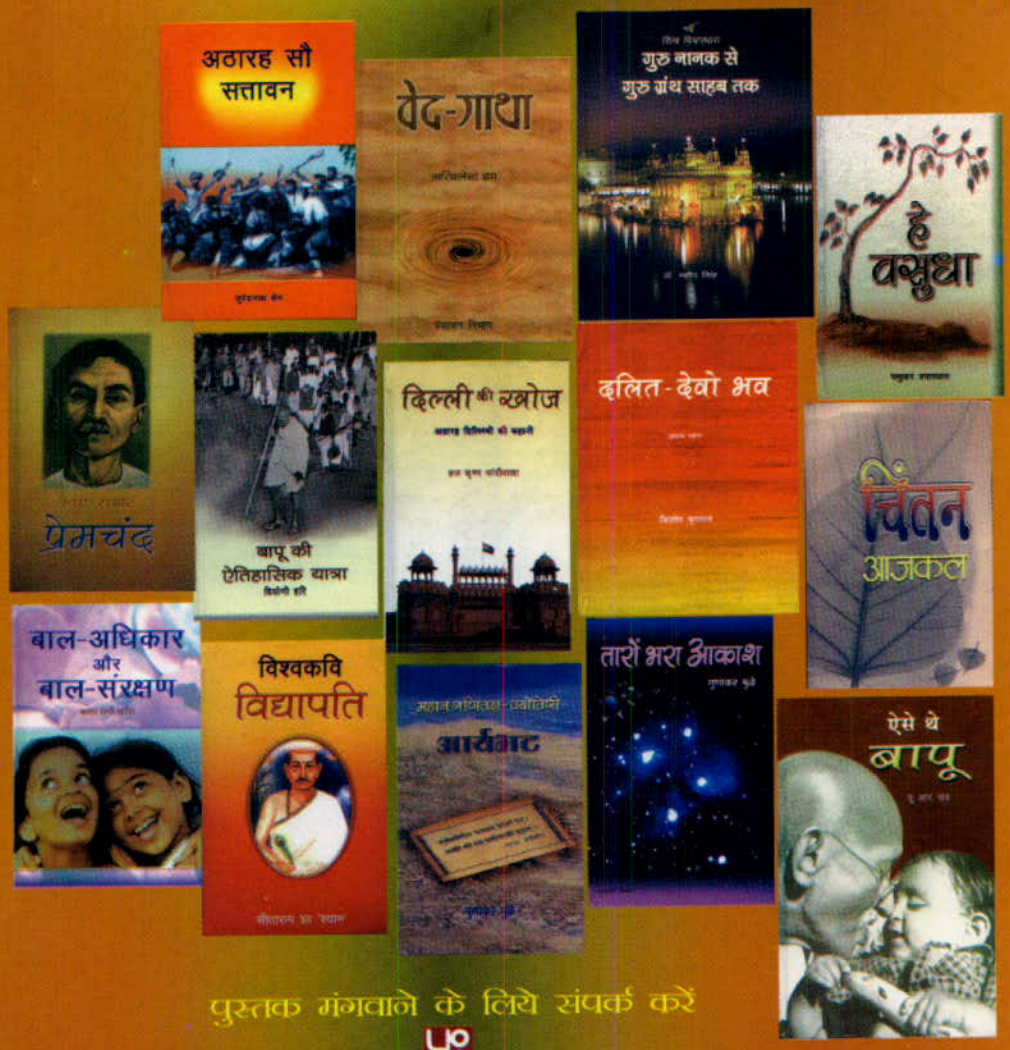

पुस्तक मंगवाने के लिये संपर्क करें

व्यापार व्यवस्थापक
प्रकाशन विभाग
सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली 110003
फोन: 2436 7260

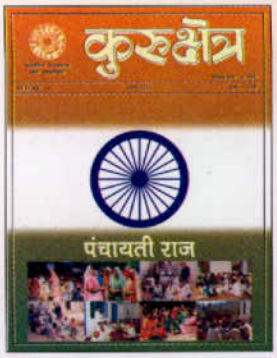

वर्ष : 52 ● अंक : 10 ● पृष्ठ : 64

श्रावण–भाद्रपद 1928, अगस्त 2006

संपादक

स्नेह राय

संपादकीय पत्र–व्यवहार

संपादक, कुरुक्षेत्र

कमरा नं. 655/661, 'ए' विंग,

गेट नं. 5, निर्माण भवन

ग्रामीण विकास मंत्रालय

नई दिल्ली–110011

दूरभाष : 23061014, 23061952

फैक्स : 011–23061014, तार : ग्राम विकास

वेबसाइट : Publicationsdivision.nic.in

ई–मेल : dpd@sh.nic.in dpd@hub.nic.in

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)

एन.सी. मजुमदार

व्यापार प्रबंधक

जगदीश प्रसाद

दूरभाष : 26105590, फैक्स : 26175516

आवरण एवं सज्जा

संजीव सिंह, रजनी दवे

मूल्य एक प्रति : सात रुपये

वार्षिक शुल्क : 70 रुपये

द्विवार्षिक : 135 रुपये

त्रिवार्षिक : 190 रुपये

विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)

पड़ोसी देशों में : 500 रुपये (वार्षिक)

अन्य देशों में : 700 रुपये (वार्षिक)

ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख मासिक पत्रिका

कुरुक्षेत्र

इस अंक में

भारत में पंचायती राज

ग्रामीण भारत में आधारभूत ढांचे के विकास हेतु संचालित प्रमुख नए विकास कार्यक्रम एवं योजनाएं	उमेश चन्द्र अग्रवाल	2
विकास कार्यक्रमों में जनसहभागिता	गुंजन शर्मा एवं कविता चौहान	11
पंचायती राज अवधारणा–एक विहंगम दृष्टि	–	13
पंचायती राज प्रणाली की संरचना एवं प्रगति	दशमन्तदास पटेल	16
पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की बढ़ती भूमिका	राकेश शर्मा 'निशीथ'	19
तृणमूल स्तर पर सामाजिक न्याय एवं पंचायतों की भूमिका	आशीष भट्ट	21
पंचायती राज व्यवस्था: मध्यप्रदेश संदर्भ	यतीन्द्रसिंह सिसोदिया	24
ग्रामीण विकास में पंचायतों की भूमिका	रिज़वान खान और आभा आहूजा	27
महिला सशक्तिकरण में पंचायती राज की भूमिका	जीतेन्द्र कुमार पाण्डेय	30
महात्मा गांधी का पंचायती राज	सुरेन्द्र कटारिया	32
नयी डगर पर है लोकतंत्र	साजिया आफरीन	34
राजस्थान में पंचायती राज एवं महिला सशक्तिकरण	निर्मला सिंह	35
बिहार में पंचायती राज जनसहभागिता और पारदर्शिता	विजय रंजन दत्त	37
पंचायती राज कार्यशाला–एक लेखा.जोखा	वेद प्रकाश अरोड़ा	40
पुराना इतिहास है झंडे का	विभा प्रकाश श्रीवास्तव	44
एड्स युवा अभियान	जिल्ले रहमान	46
कृषि विकास के साकार रूप	प्रकाश मगदम	48
रेलवे में सुखद मोड़	आई.के. चारी	50
एशिया के पुनरूत्थान में भारत की भूमिका	–	52

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के दो वर्ष

श्रम और रोजगार मंत्रालय की उपलब्धियां	–	53
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की उपलब्धियां	–	57
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की उपलब्धियां	–	60
पूर्वोत्तर क्षेत्र में आर्थिक संभावनाएं	–	63

कुरुक्षेत्र की एजेंसी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में व्यापार प्रबंधक, (वितरण एवं विज्ञापन) प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से पत्र–व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए सहायक विज्ञापन प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से संपर्क करें। दूरभाष : 26105590, फैक्स : 26175516

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो।

ग्रामीण भारत में आधारभूत ढांचे के विकास हेतु संचालित प्रमुख नए विकास कार्यक्रम एवं योजनाएं

उमेश चन्द्र अग्रवाल

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश में कृषि, उद्योग, यातायात, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और हमारी अर्थव्यवस्था आदि सभी क्षेत्रों में काफी तेजी से विकास हुआ है। पिछले 58–59 वर्षों में हमने विकास की तीव्र गति को यों तो देश के प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक शहर एवं प्रत्येक गांव तक पहुंचाने के लिए बड़ी–बड़ी पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण, उनमें विकास के नाम पर खर्च करने के लिए वृहद् धनराशियां और भारी–भरकम सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर विकास की गति को दस्तक देने की कुछ सफल और कुछ असफल चेष्टाएं की हैं। प्रारंभिक योजनाओं में ही सरकार द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों और ग्रामीणों को विकास के लाभ उपलब्ध कराने के लिए अनेक रोजगारपरक और गरीबी निवारण की विशेष योजनाओं और कार्यक्रमों को संचालित करने के साथ–साथ वहां मौलिक सुविधाओं की अवस्थापना के लिए विशेष प्रयास और व्यवस्थाएं भी की जाती रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भले ही विकास की दर को वहां के लोगों की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं अथवा अपेक्षाओं के अनुरूप कर पाने में हम पूरी तरह सफल नहीं हो सकें हों लेकिन यह सच है कि वहां के विकास के लिए चलाई गई विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हमने वहां स्कूलों, सड़कों, बिजली, पानी, मकान जैसी मूलभूत आवश्यक सुविधाओं को काफी मात्रा में पहुंचानें में सफल हो सकें हैं। विभिन्न रोजगारपरक कार्यक्रमों को चलाकर वहां के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार में स्थापित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं और सुविधाओं को विकसित करने के प्रयास भी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त वहां गरीबों और पिछड़े वर्गों को रोजगार और विकास के काफी कुछ साधन मुहैया कराने के लिए विशेष कोशिशें भी की गई हैं जिनके काफी सार्थक परिणाम आज हम सभी के सामने हैं।

वास्तव में हमारे समन्वित आर्थिक विकास के मार्ग में मुख्य रूप से गरीबी और बेरोजगारी दो अहम् समस्याएं और बाधाएं हैं और इनके पीछे छिपा कारण वहां आवश्यक मूलभूत सुविधाओं अथवा आधारभूत ढांचे का विकसित न कर पाना रहा है। सच्चाई यह है कि विशेष रूप से आर्थिक सुधारों और उदारीकरण के बाद नगरों में विशाल भवनों, बाजारों और मल्टीप्लेक्स का निर्माण हुआ है। हर नगर से नए क्षेत्र आबाद हो रहे हैं, नई बस्तियों का निर्माण हो रहा है। महानगरों की सूरत तो तेजी से बदल रही है। गगनचुम्बी इमारतें आकाश को छूने का प्रयास कर रही हैं। बाजार देशी–विदेशी सामान से अटे पड़े हैं। सब्जी वाले, स्कूटर वाले, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, धोबी, माली आदि मोबाइल का इस्तेमाल करने लगे हैं। झोपड़–पट्टियों में रेडियो दूरदर्शन के कार्यक्रम सुने जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों को तेजी से दो या चार लाइन का बनाया जा रहा है। सड़कों में मोटरगाड़ियों, दुपहियों की संख्य में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है लेकिन देश की बहुसंख्यक जनता जो गांवों में रहती है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा आज भी गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बिता रहा है। हमारे नियोजित और योजनाबद्ध विकास के साढ़े पांच दशकों के बाद भी देश के असंख्यक व्यक्तियों को गरीबी और बेरोजगारी से निजात नहीं मिली है। सरकारी मुहिम, कल्याणकारी संगठनों के प्रयास एवं अपार राजकोषीय संसाधनों के व्यय के बावजूद भी करोड़ों व्यक्तियों को दो जून की रोटी भी सुनिश्चित नहीं है। गरीबी की रेखा को ही इसके लिए आधार माने तो उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश में 26.10 करोड़ लोग गरीब हैं और वे खाद्य सुरक्षा के दायरे से बाहर हैं। इन गरीबों के लिए सरकार द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को भी संचालित किया जाता रहा है और करोड़ों रुपए प्रतिवर्ष अनुदान और सब्सिडी के रूप में इन लोगों के नाम पर खर्च किए जाते रहे हैं लेकिन आजादी के बाद से इनकी कुल संख्या में कमी नहीं आ पा रही है भले ही प्रतिशत के रूप में गरीबी में कमी जरूर दिखाई दी है। इस सम्बन्ध में उपलब्ध आंकड़ों से विदित होता है कि नियोजित विकास के पिछले साढ़े पांच दशकों के बाद वर्ष 1999–2000 में पहली बार देश में गरीबों की कुल संख्या में थोड़ी कमी अवश्य दिखाई दी है। आंकड़ों के मुताबिक देश में जो वर्ष 1993–94 में गरीबों की कुल संख्या 32.28 करोड़ थी, वह वर्ष 1999–2000 में 26.10 करोड़ आंकलित की गई है। योजना आयोग के आंकलन के मुताबिक वर्ष 2011–2012 तक इसमें निरन्तर कमी आएगी और तब तक देश में गरीबी का प्रतिशत मात्र 4.4 प्रतिशत ही रह जाएगा।

गरीबी के बाद यदि बेरोजगारी की स्थिति का आंकलन करें तो पता चलता है कि बेरोजगारी की स्थिति तो और भी खराब है। बहुत से व्यक्ति, विशेष रूप से नवयुवक विभिन्न कार्यों को करने में पूर्णतया सक्षम हैं और वे कार्य करना भी चाहते हैं लेकिन फिर भी उन्हें काम नहीं मिल पाता है। वे बेरोजगार हैं और इसी कारण वे गरीब भी हैं। इस प्रकार की समस्या शहरों की तुलना में गांवों में कुछ ज्यादा ही गंभीर है। हमारी पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट में प्रकाशित आंकड़ें भी इस बात के साक्षी हैं कि रोजगार के क्षेत्र में देश में निरन्तर कमी परिलक्षित हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 1993 से वर्ष 2000 के बीच राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिकों की संख्या में समर्थ व्यक्तियों अर्थात 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत 66.5 था वह वर्ष 2000 में घटकर 61.8 रह गया है। बेरोजगारी बढ़ने की दर वर्ष 1993 में जो 2 प्रतिशत थी, वह वर्ष 2000 में बढ़कर 2.3 प्रतिशत हो गई। इससे भी अधिक चिन्ताजनक पहलू यह रहा है कि शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में कुछ अधिक ही कमी आई है। आजादी के समय देश की आधी जनता गरीबी का जीवन बिता रही थी जो आज कम होकर लगभग एक चौथाई के करीब रह गई है जिसे भले ही एक उपलब्धि मान लिया जाए। निष्कर्ष के रूप में यही कहा जा सकता ह कि यद्यपि देश में गरीबी कम हुई

है किन्तु गरीबी कम करने की रफ्तार आशातीत नहीं रह सकी है जो विशेष रूप से चिन्ता का विषय है। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों और प्रयासों पर यदि सरसरी तौर पर नजर डालें तो विदित होगा कि गांवों में रोजगार के समुचित साधन उपलब्ध कराकर गरीबी दूर करने, वहां मूलभूत सुविधाएं विकसित कर वहां के लागों के आर्थिक और सामाजिक विकास के साथ जीवन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु यों तो पिछले वर्षों में अनेकों योजनाएं और कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की मद में सरकार द्वारा निरन्तर रूप से धनावंटन को बढ़ाकर इसमें तेजी लाने के प्रयास भी किए जाते रहे हैं। इससे और कई क्षेत्रों में इसका अच्छा प्रभाव भी दृष्टिगोचर हुआ है भले ही वहां आए बदलाव को संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है। पिछले कुछ वर्षों में शुरू किए गए उदारीकरण और ढांचागत समायोजन की जरूरतों के अनुरूप तथा गरीबो,, खासकर ग्रामीण निर्धनों को सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए ग्रामीण निर्धनता कार्यक्रमों के अनुपालन हेतु संसाधनो के आवंटन में निरन्तर वृद्धि करते हुए ग्रामीण विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई है। दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–2007) के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए धन का आवंटन बढ़ाकर 76,774 करोड़ रुपए कर दिया गया जबकि नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 42,874 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। वर्ष 2005–07 के बजट में इसे बढ़ाकर 500015 करोड़ रुपए किया गया है जिसे एक कीर्तिमान कहा जा सकता है। लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप विकास का लक्ष्य हासिल करने के लिए स्वयं सहायता समूहों और पंचायतीराज संस्थानो के जरिए विकास प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी पर बल दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी आधारित रोजगार प्रदान करने वाली "सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना" और स्वरोजगार प्रदान करने वाली "स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना" के नाम से दो प्रमुख योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं ताकि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ी चुनौती–बेरोजगारी का सामना किया जा सके। इनके अतिरिक्त देश के 200 पिछड़े जिलों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना भी 2 फरवरी, 2006 से प्रारंभ की गई है।

उल्लेखनीय है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त लाभकारी रोजगार और खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के साथ–साथ स्थाई सामुदायिक, सामाजिक और आर्थिक ढांचे के निर्माण के लिए पहले से लागू दो प्रमुख योजनाओं – "रोजगार आश्वासन योजना" को मिलाकर 25 सितम्बर, 2001 को सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना प्रारम्भ की गई। यह योजना स्वलक्षित किस्म की एक योजना है महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और जोखिमपूर्ण व्यवसायों से निकाले गए बच्चों के अभिभावकों को मजदूरी परक रोजगार उपलब्ध करने पर विशेष जोर दिया जाता है। वर्ष 2004–05 से इस योजना को एक समेकित योजना के रूप में लागू किया जा रहा है। कार्यक्रम के लिए संसाधन पंचायतीराज के तीनों स्तरों अर्थात जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत द्वारा 20:30:50 के अनुपात में जुटाए जाते हैं। कार्ययोजनाएं तैयार करने और योजना पर अमल करने की दृष्टि से प्रत्येक स्तर पर स्वतंत्र इकाई गठित है। यह एक केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम है जिसे 10,000 करोड़ रुपए के वार्षिक परिव्यय के साथ लागू किया जा रहा है जिसमें 50 लाख टन खाद्यान्न प्रदान करना शामिल किया गया है। केन्द्र व राज्य सरकारों के परामर्श से योजना आयोग द्वारा चुने गए देश के सर्वाधिक पिछड़े 150 जिलों में एस.जी.आर.वाई. के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों के अलावा अतिरिक्त संसाधन प्रदान करना है ताकि इन जिलों में आवश्यकता आधारित आर्थिक–सामाजिक और सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण के जरिए पूरक दिहाड़ी रोजगार और खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के काम को और गहन बनाया जा सके। कार्यक्रम के अंतर्गत पहली प्राथमिकता के रूप में जल संरक्षण, सूखा न पड़ने देने के उपायों और भूमि–विकास संबंधी कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसके अतिरिक्त आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय जरूरतों के मुताबिक बाढ़ नियंत्रण के उपायों, हर मौसम में चालू रहने वाली सड़कों के संदर्भ में ग्रामीण संचार और अन्य उत्पादक कार्यों को भी शामिल किया जा सकता है।

गांवों के विकास की समग्र विकास नीति का महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग ग्रामीण संचार सुनिश्चित करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु शत–प्रतिशत केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर, 2000 को शुरू की गई। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क से वंचित उन सभी गांवों को 10वीं योजना के अंत तक बारहमासी सड़कों से जोड़ना है जिनकी आबादी 500 या इससे अधिक है। इस योजना के अंतर्गत यह आशा की गई कि विस्तारित और नवीकृत ग्रामीण सड़क नेटवर्क से गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, नियमित मंडियों और मेला बाजारों तक पहुंच बढ़ेगी, स्वास्थ्य शिक्षा और अन्य सार्वजनिक सेवाएं बेहतर ढंग से उपलब्ध होंगी और ग्रामीण शहरी अंतराल काम करने में मदद मिलेगी। हम सभी इस तथ्य से भी परिचित हैं कि सुरक्षा, संरक्षण, स्वाभिमान, सामाजिक प्रतिष्ठा, सांस्कृतिक पहचान, संतुष्टि और प्रगति के संदर्भ में "आवास" मानव की बुनियादी जरूरतों में से एक है। निर्धन बेघरों को मकान उपलब्ध कराने और ग्रामीण आवास की कमी शीघ्र पूरी करने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम इन्दिरा आवास योजना के नाम से संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति आवासीय इकाई सहायता राशि 1 अप्रैल, 2004 से मैदानी भागों में 20,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए और पर्वतीय तथा दुर्गम क्षेत्रों में 22,000 रुपए से बढ़ाकर 27,500 रुपए कर दी गई है।

देश भर में सूखे की आशंका वाले क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रमों में रेगिस्तान विकास कार्यक्रम और समन्वित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम बड़े स्तर पर संचालित किए जा रहे हैं जिनका सम्बन्ध वाटरशेड के माध्यम से बंजर भूमि के विकास से है। पंचायतीराज स्थानों के जरिए ग्रामीण समुदाय की अधिकारिता प्रदान करने के लिए हरियाली नामक एक नया कार्यक्रम भी शुरू किया गया है ताकि सरकार से प्राप्त वित्तीय और तकनीकी सहायता से जलसंभर के आधार पर क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किए जा सकें। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्षा जल संग्रह और जलसंभर परियोजनाओं के अंतर्गत तालाबों का खारापन दूर करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों मं स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता

तथा स्वच्छता के प्रति जागरूकता के विकास हेतु भी विशेष बल किया जा रहा है। इस दिशा में केंद्र सरकार द्वारा दो केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रमों के अंतर्गत वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों को बल प्रदान किया जा रहा है। यह – त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति और केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के नाम से संचालित किए जा रहे हैं। जलापूर्ति क्षेत्र में अब तक 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि का निवेश किया जा चुका है। इसी क्रम में मांग आधारित कार्यनीति और ग्रामीण जलापूर्ति में सामुदायिक भागीदारी पर आधारित एक कार्यक्रम स्वजल कार्यक्रम के नाम से 1999 मे प्रारंभ किया गया। प्रारंभ में 67 प्रायोगिक जिलों में क्षेत्र सुधार परियोजनाओं के रूप में सुधार लागू किए गए। इन कार्यक्रमों से प्राप्त अनुभव के आधार पर दिसम्बर, 2002 में स्वजल धारा कार्यक्रम शुरू करके देश भर में सुधार के उपायों का विस्तार किया गया। इस नए कार्यक्रम अर्थात "स्वजल धारा" का यह लक्ष्य भी है कि ग्रामीण समुदाय स्वयं पेयजल परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार करे, उन्हें लागू करें और उनका संचालन तथा रख–रखाव करे। परियोजना लागत का 90 प्रतिशत खर्च सरकार देती है और लाभार्थी समूह को लागत का 10 प्रतिशत स्वयं वहन करना होता है। इस कार्यक्रम की कार्ययोजना में 2006–07 के दौरान सभी ग्रामीण स्कूलों में पेयजल सुविधाएं मुहैया कराने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है।

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के संचालन के माध्यम से सरकार द्वारा ग्रामीण भारत में तीव्र और स्थाई विकास तथा सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन लाने के प्रयास किए जाते रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में समन्वित और ढांचागत सुविधाओं को बढ़ाने के विकास को प्राथमिकता दी गई है। इस हेतु नए कार्यक्रम शुरू करने, पहले से जारी कार्यक्रमों को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए उन्हें नया रूप देने और विकास प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देने में अनेक उपायों पर अमल किया गया है। गत एक वर्ष में जिन नए विशेष कार्यक्रमों और योजनाओं को शुरू किया गया है, उनमें भारत निर्माण कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन नवीन कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् हैं

भारत निर्माण कार्यक्रम

भारत निर्माण कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली, सड़क, पेयजल और गरीबो के लिए मकान जैसे बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का केंद्र सरकार का एक नया और महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा 16 दिसंबर, 2005 को इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरूआत की गई है। गत वर्ष के बजट में घोषित इस कार्यक्रम हेतु प्रारंभ में 1.74 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किए गए थे। अब एक संसदीय प्रपत्र पर दी गई सूचना के अनुसार सरकार द्वारा इस कार्यक्रम अंतर्गत चार वर्षों के दौरान यानी वित्त वर्ष 2005–06 से लेकर वित्त वर्ष 2008–09 तक 1 लाख 76 हजार 205 करोड़ रुपए ग्रामीण विकास पर खर्च किए जाएंगे। सरकार द्वारा घोषणा की गई है कि इस कार्य के लिए साधनों की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। आन्तरिक साधनों के लिए आवश्यक साधन जुटा लिए जाएंगे। विश्व बैंक ने इस कार्यक्रम को हाल ही में 9 अरब डालर की सहायता के रूप में ऋण देना स्वीकार किया भी है। भारत निर्माण के अंतर्गत देश भर में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, गांवों को अच्छी पक्की बारहमासी सड़कों से जोड़ा जा रहा है, गांवों में बड़े पैमाने पर मकान बनाए जा रहे हैं, सभी गांवों को शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है और गांवों में बिजली और दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय बागवानी मिशन भी भारत निर्माण के अभिन्न अंग बनाए गए हैं।

भारत निर्माण का मुख्य घटक "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना" है। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक परिवार के सक्षम सदस्य को आवेदन प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाने की व्यवस्था की गई है। 15 दिन के भीतर रोजगार प्रदान न कर सकने की अवस्था में उसे नकद दैनिक बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का प्रावधान भी किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय से जुड़े इसके अन्य घटकों में – ग्रामीण सड़क निर्माण, ग्रामीण आवास और ग्रामीण जल आपूर्ति शामिल किए गए हैं। ग्रामीण सड़क निर्माण के अंतर्गत सभी गांवों को जिनकी आबादी 500 है (पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्रों में 200) दसवीं योजना के अंत, 2009 में बारहमासी पक्की एवं अच्छी सड़कों से जोड़ दिया जाएगा। यह कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पूरी तरह केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है और अब यह भारत निर्माण योजना में ही शामिल की जा चुकी है। इसके अंतर्गत 500 या उससे अधिक घरों वाले गांव को मुख्य सड़क से बारहमासी सड़क द्वारा जोड़ने की योजना है। इसी तरह पहाड़ी, रेगिस्तानी और आदिवासी क्षेत्रों के गांवों के लिए इससे आधे यानी 250 घरों वाले गांव को मुख्य मार्ग से बारहमासी सड़क द्वारा जोड़ने का लक्ष्य दसवीं योजना काल के अंतर्गत रखा गया था। केन्द्र सरकार का इरादा है कि देश के ऐसे सभी सड़कविहीन गांवों तक इस दौरान पक्की सड़क पहुंचा दी जाए। इसके लिए डीजल पर विशेष "कर" लगाकर केंद्रीय सड़क कोष बनाया गया है। इसके अलावा घरेलू वित्तीय संस्थाओं और विश्व बैंक से भी इस योजना के लिए केन्द्र सरकार द्वारा ऋण लिया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मौजूदा जर्जर सड़कों को भी बारहमासी बनाने का लक्ष्य है। ग्रामीण आवास के अंतर्गत इसी अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों के लिए 60 लाख मकानों का निर्माण किया जाएगा। नए मकानों के निर्माण के लिए मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम 25,000 रुपए और पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों में 27,500 रुपए की सहायता दी जाती है। कच्चे मकानों को पक्के या अर्द्ध पक्के मकानों में बदलने के लिए अधिकतम 12,500 रुपए की सहायता दी जाती है। इसी अवधि में 74,000 बस्तियों को शुद्ध पीने का पानी भी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि उत्पादन को स्थिरता प्रदान करने के लिए एक करोड़ हेक्टेयर भूमि को नियमित सिंचाई सुविधा प्रदान की जाएगी। एक लाख 25 हजार गांवों में बिजली पहुंचाई जाएगी और 2 करोड़ 30 लाख घरों को बिजली के कनेक्शन दिए जाएंगे। इसी के साथ 66,822 गांवों को टेलीफोन सुविधा प्रदान की जाएगी। भारत निर्माण के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय बागवानी मिशन को भी शामिल किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जन स्वास्थ्य की ओर ध्यान देगा। इसमें जन स्वास्थ्य और चिकित्सा–दोनों का क्षेत्र अलग–अलग रखा गया है। जन स्वास्थ्य का लक्ष्य आम बीमारियों जैसे मलेरिया, हैजा, पेचिश आदि से बचाव करना है। सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च सकल राष्ट्रीय उत्पाद के 0.9 प्रतिशत से बढ़ाकर 2–3 प्रतिशत करने का वचन दिया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन की स्थापना से ग्रामीण क्षेत्रों में आम बीमारियों की कारगर ढंग से रोकथाम हो सकेगी। पिछले वर्ष सरकार ने राष्ट्रीय बागवानी मिशन को 630 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। इधर देश ने खाद्यान्नों मुख्य रूप से गेहूं व चावल के उत्पादन में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है लेकिन तिलहन, दलहन और फलों के उत्पादन में हम आत्मनिर्भर नहीं हैं। देश के अधिकांश किसान परम्परागत गेहूं व चावल का उत्पादन करते हैं। कभी–कभी किसानों को इन खाद्यान्नों का समर्थित मूल्य नहीं मिलता अतः इस बात की जरूरत है कि किसान परंपरागत गेहूं व चावल के स्थान पर अन्य लाभप्रद व्यापारिक फसलों का उत्पादन करें। इस दिशा में प्रयास किए जाने हेतु राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्य करेगा।

सरकार द्वारा देश में भारत निर्माण जैसे बृहद और महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के लागू किए जाने के फलस्वरूप यह आशा की जा सकती है कि इससे निर्धारित अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के समुचित विकास में भले ही आशातीत प्रगति न हो सके लेकिन वहां इन सुविधाओं के विस्तार में तेजी अवश्य आएगी। भारत निर्माण कार्यक्रम के मद्देनजर सामान्य रूप से संबंधित मंत्रालयों और विशेष रूप से ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इस कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु आवश्यक धनावंटन, संबंधित योजनाओं व कार्यक्रमों को तार्किक तथा व्यावहारिक बनाने हेतु इनकी रणनीति में आवश्यक संशोधन और परिवर्द्धन के फलस्वरूप ग्रामीण ढांचे के सुदृढ़ीकरण की निश्चित रूप से संभावनाएं बढ़ी हैं। उदाहरण के रूप में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विकास के विभिन्न मदों से समुचित धनराशि की व्यवस्था कर विकास के नवीन लक्ष्यों को निर्धारित करते हुए उन्हें प्राप्त करने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित की गई है। मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य यदि पूरे किए जा सके तो इस वर्ष देश में करीब आठ हजार गांवों को जोड़ने वाली 17,00. कि.मी. लंबी पक्की सड़कें बन जाएंगी। गांव के 14 लाख से ज्यादा गरीबों को रहने के लिए मकान मिल जाएंगे और कई लाख रोजगार सृजित होंगे। इस वर्ष 6,000 करोड़ रुपए के भारी–भरकम बजट वाले "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष भर में 7,500 लाख मानव दिवसों के बराबर रोजगार सृजित करने के लक्ष्य को भी पूरे होने की उम्मीद है। इसी प्रकार 4,000 करोड़ रुपए के बजट वाली संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत वर्तमान वित्त वर्ष में 8,611 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजित करने का लक्ष्य है। इसके लिए भी त्रैमासिक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। कुल 1,960 करोड़ रुपए के बजट वाली स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 52,876 स्वसहायता समूहों और 8.59 लाख स्वरोजगारियों को मदद पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का लक्ष्य भी इस वर्ष काफी बड़ा रखा गया है। चालू वर्ष में इसके अंतर्गत 4,235 करोड़ रुपए की धनराशि का आवंटन किया गया है और इससे 17,454 कि.मी. लम्बी ग्रामीण सड़कें बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। गांवों में रहने वाले निर्धनों के लिए आवास की योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने इस वर्ष 2,775 करोड़ रुपए का आवंटन किया है और 14.54 लाख मकान बनाने का लक्ष्य रखा है। पेयजल को लेकर भी इस बार आवंटन काफी बड़ा है। 4,050 करोड़ रुपए के प्रारूप वाली इस योजना के तहत पेयजल सुविधा से पूरी वंचित 3,522 गांवों और आंशिक सुविधा वाले सभी 8,375 गांवों में पेयजल पहुंचाया जाना है इसके अलावा भी पेयजल की स्कीम से छूट गए 34,373 गांवों को भी शामिल किया जाना है। स्कीम में 10,000 गांवों में पानी की गुणवत्ता बेहतर की जानी है और 1,40,000 ग्रामीण स्कूलों को पेयजल उपलब्ध कराया जाना है। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत भी 700 करोड़ रुपए को खर्च करके गांवों में स्वच्छता और सफाई के बारे में जागरूकता का संचार करते हुए वहां बड़ी मात्रा में स्वच्छता परिसरों आदि का विस्तार किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी समाप्त करने की सरकार की नीति के तीन अंग हैं। पहला लोगों को रोजगार प्रदान करना और उन्हें अपना काम–धंधा शुरू करने के लिए प्रोत्साहन व सहायता प्रदान करना। दूसरा गांवों में बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान करना और तीसरा ग्रामीण क्षेत्रों मे सामुदायिक संपत्तियां बनाना। इन नीतियों के कार्यान्वयन के लिए अगले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में भारी धनराशि खर्च किए जाने के प्राविधान किए गए हैं। इससे ग्रामीणों के जीवन–स्तर में निश्चित सुधार होगा, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में कमी आएगी। इस कार्य में भ्रष्टाचार की रोकथाम और पारदर्शिता लाने के लिए राज्य, जिला और ग्राम स्तर पर निगरानी–सतर्कता समितियां बनाई गई हैं। इन निगरानी–सतर्कता समितियों में निर्वाचित प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका रखी गई हैं। अब 10 अक्टूबर, 2005 को सूचना का अधिकार लागू हो जाने से भी इसमें निगरानी व्यवस्था और भी आसान हो गइ है। भारत निर्माण योजना के शरू हो जाने से उम्मीदें जगीं हैं कि अब गांवों में सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, सुख समृद्धि का नया युग शुरू होगा और ग्रामीणों का शहरों को पलायन रुकेगा। भारत निर्माण से नगर और ग्राम दोनों में हमारा भारत विकास की नई ऊंचाइयों को छू लेगा, ऐसी संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि भारत निर्माण का अर्थ है गरीबों की दशा में सुधार, उनके जीवन में खुशियों की बहार। भारत निर्माण अमीरों और गरीबों, नगरों और गांवों एवं संभ्रांत लोगों और आम लोगों के बीच की खाई को पाटेगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के शब्दों में "यह कार्यक्रम भारत और इंडिया के अन्तर को भी दूर करेगा"।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना

ग्रामीण अवसंरचना को विकसित करने के उद्देश्य से इस वर्ष लागू की गई केन्द्र सरकार की दूसरी बड़ी योजना अर्थात् राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना की औपचारिक शुरूआत प्रधानमंत्री द्वारा 2 फरवरी, 2006 से कर दी गई है। पिछले 14 नवम्बर से यह योजना देश के कुछ चुने हुए जिलों में पायलट परियोजना के रूप में शुरू की गई थी। अब यह संसद में बतौर कानून की शक्ल लेने के बाद 2 फरवरी, 2006 से देश भर के चुने हुए 200 जिलों में लागू हो गई है। इस योजना के अंतर्गत हर ग्रामीण परिवार के समक्ष और इच्छुक व्यक्ति को साल में न्यूनतम 100 दिनों का काम दिए जाने का कानूनी अधिकार दिया गया है। योजना के तहत गांव में स्थायी परिसम्पत्ति या बुनियादी संरचना का निर्माण किया जाएगा जो बाद में गांव के लोगों के जीविकोपार्जन में मदद कर सके। योजना की विभिन्न विशेषताओं में उल्लेखनीय बिन्दु यह है कि इसमें यदि काम 15 दिन के भीतर काम देना सुनिश्चित करें। रोजगार गारन्टी योजना के लिए 200 जिलों में वे सभी 150 जिले भी शामिल हैं जहां काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किए जा चुके हैं। इस योजना में जिन 200 जिलों को शामिल किया गया है उसमें आंध्र प्रदेश में 13, असम में 7, बिहार में 23, छत्तीसगढ़ में 11, गुजरात के 6 जिले, झारखंड के 20 जिले, कर्नाटक के 5, महाराष्ट्र के 12 जिले, उड़ीसा के 19 जिले, तमिलनाडु के 6, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के 22–22 जिले शामिल किए गए हैं। इस योजना के विभिन्न पहलुओं पर एक वार्षिक रिपोर्ट प्रतिवर्ष तैयार किए जाने का प्रावधान रखा गया है जिसमें इसकी कमियों की समीक्षा भी की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य सिर्फ लोगों को रोजगार देना ही नहीं है बल्कि इसके जरिए गांवों का भूगोल भी बदलना है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2006–07 के बजट में गत वर्ष की तुलना में 54 प्रतिशत धनराशि की वृद्धि करते हुए अब 14,300 करोड़ की बृहद धनराशि का आवंटन किया गया है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि राष्ट्रीय ग्रामीण गारन्टी कानून गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन की दिशा में अब तक का सबसे साहसिक कदम है। इस योजना से गांव के सभी परिवारों को सौ दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। बाकी के दिनों में ग्राम्य विकास की अन्य योजनाओं के अंतर्गत इच्छुक लोगों को काम दिया जा सेगा। जिन राज्यों में न्यूनतम मजदूरी 60 रुपए से अधिक है या कम है वहां भी इस योजना के अंतर्गत 60 रुपए की मजदूरी मिलेगी। इस योजना के अंतर्गत काम की पहचान करने तथा उनके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों की निर्धारित की गई है। इससे यह योजना अधिक कुशल और कारगर ढंग से चल सकेगी, ऐसी पूरी संभावनाएं हैं। ग्राम पंचायतें न केवल क्षेत्र की इच्छाओं और आवश्यकताओं को समझती हैं बल्कि भ्रष्टाचार रोकने में भी सहायक सिद्ध हो सकती हैं। सूचना का अधिकार पारित हो जाने के बाद हाजिरी रजिस्टर, मजदूरी के भुगतान और निर्माण कार्य में हेरा–फेरी की शिकायतें भी अब फौरन पकड़ी जा सकेंगी। आज भारत जैसे देश में जहां लाखों लोग गरीबी एंव बेरोजगारी से जूझ रहे हैं वहां राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी कानून एक क्रांतिकारी कदम है। इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण क्षेत्रों में ईमानदारी से किया गया तो वर्ष 2020 तक देश में एक भी व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे नहीं रह पाएगा। लगाए गए आंकलन के अनुसार इस योजना से कम से कम 6 हजार करोड़ रुपये गांव की गरीब जनता को प्रतिवर्ष प्राप्त होगा। इससे गांवों के निवासियों की आय में वृद्धि होगी और उनके रहन–सहन के स्तर में सुधार होगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पाने के इच्छुक सभी व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने वाली अब तक संचालित की गई किसी भी योजना की तुलना में नई संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना कई प्रकार से एक अनोखी एवं विशिष्ट प्रकार की योजना है जिसके संचालन से न केवल ग्रामीण बेरोजगारों और जरूरतमंद सभी लोगों को रोजगार के अतिरिक्त अवसर प्राप्त हो सकेंगे, बल्कि उन्हें सरकार द्वारा रोजगार नहीं दे पाने की दशा में बेरोजगारी भत्ता भी मिल सकेगा। साथ ही साथ इस योजना के माध्यम से और भी अन्य कई विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति होने की भी पूरी–पूरी संभावनाएं हैं। इस प्रकार यह योजना कई मायनों में एक अतिविशिष्ट योजना कही जा सकती है। संक्षेप में इस योजना की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत् हैं–

- इस विशिष्ट योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी प्रदान की गई है जिसके लिए प्रत्येक इच्छुक परिवार को एक **जॉब कार्ड** जारी किए जाने की व्यवस्था रखी गई है जिस पर प्रदान की गई मजदूरी तथा मजदूरी के बदले दिए गए भुगतान का भी अंकन किया जाएगा।
- योजना में प्रति मानव दिवस श्रम के लिए कम से कम 60 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से नकद राशि प्रति सप्ताह प्रदान किए जाने की व्यवस्था रखी गई है। यह राशि सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरों से किसी भी हालत में कम नहीं होगी।
- इस योजना के अंतर्गत पंचायतों द्वारा संचालित विभिन्न विकास कार्यक्रमों मे काम करने वाले ग्रामीण श्रमिकों को मजदूरी के रूप में नकद राशि प्रदान करने की व्यवस्था निर्धारित की गई है ताकि वे अपनी दैनिक जरूरतों को त्वरित रूप से पूरा कर सकेंगे।
- इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम आधारित प्रोजेक्ट्स/कार्य संपादित कराने की व्यवस्था रखी गई है जिनमें मुख्य रूप से जल संरक्षण, जल संग्रहण, भूमि संरक्षण, सूखा व बचाव कार्य, सूखा राहत, वनीकरण व पौधारोपण, तालाबों, पोखरों की सिल्ट सफाई, ग्रामीण सड़कों व नालियों का निर्माण जैसे विकास कार्यों को पूर्ण कराया जाएगा।
- योजना के अंतर्गत रोजगार के इच्छुक यक्ति को ग्राम पंचायतों में पंजीकरण कराकर कार्य मांगने पर यदि 15 दिन के अंदर काम नहीं दिलाया जाता है तो उसे बेरोजगारी भत्ते के दिए जाने का प्रावधान रखा गया है।
- इस योजना में बेरोजगारी भत्ते की दर 30 दिन तक एक दिन की मजदूरी का एक चौथाई तथा 30 दिन से ऊपर एक दिन की मजदूरी की आधी राशि निर्धारित की गई है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना में रोजगार हेतु कार्य मजदूरों के निवास स्थल से **5 कि.मी. क्षेत्र के अन्दर** दिए जाने की व्यवस्था निर्धारित की गई है। यदि कार्य इससे अधिक दूरी पर होगा तो मजदूरों को 10 प्रतिशत अधिक मजदूरी का भुगतान किया जाएगा।

- इस योजना के अंतर्गत कार्य मांगने वाले व्यक्तियों को एक बार में कम से कम 14 दिनों का लगातार रोजगार दिया जाएगा। कार्य की उपलब्धता पर यह अधिक दिनों तक भी मिलता रह सकता है।
- इस योजना में कार्यस्थल पर मजदूरों को **स्वच्छ पीने का पानी, आकस्मिक चिकित्सा व्यवस्था** तथा महिलाओं के शिशुओं के लिए **क्रैश** की व्यवस्था उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया है।
- योजनांतर्गत यदि कार्यस्थल पर कार्य में दुर्घटनावश मृत्यु या स्थायी अपंगता हो जाती है तो इसके लिए 25,000 रुपए तक के अनुदान की व्यवस्था निर्धारित की गई है।
- योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों द्वारा कराए जाने वाले कार्यों की संस्तुति संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा की जाएगी तथा ग्राम पंचायत द्वारा संस्तुत किए गए कार्यों को संबंधित क्षेत्र पंचायतों द्वारा सुधार अथवा सुझाव के साथ अनुमोदित किए जाने का प्रावधान रखा गया है।
- क्षेत्र पंचायतों द्वारा अनुमोदित कार्यों को संबंधित जिला पंचायत **विकास खंडवार "सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट"** के रूप में तैयार किया जाएगा तथा कार्यों का अनुश्रवण एवं देश–रेख सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा किए जाने की व्यवस्था रखी गई है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के मजदूरों की संख्या में कम से कम **एक तिहाई महिलाओं को आवश्यक रूप से रोजगार** प्रदान करने की व्यवस्था रखी गई है और उन्हें पुरुषों के समान ही मजदूरी के भुगतान का प्रावधान रखा गया है।
- इस योजना के अंतर्गत गांवों में किए जाने वाले विकास कार्यों की पहचान और निर्धारण का दायित्व सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के सुपुर्द किया गया है ताकि वे गांवों के लोगों की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं और आवश्यकताओं के आधार पर विकास कार्यक्रमों का चिन्हांकन कर सकेंगे।
- ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों के लिए पूर्व से चल रही रोजगार प्रदान करने वाली विभिन्न योजनाओं को इस योजना में विलय किए जाने का प्रावधान किया गया है ताकि अनेक योजनाओं के संचालन से इन पर होने वाले अनावश्यक प्रशासनिक व्यय को कम किया जा सके तथा योजना के संचालन पर प्रभावी नियंत्रण भी संभव हो सके।
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित की गई एक ऐसी व्यापक व महत्वाकांक्षी योजना है जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में श्रमपरक रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा हो सकेंगे जिसके गांवों में खुशहाली लाना संभव हो सकेगा।
- योजना के भली–भांति संचालन हेतु इसे त्रिस्तरीय पंचायतों के माध्यम से चलाए जाने की व्यवस्था की गई है पंचायतों द्वारा चलाए जाने के कारण इसमें समुचित जन सहभागिता प्राप्त हो सकेगी।
- इस योजना की एक अन्य प्रमुख विशेषता यह भी है कि इसके अंतर्गत **ठेकेदारी** प्रथा तथा **मशीनों से कार्य** कराए जाने पर पूरी तरह **प्रतिबंध** लगाया गया है ताकि अधिक से अधिक इच्छुक व सक्षम लोगों को रोजगार प्रदान करना संभव हो सके।
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अंतर्गत कार्यों की गुणवत्ता पर अंकुश रखने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर **सतर्कता एवं निगरानी समिति** के गठन की व्यवस्था रखी गई है जो योजना के कार्यों का ग्राम पंचायत स्तर पर अनुश्रवण किया जाना सुनिश्चित करेंगी।
- इस योजना में प्रत्येक कार्यस्थल पर एक साइन बोर्ड लगाना अनिवार्य किया गया है जिसमें कार्य का विस्तृत विवरण लिखा होगा। इससे कार्य के सम्बन्ध में सभी लोगों स्पष्ट रूप से जानकारी उपलब्ध रहेगी।

'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना' की उपरोक्त विशेषताओं के विशेष सन्दर्भ में यह कहना अतिश्योक्तिपूर्ण नहीं होगा कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी के उन्मूलन की दिशा में अभी तक का यह सबसे बड़ा और साहसिक कदम है। इस योजना के संचालन से गांव के सभी परिवार और सभी परिवारों के इच्छुक और सक्षम सभी व्यक्ति जहां वर्ष में कम से कम 100 दिन के रोजगार की गारंटी पा सकेंगे वहीं, बाकी के दिनों में वे लोग अपने पारंपरिक कार्यों में संलग्न रहकर अर्थोपार्जन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी वे वर्ष के बचे हुए अन्य दिनों में अन्य विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कार्य प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत काम की पहचान करने और उसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों के सुपुर्द की गई है। इससे यह योजना अधिक कुशल और कारगर ढंग से चलने की संभावनाएं हैं क्योंकि ग्राम पंचायतें न केवल अपने गांवों की इच्छाओं और आवश्यकताओं को समझती हैं बल्कि भ्रष्टाचार रोकने में भी सहायक हो सकती हैं। हाल ही में सूचना का अधिकार भी लागू हो जाने से इस योजना के अंतर्गत संचालित किसी भी कार्य के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण, मजदूरों का हाजिरी रजिस्टर, मजदूरी के भुगतान का विवरण तथा निर्माण कार्य में हेरा–फेरी की शिकायतें आदि भी तत्परता से पकड़ा जाना सम्भव हो गया है। अतः निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के भली–भांति क्रियान्वयन से अब गांव और गांववासी खुशहाली और विकास की नई ऊँचाइयां प्राप्त करने में सक्षम हो पाएंगे।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश के कुल 13.82 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से केवल 43.5 प्रतिशत को ही बिजली की सुविधा उपलब्ध है। इसके दो कारण हैं– एक तो यह कि ये परिवार बिजली कनेक्शन ले पाने की स्थिति में नहीं हैं और दूसरा यह कि विद्युत प्रदाय संगठन भी कई जगह बिजली कनेक्शन नहीं दे सकते और विद्युत आपूर्ति भी करने की स्थिति में नहीं हैं। जिन गांवों में बिजली लाइनें पहुंच चुकी हैं वहां भी बिजली आपूर्ति नियमित और उसकी समुचित उपलब्धता सुनिश्चित नहीं है। सही बात यह है कि समयबद्ध तरीके से देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की व्यवस्था किया जाना एक चुनौती भरा कार्य है। इस चुनौती का सामना करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा देश में ग्रामीण विद्युतीकरण और घरों के विद्युतीकरण के लिए समय–सीमा निर्धारित की गई है और गांवों में विद्युत संबंधी आधारभूत ढांचे के निर्माण तथा घरेलू विद्युतीकरण का कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के नाम से एक महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ

की गई है। इस योजना के अंतर्गत अगले पांच वर्षों में बिजली से वंचित 1.12 लाख गांवों का विद्युतीकरण करने और इनमें रहने वाले 7.8 करोड़ ग्रामीण परिवारों को बिजली उपलब्ध कराने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इस योजना की शुरूआत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा 4 अप्रैल, 2005 को की गई है। भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत भी ग्रामीण विद्युतीकरण को एक प्रमुख घटक निर्धारित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि देश के करीब छह लाख गांवों में से अभी तक भी लगभग 1,12,401 गांवों में बिजली नहीं पहुंच पाई है। इन सभी गांवों तक वर्ष 2009 तक अब हर हाल में बिजली पहुंचा दिए जाने का संकल्प भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया है। विद्युतीकृत गांव की नई परिभाषा के अनुसार अब गांवों में कम से कम कुल घरों में से दस प्रतिशत घरों में बिजली का कनेक्शन होना अनिवार्य है। यह शर्त पूरी होने पर ही उस गांव को विद्युतीकृत माना जाएगा। इस शर्त को पूरा करने के लिए अब गांव के विद्यालय, पंचायत घर, स्वास्थ्य केंद्रों, दवाखानों तथा सामुदायिक केंद्रों जैसे सार्वजनिक स्थानों में बिजली के कनेक्शन देकर गांवों को बिजलीयुक्त होने के पैमाने पर खरा उतरा जा रहा है। इसके साथ ही गांवों की दलित बस्तियों में भी बिजली पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गांव में बिजली वितरण की व्यवस्था को टिकाऊ बनाने के लिए ग्रामीण विद्युत वितरण प्रणाली स्थापित की जा रही है। इसके अंतर्गत 33/11 केवी क्षमता के सबस्टेशनों की श्रृंखला स्थापित की जा रही है। प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक सबस्टेशन स्थापित किया जा रहा है और उसे गांवों में वितरण प्रणाली फैलाई जा रही है। दूसरी तरफ उस सबस्टेशन को राज्य की पारेषण प्रणाली से जोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही प्रत्येक गांव में बिजली के वितरण के लिए कम से कम एक ट्रांसफार्मर से बिजली का कनेक्शन दिया जा रहा है जिनमें अभी तक बिजली पहुंची ही नहीं थी। बिजली के ग्रिड से जिन गांवों को जोड़ पाना या तो आर्थिक रूप से तर्कसंगत नहीं है या फिर तकनीकी कारणों से ऐसा हो पाना संभव नहीं है उन गांवों के लिए विकेंद्रीकृत बिजली उत्पादन एवं वितरण प्रणाली स्थापित की जा रही है।

इस संबंध में यह एक उल्लेखनीय तथ्य है कि बिजली उपलब्ध कराने से ग्रामीण जीवन में भारी बदलाव आता है। यद्यपि ग्रामीण भारत के अधिकतर इलाकों में वैसे तो सभी बुनियादी सुविधाएं जैसे– सड़कें, पेयजल, स्वच्छता व बिजली नही हैं लेकिन वहां विद्युतीकरण पर सबसे कम ध्यान केंद्रित किया गया है। ग्राम विद्युतीकरण को पिछले दशक के अंत तक प्राथमिकता के आधार पर कभी भी धन का आवंटन नहीं किया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि विशेषकर छः राज्यों जैसे– असम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, जिनमें रहने वाले परिवारों की कुल संख्या देश में परिवारों की कुल संख्या का आधा है उनमें बिजली से वंचित परिवारों की संख्या सबसे अधिक 80–90 प्रतिशत है। ऐसे कई राज्यों में जहां कृषि क्षेत्र आर्थिक गतिविधियों का मुख्य क्षेत्र है लेकिन इसमें भी सिंचाई सुविधाओं की कमी और यंत्रीकरण की न्यूनता के कारण खेती की पैदावार बहुत कम है। ग्रामीण विद्युतीकरण के माध्यम से कृषि उत्पादन बढ़ाने की दिशा में क्रांतिकारी बदलाव लाया जा सकता है। बिजली से पंपों का विद्युतीकरण करके तथा कृषि संबंधी आधुनिक टेक्नोलॉजी व तौर–तरीके अपनाकर पैदावार बढ़ाई जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण से आधारभूत ढांचे के निर्माण और छोटे–मोटे उद्योगों जैसे मसाले पीसना, अनाज की कुटाई–पिसाई, मुर्गी पालन तथा कृषि और बागवानी उत्पादों के प्रसंस्करण का मार्ग प्रशस्त होगा और इस तरह गरीबी दूर करने में काफी मदद मिलेगी। हालांकि ग्रामीण बैंकों के माध्यम से देश भर में बड़ी संख्या में स्वसहायता समूहों के छोटे ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं लेकिन जब तक गांवों में बिजली नहीं कराई जाती इसके वांछित परिणाम सामने नहीं आएंगे। इसका कारण यह है कि स्वसहायता समूह बिजली की उचित व्यवस्था के बिना कोई छोटा–मोटा उद्यम नहीं लगा सकते। अतः ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्र में लंबे अरसे तक पिछड़ेपन के बाद अब सरकार द्वारा गांव वालों को भी निरंतर बिजली आपूर्ति दिलाने के लिए ठोस प्रयास शुरू किए गए हैं। इस दृष्टि से केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय बिजली नीति को भी संशोधित किया गया है। इसके अंतर्गत वर्ष 2009 तक देश भर में सभी घरों और बस्तियों के लिए बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही वर्ष 2012 तक देश भर में बिजली की मांग को पूरा कर सकने लायक बिजली उपलब्ध कराने की भी योजना है। इसमें कृषि की बुआई और गर्मी के मौसम में घरों में बढ़ने वाली बिजली की खपत को पूरा करना भी शामिल है। नए लक्ष्यों के मुताबिक देश में प्रतिव्यक्ति एक हजार यूनिट बिजली वर्ष 2012 तक उपलब्ध कराई जाएगी। इस बात पर भी ध्यान दिया जाएगा कि प्रत्येक घर में रोजाना कम से कम एक यूनिट बिजली की खपत का लक्ष्य हासिल किया जा सके। ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए राज्यों को पूंजीगत सब्सिडी का प्रस्ताव भी राष्ट्रीय बिजली नीति में किया गया है। गरीबी की रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले घरों को प्रतिमाह तीस यूनिट बिजली की खपत के लिए सहायता देने की भी योजना है।

देश में विद्युत व्यवस्था के विकास के संबंध में जानकारी करने पर पता चलता है कि भारत में विद्युत का विकास 19वीं शताब्दी के अंत में हुआ जब 1897 में दार्जिलिंग में विद्युत आपूर्ति की शुरूआत की गई। इसके बाद वर्ष 1902 में कर्नाटक में शिव समुद्रम में जल विद्युत केंद्र की पहली बार स्थापना की गई। स्वतंत्रता से पहले विद्युत आपूर्ति निजी क्षेत्र द्वारा की जाती थी और यह केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित थी। आजादी के बाद वर्ष 1948 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम बनाया गया। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान विद्युत बोर्डों के गठन के रूप में पूरे देश में विद्युत आपूर्ति आयोग के व्यवस्थित विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए और कई बहुउद्देशीय परियोजनाएं शुरू की गई। देश भर में तापीय, जल व परमाणु विद्युत केंद्रों की स्थापना की गई जिसमें देश में विद्युत उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विद्युत को भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की तृतीय सूची की 38वीं प्रविष्टि में समवर्ती विषय के अंतर्गत रखा गया है। देश में विद्युत ऊर्जा के विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की है। यह मंत्रालय सापेक्ष योजनाएं बनाने, नीति निर्धारण, विनिवेश निर्णय के

लिए परियोजनाओं का प्रक्रियाकरण, विद्युत परियोजनाओं की निगरानी, मानव संसाधन के प्रशिक्षण व विकास तथा तापीय व जल विद्युत उत्पादन, वितरण व पारेषण से संबंधित विधेयक बनाने जैसे कार्यों से जुड़ा है। वर्ष 1948 के विद्युत आपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत गठित केंद्रीय विद्युत अधिकरण द्वारा सभी तकनीकी व आर्थिक मामलों में केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय को सहयोग प्रदान किया जाता है। इन सभी प्रयासों से देश में आजादी के बाद विद्युत क्षेत्र में काफी विकास और विस्तार हुआ है।

आजादी के बाद से देश में बिजली के क्षेत्र में हुए विकास और सुधार पर नजर डालने पर पता चलता है कि बिजली क्षेत्र में आकार, विस्तार तथा टेक्नोलॉजी के परिष्कार की दृष्टि से व्यापक सुधार हुआ है और विद्युत उत्पादन क्षमता वर्ष 1947 में केवल 1360 मेगावाट के मामूली से स्तर से कई गुना बढ़कर आज एक लाख मेगावाट से भी अधिक हो गई है लेकिन विद्युत क्षेत्र का एक निराशाजनक पक्ष यह भी है कि भारत की आजादी के 58 वर्ष बीत जाने के बाद भी करीब एक चौथाई गांवों का विद्युतीकरण होना अब भी बाकी है। अभी देश के आठ राज्यों–आंध्र प्रदेश, गोवा, हरियाणा, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, तमिलनाडु और नागालैंड में शत–प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है लेकिन इनके अंतर्गत देश के केवल 18 प्रतिशत गांव ही आते हैं। बिजली से वंचित गांवों में से करीब 25,000 दूर–दराज के हैं जहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। ऐसे गांवों तक बिजली लाइनें पहुंचाना अगर असंभव नहीं तो आर्थिक दृष्टि से कठिन कार्य अवश्य है। अब वर्ष 2006–07 के वार्षिक बजट में इस वर्ष ही 40,000 गांवों को विद्युतीकृत किए जाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आशा है कि अगले 1–2 वर्षों में विद्युतीकरण के इस विशाल कार्यक्रम का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम

केंद्र सरकार ने 12 अप्रैल, 2005 को एक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरूआत की है। पूरे देश में लागू इस मिशन के अंतर्गत ऐसे 18 राज्यों में विशेष ध्यान दिया जा रहा है जहां पर जनस्वास्थ्य प्रणाली में सुधार एक चुनौती है तथा स्वास्थ्य से जुड़े प्रमुख क्षेत्रों में सुधार करना बेहद जरूरी है। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तरांचल, झारखंड, छत्तीसगढ़, असम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, जम्मू–कश्मीर और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। इस मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, उपलब्धता, क्वालिटी और जवाबदेही में सुधार के माध्यम से समाज के निर्धन और कमजोर तथा अलग–थलग वर्गों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के लिए एकीकृत, समग्र और प्रभावी प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस मिशन की अवधि 2005–2012 अर्थात 7 वर्ष के लिए है। मिशन का लक्ष्य अगले पांच सालों के दौरान स्वास्थ्य के लिए योजना खर्च की राशि को सकल घरेलू उत्पाद का 0.9 प्रतिशत से बढ़ाकर 2–3 प्रतिशत किए जाने और स्थायी परिणाम हासिल करने के लिए बढ़ाई गई धनराशि का प्रभावी इस्तेमाल करके स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हेतु व्यवस्थित तरीके से कार्य संपन्न करने के सरकार के वायदे को फलीभूत करना है। मिशन की कार्ययोजना का उद्देश्य स्वास्थ्य को अच्छे स्वास्थ्य की अवधारण अर्थात स्वच्छता, पोषण और स्वच्छ पेयजल में अंतर्संबंध स्थापित करना, संसाधनों को जोड़ना, सांगठनिक ढांचे का समन्वयन, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और होमियोपैथी सहित सब तरह के स्वास्थ्यकर्मियों का अधिकतम उपयोग, विकेंद्रीकरण और सर्वशिक्षा अभियान की तरह स्वास्थ्य कार्यक्रमों का जिला स्तर पर प्रबन्धन, सामुदायिक भागीदारी और संपत्तियों का मालिकाना हक, जिला स्वास्थ्य प्रणाली में प्रबन्धन और वित्तीय कर्मियों को शामिल करना तथा देश के प्रत्येक प्रखंड में भारतीय जनस्वास्थ्य मानकों के अनुरूप सी.एच.सी. स्तर पर रेफरल अस्पताल के प्रभावी प्रचालन से जोड़ते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं में क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना है।

उल्लेखनीय है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य ढांचागत सुविधाओं में भवनों, कर्मचारियों और रख–रखाव तथा देख–रेख के लिए धन की कमी का सामना करना पड़ता है। 2001 के जनसंख्या मानकों के अनुसार 21,983 उपकेंद्रों 4,436 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और 3,332 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की कमी है। इसके अलावा वर्तमान 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सुविधाएं चूंकि किराए के भवनों में चल रही हैं इसलिए उनका रख–रखाव और देख–रेख ठीक से नही हो पाती। ग्रामीण क्षेत्रों में कर्मचारियों की बढ़ती अनुपस्थिति का यह भी एक कारण हो सकता है। मिशन का उद्देश्य जनसंख्या मानकों के अनुरूप नई ढांचागत सुविधाओं को मंजूरी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में एक की बजाय दो चिकित्सकों की व्यवस्था कम से कम 2,000 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल के न्यूनतम स्तर तक अपग्रेडेशन के जरिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को मजबूती प्रदान करना है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के स्तर पर बुनियादी सुविधाओं, कर्मचारियों की संख्या, प्रबन्धन कार्य और उपकरणों का न्यूनतम स्तर उपलब्ध कराने के वास्ते एन.आर.एच.एम. के अंतर्गत एक भारतीय जनस्वास्थ्य मानक निर्धारित किया गया है। अस्पताल प्रबन्धन संस्थाओं के गठन को कोष अनुदान देकर, प्रोत्साहित किया जाएगा। समुदाय के लिए उपलब्ध जनस्वास्थ्य ढांचागत सुविधाओं की बढ़ती जवाबदेही के लिए जिला स्तर पर प्रदर्शन और सामाजिक लेखा परीक्षा को प्रोत्साहन दिया जाएगा। मिशन के तहत सामान्य बीमारियों के लिए सामान्य दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। ऐसा उपकेंद्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर अतिरिक्त आपूर्ति करके सुनिश्चित किया जाएगा। राज्य सरकारों ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों और अर्द्धचिकित्सा कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगी। चिकित्सकों का जिला स्तर का संवर्ग और ए.एन.एम. का खंड स्तर का संवर्ग बनाने, अनिवार्य ग्रामीण सेवा, अनुबन्ध पर नियुक्तियों और सेवाओं और सुविधाओं को बाहर से ठेके पर उपलब्ध कराने सहित विभिन्न संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है।

राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में गठित मिशन संचालन ग्रुप मिशन के लिए निर्देशक सिद्धान्त और नीतियां तय करेगा। मिशन संचालन ग्रुप में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, ए.वाई.यू.एस.एच.ए महिला और बाल विकास, पंचायतीराज,

ग्रामीण विकास, पेयजल आपूर्ति, पूर्वात्तर क्षेत्र और दस मनोनीत जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ प्रतिनिधित्व करेंगे। सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति मिशन को क्रियान्वित करेगी। राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री राज्य स्वास्थ्य मिशन को नेतृत्व प्रदान करेंगे और स्वास्थ्य मंत्री इसके सह–अध्यक्ष होंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों से जुड़े विभिन्न संस्थाओं को एकीकृत कर दिया जाएगा। कुशल व्यावसायिक कर्मियों से सुसज्जित राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई स्वास्थ्य मिशन को सचिवीय सहायता उपलब्ध कराएगी। मिशन के सभी स्तरों पर स्वास्थ्य कार्यक्रमों के आयोजन, नियंत्रण और मानीटरिंग संबंधी कार्यों में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत पंचायतीराज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया गया है। जिला स्वास्थ्य मिशन का नेतृत्व जिले के जिला परिषद के अध्यक्ष करेंगे जबकि ग्रामीण स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति मान्यता प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता का चयन और मानीटरिंग करेगी। इसके अतिरिक्त जला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर जनस्वास्थ्य प्रदाता की बढ़ती जवाबदेही और ऐसे स्थानों पर प्रदर्शित नागरिक सुविधाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु अस्पताल प्रबंधन संस्था गठित की जाएगी। निश्चित ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कटिबद्ध है अतः ग्राम स्तर पर अल्प सेवा प्राप्त गरीबों के लिए मिशन के अंतर्गत दवाइ किट से लैस स्वैच्छिक प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता भारतीय जनस्वास्थ्य मानकों के अनुरूप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सामान्य किस्म की बीमारियों से सम्बन्धित दवाइयों की उपलब्धता, सामूहिक विश्व टीकाकरण सुविधाओं की व्यवस्था, डिलीवरी के लिए रेफरल और स्कार्ट सेवाएं, स्वास्थ्य दिवस को मासिक आधार पर सभी आंगनवाड़ियों के स्तर पर पोषण और चिकित्सा देखभाल तथा जिला स्तर पर मोबाइल चिकित्सा इकाई और घरों में शौचालय सुविधाओं के विस्तार से अपने लक्ष्यों को हासिल करने के प्रति पूरी तरह आशावान हुआ जा सकता है।

संभावनाएं

देश में बुनियादी ग्रामीण ढांचे के विकास हेतु संचालित किए गए नवीन कार्यक्रमों और योजनाओं के विशेष संदर्भ में निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास संबंधी कार्यक्रमों को अमली जामा पहनाने के लिए तत्परता से जो काम करने की जरूरत है वह इसे भ्रष्टाचार और अकर्मण्यता के व्यापक मकड़जाल से बचाए रखने की है और किसी भी सरकारी कार्यक्रम के लिए यही आज की सबसे बड़ी चुनौती है। हम सभी भली–भाँति जानते हैं कि केंद्र व राज्य सरकारें हर वर्ष गांवों और ग्रामीणों के विकास के नाम पर अरबों रुपए भी खर्च करती है किन्तु खेत–खलिहान गरीब और मजदूर की दशा ज्यों की त्यों बनी हुई है। सभी को यह अच्छी तरह पता है कि भ्रष्टाचार ने जन कल्याणकारी योजनाओं को बुरी तरह से अपने जाल में जकड़ लिया है। सच तो यह है कि अनियंत्रित भ्रष्टाचार से कई कार्यक्रम और योजनाएं तो अपना उद्देश्य ही खो चुके हैं। आजादी के बाद हर सरकार ग्रामीण विकास और गरीबी निवारण या रोजगार सृजन के लिए कोई न कोई नई योजना शुरू करती है तभी आज स्थिति यह है कि योजनाओं की भरमार से भ्रम की स्थिति बनी हुई है। एक ही उद्देश्य को लेकर कई–कई योजनाएं संचालित की जा रही है और उनके बीच तारतम्य का अभाव है। इन योजनाओं का नियंत्रण अलग–अलग मंत्रालयों और प्रशासकीय इकाइयों के अधीन होने से पैसे का सदुपयोग नहीं होता है। पेंचदार नियम कानूनों में उलझी इन योजनाओं से जरूरतमंद लोगों को इनके वास्तविक लाभ नहीं पहुंच पा रहे हैं। अतः इस दिशा में सबसे अधिक सजगता बरतने की अहम् जरूरत है।

देश में चुस्त–दुरुस्त ग्रामीण बुनियादी ढांचे को विकसित करने हेतु पूर्व से संचालित विभिन्न कार्यक्रमों तथा इस वर्ष में संचालित किए गए नए महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों और योजनाओं को परिणामोन्मुखी बनाने के लिए एक बात पर और खास ध्यान देने की जो जरूरत है, वह ग्रामीण ढांचागत सुविधाओं के लिए देश भर में समान गुणवत्ता वाले मानकों को लागू करने की भी है। जिस तरह से हाल ही में संचालित किए गए "जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी मिशन कार्यक्रम" के अंतर्गत शहरी स्तर पर विश्व स्तर की सुविधाएं विकसित करने के लक्ष्य तय किए जा रहे हैं उसी तरह ग्रामीण ढांचागत सुविधाएं भी उच्च स्तर की हों या सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इन उच्च स्तरीय सुविधाओं को विकसित करने के लिए अत्यधिक निवेश भी करना पड़ेगा क्योंकि मामला भौतिक ढांचागत सुविधाओं का हो या सामाजिक सुविधाओं का दोनो मोर्चों पर अभी ग्रामीण भारत की स्थिति में भारी बदलाव लाने की जरूरत है और उसके लिए बड़े पैमाने पर निवेश करना ही एकमात्र विकल्प है। इसके साथ ही कई तरह के प्रशासनिक सुधार भी लागू करने होंगे ताकि लक्ष्यों को हासिल करने में तेजी लाई जा सके। साथ ही देश के भीतर अर्थात विभिन्न राज्यों के अंतर्गत ढांचागत सुविधाओं और सामाजिक व आर्थिक सूचकांक के उपलब्ध आंकड़ों से इस असंतुलन और विषमताओं की स्थिति स्पष्ट हो जाती है। उदाहरण के रूप में जहां एक ओर बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और पूर्वात्तर के राज्य हैं जो सूचकांक में काफी नीचे हैं वहीं पंजाब, हरियाणा, गुजरात और गांवा जैसे राज्य हैं जो बेहतर स्थिति में हैं। यही नहीं, इस मामले में दिनों दिन खाई और भी अधिक चौड़ी होती जा रही है क्योंकि जो राज्य कमजोर है वहां पर ढांचागत सुविधाओं में निवेश करने की स्थिति में हैं और वे बड़ी मात्रा में निवेश कर भी रहे हैं। अतः ग्रामीण भारत में ढांचागत सुविधाओं के विस्तार के लिए पूरे देश के लिए समान रणनीति कामयाब नहीं हो सकती है। इसलिए इस खाई को पाटने के लिए नीति–निर्धारकों को अलग–अलग आर्थिक स्थिति वाले राज्यों को अलग–अलग किस्म की नीति निर्धारित करनी होगी। तभी देश भर में इन सुविधाओं को विकसित कर पाना सुनिश्चित हो पाएगा। यह निश्चित है कि जब तक ग्रामीण क्षेत्रों में ढांचागत सुविधाएं विकसित नहीं होगी तब तक वहां विकास की गति को तेज नही किया जा सकेगा जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती और अन्ततः देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अपरिहार्य है।

(लेखक राज्य नियोजन संस्थान, उ.प्र. में संयुक्त निदेशक हैं)

विकास कार्यक्रमों में जनसहभागिता

गुंजन शर्मा एवं कविता चौहान

भारत देश के पुनर्निर्माण, विकास एवं जनकल्याण को दृष्टि में रखते हुए राष्ट्र निर्माताओं ने लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्वीकार किया। जनता की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के अनुरूप देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए शासन का विकेंद्रीकरण किया गया जिसका प्रमुख उद्देश्य राष्ट्र के विकास में जनसाधारण की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करना था। सामान्य अर्थों में विकास सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक आदि क्षेत्रों में मनुष्य एवं राष्ट्र के बढ़ते कदम हैं। विकास लोगों के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विकल्पों को बढ़ाने की प्रक्रिया है जिसका परिणाम मनुष्य के सशक्तीकरण एवं जनसहभागिता की प्रवृति एक विश्वव्यापी आंदोलन के रूप में पनप रही है और कोई भी शासन व्यवस्था इसको अनदेखा नहीं कर रही है। आधुनिक युग में जनसहभागिता शब्द का प्रचलन बीसवीं शताब्दी के छठे दशक में विकास प्रशासन की अवधारणा के संदर्भ में आरंभ हुआ। जनसहभागिता लोक प्रशासन और विशेष रूप से विकास प्रशासन की सफलता की कुंजी है। प्रशासन द्वारा जनकल्याण एवं विकासात्मक कार्यों को सर्वोत्तम ढंग से संपन्न करने के लिए जनसहभागिता एक आधारभूत आवश्यकता है। जनसहभागिता का तात्पर्य नागरिकों को निर्णय लेने, नीति बनाने और नीति क्रियान्वित करने संबंधी प्रक्रियाओं में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित होना है। जब नागरिक उत्तरदायित्व के प्रति सजग होकर विकास कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं तब ही वास्तविक अर्थ में नागरिक सहभागिता होती है। प्रशासन का महत्वपूर्ण व आवश्यक कार्य जनता मे यह विश्वास उत्पन्न करना है कि विकास कार्यक्रम उनके हैं, उनके लिए हैं और उनकी समस्याओं का समाधान उन्हें ही करना हैं। जनसहभागिता न केवल विकास प्रशासन का एक तत्व है बल्कि यह विकास की प्रक्रिया पर निर्भर करती है, विशेषकर जनता के उस वर्ग की प्रतिक्रिया पर जिसको लाभान्वित करने के लिए कार्यक्रम प्रायोजित किया जा रहा है।

जनसहभागिता का अर्थ विकास कार्यों के लिए जनता द्वारा नकद, वस्तु या श्रम प्रदान करना ही नही बल्कि नीति निर्माण, नीति क्रियान्वयन और नीति मूल्यांकन में जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी और स्थानीय समस्याओं का निराकरण करने हेतु अपनी क्षमता विकसित करना है। विकास प्रशासन में जनसहभागिता के दो पहलू हैं। राजनीतिक प्रक्रिया में नागरिक मतदाता और चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लेते हैं। प्रशासनिक प्रक्रिया में नागरिक या तो किसी विभाग में अधिकारी/कर्मचारी के रूप में कार्य करते हुए अथवा सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों के आलोचक या समर्थक के रूप में हिस्सा लेते हैं। राजनीतिक भागीदारी लोगों की वे गतिविधियां है जिनसे राजनीतिक व्यवस्था की निर्णयकारी प्रक्रिया प्रभावित व निरूपित होती है। लोकतांत्रिक देशों में विकास कार्यक्रमों में नागरिकों की सहभागिता अत्यन्त जरूरी है क्योंकि सरकारी कार्यों में जनता तटस्थ रहती है। सहभागिता लोकतंत्र की प्राप्ति का माध्यम है, इससे प्रशासन में पारदर्शिता व संवेदनशीलता आती है तथा यह समस्याओं के प्रभावी समाधान में सहायक होती है। वर्तमान समय में राज्य के कार्यों में बेतहाशा वृद्धि; ज्ञान, सूचना व संचार के विस्फोट; नागरिकों की बढ़ती हुई मांगों को पूर्ण करने में नौकरशाही की असफलता ने नागरिकों की विकासपरक गतिविधियों में प्रभावी सहभागिता को बढ़ावा दिया है। लोकतंत्र में नागरिकता नागरिकों को राज्य के कार्यों मे भाग लेने का अधिकार देती है तथा साथ ही नागरिकों से राज्य के कार्यों विशेषकर विकासात्मक गतिविधियों में भाग लेने की अपेक्षा की जाती है। भारतीय संविधान में अधिकार और कर्त्तव्यों को एक ही साथ रखा गया है। जहां अधिकारों की गणना खत्म होती है वहीं एक अनुच्छेद में दस कर्त्तव्य भी गिनाए गए हैं। लेकिन दुर्भाग्य से भारत की छवि सजग नागरिकों वाले देश के रूप में नही बनी है। यह आम धारणा है कि भारतीय नागरिक कर्त्तव्यों के मुकाबले अधिकारबोध से ज्यादा ग्रस्त है। यहां यह प्रश्न उठता है कि देश से हर चीज मांगने वाले नागरिकों ने देश के विकास में क्या योगदान दिया है? राष्ट्र का विकास तथा जीवन के हर क्षेत्र में सुधार सिर्फ सरकारी प्रयासों से संभव नही है, इसमें आम नागरिकों की सक्रिय भागीदारी भी अत्यन्त आवश्यक है। एक नागरिक का जितना कर्त्तव्य अपने परिवार के लिए है उतना ही समाज और देश के लिए भी है। जो व्यक्ति जिस किसी भी कार्य से संबद्ध है उसे वह कार्य पूरी ईमानदारी व लगन के साथ संपन्न करना चाहिए तभी राष्ट्र का सर्वांगीण विकास संभव हो सकता है। सरकार, प्रशासन और जनता के बीच आपसी भागीदारी से क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। इस भागीदारी को और अधिक मजबूत बनाकर हम निश्चित रूप से उस महान लक्ष्य की प्राप्ति भी कर सकते हैं जिसकी संकल्पना राष्ट्र निर्माताओं ने देश की आजादी के समय की थी।

संविधान का 73वां और 74वां संशोधन भारत के संवैधानिक इतिहास में एक युगान्तकारी पहल है। 1993 में लागू इस संशोधन द्वारा ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं के संगठन और क्षेत्राधिकार में किए गए परिवर्तन सराहनीय हैं। इसके द्वारा यह प्रयास किया गया है कि समाज के कमजोर, वंचित, दलित एवं शोषित वर्गों की भागीदारी स्थानीय शासन व्यवस्था में सुनिश्चित हों। आधुनिक युग प्रजातंत्र का युग है। प्रजातंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें कोई यह शिकायत नहीं कर सकता कि उसकी बात को नही सुना गया है। विकास कार्यक्रमों में जनसहभागिता के दो रूप, व्यक्तिगत तथा संस्थागत, देखने को मिलते हैं। व्यक्तिगत सहभागिता में व्यक्तियों को उनके अनुभव, विशेषज्ञ ज्ञान और कुशलता के कारण सहभागिता के लिए आमंत्रित किया जाता है। कुछ व्यक्ति निस्वार्थ भाव से प्रशासनिक तथा विकास गतिविधियों में भाग लेते हैं। संस्थागत सहभागिता के अंतर्गत विभिन्न सामाजिक व व्यावसायिक संस्थाएं जैसे स्कूल, कॉलेज, तकनीकी व चिकित्सा संस्थान, रेडक्रास सोसायटी, युवक मण्डल, एनसीसी, एनएसएस, रोटरी/लायन्स क्लब, औद्योगिक प्रतिष्ठान, सहकारी संस्थाएं आदि विकास कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण

भूमिका निभा रहे हैं। देश की जनता को सक्रिय तथा निष्क्रिय जन समूह में विभक्त किया जा सकता है। सक्रिय जनता का एक बड़ा भाग स्वयं–सेवी/गैर–सरकारी संगठनों को प्रशासन के अभिन्न भाग के रूप में विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त हुई है तथा उनकी भूमिका को सहभागिता का उत्तम स्वरूप माना गया है। इसके अतिरिक्त जनता का विशाल भाग निष्क्रिय जनसमूह से युक्त है जिसके पहले भाग में असहाय, गरीब, कमजोर वर्ग है जो सामाजिक उत्पीड़न का शिकार है तथा विकास के अवसरों से वंचित रहता है। इसके दूसरे भाग में वे लोग आते हैं जिनको सामाजिक–आर्थिक विकास की सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। ये लोग आत्मसंतोष की स्थिति में है तथा अपने चारों ओर क्या घटित हो रहा है इससे बेपरवाह रहते हैं।

भारत में विकास तथा जनकल्याण की सभी योजनाओं और कार्यक्रमों में जनसहभागिता पर जोर दिया गया है। इनमें नागरिकों को सम्मिलित करने के लिए सहयोग, शिक्षा, परामर्श और प्रोत्साहन का सहारा लिया जाता है। जब तक देश की अधिकांश जनता गरीब, अनपढ़ तथा अपने अधिकारों व कर्त्तव्यों से अनजान रहेगी तब तक वह विकास कार्यों में अपना समुचित योगदान नहीं दे पाएगी। अतएव विकास की प्रक्रिया में जनसहयोग प्राप्त करने के लिए जनता को शिक्षित और सक्षम करना जरूरी है। सहभागिता के लिए विकसित संचार व्यवस्था का होना अत्यन्त आवश्यक है ताकि सरकारी विकास कार्यक्रमों की पूर्ण जानकारी जनता तक पहुंचाई जा सके तथा जनता की प्रतिक्रिया जानी जा सके। प्रशासन और जनता के बीच सहयोग की कड़ी मजबूत बनाने का शक्तिशाली साधन 'लोक संपर्क' है जिसका अर्थ है– सूचना, विचारों, प्रत्यक्ष संपर्क और संचार माध्यमों द्वारा व्यापक प्रचार–प्रसार। आज का युग प्रचार का युग है। सरकार को विभिन्न माध्यमों के द्वारा विकास कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार करना चाहिए ताकि जन–जन तक यह कार्यक्रम पहुंच सके तथा जनता में इनके प्रति जागरूकता एवं रुचि पैदा हो सके। लोक संपर्क मशीनरी को 'जनता से मेल', 'जनता को प्रेरणा' और 'जनता का विश्वास' के सिद्धांतों के अनुसार काम करना चाहिए। यदि प्रशासन को जनता से निरंतर अपेक्षित सहयोग मिलता रहे तो वह अपनी भूमिका का सुचारू रूप से निर्वाह कर सकता है। जनता को अपने दायित्वों के प्रति उतना ही सजग, जागरूक और निष्ठावान होना चाहिए जितना अधिक वह प्रशासन से आशा करते हैं।

संवेदनशील व कुशल प्रशासनिक नेतृत्व तथा पर्याप्त जनसहभागिता के द्वारा विकास से जुड़ी योजनाओं के सही क्रियान्वयन से ही हम गरीबी दूर कर सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं तथा आर्थिक विकास की राह पर अग्रसर हो सकते हैं। नागरिकों, संस्थानों तथा संगठनों द्वारा शासन–प्रशासन द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याण एवं विकासात्मक कार्यक्रमों में निम्नलिखित तरीकों से भाग लिया जा सकता है: (1) नीति निर्माण एवं मूल्यांकन में सहभागिता: इसमें जिला, खण्ड एवं ग्राम स्तर पर योजना निर्माण प्रक्रिया में भाग लेना; सरकारी अधिकारियों के साथ अनौपचारिक/औपचारिक विचार विमर्श करना; प्रदर्शन, धरनों, संवाद आदि के द्वारा सरकार पर दबाव डालना; विभिन्न संचार माध्यमों के द्वारा नीतियों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना; न्यायालय में जनयाचिकाएं दायर करना; शोध कार्यों के आधार पर नवीन नीतियों के निर्माण व उनके क्रियान्वयन संबंधी सुझाव देना आदि सम्मिलित हैं। इनके अतिरिक्त इसमें सरकारी विभागों के साथ पत्र व्यवहार, एसएमएस, ई–मेल करना, विभिन्न संचार माध्यमों से विकास एवं जनकल्याण कार्यक्रमों का समुचित सिंहावलोकन करना; विकासात्मक कार्यक्रमों की उपलब्धि आंकने हेतु सूचनाएं व आंकड़े इकट्ठा करना तथा आलोचनात्मक विश्लेषण करना आदि सम्मिलित हैं। (2) जनचेतना कार्यक्रमों में सहभागिता' इसमें रैली, दौड़, शिविर आदि के आयोजन द्वारा सामाजिक कुरीतियों व समस्याओं जैसे दहेज प्रथा, कन्याभ्रूण हत्या, नशाखोरी, एड्स आदि के प्रति जनता को जागरूक एवं सचेत करना; जनसभाओं, विचार गोष्ठियों, प्रश्नोत्तरी व वाद–विवाद प्रतियोगिताओं, पोस्टर व पेंटिंग प्रतियोगिताओं आदि का आयोजन करके विभिन्न सामयिक व सामाजिक विषयों पर प्रकाश डालना: विभिन्न संचार माध्यमों के माध्यम से विकासात्मक एवं जनकल्याण कार्यक्रमों की पूर्ण जानकारी जनता को प्रदान करना; जनसंख्या नियंत्रण, प्रदूषण नियंत्रण, पानी व बिजली की बचत, प्रौढ़ शिक्षा, साक्षरता कार्यक्रमों के प्रति लोगों में रुझान व उत्साह उत्पन्न करना आदि सम्मिलित हैं। (3) जनसेवाओं के वितरण में सहभागिता: इसमें सरकार व प्रशासन द्वारा संचालित की जाने वाली विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार–प्रसार करना; समय–समय पर विभिन्न क्षेत्रों में शिविरों जैसे चिकित्सा, रक्तदान का आयोजन करना; संकटकालीन परिस्थितियों जैसे भूकंप, बाढ़, महामारी, आकस्मिक दुर्घटना के दौरान प्रभावित लोगों की वित्तीय सहायता करना तथा आवश्यक राहत सामग्री पहुंचाना; सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण में सहयोग प्रदान करना; पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण क्षय रोग नियंत्रण, पल्स पोलियो अभियान, सफाई व स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, भूमि व जल प्रबंधन कार्यक्रमों में हिस्सा लेना आदि सम्मिलित हैं।

यदि देश के सभी नागरिक, संस्थाएं तथा संगठन सक्रिय रूप से रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए कटिबद्ध हो जाएं तो देश का कायापलट किया जा सकती है। सरकार का विभिन्न विकास कार्यक्रमों में लोगों की प्रभावी भागीदारी के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना प्रमुख दायित्व है। सरकार लगभग सभी विकासात्मक योजनाओं में किसी न किसी रूप में लोगों की सहभागिता सुनिश्चित कर रही है चाहे वह धनराशि, श्रम, सामग्री, निगरानी अथवा मूल्यांकन के रूप में हो। लोगों में अन्तर्निहित ऊर्जा को स्वयं के विकास एवं सामुदायिक विकास में उपयोग करने के लिए जनचेतना, जागरुकता एवं रुचि का समावेश करना अनिवार्य है। राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के स्वप्न को साकार करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक सहयोग तथा जनसहभागिता अत्यंत आवश्यक है। जनसाधारण की भागीदारी के बिना स्थानीय संसाधनों का उपयोग व स्थानीय समस्याओं का निराकरण अच्छी तरह से नहीं किया जा सकता है और न ही जनसाधारण की सहभागिता व रूचि के बिना कोई योजना/कार्यक्रम सफल हो सकता है। विकास कार्यक्रमों में जनता की सक्रिय भागीदारी से ही राष्ट्र की प्रगति का पहिया त्वरित गति प्राप्त कर सकता है। जनता का साथ–सरकार का प्रयास–तीव्र होता विकास।

(लेखकद्वय एनएएस कॉलेज, मेरठ, के राजनीतिशास्त्र विभाग में क्रमशः रीडर एवं शोधछात्रा है)

पंचायती राज अवधारणा – एक विहंगम दृष्टि

पंचायतें वे महत्वपूर्ण संस्था हैं, जिनके माध्यम से भारत जैसे विशाल और विविधताओं वाले देश में प्रशासन आम लोगों तक पहुंचता है तथा स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति स्थानीय लोगों के स्थानीय अधिकार द्वारा ही की जाती है। यही सच्चे लोकतंत्र और पंचायती राज का सारतत्व है। शाब्दिक दृष्टि से पंचायती राज शब्द हिन्दी भाषा के दो शब्दों पंचायत और राज से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है– पांच जनप्रतिनिधियों के समूह का शासन। ये पांच प्रतिनिधि हैं– ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा परमेश्वर। एक प्रसिद्ध कहावत भी है– पांच पंच मिल कीजै काजा, हारे जीतै हो न लज्जा। अर्थात पंचों के निर्णय में हार अथवा जीत में लज्जा या शर्मिंदगी नहीं होती है।

भारत में प्राचीन पंचायती राज के विषय में आधुनिक साम्यवादी विचारधारा के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स ने अपनी कृति पूंजी (दास कैपिटल) में लिखा है– प्राचीन काल से चले आ रहे ये छोटे–छोटे भारतीय ग्राम–समुदाय धार्मिक ढंग से संयुक्त स्वामित्व तथा किसान और मजदूर के श्रम–विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। ये ग्राम–समुदाय अपने आप में परिपूर्ण तथा आत्मनिर्भर है। ...एशियाई समाज में जो सुदृढ़ता, संगठन तथा स्थायित्व पाया जाता है, उसका मुख्य श्रेय इन स्वावलंबी ग्राम–समुदायों की उत्पादन–प्रणाली को ही है। वहां के राज्य टूटते रहते हैं– राजसी खानदान बनते–बिगड़ते और मिटते रहते हैं, परंतु वहां के ग्राम समुदायों पर इन तूफानों, आंधियों, क्रांतियों तथा परिवर्तनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे अपनी उसी सनातन गति से चलते रहते हैं।

वैदिक काल में पंचायती राज

वैदिक काल के आरंभ में ग्राम का प्रबंध गांव के मुखिया द्वारा होता था, जिसे ग्रामिणी कहा जाता था। गांव की चौपाल पर इस सभा के सदस्य बैठकर चर्चा करते थे। वैदिक काल में सभा होती थी, जिसमें प्रत्येक नागरिक भाग लेता था, जहां राजा भी डरता हुआ जाता था कि कहीं उसे पदच्युत या मुअत्तिल न कर दिया जाए।

महाकाव्य काल

उत्तर वैदिक काल में, रामायण एवं महाभारत में भी पंचायतों की महत्वपूर्ण स्थिति देखने को मिलती है। ग्राम के शासक को ग्रामिणी की जगह ग्रामिक कहा जाने लगा। उत्तर वैदिक काल में राष्ट्रीय जीवन इन विभिन्न स्वायत्त शासनों में अपने आपको अभिव्यक्त करता है, ऐसा करने में वास्तव में उन्होंने वैदिक परम्पराओं, सामुदायिक संस्थाओं को आगे बढ़ाया। इस काल में ग्राम प्रमुख को ग्रामणी अथवा महत्तर के नाम से जाना जाता था।

बौद्ध काल में पंचायतों के बारे में जातक कथाओं से पता चलता है कि ग्राम के शासक को ग्राम भोजक कहा जाता था। सभा ग्राम संगठन का एक मनोरंजक और महत्वपूर्ण अंग थी, जिसमें ग्राम के वृद्ध बैठते थे, जो कुटुंब के सबसे बड़े–बूढ़े हुआ करते थे। उस समय ग्राम सभा के मुख्य कार्य थे– न्याय करना, गांव की आंतरिक सुरक्षा, सरकारी मकान, घाट, मंदिर, तालाब, कुएं बनवाना, कर वसूल करना तथा शिक्षा आदि।

मौर्यकाल व गुप्तकाल में पंचायती राज

कौटिल्य ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'अर्थशास्त्र' में ग्राम पंचायतों की स्थानीय शासन एवं न्याय व्यवस्था में भूमिका का उल्लेख करते हुए लिखा है कि 'स्थानीय विवादों का निर्णय ग्राम वृद्धों एवं सामंतों द्वारा किया जाता है। यदि ग्राम वृद्ध या सामंत किसी विवादास्पद विषय पर निर्णय लेने में मतभेद रखते हैं तो उस स्थान की जनता की अनुमति से वहां के धार्मिक पुरुष उस विषय पर निर्णय से अथवा मध्यस्थ को नियत कराकर उससे निर्णय करवाया जा सकता है।'

गुप्तकालीन व्यवस्था में भी ग्राम पंचायत का अत्यधिक महत्व था। उस समय यद्यपि राजवंशी प्रणाली थी, लेकिन शासन का विकेन्द्रीकरण विभिन्न स्तरों पर किया गया था। ग्रामीण मामलों के प्रबंध हेतु एक पद सोपानिक पंचायती व्यवस्था विद्यमान थी। गुप्तकाल के बाद हूण, यशोधर्मन, मैत्रिक इत्यादि वंशों का शासन रहा। उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था में विशेष परिवर्तन नहीं किये। हर्षवर्धन के समय में ग्राम के मुखिया का चुनाव होता था। ग्राम की प्रशासनिक व्यवस्था में विशेष परिवर्तन नहीं किये। हर्षवर्धन के समय में ग्राम के मुखिया का चुनाव होता था। ग्राम की प्रशासनिक गतिविधियों तथा आपराधिक स्थितियों के निराकरण के लिए अष्टकुल अधिकरण नामक समिति अस्तित्व में थी। ग्राम के प्रभारी अधिकारी को ग्राम अक्षपटलक कहा जाता था।

पंचायती व्यवस्था का सर्वथा परिष्कृत व स्वर्णिक स्वरूप दक्षिण भारत के विशेषतया चोल शासन में दिखाई देता है। चोल अभिलेखों में

स्थानीय स्वशासन की मौलिक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन मिलता है। कोट्टम (गांव) से लेकर मण्डल (प्रान्त) तक स्वशासन की संस्थाएं थीं, जो प्रशासन का कार्य देखती थीं। वलनाड़ (बड़े प्रदेश) की सभा को नगस्तार, नाडु (जिले) में कार्यरत संस्था नाट्टर कहलाती थी।

मुगलकालीन व्यवस्था

मुस्लिम काल में, मुस्लिम राजाओं ने पंचायत व्यवस्था में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया। संपूर्ण मुगल प्रान्त, अनेक सरकारों तथा जिलों में बंटा हुआ था। छोटी शासन इकाई परगना कहलाती थीं। परगने गांवों में विभक्त थे। गांवों को अपने मामलों में काफी स्वतंत्रता मिली हुई थी। अकबर के शासन काल में पंचायती राज संस्थाओं को काफी हद तक नैतिक एवं प्रशासनिक सहयोग प्राप्त था। इस काल में सामान्यतः काजी, मीर, आदिल आदि न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के उपरान्त भी ग्राम पंचायतों की भूमिका महत्वपूर्ण बनी रही। मराठा काल के अनेक दस्तावेजों से ज्ञात होता है कि शिवाजी, राजाराम और शाहू आदि के पास जो मामले सीधे लाये जाते थे, उन्हें वे स्वयं न सुनकर ग्राम पंचायत के पास भेज दिया करते थे।

ब्रिटिश काल में पंचायती राज

अंग्रजों का भारत में उद्देश्य शोषण करना था। अतः पंचायतों की व्यवस्था में इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए परिवर्तन किया गया। शासन संचालन के लिए अधिकतर कर्मचारियों की नियुक्ति की गई। पंचायत के अधिकार इनके हाथों में आना प्रारंभ हो गए। लार्ड कर्जन की केंद्रीयकरण की नीति के फलस्वरूप इन संस्थाओं पर सरकारी वर्चस्व स्थापित हो गया।

पंचायतों पर प्रथम आक्रमण वर्ष 1773 में प्रारंभ हुआ, जब 1773 में प्रारंभ हुआ, जब वारेन हेस्टिंग्स के शासन काल में रेग्युलेशन एक्ट द्वारा पंचायतों के अधिकार एक के बाद एक छीने जाने लगे। गांव से मालगुजारी एकत्र करने के लिए जमींदार नियुक्त हुए, जो व्यक्तिगत रूप से लगान वसूल करने लगे। ब्रिटिश शासनकाल में व्यापक पैमाने पर दीवानी एवं दण्ड न्यायालयों की स्थापना हुई, जिनका क्षेत्राधिकार गांवों तक भी प्रशस्त था। इन न्यायालयों में अधिकांश मामलों की सुनवाई होने के परिणामस्वरूप ग्राम पंचायतें धीरे–धीरे अपने प्राधिकार से शून्य होती गई। वर्ष 1821 में एल्फिन स्टोन ने ग्राम पंचायतों के महत्व को स्वीकार करते हुए उनकी शक्तियों को सीमित करने को अनुचित ठहराया। वर्ष 1857 में ग्रामीण स्वायत्तशासी निकायों को कुछ महत्व प्रदान करते हुए कुछ राज्यों में जिला कोषों की स्थापना की गई तथा ग्रामीण प्रशासन को भू–राजस्व, शिक्षा एवं पथ कर लगाने के अधिकार प्रदान किए गए। वर्ष 1882 में लॉर्ड रिपन ने ग्रामीण क्षेत्रों में बोर्ड अथवा मण्डलों की स्थापना का सुझाव दिया। वर्ष 1884 चेन्नई एवं बंगाल में यूनियन पंचायतों के गठन के संबंध में कार्रवाई एक उल्लेखनीय प्रयास था।

19वीं सदी के उत्तरार्द्ध में दादाभाई नौरोजी, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चन्द्र पाल, रवीन्द्रनाथ ठाकुर आदि नेताओं ने ग्रामीण जनता को उसकी प्राचीन ग्राम पंचायतों तथा आत्मनिर्भर ग्रामीण समाज व्यवस्था की याद दिलाई। वर्ष 1907 में अंग्रेजों ने विक्रेन्द्रीकरण के लिए शाही आयोग गठित किया। वह देशभर में घूमा और उसने पंचायतों की स्थापना का सुझाव दिया। 1910 में इलाहाबाद में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान ब्रिटिश सरकार के समक्ष ग्राम पंचायतों की स्थापना की मांग रखी गई।

वर्ष 1915 की शासकीय रिपोर्ट में पंचायतों के विषय में कहा गया कि पंचायतों को निश्चित कर लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए। लेकिन इस पर प्रांतीय सरकार का नियंत्रण रखना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कर वसूली में पचायतों इतनी मग्न न हो जाए कि वे अन्य कार्यें में शिथिल हो जाएं। वर्ष 1919 में मांटेग्यू–चेम्सफोर्ड सुझावों के कारण गवर्नमेंट आफॅ इंडिया एक्ट के पास होने के बाद पंचायतों की ओर कुछ और ध्यान दिया गया। इसके लागू होने का एक महत्वूपर्ण परिणाम यह हुआ कि पंचायतों का विषय केन्द्रीय सरकार का न होकर प्रांतीय सरकारों का विषय बन गया।

वर्ष 1920 में मद्रास प्रांत में पंचायत कानून बना। इसमें स्थानीय संस्थाओं और पंचायतों को अधिकार दिए गए। 1922 में गया में हुए कांग्रेस के सम्मेलन में देशबंधु चितरंजन दास ने अपनी पांच सूत्रीय योजना प्रस्तुत की थी। इसमें पंचायतों को भारतीय शासन के पुर्निर्माण का आधार बनाया गया। इन पर ही उच्च स्तर की सरकार आधरित करने की तथा उन्हें अवशिष्ट शक्तियां देने की कल्पना की गई थी। 1930 से पंचायतों के अधिकारों में फिर कटौती की जाने लगी।

वर्ष 1935 में प्रान्तों को स्वायत्तता मिली। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों का निर्माण होने लगा। वर्ष 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जनता के शासन की कई मांगें मान ही गईं थी। परन्तु पंचायतों की दशा में कोई खास सुधार नहीं हुआ। 1942 के विद्रोही दौर में सारे अधिकार व्यवहार्यतः शासकीय विभागीय अधिकारियों को सौंप दिये गए। यद्यपि 1941 में ही पंचायतों के लिए अलग से विधान बनाने का एक दस्तावेज तैयार हुआ था। 1946 में जाकर ग्राम पंचायत अधिनियम बना।

समय–समय पर विभिन्न प्रान्तों के लिए ग्राम पंचायत संबंधी जो अधिनियम पारित किये गए वे इस प्रकार हैं–– बंगाल में स्थानीय अधिनियम, 1919, मद्रास में स्थानीय सरकार अधिनियम 1920, बम्बई ग्राम पंचायत अधिनियम पअ, 1920,बम्बई उत्तर प्रदेश पंचायत एक्ट, 1920, बिहार सरकार अधिनियमअ, 1920, सेन्ट्रल प्रोविन्स पंचायत अधिनियम अ, 1920, पंजाब पंचायत अधिनियम पपप, 1922, आसाम स्वसरकार अधिनियम 1925, मैसूर ग्राम पंचायत अधिनियमपप, 1928।

स्वतंत्रता के बाद प्रगति

लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई पंचायतों की स्थापन के बारे में जो सदियों से भारत के शासक संचालन का आधार रही थी,

संविधान का प्रारूप गांधीजी को दिखाया तो गांधीजी ने उसे देखकर लौटा दिया और कहा, इसमें तो पंचायतों की व्यवस्था है ही नहीं... यदि भारत को नष्ट नहीं होना है तो हमें सबसे निचले स्तर से काम आरंभ करना होगा, अन्यथा उच्च तथा मध्य का तंत्र लड़खड़ाकर गिर जाएगा स्वराज का अर्थ कुछ लोगों के हाथ में क्षमता नहीं है, बल्कि बहुमत के हाथ में वह शासक को नियंत्रित कर सके, अर्थात विकेन्द्रीकरण ही भारत के तंत्र का समाधान है।

इसके फलस्वरूप संविधान सभा का इस ओर ध्यान गया। राज्य के नीति–निर्देशक तत्वों में पंचायत को स्थान दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 40 में उल्लेख किया गया कि, राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए अग्रसर होगा तथा उनको ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा, जो उनको स्वायत्त शासन इकाई के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों।

संविधान में ग्राम पंचायत को राज्य के नीति–निर्देश तत्वों में स्थान देकर उन्हें ऐच्छिक स्थिति में रखा गया। पंचायतों को सिर्फ नागरिक कार्य सौंपे गए।

वर्ष 1957 में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए जनसहभागिता की समस्या के समाधान के संबंध में अध्ययन करके सुझाव देने के लिए बलवन्त राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। 2 अक्तूबर, 1959 को बलवन्त राय मेहता समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति में तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन करते हुए इसे नए भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक कदम बताया।

इसके बाद आंध्र प्रदेश में पहली नवम्बर, 1959 को इस व्यवस्था को लागू किया तथा अगले 3–4 वर्षों में संपूर्ण देश में ग्राम पंचायतों की स्थापना हो गई। अधिकांश राज्यों ने बलवन्त राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय रखा 1. ग्राम स्तर पर ग्रम पंचायत, 2. खण्ड स्तर पर पंचायत समिति, तथा 3. जिला स्तर पर जिला परिषद।

64वां संविधान संशोधन विधेयक, 1989

15 मई, 1989 में संसद में संविधान संशोधन (चौंसठवां) लाया गया। इस विधेयक के प्रमुख प्रावधान निम्न थे–– पंचायती राज संस्थाओं का ढांचा त्रिस्तरीय होगा। ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर तथा जिला स्तर; छोटे राज्य, जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम हैं, वे द्विस्तरीय ढांचा भी अपना सकते हैं; पंचायतों में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त होगा। यह आरक्षण अनुसूचित जातिएवं जनजाति को प्राप्त आरक्षण के अतिरिक्त होगा; पंचायतों का कार्यकाल पांच वर्ष होगा, यदि किसी पंचायत का निर्धारित अवधि से पूर्व विघटन हो जाता है तो अधिकतम 6 माह के भीतर इनका नया चुनाव कराना अनिवार्य होगा; पंचायती राज संस्थाओं को अपने क्षेत्र के अंतर्गत विकास की योजना का निर्माण करने का अधिकार होगा आदि। यद्यपि 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोक सभा में तो पारित हो गया किन्तु राज्य सभा में पारित नहीं हो सका, फिर भी पंचायती राज के सशक्तिकरण में इस विधेयक ने एक महत्वपूर्ण आधार का काम किया।

73वां संविधान संशोधन (1992)

16 दिसंबर, 1991 को पी.वी. नरसिम्हा सरकार के द्वारा 72वां संविधान संशोधन विधेयक लोक सभा में प्रस्तुत किया गया। यह विधेयक 64वें संशोधन विधेयक की ही संशोधित प्रति थी। लोकसभा में 72वें विधेयक की समीक्षा हेतु संसद सदस्यों की एक संयुक्त प्रवर समिति का गठन किया गया। नाथूराम मिर्धा की अध्यक्षता में गठित इस समिति में विभिन्न राजयों एवं इलाकों के प्रतिनिधि सदस्य थे। 22 दिसंबर को लोक सभा एवं अगले दिन राज्य सभा ने 73वं संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में पारित किया गया। 17 राज्यों के अनुमोदन के बाद 24 अप्रैल, 1993 को यह अधिनियम संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। इस संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग, भाग 9 संविधान में जोड़ा गया, जिसकी शीर्षक पंचायत है। इसके द्वारा अनुच्छेद 243 में पंचायतों से संबंधित प्रावधान किए गये हैं, जिसमें 15 उप–अनुच्छेद हैं।

संविधान (73वां) संशोधन अधिनियम, 1992 के पारित होने से देश के संघीय लोकतांत्रिक ढांचे में एक नए युग का सूत्रपात हुआ और पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं– ग्राम सभा एक ऐसा निकाय होगा, जिसमें ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र में मतदाताओं के रूप में पंजीकृत सभी व्यक्ति शामिल होंगे। ग्राम सभा राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित शक्तियों का प्रयोग तथा कार्यों को सम्पन्न करेगी; 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी राज्यों के लिए पंचायती राज की त्रि–स्तरीय प्रणाली; प्रत्येक 5 वर्ष में पंचायतों के नियमित चुनाव; अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और महिलाओं के लिए (33 प्रतिशत) आरक्षण; पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय शक्तियों के संबंध में सिफारिशें करने के लिए वित्त आयोग की स्थापना; पूरे जिले के लिए विकास योजना मसौदा बनाने के लिए जिला आयोजना समिति का गठन; यह अधिनियम संविधान में अनुच्छेद 243 (जी) द्वारा एक नयी 11वीं सूची जोड़ता है, जिसमें 29 विषय है।

भारत में पंचायतों का इतिहास पुराना है। परंतु सही अर्थों में संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों के क्रमशः 24 अप्रैल और पहली जून 1993 को कानून बन जाने पर हमारे यहां मौजूदा पंचायती राज प्रणाली की शुरूआत हुई। 73वें संविधान संशोधन ने मृतप्रायः पंचायतों को जीवन प्रदान दिया। संवैधानिक दर्जा दिए जाने से उनका अस्तित्व सुरक्षित हो गया। इससे पंचायतों को न केवल प्रशासनिक अधिकार प्रात हुए बल्कि वित्तीय संसाधनों की गारंटी भी प्राप्त हुई, जिससे ग्रामीण विकास में सहायता प्राप्त हो सकेगी।

पंचायती राज प्रणाली की संरचना एवं प्रगति

दशगन्तदास पटेल

भारतीय राजनीति में विकेन्द्रीकरण एवं लोकतंत्र के सिद्धांत सर्वस्वीकृत है। इसी परिप्रेक्ष्य में लम्बे समय से यह मांग की जाती रही है कि देश में आर्थिक एवं राजनैतिक शक्तियों का विकेन्द्रीकरण किया जाय। 1959 में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का जो कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया उसका उद्‌गम सामुदायिक विकास के एक अध्ययन दल की रिपोर्ट से हुआ था। इस दल की रिपोर्ट में यह कहा गया था कि सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए संस्था बनानी चाहिए और इन क्षेत्रों के विकास का सारा कार्य इन संस्थाओं को सौंप दिया जाना चाहिए। केवल दिशा निर्देश, निगरानी तथा उच्च स्तरीय योजना का कार्य सरकार के जिम्मे होना चाहिए। इस तरह देश के लगभग सभी राज्यों में 1960–61 तक पंचायतों की विधिवत स्थापना हेतु अधिनियम पारित किए गए जिसके अंतर्गत स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के तीन स्तरीय ढांचे की व्यवस्था की गयी। सबसे नीचले स्तर पर अर्थात् गांवों में ग्राम पंचायतें, मध्यम स्तर पर अर्थात् ब्लाकों में पंचायत समितियां तथा सर्वोच्च स्तर पर अर्थात् जिल में जिला परिषदें।

इस तरह, विभिन्न राज्यों में पंचायतों की स्थापना के साथ इन्हें गांवों के संपूर्ण विकास के लिए उत्तरदायी बनाया गया। गांवों की सफाई, स्वच्छता, बिजली, पानी, सड़कें, चिकित्सा–स्वास्थ्य, बेसिक शिक्षा, वृक्षारोपण, वाचनालय, मनोरंजन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, लघु सिंचाई, लघु उद्योग, कृषि, मत्स्य एवं पशुपालन, ग्रामीण आवास आदि जैसे अनेक दायित्व सौंपे गए। इन दायित्वों के निर्वहन हेतु इन्हें विभिन्न स्रोतों अर्थात्, बाजार हाटों, सिंचाई भवनों, सिनेमा, वाहनों, पशुओं के रजिस्ट्रेशन, तालाबों आदि पर कर लगाने के अधिकार भी प्रदान किए गए परन्तु दुर्भाग्यवश न तो विभिन्न मदों पर तर्कपूर्ण कर लगाए जा सके और कहीं–कहीं यदि कर लगाए भी गए तो इसके वसूलने की समुचित व्यवस्था नहीं की जा सकी अथवा कठोरता के साथ उन्हें वसूलने की कार्यवाही सम्भवतया भविष्य में राजनैतिक हानि होने के भय से संभव न हो सकी जिसका परिणाम यह रहा कि पंचायतें वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था के अभाव में अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं कर सकीं और धीरे–धीरे अस्तित्वहीन प्रतीत होने लगीं। सन् 1977 में इन संस्थाओं की समीक्षा करते हुए अशोक मेहता समिति ने इन संस्थाओं की तीन अवस्थाओं का जिक्र किया– प्रथम, 1959 से 1964 तक इन संस्थानों ने जड़ें पकड़ीं, द्वितीय, सन् 1964–69 तक की अवधि में इनका क्षय हुआ और तृतीय, 1969–77 तक की अवधि में ये निष्क्रिय पड़ी रहीं। इन संस्थाओं की जड़ता से समिति ने निष्कर्ष निकाला कि इनकी जड़े जनता में नहीं हैं। अतः ये सरकार की उपहास मात्र है। इस तरह भारत की धरती पर पंचायती राज संस्थाएं फूली–फली नहीं तथा व्यापक समर्थन के बावजूद हम इन्हें मजबूत बनाने में विफल रहें, महान सम्भावनाओं से परिपूर्ण यह प्रणाली प्रशासनिक रूप से पंगु और आर्थिक दृष्टि से कमजोर रही तथा जटिल प्रक्रियाओं के जाल में फंसकर रह गयी।

नवीन पंचायती राज व्यवस्था– पंचायतों के खोए हुए अस्तित्व को अधिक शक्तियां और दायित्व प्रदान करने के उद्देश्य से नवीन पंचायती राज विषयक संविधान संशोधन आवश्यक समझा गया। 1980 के दशक में यह स्पष्ट महसूस किया जाने लगा कि शक्ति के केन्द्रीकरण से भारत की शासन व्यवस्था चरमरा जाएगी। अतः यह मांग बलवती होने लगी कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया जाय। 'सत्ता जनता के हाथ में हो' इस नारे को सार्थक बनाने की दृष्टि से संविधान में संशोधन करना आवश्यक समझा गया तथा यह महसूस किया जाने लगा कि पंचायती राज प्रणाली को कारगर ढंग से लागू किए बिना शासन की चौखम्भा प्रणाली वांछित फलदायी नहीं हो सकती। इस तरह, सम्पूर्ण देश में पंचायतों की संरचना में एकरूपता लाने और उन्हें ग्रामीण विकास के लिए उत्तरदायी, प्रभुतासम्पन्न इकाई के रूप में पुनर्गठित करने के उद्देश्य से इन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान करने हेतु तत्कालीन सरकार द्वारा 1989 में 64वां संविधान संशोधन बिल संसद में पेश किया गया परन्तु यह बिल पास नहीं हो सका। अन्ततः 73वें संविधान संशोधन के रूप में 23 अप्रैल, 1993 से नवीन पंचायती राज विषयक संविधान सम्पूर्ण देश में लागू हुआ। इसके अन्तर्गत महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर एक–तिहाई सदस्यों और अध्यक्षों के पदों पर आरक्षण, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए जनसंख्याके अनुपात में आरक्षण द्वारा इनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना, निष्पक्ष, सुनिश्चित और स्वतंत्र चुनाव हेतु राज्य चुनाव हेतु राज्य चुनाव आयोगों का गठन, वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु राज्य वित्तीय आयोग का गठन, संरचनात्मक एकरूपता, निश्चित कार्यकाल, दायित्वों एवं अधिकारों का सुनिश्चितीकरण आदि प्रावधान किए गए हैं। 73वें संविधान संशोधन से त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव हर पांचवें वर्ष हो सकेंगे। इसी व्यवस्था के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल आदि राज्य पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन हेतु चुनाव सम्पन्न करा कर नवीन पंचायती राज व्यवस्था को क्रियान्वित करने हेतु तत्पर हैं।

पंचायतों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 26 मई, 1997 को सार्वजनिक वितरण व्यवस्था सहित 15 विभागों को पंचायतों के अधीन कर दिया गया। प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, लघु सिंचाई, सहकारिता, कृषि, लघु उद्योग, पेयजल, मत्स्य एवं पशुपालन, बेसिक शिक्षा, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, पंयायत राज, सामान्य स्वास्थ्य, ग्रामीण आवास, युवाकल्याण, इन्दिरा आवास तथा ग्रामीण स्वच्छता आदि अब पंचायतों के अधीन होंगे। सम्बन्धित विभागों के जिलों के प्रमुख अधिकारी अब पंचायतों के अधीन होंगे। प्रदेश शासन द्वारा पंचायतों को अधिकार दिए जाने से गांधीजी की ग्राम स्वराज्य की कल्पना साकार होने की ओर अग्रसर होगी। पंचायतों को अधिकार दिए जाने से जाने से जन–प्रतिनिधियों को जन सेवा करने की अपूर्व शक्ति प्रदान की गयी है। अब तक उपेक्षित एवं अलग–थलग पड़े जन प्रतिनिधि जनता की समस्याओं का निराकरण अब अपने स्तर से कर सकेंगे।

जनतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण– भारत में अब तक प्रजातन्त्र केवल संसदीय प्रजातन्त्र तक ही सीमित था जिसमें संसद एवं राज्य विधान सभाओं के लिए लगभग 5,000 प्रतिनिधियों का चुनाव होता था। इससे जनतन्त्रीय संस्कृति निचले स्तर तक अपनी जड़ें न जमा पाने के कारण सार्थक नहीं हो पा रही थी। त्रिस्तरीय पंचायतों के नियमित चुनाव से जनतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण की कल्पना अब सार्थक हो सकेगी। वर्तमान समय में 500 से अधिक जिला पंचायतें, लगभग 5,100 ब्लॉक पंचायतें और लगभग 2,25,000 गांव पंचायतें हैं। इस तरह इससे भारतीय प्रजातन्त्र का आधार बढ़ा है।

73वें संविधान संशोधन से देश में प्रशासनिक संघवाद को बल मिलेगा तथा इससे राज्यों से स्थानीय सरकारों को प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारों का अन्तरण सहज एवं संभव हो सकेगा। स्थानीय सरकारों की प्रशासनिक शक्तियों, उनके दायित्वों और इन शक्तियों के क्रियान्वयन एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु वित्तीय स्रोतों आदि की व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा कानून बनाकर की जानी है। यहां यह उल्लेखनीय है कि स्थानीय सरकारों के पास अब तक किसी प्रकार की विधायी या न्यायिक शक्तियां नहीं हैं, अतः इन संस्थाओं को मात्र संवैधानिक दर्जा देने तथा नियमित रूप से इनके चुनाव होने से त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था अर्थहीन होकर रह जाएगी। जिन देशों में स्थानीय संस्थाएं अस्तित्व में हैं, वहां उन्हें अपने दायित्वों के उचित निर्वहन हेतु अपने क्षेत्र में कानून बनाने के लिए विधायी अधिकार भी अन्तरित किए गए हैं। यथा, यहां स्थानीय सत्ताओं को बजट बनाने, नियम एवं उपनियम बनाने का अधिकार भी सौंपा जाना चाहिए। हम न्याय पंचायतों के माध्यम से न्याय का विकेन्द्रीकरण तक तक नहीं कर सकते जब तक पुलिस विभाग में भी विकेन्द्रीकरण न किया जाय। इसके लिए ग्राम पुलिस, ब्लॉक पुलिस, जिला पुलिस भी होनी चाहिए।

कलेक्टर राज के स्थान पर पंचायत राज– 74वें संविधान संशोधन से जिला सरकारों के निर्माण का रास्ता साफ हुआ है। वास्तव में जिला स्तरीय नियोजन का अधिकार भी स्थानीय सत्ताओं को प्रदान करने का प्रयास किया गया है। यह सही दिशा में एक बड़ा कदम है। अब तक जिले केवल प्रशासनिक इकाइयों के रूप में जाने जाते थे परन्तु अब वे शासन की इकाइयों के रूप में होंगे। अब मतदाताओं द्वारा निर्वाचित जिला परिषदों के सदस्य एवं अध्यक्ष शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका में होंगे। अब मतदाताओं द्वारा निर्वाचित जिला परिषदों के सदस्य एवं अध्यक्ष शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका में होंगे। अब कलेक्टर राज, पंचायत राज में परिवर्तित होगा। अब एक तरह से देश में अपने अधिकारों एवं दायित्वों से लैस 500 मुख्यमंत्री होंगे। यह कार्य निश्चित रूप से देश में वर्तमान 28 मुख्यमंत्रियों को बहुत पसन्द नहीं आएगा।

संसदीय प्रजातन्त्र नीचे से ऊपर की ओर– स्वतन्त्रता प्राप्ति के लगभग अर्धशताब्दी पश्चात् देश की राजनैतिक पद्धति विपरीत दिशा की ओर मुड़ रही है। अब तक उच्च स्तर पर पदासीन व्यक्तियों का ही वर्चस्व था तथा नीचे तबके के लोगों का महत्व नगण्य था। वह उच्चपदस्थ राजनीतिज्ञों पर ही आश्रित थे। पहले जनता के कुछ हजार प्रतिनिधियों द्वारा देश के विभिन्न मामलों का प्रबन्ध किया जाता था। अब देश के विभिन्न स्तरों पर जनता के लाखों प्रतिनिधि लोगों के हित के लिए आवाज उठाने को तत्पर हैं। इस नए संशोधन से स्थानीय सत्ताओं में एकाएक आगे की ओर उछाल की स्थिति आ गयी है। इस तरह, पहली बार संसदीय लोकतन्त्र का निर्माण नीचे से ऊपर की ओर हो रहा है।

पंचायत चुनावों में राजनैतिक दलों की सहभागिता– भारत में पंचायतों के चुनाव एवं इन चुनावों में भारी अनुपात में मतदाताओं का भाग लेना प्रजातन्त्र की सफलता का महत्वपूर्ण सूचक है। उ. प्र., उड़ीसा. प. बंगाल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु आदि ऐसे राज्य रहे जहां 90 प्रतिशत मतदाताओं ने पंचायत चुनावों में भाग लिया। पंचायत चुनावों में राजनैतिक पार्टियों के सीधे भाग लेने या न लेने के बारे में कुछ उहापोह की स्थिति रही। यह चर्चा का विषय रहा कि क्या पंचायत चुनाव दलीय आधार पर लड़ना उचित होगा अथवा इसे राजनैतिक दलों से दूर रखना उचित होगा। वर्तमान समय में राजनैतिक दलों की जैसी कार्यप्रणाली एवं राजनेताओं का राजनीतिक उद्देश्य है उसे देखते हुए यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण होगा कि आज राजनीतिक दलों का उद्देश्य लोकतन्त्र को मजबूत करने तथा जनतन्त्रीय प्रणाली के सफल संचालन हेतु न होकर सत्ता पर कब्जा करना रहता है। वे इस बात से निर्देशित होते हैं कि येन–केन प्रकारेण किसी भी साधन का सहारा लेकर साध्य को प्राप्त किया जाय। कभी–कभी ये साधन भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले होते हैं जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। इसी बात को ध्यान में रखकर गांधीवादियों, सर्वोदय विचारधारा वालों तथा जयप्रकाश नारायण आदि ने यह विचार व्यक्त किया कि राजनैतिक दलों को पंचायत चुनावों से अलग ही रहना चाहिए। पंचायती राज चुनावों के संबंध में गठित संथानम कमेटी ने अपनी रिपोर्ट, 1964 में इंगित किया था कि कमेटी के समक्ष पंचायतों के चुनावों के संबंध में सबसे विवादास्पद मुद्दा, यह रहा कि पंचायत चुनावों में राजनैतिक दलों को हिस्सा लेना चाहिए अथवा नहीं ?

स्थानीय शासन व्यवस्था में महिलाओं एवं कमजोर वर्ग के लोगों की भूमिका– पंचायतों एवं नगर पालिकाओं की नयी व्यवस्था के अन्तर्गत समाज के कमजोर वर्गों–अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 25 प्रतिशत है, पंचायतों में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए इन्हें पंचायतों के सदस्यों एवं अध्यक्षों के रूप में चुने जाने की व्यवस्था की गयी है। इनकी सदस्यता क्षेत्र विशेष

में इनकी जनसंख्या के अनुपात में निश्चित की जाती है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में आदिवासियों के लिए विशेष व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त पंचायत संस्थाओं के तीनों स्तरों के सदस्यों एवं अध्यक्षों के पदों को राज्य सरकारें पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित करने हेतु स्वतन्त्र होंगी। उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में इस संबंध में तदनुसार व्यवस्था की गयी है।

नवीन पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत पंचायतों के तीनों स्तरों पर सदस्यों एवं अध्यक्षों के पदों हेतु पहली बार कुल निर्धारित पदों के एक–तिहाई भाग को महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। इससे देश की लगभग 10 लाख महिलाओं को पंचायतों एवं नगरपालिकाओं में चुने जाने का मौका मिलेगा। अब तक हुए चुनावों में महिलाओं ने बढ़–चढ़ कर हिस्सा लिया तथा महिला पंचायत सदस्यों एवं अध्यक्षों ने अपने अधिकारों एवं दायित्वों का अच्छी तरह निर्वहन करने का प्रयास किया। आज यदि चुनी हुई महिला प्रतिनिधियों में से 25 प्रतिशत ने भी अपने दायित्वों एवं अधिकारों का अच्छी तरह सफलतापूर्वक निर्वाह कर लिया तो यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी।

(लेखक रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) के अर्थशास्त्र विभाग से सम्बद्ध हैं)

पंचायत युवा शक्ति अभियान का शुभारंभ हरियाणा के फरीदाबाद से

राष्ट्रव्यापी पंचायत युवा शक्ति अभियान में (पीवाईएसए) पांच कार्य दल युवाओं की भागीदारी के जरिए युवा क्लबों और पंचायती राज संस्थानों को मजबूत बनाने, पंचायती राज संस्थानों और ग्रामीण व्यापारिक केंद्र के विकास कार्यक्रमों में पंचायती राज संस्थानां और ग्रामीण युवा क्लबों की भूमिका, स्वास्थ्य, स्वच्छता, साफ–सफाई, शिक्षा और साक्षरता और कन्या भ्रूण हत्या तथा लिंग भेद की समस्या, महिला सशक्तिकरण में पंचायती राज संस्थानों और युवा क्लबों की भूमिका तथा खेल और तंदुरूस्ती में पंचायती राज संस्थानों और युवा क्लबों की भूमिका जैसे प्रमुख मुद्दे पर चर्चा करेंगे।

देश की 40 प्रतिशत जनसंख्या युवा हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार 13 से 35 आयु वाले युवाओं की संख्या अनुमानतः 41 करोड़ है जो कि 2016 तक बढ़कर 51 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी। पर्यावरण समस्याओं को सुलझाने में संसाधन और दक्षता उपलब्ध कराने के लिए पंचायती राज संस्थानों और युवा क्लबों में परस्पर सहभागिता स्थापित करने की आवश्यकता है। इसीलिए युवा समूहों और पंचायती राज संस्थानों के बीच परस्पर संपर्क बढ़ाने और निर्णय लेने में युवाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस प्रयास के परिणामस्वरूप पंचायत स्तर पर सशक्त युवा नेतृत्व की अधिक उपलब्धता से पंचायतें अपने कार्यों का बेहतर निष्पादन कर पाएगी।

वर्तमान में हरियाणा में 19 जिला पंचायतें (जिला परिषद), 114 मध्यवर्ती पुचायतें और 6043 ग्राम पंचायतें (76697 सदस्य) हैं। राज्य में नेहरू युवा केंद्र संगठन के 7051 युवा क्लब हैं जिनके सदस्यों की संख्या 2.8 लाख है।

सदस्यता कूपन

मैं/हम **कुरुक्षेत्र** का नियमित ग्राहक बनना चाहता हूं/चाहती हूं/चाहते हैं।

शुल्क : एक वर्ष के लिए 70 रुपये, दो वर्ष के लिए 135 रुपये, तीन वर्ष के लिए 190 रुपये का
(जो लागू नहीं होता, उसे कृपया काट दें)

डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर क्रमांक ..... दिनांक ..... संलग्न है।

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) .....

पता .....

..... पिन .....

इस कूपन को काटिए और शुल्क सहित इस पते पर भेजिए :

विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक

प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, तल–7, रामकृष्णपुरम,

नई दिल्ली–110 066

*कृपया ध्यान रखें, आपका डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर **निदेशक, प्रकाशन विभाग** को नई दिल्ली में देय हो।*

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की बढ़ती भूमिका

राकेश शर्मा 'निशीथ'

पंचायत प्रणाली में ग्राम राज और ग्राम स्वराज के बारे में भारत की अवधारणा पश्चिम की संकल्पना से अलग है। निर्णय करने की पंच परमेश्वर की भारतीय पद्धति एक आदर्श पद्धति है क्योंकि ये पंच, लोगों की समस्याओं को सबसे अच्छी तरह जानते हैं। हमारे देश में पंचायत की संकल्पना काफी पुरानी है। चौपाल, जाति पंचायत और परिवार पंचायत आदि संस्थाओं में आधुनिक पंचायत व्यवस्था की जड़ें व्याप्त थीं। सिंधु घाटी की सभ्यता में इसका प्रमाण मिलता है।

हमारे देश की जनसंख्या का आधा हिस्सा महिलाएं हैं। अतः देश का समग्र विकास महिलाओं की भागीदारी के बगैर नहीं हो सकता। भारत में अनादिकाल से जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं ने पुरूषों के साथ मिलकर काम किया। भारतीय महिलाएं घर–गृहस्थी का पूरा काम–काज निपटाने के साथ–साथ राष्ट्रीय जीवन के हर क्षेत्र में खेतों, खलिहानों, कल–कारखानों, दफ्तरों, अस्पतालों में उपयोगी योगदान करती आई हैं। चाहे गांवों में साक्षरता के प्रसार का अभियान हो, या गांव के युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने का मामला हो, गांव में पीने के पानी की समस्या अथवा फसलों को बीमारियों से बचाना हो यह सब कार्य ग्रामीण महिलाएं ही आपसी सहयोग और विकास कार्यों में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करके कर सकती है। बढ़ती आबादी की रोकथाम, पर्यावरण की रक्षा, बच्चों को पौष्टिक व संतुलित आहार देने और इन सबसे बढ़कर स्थानीय संसाधनों की अधिकाधिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में महिलाएं ही अपना योगदान और नेतृत्व दे सकती हैं। अतः पंचायती राज संस्थानों में भी महिलाओं की अहम भूमिका है।

समस्याएं

विभिन्न सामाजिक आर्थिक रुकावटों के कारण महिलाओं को अपनी सांख्यिकी शक्ति के बावजूद समाज में बहुत छोटा दर्जा प्राप्त है। महिलाओं द्वारा अनौपचारिक राजनैतिक क्रियाओं में तीव्र वृद्धि के बावजूद राजनैतिक संरचना में इनकी भूमिका वास्तव में अपरिवर्तित रही है।

कई महिला प्रतिनिधियों को, खासकर कमजोर वर्ग की महिलाओं को, वित्तीय समस्या से अपने परिवार का पालन–पोषण करने के लिए कृषि कार्य अथवा मजदूरी पर जाना पड़ता है। उनका मानना है कि यदि वे पंचायत की बैठकों में जायेंगी तो उनके परिवार का पालन–पोषण कौन करेगा।

यह देखने को मिलता है कि जिन महिला प्रतिनिधियों के परिवार में 13–16 सदस्य हैं वे परिवार की देखभाल करने और घर का काम करने के कारण पंचायत की बैठकों में कम ही भाग ले पाती हैं। जिन महिला प्रतिनिधियों का परिवार खेती पर निर्भर है, कृषि कार्य से समय न मिलने के कारण वे पंचायत की बैठकों में भाग नहीं ले पाती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति दोयम दर्जे की है। यदि कोई महिला आगे बढ़कर कोई कार्य करना भी चाहती है तो उसे समाज स्वीकार नहीं करता। समाज में पर्दा प्रथा, पुराने रीति–रिवाज तथा रूढ़िवादिता आज भी विद्यमान हैं, जिससे महिलाएं विकास प्रक्रिया में पूर्ण भागीदारी नहीं कर पा रही हैं।

कई गांवों में जातिवाद आज भी विद्यमान है। कुछ गांवों में जहां महिला सरपंच अनुसूचित जाति की हैं, वहां अन्य महिला प्रतिनिधि जो सामान्य तथा पिछड़े वर्ग की पंच महिला हैं, पंचायत की बैठकों में नहीं जातीं क्योंकि उनका मानना है कि महिला सरपंच नीची जाति की है और नीची जाति की महिलाओं के साथ बैठने से उनका अपमान होगा।

अशिक्षित महिला प्रतिनिधि भी महसूस करती हैं कि उन्हें भी पढ़ा–लिखा होना चाहिए ताकि वे भी पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को बना सकें और उन्हें कार्यान्वित कर सकें। महिला प्रतिनिधियों को पंचायत का प्रतिनिधि बनने से पहले या बाद में प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जिन गांवों में पंचायत भवन की व्यवस्था नहीं है, वहां महिला प्रतिनिधि पंचायतों की बैठक में नहीं जा पातीं। अधिकांशतः बैठक गांव के स्कूलों में होती है, जो गांव से काफी दूरी पर होते हैं।

पंचायती चुनावों में कई क्षेत्रों में यह देखा गया है कि समाज के प्रभावशाली व्यक्ति अपनी ही पत्नी, बहन, मां अथवा किसी अन्य संबंधी महिला को चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़ा कर देते हैं, जो बाद में उन्हीं के इशारे पर काम करने को विवश होती हैं। इस प्रकार महिलाओं को एक–तिहाई

स्थानों तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में से भी एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित प्रावधान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। गांवों में दलबंदी होने के कारण छोटे–छोटे झगड़े होते हैं और जनकल्याण की योजनाओं के प्रति वे सही निर्णय नहीं ले पातीं।

सुझाव

राजनैतिक माहौल में सहभागी महिला प्रतिनिधियों के प्रति पुरुष समाज की रूढ़िवादी सोच बदलनी होगी। महिलाएं पहली बार राजनीतिक माहौल में आ रही हैं। इसलिए उनमें भय, संकोच एवं घबराहट होती है। ऐसी महिलाओं में साहस उत्पन्न करना होगा तथा महिलाओं को उनकी आंतरिक क्षमता एवं शक्ति पर भरोसा करना होगा। महिलाओं को भी पुरुषों जैसा ही मान–सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा देनी होगी तभी राजनीति में महिलाओं का सकारात्मक सहयोग प्राप्त हो सकेगा। राजनैतिक माहौल में अपराधीकरण, आतंकवाद, काला धन, चरित्र लांछन जैसे दुर्गुण हैं, इससे महिलाएं सार्वजनिक रूप से अलग रहती हैं। उन्हें सामाजिक अप्रतिष्ठा का भय बना रहता है। इसलिए राजनेताओं और राजनैतिक दलों द्वारा इस दूषित वातावरण में परिवर्तन लाना जरूरी है, ताकि महिलायें राजनीति में अपना सक्रिय योगदान दे सकें।

समानता पर आधारित सामाजिक संरचना का गठन करना आवश्यक है। ऐसे समाज का निर्माण करना होगा, जहां मानव द्वारा मानव का शोषण नहीं, स्त्री एवं पुरुष एक दूसरे को सम्मान की दृष्टि से देखें। स्त्री और पुरुष, दोनों ही पारस्परिक ईर्ष्या, द्वेष, अहंभावना से ऊपर उठकर परस्पर सहयोग, परिश्रम एवं संगठन शक्ति का उपयोग कर गांव के विकास में अपना पूर्ण योगदान दें।

अधिकतर महिला प्रतिनिधि अनपढ़ हैं, जिससे उनको पंचायत के लेखापत्र, नियम पढ़ने में या लिखने में दिक्कत आती है। अतः महिला पंचायत प्रतिनिधियों को शिक्षा देनी जरूरी है। प्रौढ़ शिक्षा का लाभ उठाकर एक शिक्षित व्यक्ति एक अनपढ़ व्यक्ति को पढ़ाने का संकल्प करें तो निरक्षरता का कलंक शीघ्र ही दूर हो सकता है और इससे पंचायतें सक्षम बनेंगी।

जन जागृति तथा देश के आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों पर जोर देना होगा। ऐसा वातावरण उत्पन्न करना होगा, जिसमें इन मूल्यों को उपयुक्त महत्व प्रदान किया जाए तभी महिलाएं ऊपर उठ सकेंगी और वे पंचायती राज संस्थाओं में हिस्सा ले सकेंगी। महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिये चुने गए प्रतिनिधियों और विकास अधिकारियों के बीच संपर्क के जरिए सक्रिय प्रयत्नों की जरूरत है। निरन्तर सभाओं और विचार–विमर्श के द्वारा कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए। महिला विकास कार्यक्रम पंचायत/स्थानीय अधिकारियों से अनिवार्य रूपसे सम्बद्ध हों जिससे कि विकास में महिलाओं की ज्यादा प्रभावपूर्ण भागीदारी संभव हो सकें।

सरकार द्वारा उठाए गए कदमः 74वां संविधान संशोधन

हमारे देश में के कर्णधारों ने पंचायतों को अहम भूमिकाएं सौंपी, जिन में से एक थी महिलाओं की राजनैतिक भागीदारी को बढ़ावा देना। संविधान के 73वें तथा 74वें संविधान संशोधनों के माध्यम से पंचायती राज को एक नई दिशा दी गई। इससे सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि जनसहभागिता का लाभ कमजोर व पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व को मिला। 33 प्रतिशत महिलाओं की निश्चित भागीदारी ने आरक्षण के द्वारा लगभग 15 लाख महिलाओं को ग्राम पंचायतों व शहरी निकायों के चुनावों में भागीदारी का अवसर दिया। इसके फलस्वरूप देश के विभिन्न राज्यों में 43 प्रतिशत तक महिला प्रतिनिधि चुन कर सशक्तिकरण के मार्ग की ओर अग्रसर हुई।

यह निश्चित किया गया कि ग्राम स्वराज की व्यवस्था में ग्राम सभा की अपनी स्थाई समितियों का होना आवश्यक है ताकि बैठकों में कोरम की अनिवार्यता में 33 प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। इसका यह लाभ हुआ कि अत्यधिक विरोधों के बावजूद देश भर में पंचायतों के जरिए जहां–जहां महिलाएं सरपंच चुनी गई, वहां–वहां कमोबेश पूरे उत्साह के साथ विकास कार्यों में जुट गई।

पंचायती राज मंत्रालय

पंचायती राज मंत्रालय, 27 मई, 2004 से अस्तित्व में आया है। इसे पंचायती राज के माध्यम से ग्रामीण गरीबी उपशमन और समृद्धि के लिए नीतियां तथा कार्यक्रम बनाने का कार्य सौंपा गया है। इस मंत्रालय का गठन मूलतः 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 (सीएए) द्वारा जोड़े गए संविधान के खंड 9 के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए किया गया है। पंचायतों की संख्या की वर्तमान स्थिति (1 अप्रैल, 2005) इस प्रकार है ग्राम पंचायत 2,34,676, मध्यवर्ती पंचायत 6,097, जिला पंचायत 537, कुल पंचायत संस्थाएं 2, 41,310। इन संस्थाओं में महिलाओं की संख्या और उनका प्रतिशत इस प्रकार है– जिला पंचायत में 41 प्रतिशत, मध्यवर्ती पंचायत में 43 प्रतिशत और ग्राम पंचायत में 40 प्रतिशत। पंचायतों के माध्यम से महिलाओं के सशक्तीकरण का कार्य किया जा रहा है। पंचायत में महिलाओं की भागीदारी उनके लिए आरक्षित 33 प्रतिशत की न्यूनतम सीमा से अधिक है। देश में पंचायतों के 22 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों में से करीब 9 लाख महिलाएं हैं। तीन स्तरों वाली पंचायत प्रणाली में 59,000 से अधिक महिला अध्यक्ष हैं।

महिला सरपंचों की सशक्तिकरण की गाथा तो आए दिन समाचार पत्रों में भी पढ़ने को मिलती है, जो इस बात की ओर इशारा करती है कि इन महिला प्रतिनिधियों ने विकास के अपने तरीके खोजे हैं। वे इस बात का विशेष ख्याल रखती हैं कि महिलाएं कहीं सतायी तो नहीं जा रही हैं, उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी हो रही हैं कि नहीं, क्योंकि महिला होने के नाते वे महिलाओं के दुख–दर्द को अच्छी प्रकार समझ सकती हैं। पंचायती राज संस्थाओं में परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से 60 लाख महिलाओं के प्रतिनिधित्व ने सामाजिक लामबंदी की प्रक्रिया को तेजी दी है और महिलाएं निजी और सार्वजनिक स्थानों में अपनी भूमिका को नए ढंग से गढ़ रही हैं। यह भी माना जा रहा है कि पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने के प्रयोग के अच्छे नतीजे रहे हैं। क्योंकि महिलाओं ने न केवल राजनीतिक कौशल हासिल किया है बल्कि वे महिलाओं के हितों की प्रभावी समर्थक भी बनी हैं।

तृणमूल स्तर पर सामाजिक न्याय एवं पंचायतों की भूमिका

आशीष भट्ट

सामाजिक न्याय कल्याणकारी राज्य की संस्वीकृति है। यह समाज को निष्पक्ष रूप से व्यवस्थित करता है। कल्याणकारी राज्य का आदर्श है कि जनकल्याण के कार्यों को सुरक्षा एवं संरक्षण द्वारा प्रभावी ढंग से निरन्तर बढ़ाया जा सके। उत्तम सामाजिक व्यवस्था वही होती है जिसमें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की समस्त संस्थाओं से प्रकट हो। राज्य अपने नागरिकों को सामाजिक न्याय प्रदान कराने एवं मानवाधिकारों की सुरक्षा में समर्थ हो। राज्य की यह समर्थता व्यवस्थापिका अथवा अन्य किसी संस्था द्वारा नागरिकों के जीवन–यापन के उचित साधनों की रक्षा करने के संबंध में सामुदायिक स्रोतों का निष्ठापूर्वक एवं उचित वितरण करने से संबंध है। इसके लिये राज्य द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को वैधानिक एवं सार्वजनिक अवसरों की समानता, स्वास्थ्य एवं श्रमशक्ति का दुरूपयोग न होने देना; बालकों, महिलाओं एवं समाज के कमजोर वर्गों के शोषण एवं उत्पीड़न को रोकना एवं सबसे धिक व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना वांछित है।

आज विकेन्द्रीकरण का दौर है एवं राज्य अपने अधिकारों को अधिक से अधिक विकेन्द्रीकृत कर शहरी एवं ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का सशक्त कर रहा है। विकेन्द्रीकृत शासन की दिशा में देश में किए जा रहे प्रयासों में आज सामाजिक न्याय की ग्रामीण संदर्भों में प्रासंगिकता स्वयंसिद्ध है। आज शहरी क्षेत्र में तो नागरिक अधिकारों के प्रति अपेक्षाकृत अधिक जागरूक है ही साथ ही उन्हें विभिन्न सुविधाओं की उपलब्धता भी है। जबकि ग्रामीण भारत में जहां की देश की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा निवास करता है वह आज भी विभिन्न अभावों, अशिक्षा, अव्यवस्था, शोषण, गरीबी आदि में जीवन जीने को मजबूर है। ऐसे समय में स्थानीय संस्थाओं विशेषकर पंचायत राज संस्थाओं की सामाजिक न्याय की स्थापना के सन्दर्भ में भूमिका और बढ़ जाती है।

पंचायती राज एवं सामाजिक न्याय

पंचायती राज व्यवस्था भारतीय ग्रामीण समाज की रीढ़ है। भारत में प्राचीन काल से पंचायती राज व्यवस्था की सुदृढ परंपरा रही है। इसी परंपरा में संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत में न सिर्फ पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित किया गया वरन् उन्हें स्थायित्व भी प्रदान किया गया है।

73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य यही है कि समाज में सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की स्थापना हो। 73 वें संविधान संशोधन में पंचायतों की स्थापना संबंधी अनेक प्रावधानों में यह प्रावधान मुख्य है–

"राज्य विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियां प्रदान करेंगे जो कि उन्हें स्वशासन की संस्था के रूप में कार्यरत बना सके तथा जिनसे पंचायतें आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बना सके एवं उनका क्रियान्वयन कर सके।"

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि पंचायतों की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में करना है।

सामाजिक न्याय की स्थापना में पंचायतों की भूमिका

सामाजिक न्याय को समाज के गहरे तक लाना पंचायती राज व्यवस्था का सर्वोच्च लक्ष्य है। पंचायत व्यवस्था का यह सर्वोच्च उद्देश्य है कि गांवों से पुरानी व्यवस्था को बदल कर एक ऐसे समाज की रचना की जाय जिसमें न असमानता हो और न अन्याय हो। अपितु समाज में सभी जाति, सभी वर्ग, सभी स्थिति के स्त्री–पुरुषों, वृद्धों और बालको के अधिकारों की रक्षा की जाये, लोगों के बीच सामाजिक समानता हो, बेगार और बेकारी नहीं हो तथा सभी की सामाजिक, आर्थिक सुरक्षा हो। अर्थात् नये समाज में सभी को स्वतंत्रता, समानता, न्याय मिले; इन लोगों में आपस में बिरादरी के भाव हों। समाज की ऐसी अवस्था को ही हम सामाजिक न्याय कहते हैं, जिस समाज में न कोई अगड़ा होगा और न कोई पिछड़ा ही। इस तरह के सामाजिक न्याय की समाज में स्थापना करना पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य है। ऐसे सामाजिक न्याय के आदर्श पर बने हुए ग्रामीण समाज में–

- जाति, वर्ग, लिंग या वर्ण के आधार पर किसी तरह का भेदभाव, किसी तरह की असमानता नहीं होगी;

- जहां सभी को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिलेगा;
- पंचायतों की रचना में सभी वर्ग के लोगों को – अनुसूचित जन–जाति, पिछड़ी जाति और अनुसूचित जातियों के लोगों को भी – इसमें संवैधानिक रूप से स्थान दिया जायेगा;
- बेगार, बेकारी, बालश्रम का यहां कोई स्थान नहीं रहेगा; यहां किसी भी तरह का शोषण नहीं होगा;
- सभी को शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और काम पाने का समान अधिकार होगा;
- गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए उनके आर्थिक स्तर को ऊपर उठाने के लिये कदम उठाये जायेंगे;

पंचायतों से अपेक्षा की गई है कि हर पंचायत अपने दायरे में सामाजिक न्याय के उद्देश्य को स्थापित करने के लिये कार्य करेगी किन्तु सवाल यह है कि अभी तक जिस तरह की हालत हमारे समाज में रही है, जिसके कि अनेक ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक कारण रहे हैं, ऐसे समाज में एकदम सामाजिक न्याय कैसे संभव होगा? यह एक बहुत बड़ा और कठिन सवाल है। इसके लिये पंचायतों को कुछ निश्चित दिशा में कार्य करना होगा। जिसमें विकास एवं विकास के लाभों का समान वितरण, आर्थिक विकास एवं लिंग न्याय प्रमुख है।

विकास एवं विकास के लाभों का वितरण

अपने क्षेत्र का विकास करना पंचायतों का उद्देश्य है और जब इन क्षेत्रों का विकास होगा तो विकास के फल का फायदा लोगों को मिलेगा और उससे समाज में सामाजिक न्याय की स्थापपना होगी। तात्पर्य यह है कि सभी पंचायतों का उद्देश्य अपने–अपने क्षेत्रों का, उन क्षेत्रों में रहने वाले सभी लोगों का, विकास करना है। पंचायत विकास करने वाली एक संस्था है।

यह विकास केवल कानून बनाकर नहीं लाया जा सकता। कुछ सड़कें बना लेना, अस्पताल और स्कूल खोल देना या किसानों को अच्छी किस्म के बीज बांट देना सच्चा विकास नहीं है। यह विकास की एक सीमित धारणा है। यह केवल आर्थिक विकास की एक निशानी मात्र है। वास्तविकता यह है कि पंचायतों द्वारा किसी जाने वाला विकास एक व्यापक धारणा है, एक व्यापक विचार है। आर्थिक विकास, विकास का एक हिस्सा मात्र है, उसका एक अंग मात्र है। विकास का वास्तविक अर्थ यह है कि,– उस विकास को अपने क्षेत्र में लाने के लिये उचित प्रकार की संस्थाओं की रचना करनी होगी : सही विकास केवल उचित प्रकार की उपयागी संस्थाओं का निर्माण करके ही किया जा सकता है। जैसे सड़कें, अस्पताल, स्कूल, तालाब, बांध बनाना है तो इनके लिये धन की आवश्यकता है। धन के लिये यह आवश्यक है कि पंचातयों में एक ऐसी संस्था हो जो स्थायी हो, स्थायी रुप से से विकास के लिये धन देने की स्थिति में हो। इसका मतलब है– वित्त की आवश्यकता को पूरा करने के लिये कानून द्वारा ऐसी संस्था स्थापित की जाय जो पंचायतों को नियमित रुप से उनकी धन की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। (इस दृष्टि से राज्य के पंचायत अधिनियम में राज्य वित्त आयोग जैसी संस्था का निर्माण किया गया है जो नियमित रूप से और एकरूप नियम के अनुसार राज्य की सभी पंचायतों के लिये धन की व्यवस्था करती है।) पहले की पंचायतें विकास के काम को करने में इसलिये असफल रहीं थी कि तब वित्त देने वाली ऐसी कोई संस्था नहीं थी। इसलिये विकास की पहली शर्त है– विकास के लिये आवश्यक सही प्रकार की संस्थाओं का निर्माण करना।

इसके अतिरिक्त विकास के लिये एक दूसरी शर्त भी है जिससे कि विकास का लाभ समाज के सभी लोगों को मिल सके। आज के समाज में अभी तक थोड़े से वे लोग हैं जिनको और लोगों की तुलना में अधिक लाभ मिल रहा है। जबकि बहुत ज्यादा लोग और ज्यादा वर्ग के वे लोग हैं जो पिछड़े हुए हैं, जिन्हें कोई शिक्षा नहीं है, जिनका न मकान है और न जमीन का छोटा टुकड़ा ही उनके पास है। अभी की अर्थव्यवस्था और समाज व्यवस्था ही ऐसी रही है जसका लाभ समाज के उस छोटे से वर्ग के लोगों को मिलता रहा है, समाज में उन्हीं का मान–सम्मान है और उन्हीं का दबदबा भी। इस व्यवस्था में उन थोड़े से लोगों को अधिक लाभ, अधिक सम्मान, अधिक ऊंचे पद अधिक सत्ता मिली है; समाज का बड़ा भाग उपेक्षा का शिकार, पिछड़ा रहा है जिन्हें समाज से होने वाले कोई लाभ नहीं मिलते। ऐसी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति जिसमें लाभ के दावेदार इने–गिने लोग और वर्ग हैं, इसका कारण यह रहा है कि विकास के लाभ और विकास के अवसर अभी तक केवल इन लोगों को ही मिले हैं।

अतः विकास की दूसरी आवश्यक शर्त यह है समाज में प्रचलित लाभ बांटने की उस पुरानी व्यवस्था, उस पुरानी प्रक्रिया को बदलना होगा। विकास का सही अर्थ है– लाभ बांटने की प्रक्रिया को बदल कर लाभ के वितरण की नई व्यवस्था को अपनाना। लाभ बांटने के तंत्र को बदल कर लाभों का पुनर्वितरण करना विकास है। पुनर्वितरण की उस नई प्रक्रिया से समाज के अभी तक जो उपेक्षित, पिछड़े वर्ग के लोग रहे हैं उन्हें विकास के लाभों में हिस्सेदारी मिले; लाभ के वे भी हिस्सेदार हों। इसका अर्थ होगा – सभी लोगों को, उनके बाल–बच्चों को, महिलाओं को शिक्षा पाने की समान सुविधा होगी, नौकरी–मजदूरी पाने का उनको भी औरों के समान हक होगा, उनको भी स्वास्थ्य रक्षा का लाभ मिलेगा। और यह जब हो सकता है जब लाभ के पुनर्वितरण का एक नया तंत्र, उसकी एक नई व्यवस्था और प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

अतः निष्कर्ष रूप से यह कह सकते हैं कि विकास का अर्थ है :

(i) विकास के लिये उसके मुताबिक आवश्यक संस्थाओं की स्थापना करना;

(ii) सामाजिक जीवन के लाभों को वितरित करने की व्यवस्था में आमूल परिवर्तन करना जिससे कि उन लाभों के फायदे समाज के सभी लोगों को जात, वर्ण, वर्ग लिंग या ओहदों के भेदभाव के बिना, समानता के आधर पर मिलें।

अतः जिस समाज में ये दो नई व्यवस्थाएं होती हैं, हम कहेंगे कि उस समाज का विकास हो रहा है। पंचायती राज संस्थाओं का अन्य उद्देश्यों के साथ, यह भी एक उद्देश्य है कि पंचायतों के माध्यम से सभी लोगों को सामाजिक– आर्थिक– राजनीतिक सांस्कृतिक विकास के अवसर प्रदान किये जायें। यह समाज की आज की व्यवस्था की पुनर्रचना का तरीका है जिससे कि समाज के सभी लोगों को समान रुप से बिना किसी भेदभाव के स्वास्थ्य और पोषण के, शिक्षा और साक्षरता के, शुद्ध जल और स्वच्छता के तथा रोजगार और आर्थिक उन्नति के अवसर मिले। पंचायतों का उद्देश्य है, इस प्रकार के विकास के द्वारा समाज को विकसित किया जाय।

आर्थिक विकास एवं उसकी प्रक्रिया

पंचायत व्यवस्था की स्थापना के अनेक उद्देश्यों में एक उद्देश्य है प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में आर्थिक विकास करना। पंचायतों की संस्थाओं को सक्रिय करने का एक मूल कारण भी यही है कि समाज में व्याप्त गरीबी, शोषण और आर्थिक असमानताओं को इन संस्थाओं के माध्यम से दूर किया जाय। और इस प्रकार की व्यवस्था केवल तभी संभव है, जब पंचायतों के द्वारा अपने दायरे में व्याप्त इन आर्थिक बुराइयों को दूर करने के लिये क्षेत्र का आर्थिक विकास किया जाय। केवल क्षेत्र के आर्थिक विकास के द्वारा ही लोगों की गरीबी का निराकरण संभव है।

पंचायत क्षेत्र के सभी वर्गों को आर्थिक विकास का लाभ मिले, इसके लिये आवश्यक है कि आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया विकेंद्रित हो। स्थानीय जनता तय करे कि उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, वे बतायें कि वहां क्या संसाधन उपलब्ध हैं और उन संसाधनों का उपयोग उनके हित में हो तथा कि विकास का लाभ उस क्षेत्र में रहने वाले सभी वर्गों को बिना किसी भेदभाव के मिले।

आर्थिक विकास की विशिष्ट योजनाओं जैसे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम– हाथ में लिये जायें और स्थानीय गरीबी की समया को हल किया जा सके। इसी तरह के अनेक कार्यक्रम– लघु उद्योगों का विकास; सामाजिक वानिकी, भूमि और जल संरक्षण, लघु सिंचाई योजनाएं; ग्रामीण सड़कों का विस्तार; ग्रामीण सहरी बैंक; कृषि विकास जैसी योजनाओं को क्रियांवित करना जिससे क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि संभव होगी; गांव (क्षेत्र) के लोग मिल कर सामुदायिक साधनों को विकसित करें; आर्थिक विकास की दृष्टि से ग्राम सभा को आवश्यक कर लगाने की शक्ति प्राप्त है उसका प्रभावशाली क्रियान्वयन हो।

लिंग न्याय

कहने को तो हमारे देश में लगभग आधी जनसंख्या महिलाओं की है लेकिन वास्तविकता यह है कि प्रति एक हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कम ही है। इसी से स्पष्ट होता है कि महिलाओं की समाज में जो स्थिति होनी चाहिए वह नहीं है। आज भारत की अधिकांश महिलाएं अशिक्षा, अंधविश्वास दरिद्रता एवं रुढ़ियों से ग्रस्त है। ग्रामीण क्षेत्रों में, पिछड़े इलाकों में एवं समाज के कमजोर वर्गों में तो उनकी स्थिति और भी गंभीर है।

इन सभी बुराइयों एवं इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है हमारे समाज में लिंग के आधार पर होने वाला भेदभाव अर्थात् स्त्री एवं पुरुषों में भेदभाव एवं असमानता। आज हम अपने आसपास देखें तो हमें हर स्तर पर भेदभाव दिखाई देगा। जन्म के समय खुशियां मनाने, देखभाल करने, खिलाने पिलाने में एवं स्वास्थ्य रक्षा के साथ–साथ शिक्षा दिलवाने, स्कूल भेजना, व्यवसाय की शिक्षा देने, घर से बाहर आने जाने, रोजगार की इजाजत देने में, वेतन मजदूरी आदि में, राजनीतिक सहभागिता में, निर्णय लेने में, संपत्ति में एवं पुनर्विवाह आदि सभी बातें के संदर्भ में भेदभाव किया जाता है जिसके फलस्वरुप समाज में स्त्रियों की स्थिति कमजोर होती जा रही है। आज आवश्यकता है लिंग न्याय आधारित समाज की स्थापना की। लिंग न्याय से तात्पर्य है महिलाओं को समाज में बराबरी का स्थान देना, उन्हें आत्म सम्मान, आत्मनिर्भरता, पर्याप्त शिक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल, आर्थिक समानता एवं कानूनी समानता प्रदान करना है।

नये पंचायत राज कानून में आरक्षण के प्रावधानों के फलस्वरुप राजनीतिक रूप से इनकी सहभागिता में वृद्धि हुई है। साथ ही अब जबकि इतने बड़े पैमाने पर राजनीतिक भर्ती के बाद पंचायतों से अपेक्षा है कि वह समाज में लिंग न्याय की स्थापना की दिशा में प्रयास करे। अपनी पंचायतों में महिलाओं की शिक्षा के लिए समुचित व्यवस्था करे, लोगों को प्रेरित करे। महिलाओं हेतु शिक्षण व प्रशिक्षण को पूरे अवसर प्रदान करे उनके रोजगार हेतु समुचित व्यवस्था करे, बाल विवाह पर रोक लगाये, महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दे एवं जागरुकता बढ़ाये, बच्चों में बालक– बालिका के आधर पर भेदभाव समाप्त करने हेतु जागरुकता फैलाये, विभिन्न कानूनों की सामान्य जानकारी रखे एवं उनके प्रति दुराचार को रोके, घर, पंचायत एवं सार्वजनिक मामलों में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाये एवं उनके निर्णयों को सम्मान दे।

इस प्रकार स्पष्ट है कि पंचायत राज संस्थाओं की सामाजिक एवं आर्थिक न्याय को सुस्थापित करने में कितनी व्यापक भूमिका है। आवश्यकता आज इस भूमिका के उचित निर्वहन की है। आज सामाजिक एवं आर्थिक असमानता का विद्यमान परिदृश्य इस बात का स्पष्ट संकेत देता है कि कल्याणकारी राज्य द्वारा समतामूलक समाज की स्थापना नहीं हो पायी है। परिणामस्वरूप समाज में सामाजिक एवं आर्थिक असमानता विविध स्तरों व्याप्त है। आज जब पंचायतों के माध्यम से विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था कार्यरत है जिसमें समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की गयी है आवश्यकता इस बात की है कि ये पंचायत राज संस्थाएं अपने अंतर्निहित उद्देश्य के अनुरूप सामाजक न्याय एवं आर्थिक विकास की दिशा में प्रयास करे जिससे एक समतामूलक समाज की स्थापना संभव हो सकेगी एवं सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्राप्त किया जा सके।

(लेखक मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान, उज्जैन में संकाय सदस्य)

पंचायती राज व्यवस्थाः मध्यप्रदेश संदर्भ

यतीन्द्रसिंह सिसोदिया

भारतीय ग्रामों की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था में पंचायतों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही है। प्राचीन काल से लगातार पंचायतें भारतीय ग्राम व्यवस्था में किसी न किसी स्वरूप में विद्यमान रही है। स्वतंत्रता के पश्चात जब ग्रामों के विकास की बात आयी तो महात्मा गांधी ने आत्मनिर्भर एवं स्वतंत्र गांवों के लिए पंचायत राज व्यवस्था का सुझाव दिया। आरम्भ में सामुदायिक विकास कार्यक्रम से ग्रामीण विकास की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई तथा बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर 1959 में पंचायत राज व्यवस्था की औपचारिक स्थापना हुई। राज्यों का उत्साह इस व्यवस्था को लागू करने को लेकर भिन्न-भिन्न था। केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल एवं महाराष्ट्र को छोड़कर किसी भी राज्य में पंचायतें अपने वास्तविक स्वरूप में स्थापित नहीं हो पाई। पंचायतों की स्थापना एवं इसके स्वरूप को लेकर समय-समय पर विभिन्न समितियों का गठन किया गया लेकिन स्थितियां कमोबेश यही बनी रही।

स्वतंत्रता के पश्चात् से ही ग्रामीण विकास को प्राथमिकता के आधार पर लेकर विभिन्न सरकारों ने विभिन्न प्रयास किये आजाद भारत की आधी शताब्दी ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं यथा-सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार आदि उपलब्ध कराने में असफल रहा। केन्द्रीकृत नियोजन क्षेत्रगत समस्याओं को सम्बोधित करने एवं उनके यथोचित हल हेतु कोई प्रभावशाली एवं कारगर योजना देने में असफल रहा। केंद्र सरकार ने जब इस वास्तविकता को पहचाना तो उसने स्थानीय स्तर पर स्व-शासन एवं जनसहभागिता की आवश्यक्ता को महसूस किया। विकेन्द्रीकृत अभिशासन की मांग कभी भी नीचे से नहीं आई यह तो ऊपर से प्राप्त एक ऐसा उपहार है जिसका प्रयोग तृणमूल स्तर पर लोगों को स्वतः प्राप्त हुआ है।

राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में यह बहस पुनर्जीवित हुई कि गांवों के बेहतर विकास एवं वितरण प्रणाली की बेहतरी के लिए लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी आवश्यक है। इसी के आधार पर बैठकों एवं मन्त्रणाओं के दौर चले एवं एक मसौदा तैयार हुआ। 64वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में इसे संसद में प्रस्तुत किया गया लेकिन राजनीतिक कारणों से यह पारित नहीं हो पाया।

इसे पुनः 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में 1993 में पारित किया गया। इसके पश्चात राज्यों से यह अपेक्षा की गई कि वे अपने राज्यों के विधानों को एक वर्ष के भीतर संविधान संशोधन के अनुरूप बदलेंगे। मध्यप्रदेश देश का प्रथम राज्य बना जिसने इस परिवर्तन के अनुरूप राज्य विधान बनाया तथा मई-जून 1994 में पंचायतों के प्रथम चुनाव करवाए। तत्कालीन राज्य सरकार ने पंचायत राज व्यवस्था को स्थानीय स्व-शासन की स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित करने हेतु गम्भीर राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया। राज्य विधान में व्यवहारिक कठिनाइयों का दृष्टिगत रखते हुए अनेक संशोधन किए गए। बड़े बदलावों के बीच जिला सरकार एवं ग्राम स्वराज व्यवस्था मध्यप्रदेश में लाई गई।

जिला सरकार में जिला योजना समिति का संशोधित स्वरूप था जिसमें जिले के स्तर पर ही नियोजन एवं क्रियान्यन की व्यवस्था की गई तथा पंचायतों एवं नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों को सदस्यों के रूप में सम्मिलित किया गया। जिले का प्रभारी मंत्री अध्यक्ष एवं कलेक्टर के सचिव होने से ये व्यवस्था अपने लोकतान्त्रिक स्वरूप में उस तरह से कार्य नहीं कर पाई जैसी इससे अपेक्षा की गई थी एवं यह व्यवस्था वर्तमान सरकार के आते ही समाप्त कर दी गई।

ग्राम स्वराज व्यवस्था की पृष्ठभूमि में पंचायतों की स्थापना के आरम्भिक वर्षों में सरपंच की केन्द्रीय भूमिका होना रहा तथा सरपंच द्वारा पंचायतों की सभी गतिविधियों को केन्द्रीयकृत करते हुए निर्णय-निर्माण में आम व्यक्ति की भागीदारी को कम किया। इसी को ध्यान में रखते हुए ग्राम स्वराज लाया गया जिसने पंचायतों की निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में आम व्यक्ति की भागीदारी को सुनिश्चित किया।

मध्यप्रदेश में पंचायतों की तीसरी पीढ़ी कार्यरत है। लोकतन्त्र स्थानीय स्तर पर धीरे-धीरे अपनी जगह बना रहा है यद्यपि इस सम्पूर्ण दौर में कई व्यवस्थागत बुराइयां भी इस व्यवस्था का हिस्सा बनी जिसमें महिलाओं के स्थान पर उनके पतियों एवं अन्य परिवार के पुरुषों द्वारा पंचायतों के कार्यों में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप, कमजोर वर्गों के कार्यकरण में अन्य वर्गों द्वारा प्रस्तुत बाधाएं, प्रशासनिक असहयोग, नियोजन की प्राथमिकताओं का उचित निर्धारण न हो पाना एवं ऐसे अन्य कई कारणों को इसमें गिनाया जा सकता है।

पंचायतों के प्रतिनिधियों के साक्षात्कार के आधार पर प्राप्त आगतों को यदि देखा जाए तो इससे यह स्पष्ट होता है कि पंचायतों के कार्यकरण का स्वरूप दिया है तथा इसकी स्थिति का आकलन भी इससे संभव हो सकता है। इस हेतु मध्यप्रदेश के शाजापुर एवं देवास जिले की चयनित पंचायतों के प्रतिनिधियों का साक्षात्कार लिया गया।

पंचायतों के आने वाले अधिकांश प्रतिनिधि प्रथम बार पंचायतों में निर्वाचित होकर आए हैं। पंचायत प्रतिनिधियों की पंचायत बैठकों को लेकर प्रतिबद्धता बड़ी स्पष्ट है। अधिकांश प्रतिनिधि पंचायत की बैठकों में नियमित भाग लेते हैं। पंचायत की बैठकों में उपस्थित होना तथा सक्रिय भागीदारी दो पृथक–पृथक बिन्दु है। पंचायतों में सामान्य तौर पर एक समूह ही अपनी सक्रिय भागीदारी निभाता है शेष समूह या तो सहमति प्रकट करते हैं अथवा केवल उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। यह एक सुखद संकेत है कि पंचायत प्रतिनिधि अपनी पंचायत के कार्यों के लिए जिले स्तर तक के विभिन्न कार्यालयों एवं अधिकारियों से संपर्क करते हैं।

पंचायत प्रतिनिधि शासकीय एवं राजनीतिक निर्णयों से जुड़े अहम व्यक्तियों को जानते हैं तथा इस जानकारी में विधायक सबसे ज्यादा लोकप्रिय व्यक्ति है। जनपद अध्यक्ष एवं जिला पंचायत अध्यक्ष उसके बाद आते हैं। इसी क्रम में जिले एवं जनपद की पंचायतों के कार्यपालन अधिकारी भी आते हैं।

पंचायतों की बैठकों के आयोजन के संदर्भ में यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि पंचायतों की बैठकें नियमित अंतराल में होती है। बैठकों में जहां ग्राम स्तर पर उपस्थिति का प्रतिशत कम है वही जनपद एवं जिला पंचायत स्तर पर उपस्थिति का स्तर सामान्यतः संतोषजनक रहा है। ग्राम स्तर पर संतोषजनक स्थिति के अभाव के कारणों में कई पंचों की पंचायत के कार्यों के प्रति अरुचि, कृषि एवं मजदूरी जैसे कार्यों में व्यस्तता या प्रतिनिधियों की अन्य घरेलू कार्यों में व्यस्तता प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है।

बैठकों में विचार–विमर्श हेतु एक पूर्व निर्धारित एजेण्डा होता है। इसमें अध्यक्ष की अनुमति से कोई और विषय भी सम्मिलित किये जा सकते हैं। बैठकों के संदर्भ में सामान्य तौर पर उन विषयों पर ज्यादा बहस एवं चर्चा होती है जिनसे सभी सदस्यों का सीधा सरोकार होता है। यदि क्षेत्र विशेष से सम्बन्धित कोई प्रस्ताव होता है तो क्षेत्र विशेष के सदस्यों की सहभागिता का स्तर बढ़ जाता है। ऐसे विषय जो समग्रता लिये हुए हैं अथवा जिन विषयों का समग्र ग्रामीण विकास से संबंध है कई बार सार्थक बहस एवं अपेक्षित अनुमोदन से वंचित रह जाते हैं।

पंचायतों के विचार विमर्श एवं निर्णय निर्माण में निश्चित रूप से सदस्यों की दलीय पृष्ठभूमि का प्रभाव रहता है। पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर किया गया विचार विमर्श एवं निर्णय निर्माण कई बार केवल विरोध हेतु विरोध के लिये भी प्रेरित करता है एवं विकास की अवधारणा में बाधक साबित होता है।

राजनीति के विद्यमान चरित्र से पंचायतें भी अछूती नहीं हैं। जाति/सम्प्रदाय जैसे कारक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से पंचायत के कार्यों को कुछ हद तक प्रभावित करते हैं। यद्यपि पंचायतें कई स्तरों पर ग्रामीण संदर्भों में जातिगत आधारों से ऊपर उठकर सामाजिक तनावों को कम करने में सहायक सिद्ध हुई है।

पंचायत में होने वाली बैठकों, इन बैठकों की कार्यवाहियों एवं इससे सम्बन्धित अन्य विषयों की सामान्य तौर पर जनसामान्य को जानकारी नहीं होती है। जानकारी के अभाव में जनसामान्य की प्रतिक्रियाएं लगभग नगण्य रहती हैं। पंचायत प्रतिनिधि भी कार्यवाहियों की पारदर्शिता एवं जानकारी के समुचित प्रेषण हेतु कभी उत्साहित नहीं दिखाई देते हैं। सामाजिक अंकेक्षण के प्रावधान के बावजूद भी कहीं इसके उपयोग एवं जनसामान्य की पंचायत की बैठकों की कार्यवाहियां जानने हेतु मांग दिखाई नहीं दी। जिसके परिणामस्वरूप इस व्यवस्था में प्रतिकूल परिणाम दिखाई दिये हैं। जिनमें पारदर्शिता का अभाव बहुत बड़ा कारण है।

विभिन्न शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व पंचायती राज संस्थाओं को दिया गया है। पंचायती राज संस्थाएं विभिन्न परियोजनाओं हेतु हितग्राहियों का चयन, योजनाओं के तहत उपलब्ध लाभ एवं योजनाओं के उद्देश्यों के अनुरूप नियंत्रण एवं निरीक्षण का कार्य करती है। हितग्राहियों का चयन ग्राम सभाओं के माध्यम से होता है। सामान्य तौर पर यह देखा गया है कि ग्राम सभाओं ने कई स्थानों पर बहुत बड़ी सूचियां गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की बनाकर अनुमोदित कर दी जाती है। ऐसा होने से जो वास्तविक अथवा अधिक गरीब परिवार हैं उसका निर्धारण कठिन हो जाता है तथा जब किसी योजना विशेष हेतु हितग्राहियों का चयन होता है तो ऐसे में सर्वाधिक गरीब या ज्यादा जरूरतमंद की प्राथमिकता निर्धारित नहीं हो पाती है।

भारतीय संविधान में ग्यारहवीं अनुसूची जोड़कर सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास से सम्बन्धित 29 विषय योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन हेतु पंचायतों को सुपुर्द किये गये। मध्यप्रदेश के पंचायती राज विधान में उक्त अनुसूची को अनुसूची 4 के रूप में सम्मिलित किया गया है तथा इसी के आधार पर मध्यप्रदेश में पंचायतों को ग्रामीण विकास से सम्बन्धित सभी विभागों के महत्वपूर्ण अधिकारों को पंचायतों को हस्तांतरित किया है। प्रमुख रूप से जिन विभागों के कार्यों को हस्तांतरित किया गया है उनमें आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, कृषि विभाग, खनिज संसाधन विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं संरक्षण विभाग, खेलकूद एवं युवक कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामोद्योग विभाग, पशुधन, दुग्ध विकास एवं कुक्कुट विकास विभाग, राजस्व विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, वन विभाग, वित्त विभाग, स्कूली शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग और श्रम एवं जनशक्ति नियोजन विभाग प्रमुख हैं। उल्लिखित सभी विभागों ने तीनों स्तरों की पंचायतों को अलग–अलग तरह की शक्तियों एवं उत्तरदायित्वों से वेष्ठित किया है। सभी विभागों को दिये गये कार्यों एवं दायित्वों के संदर्भ में पंचायत राज प्रतिनिधियों की जानकारी का स्तर बहुत ही निम्न है। बहुत छोटा प्रतिशत ही जनप्रतिनिधियों का ऐसा है जो ऐसे हस्तांतरित कार्यों की जानकारी रखता है। जानकारी के अभाव में कई बार ऐसे हस्तांतरित कार्यों के विषय में जनप्रतिनिधियों के बहुत बड़े प्रतिशत की कोई भूमिका नहीं होती है।

निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को विभिन्न स्तरों पर कई प्रशासकीय शक्तियों को सुपुर्द किया गया है। जिनमें नियुक्ति, निरीक्षण एवं नियंत्रण जैसे कार्य भी दिये गये हैं। इस तरह के प्रशासकीय कार्यों का निष्पादन इससे पूर्व तक प्रशासकीय अधिकारियों द्वारा ही किया जाता रहा है। जनप्रतिनिधियों में बहुत बड़ा प्रतिशत ऐसा है जिसके पास ऐसे कार्यों को करने का कोई अनुभव नहीं है। इसका आशय यह नहीं है कि ऐसे

कार्यों को पंचायतों को नहीं दिया जाना चाहिये। इसमें वस्तुस्थिति यह है कि जनप्रतिनिधियों की अनभिज्ञता के कारण प्रशासकीय अधिकारियों एवं प्रभावशाली व्यक्तियों की भूमिका इस संदर्भ में बढ़ गई है। जनप्रतिनिधियों का छोटा प्रतिशत ऐसा भी है जो ऐसी प्रशासकीय शक्तियों का प्रयोग अपना वर्चस्व बढ़ाने एवं अपने हितों के सम्पोषण हेतु करते हैं।

पंचायती राज व्यवस्था से पूर्व तक विधायक एवं सांसद ही निर्वाचित जनप्रतिनिधि थे। पंचायतों के माध्यम से हुई वृहद् राजनीतिक भर्ती ने ग्राम स्तर तक निर्वाचित प्रतिनिधि प्रदान किये हैं। इस स्थिति से निश्चित रूप से विधायक एवं सांसद की भूमिका कई स्तरो पर सीमित हुई है। यद्यपि पंचायतों में विधायक एवं सांसद पदेन सदस्य हैं। उनकी पंचायतों की बैठकों में सहभागिता रहती है। इसके बावजूद भी विधायक एवं सांसद अपने क्षेत्रों में पंचायत प्रतिनिधियों से ज्यादा प्रभावशाली समूह है। पंचायतों में यह भी स्पष्ट देखने को मिलता है कि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के समूह विशेष, विधायक अथवा सांसद के समर्थक होते हैं जिससे उनकी अप्रत्यक्ष रूप से पंचायतों पर पकड़ होती है। स्थानीय क्षेत्र विकास की सांसद निधि एवं विधायक निधि क्षेत्र में अपनी पसंद की पंचायतों के लिए काम करने का अवसर क्षेत्रीय सांसद एवं विधायक को प्रदान करता है जिससे पंचायतों की निर्भरता इन पर बनी रहती है।

वित्त एवं संसाधन किसी भी व्यवस्था की सफलता में अपनी महती भूमिका रखते हैं। पंचायतों को वित्तीय दृष्टि से सक्षम एवं आत्मनिर्भर बनाया जाना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मध्यप्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था में तीनों स्तरों की पंचायतों के लिये वित्त के प्रमुख स्रोत शासन द्वारा अनुदान एवं स्थानीय राजस्व का संग्रहण व करारोपण है। पंचायतों को विभिन्न तरह के करों के उद्ग्रहण एवं खर्च के अधिकार राज्य शासन ने हस्तांतरित किये हैं। इसी के साथ राज्य शासन द्वारा विभिन्न मदों की राशि जिनका खर्च ग्रामीण विकास के कार्यों में किया जाना है तीनों स्तरों की पंचायतों को हस्तांतरित की जाती है। शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु भी राशि का आबंटन पंचायतों को किया जाता है।

पंचायतों की वित्तीय सक्षमता हेतु राज्य शासन ने लगातार प्रयास किये हैं। राज्य शासन ने विधान में प्रावधान कर पंचायतों को स्थानीय स्तर पर कई नए करों को लगाने के अधिकार दिये हैं। राज्य शासन ने नवीन पंचायती राज व्यवस्था के गठन के पश्चात् दो बार राज्य वित्त आयोग का गठन किया। आयोग ने पंचायतों को उपलब्ध कराये जाने वाले संसाधनों पर अपनी रिपोर्ट राज्य शासन को सौंपी जिसके आधार पर राज्य शासन ने रिपोर्ट की अधिकांश अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया तथा इस हेतु आबंटन भी कर दिये। ऐसे सभी प्रावधानों एवं प्रदत्त वित्त के के बावजूद पंचायतों को वित्तीय दृष्टि से आत्मनिर्भर नहीं कहा जा सकता है। पंचायतों का वित्तीय सक्षमता के लिये केवल राज्य शासन के अनुदान पर निर्भर रहना किन्हीं भी संदर्भों में फलदायी नहीं हो सकता। पंचायतों को स्थानीय करारोपण के अधिकार प्रदान किये गये हैं लेकिन उनका प्रयोग बहुत कम स्थानों पर ही दिखाई देता है। इस संदर्भ में पंचायत प्रतिनिधियों के दो विचार हैं। प्रथम तो यह कि पंचायत क्षेत्रों की ग्रामीण जनता गरीबी में जीवन यापन करती है जिस पर कोई भी करारोपण संभव नहीं है। द्वितीय, पंचायत प्रतिनिधि किसी भी नए कर को ग्रामवासियों पर लगाना अलोकप्रिय राजनीतिक निर्णय मानते हैं।

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की इस सम्पूर्ण अवधारणा में स्थानीय नियोजन सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। इस पंचायती राज व्यवस्था के पूर्व तक स्थानीय नियोजन का लगभग अभाव था। अब समग्र ग्रामीण विकास की योजनाओं के निर्माण का कार्य ग्रामसभा से प्रारंभ होकर ग्राम पंचायत के माध्यम से जनपद पंचायत को प्रेषित किया जाता है। अनुमोदन के पश्चात् जनपद पंचायत ऐसी योजनाओं को जिला पंचायतों को भेजती है। इस तरह से नियोजन की प्रक्रिया अंतिम महत्वपूर्ण इकाई से प्रारम्भ होकर जिले तक जाती है। स्थानीय नियोजन के संदर्भ में प्राथमिकताओं का निर्धारण बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी भी पंचायतें उन्हीं परम्परागत कार्यों हेतु प्रस्ताव रखती है जो सामान्य तौर पर पंचायतों के माध्यम से किये जाते रहे हैं।

अंततः मध्यप्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था का विभिन्न महत्वपूर्ण पक्षों पर विवेचन एवं विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि मध्यप्रदेश में 73वें संविधान संशोधन की भावना के अनुरूप पंचायती राज की व्यवस्था को स्थापित किया गया है। पंचायतों को स्थानीय स्वशासन की स्वायत्त इकाइयाँ बनाने हेतु प्रयास किये गये हैं। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यकतानुरूप राज्य विधान में समय–समय पर संशोधन किये जाते रहे हैं। आरक्षण के माध्यम से सभी वर्गों को समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है। व्यापक स्तर पर अधिकार, शक्तियाँ एवं दायित्व पंचायती राज संस्थाओं को दिये गये हैं। इस विश्लेषण से यह भी स्पष्ट होता है कि पंचायतों की कार्यप्रणाली में कई जगह दिक्कतें प्रस्तुत हो रही हैं।

पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकरण से उत्पन्न अनुकूल एवं प्रतिकूल उदाहरण यह दिशा–निर्देश देते हैं कि यह किसी भी नवीन व्यवस्था के साथ जुड़े हुए स्वाभाविक सत्य है। प्रतिकूल स्थितियों में सुधार हेतु शासकीय स्तर पर एवं सामाजिक स्तर पर और अधिक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। इससे पंचायत राज व्यवस्था के माध्यम से सत्ता हस्तांतरण एवं लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का जो ईमानदार प्रयास प्रारम्भ हुआ है उसमें प्रस्तुत बाधाएं समय के साथ समाप्त होती चली जायें। ग्राम स्तर पर स्थापित पंचायतों के क्रियाकलापों से हर ग्रामीण प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से परिचित हो रहा है। इससे ग्रामीण स्तर पर जनसामान्य की जागरूकता में अभिवृद्धि होगी जिससे पंचायतें ज्यादा जवाबदेह होंगी। जवाबदेही से पंचायतों की कार्यप्रणाली में सुधार आयेगा। इससे पंचायतों के प्रति सभी वर्गों का सहयोग बढ़ेगा एवं पंचायतों के लिये स्वतंत्र कार्य निर्वहन की स्थितियां निर्मित होंगी। पंचायतों के माध्यम से ही विकास के निर्धारित मापदण्डों को प्राप्त करना संभव होगा। पंचायत राज व्यवस्था ने समाज के सभी वर्गों की वृहद स्तर पर जो राजनीतिक भर्ती की है वह सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास के उद्देश्यों को वास्तविक रूप में प्राप्त करने में सफल होगी।

(लेखक मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान, उज्जैन में सीनियर फैलो हैं)

ग्रामीण विकास में पंचायतों की भूमिका

रिज़वान खान और आभा आहूजा

भारतवर्ष में लगभग 70 फीसदी लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं जिनमें अधिकांशतः अभी तक मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु केन्द्रीय स्तर पर बनी विभिन्न योजनाएं प्रायः अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहती है। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु भारी बजट का प्राविधान किया जाता रहा है किन्तु धरातलीय प्रभाव नगण्य रहा है। इसका प्रमुख कारण सुस्त नौकरशाही एवं जनसहभागिता का अभाव रहा।

पंचायती राज व्यवस्था

उपरोक्त विश्लेषण के उपरान्त ग्रामीण विकास को गति देने तथा ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं को सफल बनाने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता के प्रसार एवं विकास कार्यक्रमों में जनसहभागिता को बढ़ाने की आवश्यकता अनुभव की गयी। इसमें सर्वप्रथम प्रजातान्त्रिक शक्तियों के विकेन्द्रीकरण पर विचार आरम्भ हुआ। इसी क्रम में अक्टूबर 1952 में राजस्थान में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। इसके उपरान्त वर्ष 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवन्त राय मेहता समिति की प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की सिफारिशें स्वीकार करते हुये उस पर कार्यान्वयन के प्रयास आरम्भ हुये तथा वर्ष 1958 में ही सर्वप्रथम प्रयोग के तौर पर आंध्रप्रदेश के कुछ हिस्सों में प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण लागू किया गया। इसके उपरान्त वर्ष 1959 में पं. जवाहरलाल नेहरू जी ने नागौर ने प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की योजना का श्री गणेश किया तथा इसी को पंचायती राज कहा गया।

वर्तमान त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, वर्ष 1992 में 73वें संविधान संशोधन के उपरान्त अस्तित्व में आई। इसके अन्तर्गत जिलास्तर–मध्यवर्तीस्तर–ग्रामस्तर पर पंचायतों का गठन किया गया। इसके अन्तर्गत पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिये योजनाएं बनाने संबंधी अधिकार सौंपे गये। आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की विभिन्न योजनाओं एवं ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी पंचायतों को सौंपी गयी। पंचायतों को विकास के लिये आवश्यक आर्थिक संसाधनों को जुटाने हेतु पंचायतों को पंचायतस्तर पर विभिन्न प्रकार के करों को अधिरोपित करने का अधिकार दिया गया है तथा इस प्रकार एकत्रित धनराशि द्वारा विभिन्न प्रकार की निधियों का गठन कर आवश्यकता पड़ने पर उनसे निकासी का अधिकार भी उन्हें हैं।

प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों में समान जनसहभागिता को बढ़ावा देना तथा उन्हें अधिक से अधिक स्वायत्तता प्रदान करना है। इसके लिये पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने हेतु आरक्षण का प्राविधान किया गया है तथा इसे एक पूर्ण स्वायत्त लोकतांत्रिक निकाय का दर्जा दिया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों की सफलता को सुनिश्चित करने हेतु भिन्न–भिन्न संस्थाओं को उत्तरदायी बनाते हुये परस्पर समन्वय द्वारा विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति करना है।

उपरोक्त प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य ग्रामस्तर पर गठित पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाकर केन्द्रीय एवं राज्य स्तर पर बनी विकास योजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के अतिरिक्त पंचायतों को ग्राम्य विकास हेतु महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व जैसे ग्राम स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के नियोजित दोहन को सुनिश्चित करके उनका ग्राम विकास हेतु प्रयोग, ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के साधनों में वृद्धि करना, ग्राम में बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास इत्यादि मूलभूत सुविधाओं का विकास करना तथा तद्नुरूप योजनाओं का निर्माण कर उनका कार्यान्वयन करना, ग्राम में सामाजिक एवं आर्थिक समानता का वातावरण बनाना तथा उसके लिये भिन्न–भिन्न योजनाओं का निर्माण करना तथा उनका कार्यान्वयन, महिलाओं एवं बच्चों के कल्याणार्थ पृथक योजनाओं का निर्माण कर उनके समुचित विकास को सुनिश्चित करना इत्यादि सौंपे गये हैं। वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम्य विकास के प्रति नौकरशाही को पंचायतों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु विशेष प्रावधान किये गये हैं। इस प्रकार पंचायती राज का प्रमुख उद्देश्य ग्राम्य विकास में ग्रामीण जनता की सहभागिता को सुनिश्चित कर उन्हें स्वशासन की ओर ले जाना है तथा गांधीजी की ग्राम स्वशासन की परिकल्पना को साकार रूप देना है।

पंचायती राज व्यवस्था का वर्तमान परिदृश्य

परन्तु नयी व्यवस्था में गठित पंचायतों का आरम्भ से ही पूर्णतः राजनीतिकरण हो जाता है, जिसकी झलक इनके गठन हेतु होने वाली निर्वाचन प्रक्रिया में देखी जा सकती है। पंचायती चुनावों में प्रायः धनबल, बाहुबल, जातिवाद एवं क्षेत्रवाद का जमकर प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार

गठित पंचायतों की कार्यप्रणाली इन प्रभावों से अछूती नहीं रहती है, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान परिदृश्य में वृहद ग्रामीण समुदाय इस व्यवस्था को भी एक राजनैतिक व्यवस्था समझ स्वतः अलगाव को अनुभव करता है।

पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था भी आज की ग्रामीण विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में अक्षम प्रतीत होती है। त्रिस्तरीय व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य समन्वय पर बल देकर परस्पर नियंत्रणकारी शक्तियों की स्थापना द्वारा ग्रामीण विकास को सुनिश्चित करना है किन्तु यह व्यवस्था भी निर्वाचित प्रतिनिधियों, नौकरशाही के परस्पर अंतरंग संबंधों की स्थापना से मात्र संसाधनों का दोहन कर व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति में संलग्न है। आज की वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था स्वःसंसाधनों के विकास द्वारा आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर न होकर ग्रामीण विकास के प्रति अरूचि का भाव प्रदर्शित करती है। वर्तमान पंचायतें विकास कार्यों हेतु स्वःसंसाधनों की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से शासकीय सहायता पर अधिक निर्भर है, जोकि पंचायती राज व्यवस्था के उद्देश्यों के सर्वथा प्रतिकूल है।

अदूरदर्शी एवं स्वार्थी नेतृत्व के कारण ग्रामीण विकास हेतु पंचायतों के पास स्वःसंसाधनों के विकास एवं नियोजित दोहन तथा समग्र ग्रामीण विकास हेतु स्वःनिर्मित योजनाओं का अभाव है अथवा इस हेतु योजना बनाकर उनके कार्यान्वयन में उनकी विशेष रुचि नहीं है। यद्यपि महिलाओं हेतु पंचायतों में विभिन्न स्तरों पर निर्वाचन हेतु विशेष प्राविधानों के द्वारा स्थान सुनिश्चित किये गये हैं तथापि ग्राम में महिला एवं बाल विकास पक्ष सर्वाधिक उपेक्षित है, क्योंकि अधिकांश पंचायतों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधि अपने अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों के प्रति उदासीन व्यवहार रखती है तथा उनकी भूमिका का निर्वाहन अपरोक्ष रूप से उनके निकट पुरूष संबंधियों द्वारा किया जाता है। पंचायतें अपने विकास कार्यक्रमों में स्थानीय संस्थाओं, महिला समूहों, संकुलों को भागीदारी बनाने में अनिच्छा का प्रदर्शन करती है तथा इनके द्वारा तैयार प्रस्तावों को विचारार्थ स्वीकार करने के योग्य भी नहीं समझती। यह स्थिति ग्रामीण विकास में जनभागीदारी को सुनिश्चित करने संबंधी पंचायती राज व्यवस्था के सर्वथा प्रतिकूल है।

ग्राम में पंचायतों के अधीन विभिन्न समितियां जैसे ग्राम स्वास्थ्य, ग्राम शिक्षा, ग्राम पेयजल इत्यादि का गठन ग्राम्य विकास को सुनिश्चित करने हेतु किया जाता है। किन्तु पंचायतों के पास ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ठोस एवं तार्किक कार्ययोजना तथा उसके कार्यान्वयन संबंधी रणनीतियों के अभाव में लक्षित विकास दूर ही दिखायी पड़ता है तथा इन सहसंस्थाओं की भूमिका भी सीमित हो जाती है। समन्वय तथा इच्छाशक्ति के अभाव में पंचायत एवं उससे संबंधित विभिन्न संस्थाएं परस्पर ग्रामीण आवश्यकताओं एवं उनकी पूर्ति हेतु साधनों के विकास एवं तद्संबंधी प्रस्तावों के निर्माण की दिशा में परस्पर प्रेरणा प्रदान करने में भी अक्षम रहती है। वर्तमान स्थिति में निर्वाचित प्रतिनिधियों हेतु ग्राम में ढांचागत निर्माण ही विकास का पर्याय बन गये हैं, जिसके लिये भी पंचायतें शासकीय सहायता/अनुदानों पर आश्रित हो गयी है। इस स्थिति में बुनियादी सामाजिक आवश्यकताएं उपेक्षित रहती है तथा पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के उपरान्त भी ग्रामों में विकास की दर, शहरी विकास दर की तुलना में निम्नस्तर पर है। गांवों में अभी भी बुनियादी सामाजिक, आर्थिक विकास की चुनौतियाँ देश के सम्मुख हैं।

पंचायत स्तर, खण्डस्तर एवं जिला स्तर पर भी विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के मध्य समन्वय की पूर्ण अथवा आंशिक अभाव की स्थिति देखी गयी है। विकास कार्यक्रमों की समीक्षा हेतु खण्ड स्तर पर आयोजित की जाने वाली मासिक बैठकों में ग्राम विकास के प्रति निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों की उदासीनता को देखा जा सकता है। इस प्रकार की बैठकें प्रायः व्यापक शोर–गुल की भेंट चढ़ती है तथा इन बैठकों की कार्यवाही के मध्य निर्वाचित प्रतिनिधियों, कार्यदायी संस्थाओं तथा शासन प्रशासन के परस्पर हितों में टकराव की स्थिति देखी जा सकती है। पंचायती राज व्यवस्था हेतु, पंचायत में निर्वाचित प्रतिनिधियों का इस प्रकार का आचरण निश्चित रूप से शुभ संकेत नहीं है। इस स्थिति में यह बैठकें मात्र शक्ति प्रदर्शन का केन्द्र बन जाती हैं। पंचायतों में निर्वाचित ग्रामीण जनप्रतिनिधियों का इस प्रकार का आचरण उनका पंचायती राज व्यवस्था की महत्ता तथा इसके उद्देश्यों के प्रति उनकी अनभिज्ञता का अथवा जानबूझकर निहित स्वार्थवश अपने कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों के प्रति उपेक्षित भाव का प्रदर्शन मात्र है।

सुझाव

इस प्रकार विगत वर्षों में पंचायती राज संस्थाओं की ग्रामीण विकास में भूमिका तथा तद्नुरूप एच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में इन संस्थाओं को मिली सफलता की समीक्षा किये जाने की आवश्यकता है। पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान कर ग्रामीण विकास के प्रति उसे और उत्तरदायी बनाये जाने हेतु कुछ सुझाव निम्नवत हैं:–

पंचायतों हेतु

- पंचायतें ग्राम्य विकास हेतु वित्तीय आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने हेतु, उपलब्ध संसाधनों के दोहन तथा ग्रामीण समाज की विभिन्न आर्थिक, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु स्वयं प्रस्ताव तैयार करें। तद्संबंधी प्रस्ताव तैयार करने हेतु वह विभिन्न क्षेत्रों से विशेषज्ञीय सहायता प्राप्त करें। इस कार्य में संबंधित ग्रामसभा/पंचायत में कार्यरत विभिन्न सरकारी एवं गैरसरकारी संस्थाओं, सक्रिय महिला एवं पुरूष स्वयं सहायता समूहों तथा संकुलों की सहायता प्राथमिकता के आधार पर लेकर पंचायतें न केवल उन्हें ग्राम्य विकास में समान रूप से भागीदार बना सकती हैं अपितु उनसे ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पृथक प्रस्ताव भी आमंत्रित कर सकती है।
- सम्पूर्ण ग्राम्य विकास हेतु एकाकी प्रयासों की अपेक्षा समन्वित प्रयासों की नितान्त आवश्यकता है, इस तथ्य को पहचानते हुये पंचायते संबंधित क्षेत्र में सक्रिय विभिन्न संस्थाओं/समूहों को अपनी बैठकों में विचार/प्रस्ताव प्रस्तुति हेतु सहर्ष आमंत्रित करके ग्रामीण विकास हेतु एक सकारात्मक पहल कर सकती है।
- पंचायतें अपने क्षेत्र में विकास हेतु समानान्तर सहकारी वित्तीय संस्थाओं के गठन एवं विकास को प्रेरित करे तथा उनके समन्वय में कार्य कर ग्रामीण विकास को गतिशील बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। इस प्रकार न केवल परस्पर नियंत्रित तंत्र विकसित होगा अपितु इसके स्पष्ट प्रभाव भी ग्रामीण विकास में दृष्टिगोचर होंगे।

- पंचायतें अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों हेतु सामाजिक आचार संहिता का निर्माण करे जोकि सम्पूर्ण ग्रामीण समुदाय को विकास हेतु प्रेरित करने में सक्षम हो।
- निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को ग्राम्य विकास हेतु और उत्तरदायी बनाये जाने हेतु पंचायतें स्वयं प्रयास करें तथा तद्संबंधी आवश्यक नियमों–परिनियमों का निर्माण कर उन्हें समस्त निर्वाचित प्रतिनिधियों हेतु आवश्यक किया जाये।
- पंचायत स्तर पर जन समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाये जाने हेतु निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिये मानवीय मूल्य आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों/सेमिनार/कार्यशालाओं का आयोजन किया जाये।

ग्रामीण जनसमुदाय हेतु

- ग्रामीण समुदाय को पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पंचायतों की ग्राम्य विकास में भूमिका, महत्व, उत्तरदायित्वों, पंचायतों के गठन संबंधी प्रक्रिया से अवगत कराने हेतु व्यापक जागरूकता अभियान चलाये जाये।
- ग्रामीणों को पंचायतों के गठन में उनके मत का मूल्य एवं योग्य प्रतिनिधि के चुनाव हेतु सजग किये जाने हेतु प्रशिक्षित किया जाये।
- ग्रामीणों को संगठित कर समानान्तर आर्थिक, सामाजिक ढांचों के निर्माण हेतु प्रेरित किया जाये जिससे संबंधित पंचायत क्षेत्र में नियंत्रणकारी शक्तियों/दबाव समूहों के गठन द्वारा विकास प्रक्रिया संतुलन की स्थिति प्राप्त करे।
- ग्रामीणों हेतु भी सामाजिक आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने एवं परस्पर सामूहिकता के भाव के प्रसार हेतु मानवीय मूल्य आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाये। इस कार्य हेतु पंचायतों, सरकारी एवं गैरसरकारी संस्थाओं की सहायता प्राप्त की जा सकती है।
- ग्रामीण अपने मध्य महिला, युवा नेतृत्व विकसित कर पंचायतों में उनकी भूमिका को सुनिश्चित करें जिससे ग्रामीण विकास को एक नयी दिशा मिल सके। इस कार्य के लिये विभिन्न राजनैतिक दलों, स्वैच्छिक संस्थाओं को सामने आकर सक्रिय भूमिका निभानी चाहिये।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि पंचायती राज व्यवस्था को और सुदृढ़ता प्रदान किये जाने की आवश्यकता है जिससे कि विकास के अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। उपरोक्त सुझाव इसी प्रक्रिया की एक कड़ी मात्र है, क्योंकि सम्यक विचारों को अपनाते हुये ही पंचायती राज व्यवस्था की सफलता को सुनिश्चित कर ग्राम स्वराज की अवधारणा को साकार किया जा सकता है।

(लेखकद्वय गो.ब. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उत्तरांचल में क्रमशः डाटा एनालिस्ट एवं परियोजना परिचालिका हैं)

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत चिकित्सा संस्थानों का उन्नयन

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आज प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 1560 करोड़ रुपये की लागत से चिकित्सा संस्थानों के उन्नयन की योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है।

(क) जम्मू–कश्मीर, झारखंड, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल में एक–एक चिकित्सा संस्थान का उन्नयन और आंध्र प्रदेश में दो मौजूदा संस्थानों का उन्नयन (कुल 11 चिकित्सा संस्थान)।

इन 11 चिकित्सा संस्थानों की सूची इस प्रकार है–

1. गर्वनमेंट मेडिकल कालेज, जम्मू
2. कोलकाता मेडिकल कालेज, कोलकाता, पश्चिम बंगाल
3. संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
4. निज़ाम इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश
5. गर्वनमेंट मेडिकल कालेज, सलेम, तमिलनाडु
6. श्री वेंकटेश्वर इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, तिरूपति, आंध्र प्रदेश
7. पाटलिपुत्र मेडिकल कालेज हॉस्पीटल, धनबाद
8. बी.जे. मेडिकल कालेज, अहमदाबाद, गुजरात
9. बंगलौर मेडिकल कालेज, बंगलौर, कर्नाटक
10. जे.जे. मेडिकल कालेज, हॉस्पीटल, मुंबई, महाराष्ट्र
11. मेडिकल कालेज, तिरूवनन्तपुरम, केरल

(ख) जम्मू और कश्मीर में गर्वनमेंट मेडिकल कालेज, श्रीनगर का उन्नयन।

(ग) उत्तर प्रदेश में एक और सार्वजनिक संस्थान का उन्नयन।

इससे उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं की कमी दूर होगी तथा जिन राज्यों में चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध नहं है वहां यह सुविधा उपलब्ध होगी।

महिला सशक्तिकरण में पंचायती राज की भूमिका

जीतेन्द्र कुमार पाण्डेय

महिला सशक्तिकरण का अभिप्राय महिलाओं को पुरूषों के बराबर वैधानिक, राजनीतिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में उनके परिवार, समुदाय, समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वतंत्रता से है। महिलाओं में इस प्रकार की क्षमता का विकास जिसमें वे अपने जीवन का निर्वाह इच्छानुसार कर सकने में सक्षम हो एवं उनके अंदर आत्मविश्वास और स्वाभिमान को जागृत करना है।

यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि किसी भी प्रकार के सशक्तिकरण को गति प्रदान करने के लिए राजनीतिक सशक्तिकरण एक आवश्यक शर्त है जिसका अर्थ है एक न्यायपूर्ण तथा सम–समाज की स्थापना। इसलिए लिंगगत समानता को सुशासन की कुंजी कहा जा सकता है। महिला सशक्तिकरण में पंचायती राज का खास महत्व है क्योंकि इसके माध्यम से सामाजिक एवं सांस्थानिक स्तर पर बदलाव आया है। राजनीतिक सशक्तिकरण के माध्यम से सामाजिक सशक्तिकरण लाने का प्रयास किया जा रहा है। यह ठीक उसी तरह है जिस तरह भारतीय लोकतंत्र के अंतर्गत राजनीतिक समानता के सिद्धान्त ने सामाजिक असमानता के दीवारों को कमजोर किया है।

महिला सशक्तिकरण में पंचायती राज की भूमिका

भारत में महिला सशक्तिकरण के प्राचीन काल से लेकर अब तक अनेक प्रयास एवं आन्दोलन हुए हैं। ऐसे तीन दौर आये जब महिलाओं की अस्मिता को बड़े पैमाने पर मान्यता दी गयी तथा उन्हें अपने बारे में निर्णय करने की स्वतंत्रता मिली। पहला दौर था, बौद्ध धर्म के अविर्भाव का। बौद्ध धर्म ने न केवल जाति प्रथा का विरोध किया वरन् स्त्रियों की स्वतंत्रता का भी सम्मान किया जिससे उनकी सामाजिक स्थिति एवं सम्मान में वृद्धि हुई। भक्ति काल को दूसरा दौर माना जाता है जब स्त्रियों के बंधन कुछ कमजोर हुए और उन्होंने अपने आपको व्यक्त किया। इस बार भी अभिव्यक्ति का माध्यम धर्म ही था, पर उसकी विभिन्न मुद्राओं के माध्यम से जो पीड़ा सामने आ रही थी, वह लौकिक (भौतिक) जीवन की ही पीड़ा था। तीसरी बार स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान में लाखों महिलाओं को घर से बाहर आने और सार्वजनिक जीवन में शामिल होने का अवसर दिया। गांधी जी के आह्वान पर प्रत्येक वर्ग की महिलाएं ने स्वतंत्रता आन्दोलन में भागीदार बनी और इस आन्दोलन को व्यापक, समृद्ध एवं अखिल भारतीय स्वरूप दिया।

महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से 20 अप्रैल 1993 की क्रांति का दायरा बहुत ही व्यापक है। इसी वर्ष पंचायतों का संवैधानिक मान्यता दी गयी। स्त्री की स्वतंत्रता के पूर्ववर्ती प्रयास माहौल में परिवर्तन और व्यक्तिगत निर्णयों तक सीमित थे। सामाजिक ढांचे में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं किया गया, जिससे स्त्रियों की हैसियत में संरचनात्मक सुधार हो। नतीजा यह हुआ कि माहौल बदलते ही 'पुनर्मूषको भव' की स्थिति आ जाती थी। इसके विपरीत, लोकतांत्रिक भारत में जो ऐतिहासिक प्रयोग किया गया, वह (1) राजनीतिक तंत्र में परिवर्तन पर आधारित है तथा (2) महिलाओं के लिए संस्थागत प्रतिनिधित्व का प्रावधान करता है।

राजनीतिक तंत्र में परिवर्तन का माध्यम बनी पंचायती राज की नई व्यवस्था जिसमें पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दी गयी, उनका कार्य क्षेत्र परिभाषित किया गया, उनके संसाधनों के स्रोत निश्चित किये गये। इन्हें भारतीय राज्य का तीसरा संस्तर कहा जाता है, ये संस्थाएं नागरिक समाज एवं सरकार के बीच कड़ी का काम करती है। साथ ही यह भी सुनिश्चित हुआ है कि तीनों स्तरों को पंचायतों की कम से कम एक–तिहाई सीटों और पदों पर महिलाएं होंगी। यदि आरक्षण मात्र महिलाओं को दिया गया होता, तो ज्यादातर सवर्ण और सम्पन्न परिवारों की महिलाएं ही दिखायी देती। इसलिए सामान्य वर्ग में ही नहीं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों पर भी इन वर्गों की एक तिहाई महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया। इस तरह पंचायत क्रांति को समाज के सभी वर्गों तक ले जाने की कोशिश हुई। यह पंचायती राज व्यवस्था चार अवधारणाओं पर काम कर रही है–

पहला– पंचायती राज के माध्यम से लोग राजनीति में ज्यादा प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर सकेंगे।

दूसरा– स्थानीय समुदाय को परिवर्तन का वाहक बनाने और उनमें योजनागत चेतना फूंकने से आर्थिक परिवर्तन तेजी से और सक्षमतापूर्वक होगा।

तीसरा– पंचायतों को शक्तियों का हस्तान्तरण होने से सरकारी संस्थाओं सामुदायिक विकास केन्द्रों, योजना समितियों को एक नयी समाज व्यवस्था एवं नागरिक समाज के उन्नयन यानि एक सहकारी समाज के लिए रास्ता साफ होगा।

चौथा– आम जनता के ऐसे समान अनुभव के आधार पर राजनीतिक संगठनों की ऐसी प्रणाली राष्ट्रीय एकता का वाहक बनेगी।

सचमुच भारत में पंचायती राज व्यवस्था की रचना प्राचीन एथेंस के प्रत्यक्ष लोकतंत्र की तर्ज पर की गई है। हालांकि यह भी महत्वपूर्ण है कि प्राचीन भारत में भी ऐसा ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र था और पंचायती राज के सिद्धान्त के लिए पंच परमेश्वर की प्राचीन परम्परा से प्रेरणा ग्रहण की गयी है। इसके पीछे स्थानीय स्वशासन का यह उसूल काम कर रहा है कि सरकार की निचली इकाइयों को सत्ता का अधिकतम हस्तान्तरण और लोकप्रिय निर्वाचन से गठित स्थानीय संस्थाओं के जरिए स्वशासन। यह उसूल चार मान्य बुनियादी धारणाओं पर आधारित है। राजनीति में प्रत्येक वर्ग की जनता की भागीदारी, आर्थिक विकास के लिए संसाधनों को जुटाना, लोकतंत्र में बुनियादी संस्थाओं का समावेश करना और राष्ट्रीय एकता की गारंटी। इन सभी पहलुओं में महिलाओं का एक खास महत्व है। क्योंकि जहाँ एक तरफ उनके प्रतिनिधित्व के अभाव में सम्पूर्ण लोकतांत्रिक संरचना अपूर्ण रहेगी तो दूसरी तरफ उनके सशक्तिकरण के अभाव में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया अधूरी रहेगी। इसलिए महिलाओं को पंचायतों के माध्यमों से सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी से उनकी स्थिति में व्यापक बदलाव आया है।

- पंचायतों के द्वारा महिलाओं को प्राप्त राजनीतिक सशक्तिकरण की ही देन है कि पिछले बारह वर्षों में देश के भीतर राजनीतिक बहस में महिलाओं को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। कई राज्यों में पंचायतों एवं नगरपालिकाओं में महिलाओं की उपस्थिति 33 प्रतिशत से अधिक है जैसे कर्नाटक में 43 प्रतिशत, केरल में 39 प्रतिशत एवं पश्चिम बंगाल में 37 प्रतिशत है।
- राजनीतिक प्रक्रिया और राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी से शासन की गुणवत्ता में सुधार आया है। आर्थिक तथा जीविका से जुड़े मुद्दों, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों में भी स्तरों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, साथ ही बुनियादी सुविधाओं का विस्तार अधिक हो सकेगा क्योंकि उनकी प्राथमिकताएं एवं आवश्यकताएं उसी तरह की हैं।
- पंचायतों एवं नगरपालिकाओं में भी महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण के प्रावधान से संसद एवं राज्यों की विधायिकाओं में भी महिलाओं को आरक्षण देने का दबाव बढ़ता जा रहा है, बहुत संभव है कि आने वाले दिनों में यह बदलाव देखने को मिले।
- पंचायतों में महिलाओं की विगत बारह वर्षों की भागीदारी से यह सिद्ध हो गया है कि जनसंख्या स्थिरीकरण, लैंगिक असंतुलन में सुधार तथा महिलाओं के हितों को प्रोत्साहित करने में वे सबसे प्रभावशाली एवं संवेदनशील माध्यम हैं।
- पंचायतों के माध्यम से समाज की जड़ता, धार्मिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों, कुशासन एवं भ्रष्टाचार के उन्मूलन में महिलाओं ने प्रतिकूल वातावरण में भी अच्छा काम किया है।
- पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी नागरिक समाज के उन्नयन, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रकृति संसाधनों का प्रबंधन, पर्यावरण की सुरक्षा आदि जैसे ज्वलंत एवं संवेदनशील मुद्दों जिसका प्रत्यक्ष संबंध महिलाओं से है के लिए सशक्त माध्यम है।
- पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी से ग्रामीण विकास एवं महिलाओं के विकास जैसे चिन्तन का विकास हुआ और एक नई चेतना का सूत्रपात हुआ है।

उल्लेखनीय है कि पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी का प्रयोग देश के उन हिस्सों में ज्यादा सफल रहा है जहां पहले से ही स्त्रियों की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर रही है अथवा जहां राजनीतिक दलों ने इस कार्यक्रम को अपना समर्थन दिया है। लेकिन जहां स्थितियां अनुकूल नहीं हैं या राजनीतिक दलों का सकारात्मक सहयोग नहीं मिला है वहां महिलायें अपने वाजिब अधिकारों से आज भी महरूम हैं। पंचायतों में चुने जाने के बाद भी महिलायें अपनी क्षमताओं का परिचय न दे सके, इसके लिए कई अनौपचारिक उपाय अपना लिए गए हैं।

एक उपाय है, उन्हें नाम मात्र का प्रतिनिधि बना देना। बहुत सी पंचायतों में पुरूष ही महिला के नाम पर चुनाव पड़ते हैं। वे अपनी पत्नी या किसी अन्य महिला रिश्तेदार को उम्मीदवार बनाते हैं और उसके जीते जाने पर पंचायत में उनके प्रतिनिधि के रूप में सारा काम–काज खुद करते हैं।

दूसरा उपाय अविश्वास प्रस्ताव। कोई महिला सरपंच बहुत प्रभावशाली है, आत्मविश्वास से सम्पन्न है, तो उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उसे पंचायतों से बेदखल कर दिया जाता है।

तीसरा, दो बच्चों के नियम का सबसे ज्यादा नुकसान महिलाओं को ही उठाना पड़ा है। सरपंच महिला खुद तय नहीं कर सकती है कि उसके तीसरा बच्चा होगा या नहीं। यह निर्णय उसका पति करता है। लेकिन तीसरा बच्चा हो जाने पर सरपंच से हटाया जाता है उसकी पत्नी को।

इसलिए महिलाओं के संपूर्ण एवं वास्तविक सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है पंचायतों का सशक्तिकरण क्योंकि कमजोर पंचायतें मजबूत महिलाओं को भी कमजोर बना सकती है। अधिकतर पंचायतों के पास अपना कोई राजस्व नहीं है। नीति निर्माण करने का प्रावधान नहीं है। न्याय प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के विकेन्द्रीकरण का सर्वथा अभाव है। इसलिए हमें पंचायती राज को विकास के वाहक के रूप में देखने की बजाय विकास को ही पंचायती राज के वाहक के रूप में देखना चाहिए, तभी वास्तविक सशक्तिकरण संभव हो सकेगा। हमें यह याद रखना होगा कि केवल ऊपर से नीचे सत्ता के हस्तान्तरण से स्थानीय स्वशासन को अपने मूलरूप में स्थापित नहीं किया जा सकता है क्योंकि लोकतंत्र शासन की इकाई के आकार पर नहीं, वरन् शासन की गुणवत्ता के ऊपर निर्भर करता है। लोकतंत्र का मतलब स्थानीय भू–क्षेत्र को छोटी–छोटी मात्रा में सत्ता थमा देना नहीं होता, लोकतंत्र का सारतत्व तंत्र क्षेत्र न होकर व्यक्ति में निहित होता है। इसलिए हमें गांधीवादी स्वरूप वाला स्वशासन चाहिए। जिसमें प्रत्येक व्यक्ति चाहे वे पुरुष हो या महिलाएं अपना शासन वे स्वयं करें, जिसमें सत्ता का बहाव लम्बवत न होकर क्षैतिज हो यानि समुद्र के तरंगों की तरह। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के आड़ में लोकतांत्रिक केन्द्रवाद जैसा खतरा न पैदा हो।

(लेखक काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के राजनीति विज्ञान विभाग से संबद्ध हैं)

महात्मा गांधी का पंचायती राज

सुरेन्द्र कटारिया

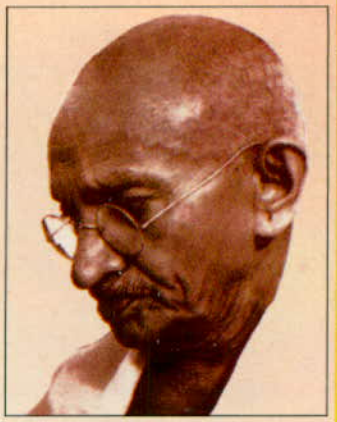

ग्रामीण विकास, पंचायती राज तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की चर्चा करते समय प्रायः महात्मा गांधी का स्मरण अवश्य किया जाता है। लेकिन महात्मा गांधी ने पंचयती राज के किस स्वरूप की कल्पना की थी, इसकी चर्चा नहीं की जाती है। स्वतंत्रता के पश्चात गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर, 1959 को नागौर में आधुनिक पंचायती राज का दीप प्रज्ज्वलित कर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को साकार करने वाली व्यवस्था करार दिया था। किन्तु क्या आज का पंचायती राज गांधीजी के पंचायती राज से मेल खाता है? इसमें कोई दो राय नहीं कि महात्मा गांधी ने जिस पंचायती राज के माध्यम से ग्राम स्वराज की कल्पना की थी वह कल्पना बीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध की प्रशासनिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों हेतु तत्कालीन स्वतंत्रता संग्राम के परिप्रेक्ष्य में की गई थी। निश्चित तौर पर आज वे परिस्थितियां बदल चुकी हैं किन्तु भारतीयों की मानसिकता आज भी गुलामी के अवशेष ढो रही है।

महात्मा गांधी ने अपने जीवन के अंतिम दिन लिखी डायरी में पंचायती राज प्रणाली का विशुद्ध विवेचना करते हुए कहा है– "शहरों और कस्बों से भिन्न उसके सात लाख गांवों की दृष्टि से हिन्दुस्तान की सामाजिक, नैतिक और आर्थिक आजादी हासिल करना अभी बाकी है। लोकशाही के मकसद की तरफ हिन्दुस्तान की प्रगति के दरमियान सैनिक सत्ता पर नागरिक सत्ता को प्रधानता देने की लड़ाई अनिवार्य है। कांग्रेस को हमें राजनीतिक पार्टियों और सांप्रदायिक संस्थाओं के साथ की गंदी होड़ से बचाना चाहिए। इस और ऐसे ही दूसरे कारणों से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी नीचे दिए हुए नियमों के मुताबिक अपनी मौजूदा संस्था को तोड़ने और लोक–सेवक–संघ के रूप में प्रकट होने का निश्चय करे। जरूरत के मुताबिक इन नियमों में फेरफार करने का इस संघ को अधिकार रहेगा"

"गांव वाले या गांव वालों की जैसी मनोवृत्ति वाले पांच व्यस्क पुरुषों या स्त्रियों की बनी हुइ हर एक पंचायत एक इकाई बनेगी। पास–पास की ऐसी हर दो पंचायतों में, उन्हीं में से चुने हुए नेता की रहनुमाई में, एक काम करने वाला दल बनेगा। जब ऐसी 100 पंचायतें बन जाएं, तब पहले दरजे के पचास नेता अपने में से दूसरे दरजे का एक नता चुनें और इस तरह पहले दरजे का नेता दूसरे दरजे के नेता के मातहत कार्य करे। दो सौ पंचायतों के ऐसे जोड़ कायम करना तब तक जारी रखा जाए जब तक कि वे पूरे हिन्दुस्तान को ढंक लें। और बाद में कायम की गई पंचायतों" का हर एक समूह पहले की तरह दूसरे दरजे का नेता चुनता जाए। दूसरे दरजे के नेता सारे हिन्दुस्तान के लिए सम्मिलित रीति से काम करें और अपने–अपने प्रदेशों मे अलग–अलग काम करें। जब जरूरत महसूस हो, तब दूसरे दरजे के नेता अपने में से एक मुखिया चुनें, और वह मुखिया चुनने वाले चाहें तब तक सब समूहों को व्यवस्थित करके उनकी रहनुमाई करें।"

इसी क्रम में अंत में गांधीजी लिखते हैं– "जहां कहीं देखता हूं, वहां यही देखता हूं कि जिस तरह यादव कुल के लोग परस्पर लड़ कर मर गए, वैसी स्थिति हमारी है। हमारे आपसी वैमनस्य के कारण हम समाज का कितना नुकसान कर रहे हैं, इसका ख्याल किसी को नहीं है। मगर इसके लिए आप या दूसरा कोई क्या कर सकता है? इस सब में मेरी ओर से ही कमी रह गई है। अपने जीते–जी में इन सब बातों को स्वयं देख कर उसमें जितना सुधार कर सकूं, उतना सुधार कर लूं ताकि भावी पीढ़ी की गालियां मुझे न खानी पड़ें।"

इस प्रकार गांधीजी दो गांवों की पंचायतों के दस प्रतिनिधियों के एक समूह तथा एक मुखिया से ग्राम पंचायत का कार्य कराने के पक्षधर थे तथा सौ गांवों के पचास मुखियाओं द्वारा एक दूसरे स्तर के नेता के चयन को प्राथमिकता देते थे। संभवतः गांधीजी की दृष्टि में यह दूसरे स्तर का नेता पंचायत समिति के प्रधानके समकक्ष था। प्रधानों के समूह से नेता बनाना गांधीजी के अनुसार अनिवार्य नहीं था बल्कि आवश्यकता पर आधारित था। उन्होंने पंचायती राज के संगठन संबंधी विचार जीवन के अंतिम दिन व्यक्त किए थे अतः तत्कालीन नेताओं तथा प्रशासकों द्वारा उठायी जाने वाली आपतियों या जिज्ञासाओं का समाधान नहीं हो सकता था अतः सन् 1959 में जिस आधुनिक पंचायती राज की शुरूआत भारत में की गई वह बलवंत राय मेहता कमेटी की अनुशंसाओं का परिणाम था।

दरअसल प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान 2 अक्टूबर, 1952 को भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र एवं क्रांतिकारी उत्थान के लिए "सामुदायिक विकास कार्यक्रम (सीडीपी) की शुरूआत हुई। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारिता, सिंचाई, ग्रामोद्योग, सड़क परिवहन तथा पशुपालन को समर्पित यह कार्यक्रम विश्व में अपनी किस्म का सर्वाधिक व्यापक एवं अनूठा ग्राम विकास कार्यक्रम था। प्रथम पंचवर्षीय योजना (1952–57) की समाप्ति पर यह निष्कर्ष सामने आया कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के प्रति लोगों में रुचि कम तथा प्रतिरोध अधिक था। इस समस्या के मूल्यांकन, विश्लेषण एवं समाधान हेतु बलवंतराय मेहता कार्यदल ने योजना आयोग एवं राष्ट्रीय विकास परिषद को आधुनिक एवं वैधानिक रूप से पंचायती राज संस्थाओं के गठन का सुझाव दिया। इस अनुशंसा के क्रम में सन् 1959 से देश में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना होने लगी। राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश इस दिशा में अग्रणी रहे किन्तु किसी भी राज्य ने गांधीजी के मॉडल का अनुसरण नहीं किया। भारत संविधान के अनुच्छेद–40 में राज्य के नीति–निदेशक तत्वों के अंतर्गत सरकार से यह अपेक्षा की गई है कि वह पंचायतों की स्थापना का प्रयास करेगी लेकिन संविधान

का यह भाग बाध्यकारी नहीं बल्कि परामर्शकारी है। दूसरी और संविधान में स्थानी स्वशासन विषय राज्य सूची का विषय बनाया गया है अतः प्रत्येक राज्य के अपनी इच्छानुसार नगरीय एवं ग्रामीण स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की रचना करने की स्वतंत्रता है। यही कारण है कि सन् 1959–52 तक देश में पंचायती राज संस्थाएं भारी अव्यवस्था का शिकार रही। कहीं पर त्रिस्तरीय (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद) व्यवस्था प्रवर्तित रही तो कहीं द्विस्तरीय व्यवस्था ही बनाई गई। लगभग सभी राज्यों में स्थिति यह थी कि इन संस्थाओं के चुनाव समय पर नहीं होते थे तथा इन संस्थाओं के पास वित्तीय संसाधनों का सर्वथा अभाव था। ग्राम सभा नामक संस्था का अस्तित्व होते हुए भी इसकी बैठकें नहीं होती थी। इस प्रकार लोकशाही के माध्यम से ग्राम स्वराज पाने का गांधीजी का स्वप्न साकार नहीं हो पा रहा था।"

गांधीजी ने ग्राम राज एवं राम राज्य स्वप्न को साकार करने के लिए भारत सरकार ने सन् 1992 में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज को संवैधानिक आधार प्रदान करते हुए इनके निश्चित कार्यकाल, महिलाओं एवं पिछड़े वर्गों को आरक्षण तथा राज्य वित्त आयोग की स्थापना हेतु प्रावधान किए गए। तद्नुसार राज्यों ने पंचायती राज के नए अधिनियम बना कर अद्यनूतन व्यवस्था की स्थापना की है। यद्यपि 73वें संविधान संशोधन के पश्चात् का पंचायती राज पूर्व की तुलना में सशक्त एवं सार्थक कहा जा सकता है किन्तु ग्राम पंचायतों की कमजोर वित्तीय स्थिति तथा राजनीतिक उठा–पटक के कारण पैदा हुआ वैमनस्य पंचायती राज के लिए बाधक सिद्ध हो रहा है। महात्मा गांधी ने यह कल्पना भी न की होगी कि पंचायती राज के कारण गांव, समुदाय तथा परिवार कई टुकड़ों में बंट जाएगा और भोले–भाले ग्रामीण लोगों की महत्वकांक्षाएं आसमान छूने लगेंगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि आधुनिक भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण में संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन (नगरपालिकाओं हेतु) ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

महात्मा गांधी ने पंचायती राज संबंधी व्यवस्था एवं लोगों की मानसिकता दोनों को ही भांप लिया था अतः उन्होंने अधिकारों को कर्तव्य के साथ जोड़ा था। इसी क्रम में गांधीजी ने "हरिजन" के 18 जनवरी, 1948 अंक में लिखा था– "मेरी राय में ऐसा कानून नहीं है हां यदि लोग चाहते हैं तो पंचायत के कार्य संचालन को रोका जा सकता है। गांव के हर समूह के लिए लोग या लोगों का समूह पंचायती प्रणाली अपनाए रख सकता है, भले ही शेष भारत में यह हो या न हो। सच्चे अधिकार तो कर्तव्य पालन से अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा अधिकार कोई छीन नहीं सकता।

(लेखक महारानी सुदर्शन राजकीय महिला महाविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान में व्याख्याता (लोक प्रशासन) हैं)

लघु उद्योग, कृषि तथा ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक

केंद्रीय लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री, श्री महाबीर प्रसाद ने कहा है कि दुनिया में **उद्योग** की बजाय **उद्यम** की अवधारणा बढ़ती जा रही है और इस बारे में लघु उद्यमों के वास्ते नीतिगत ढांचे की जरूरत महसूस की जा रही है ताकि ये उद्योग मझौले स्तर के उद्यमों में विकसित हो सकें और इनमें बेहतर प्रौद्योगिकियां अपनाने तथा अंतर्राष्ट्रीयकरण के मौजूदा युग में प्रतिस्पर्धी बनने की क्षमता विकसित हो सके। मंत्रालय से संबद्ध सलाहकार समिति की 7वीं बैठक को संबोधित करते हुए श्री महावीर प्रसाद ने कहा कि हम भी अत्यंत छोटे–छोटे उद्योगों के पक्ष में हैं और भारत में भी यह जरूरी हो गया है कि अत्यंत छोटे, लघु और मझौले उद्यमों की एक साथ देखभाल की जाए तथा इस क्षेत्र के लिए उचित ढांचा तैयार किया जाए।

श्री प्रसाद ने सदस्यों को बताया कि 12 मई, 2005 को लोक सभा में अत्यंत लघु, लघु और मझौले उद्यम विकास (एमएसएमईडी) विधेयक 2006 पेश किया गया था। उसके बाद इस विधेयक को विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति को उनके विचारार्थ भेजा गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट 4 अगस्त, 2005 को प्रस्तुत की। यह रिपोर्ट मंत्रियों के एक दल को भेजी गई। लोकसभा ने 18 मई, 2006 को और राज्यसभा ने 22 मई 2006 को इस विधेयक को पारित कर दिया था। राष्ट्रपति महोदय ने भी इस विधेयक को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है और आशा है कि यह विधेयक जल्दी ही कानून बन जायेगा।

मंत्री महोदय ने कहा कि खादी क्षेत्र में रोजगार की गिरावट तथा खादी उत्पादों की बिक्री में स्थिरता को देखते हुए यह जरूरी हो गया है कि खादी तथा ग्रामीण आयोग (केवीआईसी) का फिर से गठन किया जाये तथा आधुनिक प्रबंध व्यवस्था के जरिए अंतर्राष्ट्रीयकरण के इस युग में खादी उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाया जाये। सरकार ने राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के तहत खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग को फिर से जीवंत बनाने का निर्णय लिया और इस निर्णय के तहत एक 10 सदस्यीय समिति का गठन किया। समिति ने अप्रैल 2005 में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी। सरकार ने 22 अगस्त, 2005 को खादी तथा ग्रामीण उद्योग आयोग (संशोधन) अधिनियम लोकसभा में पेश किया। लोकसभा ने 27 फरवरी, 2006 तथा राज्य सभा ने 11 मार्च, 2006 को इस अधिनियम को पारित कर दिया है। राष्ट्रपति महोदय ने भी इस विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है और इसे 15 मई, 2006 से लागू कर दिया गया है।

मंत्री महोदय ने उनके मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों के बारे में बैठक के दौरान सदस्यों से सुझाव मांगे ताकि अत्यंत छोटे, लघु और मझौले उद्यमों तथा कृषि और ग्रामीण उद्योगों के विकास के बारे में चलाए जा रहे कार्यक्रमों में तेजी लाई जा सके।

नयी डगर पर है लोकतंत्र

सानिया आफरीन

अब किसी महाकुंभ, किसी जलसा, किसी त्यौहार में भी लोगों की इतनी सक्रिय भागीदारी नहीं दिखती जितनी बिहार में हुए पंचायती चुनाव में देखने को मिली। जैसे–जैसे पंचायती चुनाव का खेल शुरू हुआ, ऐसे लगा जैसे 50 वर्षों से भी अधिक पुराना हमारा लोकतंत्र हर पैमाने पर अपने पूरे रंगत पर आ गया है। चुनावी महासमर की रनिंग कमेंट्री शुरू होने से पहले उसके शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष पर चर्चा शुरू होने लगी। और अगर गड़बड़ियों के बावजूद चुनावी लोकतंत्र मजबूत हुआ है तो जाहिर तौर पर इसमें अच्छे पहलू ज्यादा हैं। गरीब–गुरबों, कमजोर लोगों, कमजोर इलाके के लोगों का भरोसा नितरोज बढ़ा है। और नेता भी साला भर जो करते हैं उस पर चुनावी चिंता पहले से ज्यादा हावी रहती है। सारी सीमाओं और गिरावटों के बावजूद पंचायत चुनाव में कुछ चीजें बहुत साफ ढंग से दिखी।

बीते 27 वर्षों के दौरान बिहार में दूसरा पंचायती चुनाव संपन्न हुआ। सन् 2000 के चुनाव 23 वर्षों बाद हुए थे। लेकिन इस बार हुए पंचायती चुनाव में कई खास बातें देखने में आई। इस पंचायती चुनाव में 38 जिलों में करीब 5500 प्रत्याशी मैदान में उतरे। चुनाव को कुल 10 भागों में विभाजित किया गया। इसका पहला शिडयूल 2 मई को तय किया गया था, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की खामियों के कारण इसे 15 मई तक टाल दिया गया। और चुनावों की तारीखें 18, 21, 24, 27 व 30 मई के अलावा 2, 8 और 11 जून को कराये गए। करीब 721 बूथों को अति संवेदशनशील घोषित किया क्योंकि याहं से लगातार नक्सली धमकियां आ रही थीं। इस बार गांव–गांव में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। इसके बावजूद हिंसा भड़की, कई जानें गईं और सैकड़ों घायल भी हुए।

इस चुनाव की खास बात रही महिलाओं की 50 प्रतिशत की भागीदारी। महिलाओं के अलावा पिछड़ी जातियों को भी चुनाव में आरक्षण दिया गया। अब अगर आप यह सोचते हैं कि बिहार में औरतों की स्थिति काफी पिछड़ी हुई है तो आप गलत हैं क्योंकि यहां औरतें चुनाव प्रचार के लिए दिनभर घर से बाहर दिखी और उनके पति घर संभालते नजर आए।

चुनाव की प्रक्रिया शुरू होते ही लोगों में परेशानी व छटपटाहट पैदा हो गयी। इसका कारण यह था कि जो एकल पद स्वतंत्र थे, उनमें 68.5 प्रतिशत दलित, अत्यंत पिछड़ी जाति एवं महिलाओं के लिए सुरक्षित कर दिये गये। सामान्य पद भी 50 प्रतिशत से बढ़कर 68.5 प्रतिशत उन्हीं लोगों के लिए सुरक्षित हो चुके थे। जिन दलित, अत्यंत पिछड़ी जाति के पुरुष एवं विशेषकर महिलाओं ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनको चुनाव लड़ना है उन्हें भी चनावी दंगल में कूदना पड़ा या कूदने के लिए मजबूर होना पड़ा। पहले से चुने हुए प्रतिनिधि विशेषकर जो मुखिया, प्रमुख, उपप्रमुख, जिला परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष थे, इन पदों का स्वाद चख चुके थे। ऐसे लोगों ने अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए अपनी पत्नी या परिवार की अन्य महिला को चुनावी दंगल में उतारा।

नया पंचायती राज अपने अधिनियम के अनुसार काम करे इसके लिए लोहिया कर्पूरी इंस्टीटयूट ऑफ टेक्नॉलोजी फॉर सोशल चेंज, द्वारा निर्मित लोक पंचायत मंडल का गठन किया गया। अधिकतर उम्मीदवारों ने अपनी जीत पक्की करने के लिए तरह–तरह के तिकड़मों का सहारा लिया। धनबल, जातिबल का खुलेआम बोलबाला देखा गया जो स्वस्थ जनतांत्रिक प्रक्रिया के साथ क्रूर मजाक के सिवा कुछ नहीं था। स्वस्थ जनतांत्रिक सोच वाले व्यक्तियों के लिए यह एक पीड़ादायक घटना ही मानी जानी चाहिए। इन सबके बावजूद दलित, शोषित, महिला एवं कमजोर तबके में चेतना का जो विकास हुआ है वह जनतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत करने के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है। चुनाव में वार्ड से लेकर जिला परिषद तक में महिलाओं की बहार है। ऐसे माहौल में सबसे ज्यादा दुखी वे युवक दिखे जो अविवाहित हैं। शायद उन्हें इस बात का मलाल हो कि शादी हुई होती तो वे भी अपनी पत्नी को चुनाव में उतार पाते। चुनाव में आरक्षण के कारण जहां एक बड़े तबके में उदासीनता देखी गई वहीं कुछ दबंगों ने अपनी पत्नी, भाई की पत्नी, बहन एवं अपने खेत खलिहान में काम करने वाले मजदूर को चुनाव मैदान में उतारकर पंचायती की कुरसी पर कब्जा करने का प्रयास भी किया।

पंचायती राज में आम जनों की कठिनाइयां घटने के बजाय बढ़ी है क्योंकि पंचायत प्रतिनिधि पूरे पांच साल अपनी रोटी सेंकने में व्यस्त रहे। गांव की गलियों से लेकर गरीबों की हालत तक किसी भी स्तर पर सुधार नजर नहीं आ रहा है। मझौलिया की नौतन खुर्द पंचायत में मुखिया पद के लिए कुल 15 प्रत्याशी जीत के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इन सभी प्रत्याशियों में कुछ शिक्षित, कुछ साक्षर हैं और कुछ मुश्किल से अपना हस्ताक्षर करना जानते हैं। मतदाताओं का मन जब टटोलने की कोशिश की तो एक बात सामने आई कि मतदाताओं ने पूरी तरह शिक्षित प्रत्याशियों को ही अपनी पंचायत का मुखिया बनाने का निर्णय लिया। है।

चुनाव में दिखने वाली राजनैतिक बुराइयों का यह पहलू शायद सबसे प्रत्यक्ष और त्रासद है कि चुनाव में भले ही क्षेत्रीय और जातीय सूरमा इस बार सीना तानकर खड़े हों और पहले के किसी चुनाव से ज्यादा प्रभावी भूमिका रही हो, पर असलियत में इन सभी का व्यवहार कहीं से भी लोकतांत्रिक नहीं था। स्थानीय मुद्दों, कमजोर वर्गों, दलित आदिवासी महिला बेरोजगारों की ज्यादा सुनवाई चुनाव में होती है और नेताओं पार्टियों की बढ़ती विचारशून्यता, आदर्शहीनता के मद्देनजर तो यह लगने लगा है कि अगर चुनाव का खौफ न हो तो उन्हें गरीबों पिछड़ों को हिंद महासागर में डुबो देने में कोई झिझक न रहे।

(लेखिका पत्रकार हैं)

राजस्थान में पंचायती राज एवं महिला सशक्तिकरण

निर्मला सिंह

भारत गांवों का देश है। भारत की प्राचीन राजनैतिक संस्कृति के दर्शन हमें 'गांवों' तथा 'गांवों' की ग्रामीण संस्था, ग्राम पंचायतों में होते हैं। भारत के प्राचीन इतिहास की पृष्ठभूमि के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पंचायत एवं पंचायती राज की परम्परा भारतीय संस्कृति के मूल में विद्यमान रही है जो कि मनु के महान् ग्रन्थ 'मनुस्मृति' तथा कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' से लेकर मुगल काल तक अनवरत देखी जा सकती है। ब्रिटिश काल में केंद्रीय सरकार की प्रमुखता के कारण पंचायतें अवश्य राज व्यवस्था के हाशिये पर चली गयी थी, जिन्हें रिपन ने पुनर्जीवित किया।

स्वतन्त्रता के उपरान्त भारतीय संविधान में स्वन्तत्रता, समानता एवं न्याय को अत्यधिक महत्व देते हुए, लोकतांत्रिक जन सहभागिता को बढ़ावा दिया गया। जिससे महिला एवं पुरुषों में किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया गया। सहभागिता के आधार पर यह समानता सैद्धान्तिक ही रही। व्यावहारिक रूप में इसे तभी प्राप्त किया जा सकता था, जबकि महिलाओं की राजनीतिक संस्थाओं में सहभागिता को बढ़ाया जाता। इस कदम की शुरूआत भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के प्रथम स्तर पंचायत में महिलाओं की बराबरी की भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ हुई। इसके लिए 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास योजनाएं चलायी गयीं परन्तु जन जागृति एवं उत्साह के अभाव में यह कार्यक्रम जनजीवन की परिधि से बाहर ही रहे। इस जन सहयोग को बढ़ाने तथा प्रशासन में सीधी भागीदारी के लिए 2 अक्टूबर 1957 के बलवन्तराय मेहता समिति गठित की गयी। त्रिस्तरीय पंचायती राज की रूपरेखा तैयार कर लोकतन्त्र के निचले स्तर पर अधिक सहभागिता के रूप में नया अध्याय शुरू किया गया। इसे आगे बढ़ाने के लिए 1977 की अशोक मेहता समिति, 1985 की जी.वी. राव समिति, 1986 लक्ष्मीमल सिंघवी समिति तथा 1988 की पी.के. थुगन समिति ने योगदान दिया, परन्तु पंचायती राज एवं उसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का ठोस प्रयास 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा किया गया।

राजस्थान में पंचायती राज एक सूक्ष्म विवरण

राजस्थान जो कि अपने वर्तमान स्वरूप में 30 मार्च 1949 को भारतीय मानचित्र पर उभरा में 'पंचायत एवं पंचायती राज' भारत के समान गहरी जड़े रखते हैं, आहड़ एवं सरस्वती नदियों के किनारे पर पनपी संस्कृतियों का राजनीतिक जीवन हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ों के समान था। राजस्थान में वैदिक एवं उत्तरवैदिक काल में न केवल पंचायत वरन् ग्राम पंचायतों का महत्वपूर्ण स्थान था। आर्य संक्रमण के बाद यहां जनपदों का उदय हुआ, जिसमें भरतपुर, मत्स्य नगरी, शिव तथा अलवर की शाल्व जनपद प्रमुख थी। जिन्होंने पंचायतों के महत्व को बनाये रखा।

राजपुताना (राजस्थान का पूर्व नाम) में राजपूतों द्वारा ग्राम प्रशासन एवं जनपदीय शासन पर राज्य का नियन्त्रण स्थापित किया गया। 8वीं से 12वीं शताब्दी तक ग्राम प्रशासन का भार 'पंचकुल' नामक संस्था पर होता था जिसमें पांच या पांच से अधिक शिष्ट व्यक्ति होते थे तथा एक या दो राजकीय अधिकारी (कर्णिक) भी होते थे। पंचकुल के कार्य वर्तमान ग्राम पंचायत के समान भूमि विवादों तथा स्थानीय समस्याओं का निपटारा करना था। मुगलकाल में ग्राम पंचायतें और अधिक व्यवस्थित एवं संगठित हुईं जिनमें संघ, गोष्ठी, पंचकुल, पंचायत तथा जातीय पंचायतें प्रमुख स्थान रखती थीं। इनमें संघ– धार्मिक विवाद, गोष्ठीकुलीन वर्गीय विवाद, पंचकुल–सामाजिक एवं राजनीतिक संस्था थी जो भूमि, मार्ग तथा प्रशासन संबंधी अन्य विवाद सुलझाती थीं। पंचायत का प्रधान मुखिया होता था, जो इन सभी में सर्वोच्च होता था। पंचायतों में भी जातीय पंचायतें होती थीं जो जाति विशेष से संबंधित होती थीं, यह विवाह, जातीय झगड़ों का निपटारा करती थीं। राजस्थान के प्रत्येक गांव जातीय पंचायतों द्वारा अनुशासित थे। मुगलकाल के इस पंचायती राज को ब्रिटिश शासन में अवश्य धक्का लगा पर स्थानीय स्तर पर पंचायतों के प्रभाव के कारण यह जीवित रही।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त राजस्थान में नीति निर्देशक सिद्धान्तों के रूप में अनु. 40 को राज्य की नीतियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देशक माना गया, परन्तु पंचायतों का निश्चित संरचनात्मक स्वरूप तथा शक्तिसम्पन्नता न होने के कारण यह संस्थाएं प्रभावशाली नहीं रही। 2 अक्टूबर 1958 की बलवन्त राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान हो त्रिस्तरीय पंचायती राज को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य बना। इसमें पंचायती राज संस्थाओं में महिला भागीदारी की सिफारिश की गयी तथा प्रावधान किया गया तथा ग्राम पंचायत, पंचायत

समिति जिला परिषद में यदि महिला निर्वाचित न हो तो महिलाओं तथा बच्चों के कार्यों में रुचि रखने वाली महिलाओं को जोड़ा जा सकता है। इससे अनुभवी एवं योग्य महिलाएं सदस्य नहीं बन पाई। इस तरह महिला सशक्तिकरण आंशिक रूप में ही रहा है। महिलाओं को अवसर तो प्राप्त हुआ किन्तु महिलाओं की भागीदारी को संवैधानिक स्वरूप तथा शक्ति सम्पन्नता का व्यावहारिक धरातल 73वें संविधान संशोधन के आधार पर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के द्वारा प्रदान किया गया।

73वां संविधान तथा महिला सशक्तिकरण

पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ता एवं व्यावहारिकता देने के उद्देश्य से विभिन्न समितियों की सिफारिशें के मिलेजुले स्वरूप के आधार पर देश की पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने एवं एकरूपता लाने के दृष्टिकोण से भारत सरकार ने 73वां संविधान संशोधन 1992 में पारित किया। इसके तहत सभी राज्यों जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है, में त्रिस्तरीय संरचना वाली पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान रखा गया। इसी 73वें संवैधानिक संशोधन की अनुपालना में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 दिनांक 23.4.1994 को पारित किया गया। इस अधिनियम क अन्तर्गत पंचायती राज के प्रत्येक स्तर (जिला स्तर, खण्ड स्तर, ग्राम स्तर) पर सभी पदों के लिए महिलाओं का एक तिहाई आरक्षण सुनिश्चित किया गया। इसके द्वारा 33.33 प्रतिशत महिलाएं पंच, सरपंच, प्रधान तथा जिला प्रमुख का पद प्राप्त करने की अधिकारिणी बन गयी है। इस अधिनियम की अनुपालन में राजस्थान में तीन चुनाव प्राप्त (1995, 2000, 2005) हो चुके हैं। जिसमें महिलाओं के आरक्षित पदों की स्थिति निम्न प्रकार से है–

राजस्थान में महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की संख्या

पद महिलाओं के लिए	कुल पदों की संख्या	
वार्ड पंच	32000	96969
सरपंच	3058	9187
पंचायत समिति और जिला परिषद के सरपंच	1150	3480
जिला परिषद के सदस्य	79	237
जिला प्रमुख	10	32

राज्य सरकार ने अधिनियम बनाते समय समाज के कमजोर वर्गों की महिलाओं का भी आरक्षण निश्चित किया है। इन संसथाओं में महिलाओं का इतना अधिक प्रतिनिधित्व पंचायती राज्य के इतिहास में पहले नहीं था। महिलाओं के आरक्षण की इस व्यवस्था ने राजनैतिक रूप से इन्हें सशक्त किया है, जिससे इनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। आज राजस्थान जैसे परम्परागत सामाजिक संरचना तथा कम शिक्षित समाज में भी महिलाओं की आरक्षित सीट हेतु शिक्षित भावी राजनेत्री के लिए पुरुष वर्ग भी अपनी बहु एवं बेटियों को शिक्षित करने लगे हैं। इससे महिला शिक्षा का स्तर बढ़ेगा और शिक्षा के माध्यम से महिलाएं न केवल राजनीति के क्षेत्र में वरन् अन्य क्षेत्रों में भी, सशक्त होंगी। आज महिलाएं केवल दिखावे के लिए भागीदारी नहीं चाहती है वरन् इसके लिए सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में वास्तविक भागीदारी पर बल देती है। इस प्रकार राजनैतिक नेतृत्व, प्रशिक्षण, राजनीतिक शिक्षा, आर्थिक स्वतन्त्रता व्यक्तिगत स्वतन्त्रता द्वारा महिला अपने दायित्वों को पूरा करने में सफल एवं सशक्त होगी। महिलाएं अपनी शक्ति पहचान कर जनतन्त्र में सक्रिय रूप से भागीदार होकर सामाजिक पहचान बनायेगी।

निष्कर्षतः 73वें संविधान संशोधन द्वारा महिलाएं राजनीति में सक्रिय एवं सशक्त हुई हैं। इस दौरान अनेक क्षेत्रीय अनुभवपरक अध्ययन हुए जिनमें महिलाओं के प्रभावी एवं सक्षम प्रतिनिधित्व का मूल्यांकन किया गया है। अध्ययन न्यूनाधिक रूप से इस सत्य को स्वीकार करते हैं कि महिलाओं में क्षमता है यदि इन्हें उचित अवसर, कार्य की स्वतन्त्रता, समाज एवं परिवार में समानता तथा उचित स्थान प्रदान किया जाये।

अन्ततः यह कहना उचित होगा कि इस अधिनियम के तहत पंचायती राज के तीन चुनाव हो चुके हैं। इन संस्थाओं का चुनाव हाल ही (जनवरी–फरवरी 2005) हुआ है, इतने कम समय में महिला सशक्तिकरण कितना एवं किस दिशा में हुआ है ? का आंकलन तत्काल करना शीघ्रता होगा परन्तु यह स्पष्ट है कि महिलाएं अपने उत्तरदायित्वों का भली–भांति निर्वाह कर सकती है तथा समाज को भी नयी दिशा की ओर अग्रसर कर सकती है।

(लेखिका वनस्थली विद्यापीठ, टोंक (राज.) के राजनीत विज्ञान विभाग में वरिष्ठ प्रवक्ता हैं)

लेखकों से

कुरुक्षेत्र के लिए मौलिक, अप्रकाशित लेखों का स्वागत है। रचना दो प्रतियों में टाइप की हुई हो और उसके साथ मौलिकता का प्रमाण–पत्र संलग्न हो। **कुरुक्षेत्र** में साहित्यिक रचनाएं प्रकाशित नहीं की जाती हैं। अस्वीकृत रचना लौटाने के लिए कृपया डाक टिकट लगा और अपना पता लिखा लिफाफा लगाएं। लेख संपादक, **कुरुक्षेत्र** कमरा नं. 655/661, 'ए' विंग, गेट नं. 5, निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली–110011 के पते पर भेजें।

बिहार में पंचायती राज जनसहभागिता और पारदर्शिता

विजय रंजन दत्त

बिहार के वैशाली अंचल का 'ग्राम गणतंत्र' सहभागी लोकतंत्र की एक आदर्श प्रणाली था। वर्तमान लोकतंत्र को समृद्ध करने के लिए यह एक प्रेरणा स्रोत है। इस आलोक में ग्राम पंचायत के स्तर पर ग्राम सभा में आमजन की भागीदारी के महत्त्व को समझा जा सकता है। यह उल्लेखनीय है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 में पंचायतों को 'स्वशासन की इकाई' माना गया है। इस अवधारणा से यह परिलक्षित होता है कि सहभागिता स्वशासन का मुख्य आधार है और निर्णय प्रक्रिया में आम जन की भागीदारी को ग्राम सभा मूर्त्त रूप देती है। इस संदर्भ में गांधीजी की इस उक्ति को समझना होगा : "सच्ची लोकशाही केंद्र में बैठे हुए 10–12 आदमी नहीं चला सकते। वह तो नीचे से हर गांव के लोगों द्वारा चलायी जानी चाहिए।" आमजन में ऐसी चेतना के उदय से ही पंचायत के क्रियाकलाप में उनकी भागीदारी बढ़ेगी और तदुपरान्त गांव स्वालम्बी, आत्मनिर्भर और मजबूत होगा।

आमजन की भागीदारी इस बात पर निर्भर करती है कि संविधान के 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों के अनुरूप किस सीमा तक शक्ति और संसाधन प्रदान किया जा रहा है जिससे कि पंचायती राज संस्थाएं 'स्वशासन की इकाई' के रूप में कार्य करने में सक्षम हो सके। 2001 में बिहार में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के बाद राज्य द्वारा शक्ति और संसाधन प्रदान करने की गति धीमी थी। नतीजतन, परिदृश्य यह बना कि एक तरफ पंचायतों के नवनिर्वाचित अध्यक्षों और सदस्यों द्वारा पर्याप्त अधिकार एवं संसाधन प्रदान करने की जोरदार मांग थी और दूसरी तरफ पटना उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिकाओं के फैसलों के तहत संविधान और बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुरूप पर्याप्त स्वायत्तता देने का हर बार निदेश। यह पंचायती राज के माध्यम से ग्रामीण विकास और जनसहभागिता को नयी गति देने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम था।

ग्राम सभा लोकतंत्र की आधारशिला

गौरतलब है कि पंचायत स्तर पर ग्राम सभा में जनसहभागिता लोकतंत्र की आधारशिला है। इससे विकास कार्य में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार की गुंजाइश घटेगी। जनसहभागिता के लिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 में ग्राम सभा के गठन के बारे में एक संक्षिप्त प्रावधान का उल्लेख है। संवैधानिक मान्यता प्राप्त होने से ग्रम सभा की बैठकों को अब टाला नहीं जा सकता है। बिहार, असम और मध्य प्रदेश के पंचायती राज अधिनियमों के अनुसार साल में चार बार ग्राम सभा की बैठक बुलाने का प्रावधान है। तमिलनाडु में ग्राम सभा की बैठक साल में तीन बार आहूत की जाती है। अधिकांश राज्यों में ग्राम सभा की बैठक साल में दो बार बुलाये जाने का प्रावधान है। ग्राम सभा की बैठक में मुखिया को ग्राम पंचायत के कार्यों का विवरण प्रस्तुत करना पड़ता है। चर्चा की प्रक्रिया से पारदर्शिता और जिम्मेदारी परिलक्षित होती है। किन्तु बिहार के पंचायती राज में यह कमी है कि ग्राम सभा के सुझावों और संस्तुतियों को अमल में लाने के लिए मुखिया और कार्यकारिणी पर कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। अधिनियम का प्रावधान मात्र यह इंगित करता है कि पंचायत कार्यकारिणी ग्राम सभा के सुझावों पर विचार करेगा। यह कमी अन्य राज्यों के पंचायत अधिनियमों में भी है। सिर्फ केरल के पंचायती अधिनियम में यह प्रावधान है कि ग्राम सभा के सुझावों और संस्तुतियों को नहीं मानने पर ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रधान या मुखिया को ग्राम सभा की आगामी बैठक में इसके कारण को बताना होगा। केरल के इस प्रावधान को बिहार के पंचायत अधिनियम में संशोधन द्वारा जोड़ने से ग्राम सभा में जनसहभागिता बढ़ेगी।

73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने ग्राम सभा को संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया है। इसका संक्षिप्त उल्लेख अधिनियम के अनुच्छेद 243 क में निम्नलिखित है : "ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निवहन कर सकेगी जो राज्य के विधान मंडल द्वारा, विधि द्वारा उपबंधित किया जाय।" संविधान के इस अनुच्छेद से जाहिर है कि ग्राम सभा कैसे काय करे, इसकी जिम्मेदारी राज्य के विधान मंडल को दी गयी है जो अपने अधिनियम द्वारा इसका उल्लेख करता है। बिहार पंचायत राज अधिनियम, 1993 ने ग्राम सभा को सशक्त बनाने के लिए इसके कार्यों से संबंधित एक संक्षिप्त सूची का ब्यौरा दिया है। साथ ही साथ नियमित रूप से इसकी बैठकों का भी प्रावधान रखा गया

है। किन्तु ग्राम पंचायत के स्तर पर इसकी नियमित बैठकें होती है या नहीं, इस संबंध में जिलेवार कोई प्रामाणिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं होती है। इस कार्य को हर जिले का जिला पंचायत अधिकारी सही ढंग से कर सकता है। गांव के आम आदमी की ग्राम सभा में उपस्थिति और भागीदारी बढ़े, इस लोकतांत्रिक कार्य का शीर्ष नेतृत्व द्वारा अभी तक सही पहल नहीं हुआ है। राज्य के जनसंपर्क विभाग द्वारा भी संचार माध्यम से या पुस्तिका के रूप में ग्राम सभा के महत्त्व को प्रसारित नहीं किया गया है। नतीजतन, ग्राम सभा लोकतंत्र की आधारशिला नहीं बन पायी है। वस्तुस्थिति यह है कि आम आदमी द्वारा यह मांग नहीं उठती है कि पंचायत कानून के अनुरूप नियमित रूप से ग्राम सभा की बैठकों को संचालित किया जाय। यह देखना होगा कि ग्राम सभा में लोगों की उपस्थिति की बात दस्तखत या अंगूठे के छाप से सही ढंग से रजिस्टर में दर्ज किया जाय। इन बातों का पुख्ता प्रबंध करना होगा जिससे यह शिकायत दूर हो सके कि बैठक की सूचना ठीक समय पर नहीं दी जाती है और पंचायत रजिस्टर में फर्जी दस्तखत दर्ज किया जाता है। इस दिशा में ग्राम पंचायत के निर्वाचित मुखिया की निष्ठा और ईमानदारी आवश्यक है।

निगरानी समिति और जन सहभागिता

जनसहभागिता सिर्फ ग्राम सभा की बैठक में पंचायत के क्रियाकलाप पर चर्चा तक सीमित नहीं है। बिहार के पंचायत राज कानून में इसे व्यापक रूप देने का प्रयास किया गया है। पंचायत कानून में एक या एक से अधिक निगरानी समिति गठित करने का प्रावधान है। निगरानी समिति के सदस्य पंचायत कार्यकारिणी से नहीं लिए जाते हैं। और, निगरानी समिति के गठन का अधिकार भी पंचायत कार्यकारिणी को नहीं सौंपा गया है। लोकतंत्र की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है कि ग्राम सभा ही इन निगरानी समिति/समितियों का गठन करेगी और आम ग्रामीण जन से इसके सदस्यों को लिया जाएगा। निगरानी समिति ग्राम पंचायत के कार्य, योजनाओं और अन्य गतिविधियों की देख–रेख करेगी। इस समिति की रपट ग्राम सभा की बैठक में विचारार्थ रखी जाएगी। इस तरह निगरानी समिति/समितियों के गठन और क्रियाकलाप से आम जन की ग्राम सभा में भागीदारी बढ़ेगी।

श्रमदान सहभागिता का आयाम

स्थानीय संसाधन के आधार पर ग्रामीण विकास के किसी कार्यक्रम के संचालन के लिए आम आदमी द्वारा दिया गया श्रमदान, चंदा (नगद) या वस्तु जनसहभागिता का एक महत्त्वपूर्ण आयाम है। यह ग्राम स्वावलंबन का द्योतक भी है। जी.वी.के. राव समिति की रपट (ग्रामीण विकास एवं गरीबी निराकरण के कार्यक्रम की वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा समिति की रपट, 1985) में भी यह उल्लेख किया गया है कि विकास कार्यों में गांव के लोगों का स्वैच्छिक सहयोग स्वावलंबन की दिशा में पहला कदम होगा। इस रपट के अनुसार तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंत तक सामुदायिक विकास कार्यक्रम में नकद, वस्तुओं और सेवाओं के रूप में आम जन का स्वैच्छिक योगदान लगभग 100 करोड़ रुपये के बराबर अनुमानित किया गया था। बाद में स्वैच्छिक योगदान को बहुत कम महत्व दिया गया। यह महत्वपूर्ण है कि बिहार और ज्यादातर राज्यों के अधिनियमों में ऐसा प्रावधान है कि ग्राम सभा विकास के किसी कार्यक्रम के संचालन के लिए ग्रामीण जन के श्रमदान को प्राप्त करेगा। यह उल्लेखनीय है कि केरल में नौवीं पंचवर्षीय योजना के तहत ग्राम योजना बनाने की प्रक्रिया में आम आदमी की भागीदारी के लिए एक जन अभियान चलाया गया था। इसका एक अच्छा परिणाम यह हुआ कि आम आदमी विकास के कार्यक्रम में श्रमदान के लिए स्वयं अग्रसर हुए। केरल योजना बोर्ड के एक विश्लेषण में ऐसा अनुमान लगाया गया था कि केरल राज्य द्वारा प्रदत्त कुल वित्तीय सहायता का 20 प्रतिशत अंश लोगों के श्रम एवं अन्य दान से प्राप्त हुआ था। जाहिर है कि श्रमदान को एक अभियान के रूप में चलाए जाने से पंचायती राज के क्रियाकलाप में जनसहभागिता बढ़ेगी। बिहार के अधिनियम में विकास के कार्यक्रम के संचालन हेतु श्रमदान प्राप्त करने के प्रावधान के बावजूद इस क्षेत्र में नेतृत्व द्वारा कोई प्रयास नहीं हुआ है। कुछ समाचार–पत्रों के अनुसार बिहार के एक–दो क्षेत्रों में इसका सफल प्रयास हुआ है किन्तु यह नगण्य है। यदि पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों द्वारा इसका प्रयोग किया जाय तो जन समर्थन मिल सकता है।

दलित और महिलाओं की भागीदारी

पंचायती राज में जनसहभागिता के विस्तार के परिप्रेक्ष्य में यह ध्यान देने की बात है कि बिहार में 23 साल बाद हुए अप्रैल 2001 में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में दलित और महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ी है। बिहार में दलितों की आबादी 16 प्रतिशत है। अतः उसी अनुपात में दलितों के लिए पंचायत के तीन स्तरों (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद) में 16 प्रतिशत सीटें आरक्षित थी। पंचायती राज के हर स्तर पर सदस्यता हेतु महिलाओं के लिए भी 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित थी। इन वर्गों के सदस्यों की संख्या बढ़ने से इसका प्रभाव ग्राम सभा पर पड़ेगा और इसके क्रियाकलाप में गांव के आम दलितों और महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी।

निम्नलिखित तालिका में दिए गए आंकड़ों से 2001 में बिहार के पंचायत चुनाव में आरक्षित सीट पर दलित वर्ग से चुने गए प्रतिनिधियों की संख्या ज्ञात होगी।

सदस्यों की श्रेणी सदस्यों की संख्या	कुल सदस्य महिला सदस्य	दलितों के लिए आरक्षित कुल	कुल सदस्यों में दलित
ग्राम पंचायत सदस्य	106029	18650	8515
पंचायत समिति सदस्य	11611	1859	685
जिला परिषद सदस्य	1162	187	62

स्रोत : प्रसन्न कुमार चौधरी और श्रीकान्त, बिहार में दलित आंदोलन, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली 2005, पृष्ठ–304

बिहार पंचायत चुनाव 2001

पटना उच्च न्यायालय के एक अन्तरिम फैसले के तहत बहार में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में पदाधिकारियों (ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति के ब्लाक प्रमुख और जिला परिषद के अध्यक्ष) के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। अतः पदाधिकारियें में दलितों का प्रतिनिधित्व बहुत कम था। बिहार में मुखिया के कुल 8471 पद थे जिनमें दलित मुखिया की संख्या सिर्फ 143 (1.7 प्रतिशत) थी जो आरक्षण के प्रावधान के बिना निर्वाचित हुए थे। पंचायत समिति में कुल 529 ब्लाक प्रमुखों के पदों में दलित प्रमुख की संख्या मात्र 36 (7.14 प्रतिशत) थी जो बिना आरक्षण के निर्वाचित हुए थे। कुल 38 जिला परिषद अध्यक्ष पदों में किसी पर भी दलित नहीं थे। यदि पदाधिकारियों के पद आरक्षित होते तो दलितों की संख्या का अधिक होना निश्चित था। ग्राम पंचायत स्तर पर बिना आरक्षण के 143 दलित मुखिया का निर्वाचित होना सहभागिता के विस्तार की दृष्टि से प्रगति और सामाजिक बदलाव का द्योतक था। बिहार में पहले के पंचायत चुनाव में दलित मुख्या की संख्या बहुत कम थी जो निम्नलिखित है: 1952 के पंचायत चुनाव में दलित मुख्या – 1; 1960 के पंचायत चुनाव में दलित मुखिया – 2; और 1978 के पंचायत चुनाव में दलित मुख्या की संख्या – 6 थी।

बिहार में 2001 के पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में कुल 4,36,262 उम्मीदवार खड़े थे, जिनमें एक लाख से अधिक संख्या महिला उम्मीदवारों की थी। ग्राम पंचायत के स्तर पर 35.65 प्रतिशत महिला उम्मीदवार सदस्यों के रूप में विजयी हुई। इनके चुने जाने से लोकतंत्र में 'पुरुष–स्त्री' भेद कम होगा। आंकड़ों के अनुसार मुखिया पद का आरक्षण नहीं होने के बावजूद कुल 8,471 में से 78 ग्राम पंचायतों में मुखिया पद पर महिलाएं निर्वाचित हुई। अतः महिला प्रतिनिधियों के नेतृत्व से ग्रामीण महिलाओं में जागरूकता बढ़ी है। फलस्वरूप, ग्राम सभा में भी गांव की आम महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी।

सूचना का अधिकार एवं पंचायतों में पारदर्शिता और जिम्मेदारी

पंचायतों के क्रियाकलाप में पारदर्शिता और विकास के कार्यों के प्रति जिम्मेदारी हेतु आम आदमी को सूचना का अधिकार मिलना लोकतंत्र की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। भारतीय संसद द्वारा 2005 में पारित सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर, 2005 को लागू हो गया है। इस अधिनियम का क्षेत्राधिकार जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे देश में है। ध्यान देने की बात है कि भारत के नवनियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला ने नवंबर, 2005 में *हिन्दू दैनिक* पत्र और दूरदर्शन न्यूज में दिए गए अलग–अलग साक्षात्कार में स्पष्ट कहा था कि उनका यह प्रयास होगा कि पंचायती राज संस्थाओं के क्रियाकलाप में भी पारदर्शिता और जिम्मेदारी हेतु उपरोक्त अधिनियम कारगर ढंग से लागू हो। यदि पंचायत स्तर पर आम आदमी इस अधिनियम का प्रयोग करता है तो इसका व्यापक प्रसार होगा और यह कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं रहेगा। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त ने अपने साक्षात्कार में यह भी कहा था कि प्रारंभ में जन जागरण से आम आदमी सूचना के अधिकार के प्रावधानों के महत्व को समझ सकता है और तदुपरान्त इसका वह प्रयोग कर पाएगा। इस दिशा में गैर–सरकारी संस्थाएं और मीडिया की अहम भूमिका होगी। उल्लेखनीय है कि सूचना के अधिकार की प्राप्ति के लिए राजस्थान में अरूणा राय मजदूर किसान शक्ति संगठन के माध्यम से विगत कई वर्षों से कार्यरत थी। सूचना के अधिकार हेतु इस संगठन ने आमजन को जागरूक किया। इस अभियान के फलस्वरूप राजस्थान सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम बनाया जो 26 जनवरी, 2001 से राज्य में लागू हुआ था। आम जन के बीच सूचना के अधिकार के प्रसार की दिशा में मजदूर किसान शक्ति संगठन एक मॉडल है। संसद द्वारा पारित सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत कई राज्यों (जैसे हरियाणा और उतरांचल) में राज्य स्तर पर सूचना आयुक्त की नियुक्ति हो चुकी है। बिहार ने राज्य के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम नहीं बनाया है। किन्तु संसद द्वारा पारित सूचना का अधिकार अधिनियम 12 दिसंबर 2005 से बिहार में लागू हो गया है और इसकी घोषणा राज्य सरकार द्वारा हो गयी है। इसके तहत सरकार के किसी विभाग की योजना या अन्य किसी तरह की जानकारी हर नागरिक को मिल सकती है। सूचना की जानकारी दिये जाने हेतु मुख्यालय से लेकर प्रमंडलीय जिलों, अनुमंडलों, प्रखंडों तथा अंचलों में सूचना अधिकारियों को नामित करने का आदेश दिया गया है। यह सूचना अधिक से अधिक 30 दिनों के अंतर्गत उपलब्ध कराना है। इस अवधि में यदि सूचना अधिकारी सूचना उपलब्ध नहीं कराते हैं तो उन्हें 250 रु. से 2500 रु. तक जुर्माना हो सकता है। उन्हें जुर्माने के साथ निलंबित भी किया जा सकता है। इन पदाधिकारियों की नियुक्ति के पश्चात बिहार में सूचना के अधिकार का धीरे–धीरे ग्राम स्तर पर प्रसार होगा। और इससे पंचायती राज संस्थाओं के क्रियाकलाप में जनसहभागिता, पारदर्शिता और जम्मेदारी की भावना बढ़ेगी।

निष्कर्ष

यह नितांत आवश्यक है कि जनसहभागिता, पारदर्शिता और जिम्मेदारी के उपरोक्त बिंदुओं को सही दिशा देने के लिए पंचायती राज को एक रचनात्मक आंदोलन से जोड़ा जाय। यह उल्लेखनीय है कि गांधीवादी चिंतकों ने सहभागी लोकतंत्र की दृष्टि से पंचायती राज को एक जन आंदोलन के रूप में प्रस्तुत किया है। भारत की 70 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है और इसीलिए ग्रामीण विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के क्रियाकलाप को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। केंद्र और राज्य सरकार को इन संस्थाओं के योगदान पर बल देना होगा। आज पंचायती राज के क्रियाकलाप में युवाशक्ति के माध्यम से व्यापक जनसहभागिता को विकास कार्यों से जोड़ना सहज होगा। इस पहल से बिहार की युवाशक्ति का पलायन भी कम होगा। पंचायती राज के कार्यों में जन सहभागिता, पारदर्शिता और जिम्मेदारी को बढ़ाने के लिए बुद्धिजीवी वर्ग, गैर–सरकारी संगठन और मीडिया की अहम भूमिका होगी।

(लेखक गांधियन इंस्टीट्यूट आफ स्टडीज, वाराणसी के राजनीति विज्ञान के पूर्व रीडर, स्वतंत्र लेखक हैं)

पंचायती राज कार्यशाला–एक लेखा-जोखा

वेद प्रकाश अरोड़ा

जाने–माने लेखकों और विचारकों ने स्थानीय प्रशासन और पंचायती राज के विभिन्न विषयों और पहलुओं पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यशाला में अपने–अपने विचार व्यक्त किए या फिर अपने लेख पढ़कर सुनाए। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा आयोजित इस मंथनपूर्ण और विचारोत्तेजक कार्यशाला के तेरह सत्र हुए और इस में 120 से अधिक बक्ताओं ने पंचायती राज के तेरह आयामों पर अपने कड़वे–मीठे अनुभवों को वाणी दी विषय थे: (1) पंचायती राज का विहंगावलोकन (2) पंचायती राज में हस्तांतरण के मुद्दे (3) प्रशासनिक मुद्दे, सूचना का अधिकार और पंचायती राज (4) पंचायती राज संस्थाओं में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण (5) अर्थव्यवस्था, कारोबार, और पंचायती राज सस्थाएं (6) पंचायती राज और महिलाएं (7) पंचायती राज में आजीविका सुरक्षा, भूमि मामले ओर कृषि (8) पंचायती राज में जनजातीय मामले दलित और सीमांत समुदाय (9) नागर समाज, समानंतर–संस्थाएं और पंचायती राज (10) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी और पंचायती राज (11) परम्परागत संस्थाएं और पंचायती राज (12) पंचायती राज में राज्य से जुड़े मामले (13) पंचायती राज के अन्य मामले।

कार्यशाला में संयुक्त राष्ट्र के सहायक महासचिव हाफिज पाशा, भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निदेशक माईकल कार्टर, विख्यात कार्यकत्री सुश्री अरुणा राय पूर्व केंद्रीय मंत्री योगेंद्र के. अलग, अर्थशास्त्री एल.सी. जैन और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान के श्री के, सिहं जैसे शिक्षाविदों, सक्रिय कायकर्ताओं और पंचायती राज तथा ग्रामीण मामलों के अनेक विशेषज्ञों ने पंचायतों के महत्व पंचायती राज की भूमिका, योगदान, इतिहास, कार्यकलापों, कठिनाइयों, सुधारों और प्रशिक्षण के संबंध में मूल्यवान सुझाव प्रस्तुत किए। पंचायती राज मंत्री श्री मणिशंकर अय्यर ने निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के क्षमता–निर्माण और प्रशिक्षण पर नीति–निर्धरण के लिए श्री ए.के. सिंह की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का घोषणा की उन्होंने सम्मेलन की कार्रवाई का श्रीगणेश करते हुए कहा कि यह पहला मौका है जब विज्ञान भवन में आयोजित इस सम्मेलन के हॉल में बैठे लोग विभिन्न आयायों पर अपनी बात कहेगें और सामने बैठे श्रोता उन की बाते सुनेगें।

कार्यशाला के समापन भाषण में पंचायती राज मंत्री ने पंचायती राज के आरंभ से अब तक के ऊंच–नीच भरे सफर और उसके विभिन्न पड़ावों, व्यवधानों और ठहरावों प्रकाश डाला उन्होंने कहा कि विभिन्न बक्ताओं द्वारा व्यक्त विचारों से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। यह सीख उन्हें अपने कार्यकाल में मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगी और सही राह पर आगे बढ़ने में सहायक होगी। श्री मणिशंकर अय्यर ने अतीत की यादों को ताजा करते हुए बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1959 में गांधी जयंती के अवसर पर राजस्थान के नागौर में दीप जलाकर पंचायती राज का उद्घाटन किया था। पंचायती राज मंत्री ने बताया कि जब वे 1985 में प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव थे उन्होंने दूरदराज की झुग्गी–झौपडियों और मुलाकातों के दौरान यह महसूस किया कि महज प्रबंधकों को बदल देने से जवाबदेह प्रशांसन स्थापित नहीं हो सकता। इसके लिए जरूरी है कि सिस्टम–व्यवस्था में बदलाव लाया जाए। यह बदलाव तभी लाया जा सकता है जब यह समझ लिया जाए कि जवाबदेह प्रशासन को एक जिमेदार प्रशासन बनना होगा और जिम्मेदार प्रशासन तभी कायम हो सकता है जब वह प्रतिनिधि प्रशासन है इस सोच के साथ पंचायती राज को संवैधानिक परिधान ओढ़ाने की खोज शुरू हुई तभी यह महसूस किया गया कि संविधान निर्माताओं द्वारा तैयार संविधान की इस कमी को दूर किया जाए। राजीव गांधी का विचार था कि विश्व का सबसे बडा लोकतंत्र विश्व का सब से कम प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र है। तब 64 वें और 65 वे संशोधनों में राजीव की अवधारण को भूर्तरूप देने का प्रयास आरंभ हुआ। लेकिन न सशोधन हो सके और न चुनाव में विजय मिल सकी।

1992 में संयुक्त संसदीय समिति द्वारा संशोधन के प्रारूप की पूरी तरह जांच–पड़ताल किए जाने के बाद संसद ने 73 वे और 74 वे संशोधनों को पारित कर कानून बना दिया। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद इन्हें क्रमशः अप्रैल और मई 1993 में संविधान के भाग नौ और नौ ए के रूप में गजट में प्रकाशित कर दिया गया। तब मैं कांग्रेस पार्टी के पंचायती राज अभियान प्रमुख के पद पर काम कर रहा था। दो वर्ष पहले देश का पहला पंचायती राज मंत्री नियुक्त होने से पूर्व मैंने प्रत्येक राज्य और केद्रं शासित प्रदेश में 40 कांग्रेस सम्मेलन आयोजित किए। लेकिन 50 वर्षों से अधिक समय तक पंचायती राज से जुड़े रहने के बावजूद अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है।

इस कार्यशाला ने पंचायती राज को राज्य चुनाव आयोग राज्य वित्त आयोग और जिला–आयोजन समिति की एक ऐसी त्रिमूर्ति के रूप में खूबसूरती के साथ पेश किया है जो अधिकार प्राप्त ग्राम पंचायत, राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी कार्यक्रम और सूचना अधिकार कानून के त्रिशूल को ऊंचा उठाए हुए है। लेकिन जहां हिंदू मिथक शास्त्रों में त्रिमूर्ति और त्रिशूल को सर्व समादेशकारी देवत्व का प्रतीक बताया गया है, वहां पंचायती राज के चार सिर वाले राक्षस का पहचान, राजनीतिक संकल्प विहीन राजनेताओं, नौकरशाहों, जमीदारों और उच्च वर्गों तथा ठेकेदारों और उन के साथियों के रूप में की गई है। इसलिए यह परिभाषित करना निहायत जरूरी है कि सविंधान में लिखता इन शब्दों 'स्वशासन की इकाइयॉं' और 'स्वशासन की संस्थाओं' का सही मतलब क्या है। हमारे एक प्रतिष्ठित प्रतिभागी ने सुझाया है कि त्रिमूर्ति और त्रिशूल के सर्वसमावेशकारी देवत्व की प्रतिष्ठा के लिए जरूरी है कि पंचायती राज मंत्रालय की भूमिका भी सर्वग्रही हो ताकि दूसरे दौर के प्रशासनिक सुधार लाए और लागू किए जा सकें, क्योंकि ऐसा किए बिना पहले दौर के आर्थिक लाभ लोगों तक नही पहुंच पायेंगे।

हालांकि मै इस मांग से सहमत नहीं हूं कि मेरे मंत्रालय को एक महामंत्रालय बना दिया जाए, लेकिन मै इस बात से सहमत हूं कि पंचायती राज एक और केंद्र प्रायोजित स्कीम नहीं है, यह प्रशासन का तीसरा स्तंभ है, जिसे ग्रामीण भारत की समूची प्रशासनिक प्रक्रिया में स्थान मिलना चाहिए। पंचायती राज तभी अपना मुकाम बना सकेगा जब जिले शब्द का उल्लेख होने पर कलक्टर या उसके कार्मिको की फौज की नहीं, बल्कि जिला परिषद अध्यक्ष और उसके उन पंचायती राज प्रतिनिधियों की तस्वीर उभर कर सामने आजाए, जिन्हें लोगों ने चुना हो और जो लोगों के प्रति जयाबंदेह हो जवाबदेंह वही लोग होते हैं, जो जनता के प्रति जिम्मेदार होते हैं तथा जनता के प्रति जिम्मेदार वे ही लोग होते है जो उनके प्रतिनिधि हों। संक्षेप में, मैं राजीव गांधी के इस संघर्ष–घोष को फिर बुलंद करता हूं कि अधिकतम लोकतंत्र के जरिए अधिकतम हस्तांतरण लाओ और जनता को अधिकार दो।

हम ने पंचायती राज के नकारात्मक चेहरे को भी देखा–सुना है, जो कि कुछ राज्यों में पंचायत राज चुनावों में उभर कर सामने आया है। अब तक शांति से जीवन बिता रहे ग्रामीण समुदायों में छोटी–छोटी बातों पर तनाव उत्पन्न होता है और बढ़ जाता है। नीचे के नौकरशाहों और पंचायतों के निर्वचित अध्यक्षों के बीच अपवित्र सा गठबंधन बन गया है और भ्रष्टाचार विकेंद्रित हो नीचे के स्तरों तक पहुंच गया है। जोरदार शब्दों में बताया गया कि जो झगडे पहले पंचायतों में निपटा लिए जाते थे, अब पुलिस थानों में हल किए जाते है। पंचायतें, ब्लाक विकास अधिकारी–बीडीओं कार्यालय की एजेंट बनकर रह गई हैं और लोग उन्हें सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए महज अपनी जाति का प्रमाण पत्र लेने की संस्थाएं मानते हैं। इस पर मेरा जवाब है कि मैं भ्रष्टाचार के विकेंद्रीकरण के विरुद्ध ही नहीं हूं, बल्कि मैं तो भ्रष्टाचार के ही खिलाफ हूं। यहां की कार्रवाई से मेरे इस विश्वास को बल मिला है कि हमारे गोलमेज सम्मेलनों खासकर पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकलापों में पारदर्शिता से जुड़े सम्मेलनों के निष्कर्ष, ग्रामसभाओं की सक्रियता, सामाजिक लेखा परीक्षण के साथ–साथ औपचारिक लेखा परीक्षण और प्रतिभागियों द्वारा इन सब में सुझाए गए सुधार ही सब से नीचे के स्तर पर बहता और स्वच्छ प्रशासन लाने का एकमात्र उपाय हैं। समाधान यह नहीं कि पंचायती राज सस्थाओं को खत्म कर दिया जाए और ग्रामीणों को स्थानीय नौकरशाही प्रशासन में सत्ता के दलालों और उनके पिठ्ठुओं की दया पर छोड दिया जाए। हमें पंचायती राज नहीं, बेहतर पंचायती राज चाहिए।

जिन राज्यों में कानून और व्यवस्था के क्षेत्र का बेहतर प्रशासन है, वहां बहतर पंचायती राज है। लेकिन जहां राज्य स्तर की राजनीति में बाहुबल राज और धन बल राज को बढावा दिया है, वहां अच्छा पंचायती राज नहीं हो सकता साथ ही जब मजबूत गैर–सरकारी संगठन एन. जी.ओ. मजबूत पंचायती राज संस्थाओं का समर्थन करते हैं और उनका स्थान नहीं लेते वहीं भी पंचायती राज संस्थाओं को समाज का सब से अधिक समर्थन प्राप्त होता है।

कार्यशाला से मुझे एक सीख यह भी मिली है कि नौकरशाही और पंचायती राज संस्थाओं के बीच संबंधों को बिगाड़ने से नहीं, बल्कि इन्हें लाभकारी बताने से सब से निचले स्तर परी अच्छा प्रशासन सुनिचित हो सकता है।

इस कार्यशाला में उठाए गए दो अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करने की आवश्यकता है। पहला यह कि राज्यों में पंचायती राज सस्थाओं और पंचायती राज व्यवस्था के कार्यों में भिन्नता देखते हुए क्या पंचायती राज के क्रियान्चयन में प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक ही मानदण्ड रखा जाय या फिर अधिक विविधा और लचीलेपन को स्थान दिया जाए। मैंने यह बीच का रास्ता सुझाया है कि सात गोलमेज सम्मेलनों के निष्कर्षो के सार संग्रह में दिए गए राष्ट्रीय स्तर के मानदण्डों का, मेरे राज्यों के दौरों के बाद मुख्य विषयों के साथ किए गए निर्णयों के साथ तालमेल बिठा दिया जाए। पंचायती राज को पूरी तरह प्रभावी बनाने के लिए कम से कम पच्चीस वर्ष लग जायेगे। भाग दस और भाग दस–ए के गजट में प्रकाशन के तेरह वर्षो बाद आज हम पंचायती राज क्रांति के मध्यस्थल पर पहुंच गए है। झारखंड को छोड़ अन्य सभी राज्यों में आज लगभग ढाई लाख निर्वाचित पंचायती राज सस्थाओं और शहरी स्थानीय संस्थाओं के लगभग 32 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। इन में अनुसूचित जातियों

और अनुसूचित जनजातियों (तथा अनेक राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्गो) को आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्राप्त है। सुखद आश्चर्य यह है कि पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में 12 लाख से अधिक महिलाएं चुनी गई हैं। यह संख्या ग्रामीण भारत में मात्र 33 प्रतिशत आरक्षण की तुलना में 40 प्रतिशत से भी अधिक है राजनीतिक और सामाजिक आधिकरिता का यह इतना बड़ा क्षेत्र है कि विश्व में न तो इसकी कोई तुलना हो सकती है और न इतिहास में कोई मिसाल ही है।

भारत के गणतंत्र घोषित किए जाने के बाद यह उसकी अकेली सब से बड़ी उपलब्धि है। मध्य वर्ग परक और शहर केंद्रित मीडिया ने इस विशाल परिवर्तन को एक मूक और शांतिपूर्ण क्रांति का नाम दिया है। इस कार्यशाला ने स्थानीय संचार नीति तैयार करने की आवश्यकता पर जोर दिया है कि पंचायती राज की पूरी जानकारी न सिर्फ आम लोगों को बल्कि स्वयं निर्वाचित प्रतिनिधियों को भी मिल सके, जिनमें से बहुत से प्रतिनिधियों को या तो इस की बिल्कुल जानकारी नहीं होती और अगर होती भी है, तो न के बराबर। आर्थिक दृष्टि से अत्यंत पिछड़े एक राज्य ने पिछले दस वर्षो में पंचायती राज के सारे परिपत्र ठेठ अंग्रेजी में जारी किए हैं। इससे उसके सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को पंचायती राज की गतिविधियों के बारे में काफी हद तक अंधेरे में रखा गया है। दूसरी तरफ पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार सम्पन्न बनाने के लिए अभी बहुत कुछ प्रतिनिधियों ने शॉर्ट–कट के रूप में यह सिफारिश की है कि अड़ियल राज्यों पर पूरी तरह पंचायती राज लागू करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाए। लेकिन यह संभव नहीं है क्योंकि पंचायती राज शत–प्रतिशत राज्यों का विषय है। हमें इसे समवर्ती सूची में शामिल करने के लिए न तो समय बर्बाद करना चाहिए और न सदभाव के वातावरण को खत्म करना चाहिए। हमें इस काम में सफलता नहीं मिलेगी लेकिन मुझे इस बात में विश्वास है कि हम इस कार्य में सामूहिक और दिपक्षीय गहन बातचीत के जरिए कामयाब हो सकते हैं। भले ही हमारी चाल कुछए की तरह मंथर हो, लेकिन जैसी कि दंतकथा है हम खरगोश से आगे निकल का लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे।

इस ओर ध्यान दिलाया गया है कि हमारी व्यवस्था में तीन कमियां हैं जैसे प्रतिनिधत्व को गणित की तर्ज पर सीमित रखना, पंचायती राज के लिए बहुमत की कमी होना और प्रबंधन की श्रेणीबद्ध प्रणाली के विभिन्न स्तरों के बीच विवेक सम्मत राजनीतिक संबधों की कमी होना। परिणाम यह हुआ है कि पंचायतें सहभागिता की बजाए प्रश्रय का माध्यम बन गई हैं। मेरे विचार में इस का जवाब दो अन्य अवधारणाओं में निहित है। ये दोनों महात्मा गांधी की सोच पर आधारित है एक यह कि गांधीजी ग्राम गणतंत्र चाहते थे, न कि ऐसा कोई ग्राम राजतंत्र जो बी.डी.ओ. और सरपंच की मिलीभगत से बना हो। पंचायती राज संस्थाओं को अपनी स्थायी और तदर्थ समितियों की मार्फत लोकतांत्रिक और पारदर्शी तरीके से काम करना चाहिए और जीवंत ग्रामसभाओं के प्रति जबाबदेह होना तरीके से काम करना चाहिए। दूसरी सोच गांधीजी की प्रशासन से जुड़ी वह अवधारणा है, जिसमें सत्ता के संकेद्रित दायरे ऐसे आगे बढ़ते जाते है जैसे सागर के अंदर भंवर जो दूसरों पर हावी हुए बिना आगे बढ़ते चले जाते हैं। यह एक आदर्श स्थिति है, लेकिन इसे प्राप्त करने का प्रयत्न तो कर सकते है।

कार्यशाला में जिला आयोजन पर जोर देते हुए कहा गया कि अब आयोजना दिल्ली से देहात की तरफ नहीं, बल्कि देहात से दिल्ली की तरफ बढ़नी चाहिए। प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए यह आवश्यक समझा गया कि जमीनी स्तर पर काफी संख्या में सहायक कर्मचारी उपलब्ध कराए जाएं यह स्पष्ट हो गया है कि केंद्र के बडे पैमाने पर समर्थन–सहायक के बिना पंचायती राज संस्थाओं को न तो कार्यालय भवन और सभा कक्ष जैसा न्यूनतम बुनियादी ढांचा और न कार्यालय उपकरण तथा इलेक्ट्रानिक सम्पर्क उपलब्ध हो सकेगा जबकि ये सब उन के कामकाज के लिए अनिवार्य हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम और भारत निर्माण कार्यक्रम जैसे अतिरिक्त विशाल कार्यों के लिए भी, जो कि उन्हें सौंपे जा रहे हैं, केंद्रीय सहायता के बिना आवश्यक स्टाफ की व्यवस्था नहीं हो सकेगी। यहां तक कि सामाजिक और औपचारिक लेखा परीक्षण जैसे कामों के लिए भी पंचायत कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी दूरस्थ शिक्षा और प्रशिक्षण–क्षेत्र में उपग्रह सम्प्रेण और इलेक्ट्रानिक सम्पर्क के बिना न तो प्ररिक्षकों और प्रशिक्षितों के बीच विचार–विनिमय और न प्रशिक्षण देने का काम निरंतर चलता रह सकेगा। पंचायतों ने अभी तक जो थोड़ा बहुत काम किया है, वह ग्रामीण सड़कों और छोटी सिंचाई सुविधाओं जैसे बुनियादी ढांचा बनाने के क्षेत्र में ही दिया गया है जैस–जैसे पंचायतें, स्वास्थ्य, शिक्षा, और आपदा प्रबंधन जैसे समाज सेवा क्षेत्रों में कदम रखती चली जायेंगी, उन्हें प्रत्येक स्तर पर अधिक काम सौंपते जाना होगा तथा अतिरिक्त कार्यालय–स्थल, अधिक कार्यालय उपकरण और अतिरिक स्टाफ उपलब्ध कराना होगा। इतनी ही उनकी संचार आवश्यकताए भी बढ जायेगी।

सब से बढ़कर प्रशिक्षण आवश्यकतांए पूरी करने के लिए समाज और स्थानीय अधिकारी तंत्र की सहायता लेना जरूरी होगा। 32 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि मूंगफली के सहारे जिंदगी बसर नहीं कर सकते। प्रभावी क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण पर इतना अधिक खर्च करना पड़ेगा कि इसके लिए राष्ट्रीय नीति तैयार करना जरूरी है। इस उद्देश्य से मैने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान के श्री एस.के. सिंह की अध्यक्षता में एक समिति बनाने का निर्णय किया है। पंचायतें लोकतंत्र में भागीदारी को बढ़ाने में सफल हुई हैं। लेकिन लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत बनाने के लिए ग्राम सभाओं की भागीदारी और बढ़ानी होगी स्त्री पुरुषों को लेकर किया जाने वाला भेदभाव दूर करना होगा, जातपांत और मजहब के आधार पर खड़ी की गई दीवारें हटानी होंगी, नागरिक दायित्व का एहसास पैदा करना होगा और व्यक्तिगत रूप से नागरिक हिस्सेदारी बढ़ानी होगी। निस्संदेह पंचायती राज विकास को गति देने, लोकतंत्र को सुदृढ़ करने और भेदभाव समाप्त करने के तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ग्रामीण में सामाजिक सरोकारों में क्रांति ला रहा है। नीति–निर्माताओं को सही सटीक आंकड़ों पर आधारित नीति बनाकर इसे गतिशील बनाना होगा और सही पटरी पर लाना होगा। पंचायती राज की प्रभावी नीति के निर्माण के लिए दुरुस्त वैज्ञानिक तथा विद्वतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाना होगा। कार्यशाला आयोजित करने का उद्देश्य और औचित्य भी यही था। आप जो भी अनुसंधान अथवा व्यावहारिक अनुसंधान की परियोजनाएं व्यक्ति या संस्था की हैसियत से प्रस्तुत करेंगे, मंत्रालय उन के लिए वित्तीय और संस्थागत सहायता प्रदान करेगा।

संयुक्त राष्ट्र के सहायक महासचिव और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहायक प्रशासक हाफिज पाशा ने अपने समापन भाषण में पंचायती राज संस्थाओं के साथ संयुक्त राष्ट्र के संबधों, संयुक्त कार्यक्रमों, पंचायती राज संस्थाओं में विश्व संगठन की दिलचस्पी तथा उनके साथ सहयोग का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के कार्मिकों के क्षमता निर्माण की परियोजनाओं पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम संगठन, पंचायती राज मंत्रालय और योजना आयोग के साथ कई वर्षों से काम कर रहा है। संगठन द्वारा यह काम गरीब वर्गो के लोगों की विशेष रूप से केंद्र से रखकर किया जा रहा है उन्होंने यह भी बताया कि पंचायती राज संस्थाओं की महिला प्रतिनिधियों के क्षमता निर्माण की एक योजना भारत के दस राज्यों में लागू की जा रही है। परियोजना–क्षेत्रों में सभी तीनों स्तरों पर महिला मंच बनाए गए हैं। वहां ग्राम सभा बैठकों में महिलाओं की उपस्थिति और भागीदारी बढ गई है। महिलाएं कोयला–खनन, शराब, मलेरिया, वृद्वावस्था पेंशन, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका और कल्याण से जुड़े मामले बढ़चढ़कर उठाने लगी हैं। महिलाओं की सजगता उनके जन कल्याण–कार्यों से अधिक रुचि लेने, विकास कार्यो पर पैनी नजर रखने तथा अपने अधिकारों पर अधिक जोर देने का परिणाम यह हुआ है कि पंचायती राज चुनाव में महिलाएं अधिक भाग ले रही हैं। कई परियोजना–क्षेत्रों में वे अनारक्षित सीटों पर भी विजयी हुई हैं वहां प्रतिनिधि महिलाओं की संख्या 33 प्रतिशत से भी अधिक है श्री पाशा ने बताया कि उत्तर–प्रदेश के गाजीपुर में तो 60 प्रतिशत महिलाएं चुनी गई है जिससे महिलाओं में विश्वास और उत्साह का ज्वार–सा उठा हुआ है।

श्री योगेन्द्र के अलग ने कृषि–समस्याओं से जुड़े अपने सारगर्भित भाषण में विश्वास व्यक्त किया कि भारत की खुली व्यवस्था में ऐसी क्षमता और ताकत है वह कृषि में वर्तमान संकट को हल करने का कोई रास्ता निकाल लेगा। कई प्रतिकूल और निराशजनक भविष्यवाणियों के बावजूद हम खाद्यानों के मामले में आत्मनिर्भर हो गए हैं। उनके शब्दों में हमारे स्थनीय निकाय, सामुदायिक सम्पदा की विरासत के ट्रस्टी होने के नाते छतरी तान लेंगे जिसके नीचे पूरे संरक्षण भाव के साथ हम आगे ही आगे कदम बढ़ाने जायेंगे।

एल.सी. जैन ने आशा प्रकट की कि दो वर्ष पहले बनाया गया पंचायती राज मंत्रालय पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां पंचायती राज के कामकाज में कमियों के लिए राज्य सरकारों की तरफ उंगली उठाई जाती है, वहां केंद्र सरकार को भी दोषमुक्त करना नही किया जा सकता। संसदीय स्थाई समिति की रिपोर्ट के अनुसार पंचायती राज के लिए निर्धारित मदों के लिए 72000 करोड़ रुपए की बजट राशि मे से 40000 करोड़ रुपए केंद्रीय मंत्रालयों के लिए आवंटित किए गए। बेहतर होगा इस क्षेत्र में अन्य मंत्रालयों की तुलना में पंचायती राज मंत्रालय की भूमिका दायित्व और अधिकार अधिक हों उन्होंने कहा इसके साथ ही यह भी देखा होगा कि जहां राज्य पंचायतों के हितों की अनदेखी न करे क्योंकि पंचायती राज राज्यों का विषय हैं, वहां केंद्रीय मंत्रालयों को भी इन संसाधनों का उपयोग करने और उन्हें हड़पने से बाज आना चाहिए।

कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अगर इस कार्यशाला में दिए गए महत्वपूर्ण सुझावों को ध्यान में रखते हुए कमियों को दूर करने का ईमानदारी से प्रयास किया जाए ता हमारे विचार से पंचायती राज व्यवस्था विश्व के सब से बड़े लोकतंत्र की नींव को पक्का–पुख्ता बना कर उसे इतना शक्तिशाली, प्राणवान और जीवंत बना देगी कि वह लोकतंत्र प्रेमियों और पाठकों का एक अनूठा तीर्थ स्थल अनंत प्रेरण स्रोत गगन चुम्बी प्रकाश स्तंभ बन जायेगा।

(लेखक पत्रकार हैं)

पंचायती राज पर लेखकों और विचारकों की कार्यशाला

पंचायती राज मंत्रालय की ओर से विज्ञान भवन में 23–25 जून, 2006 को स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज विषय पर लेखकों और विचारकों की एक कार्यशाला आयोजित की गई। तीन दिवसीय कार्यशाला की अध्यक्षता पंचायती राज मंत्री, श्री मणिशंकर अय्यर ने की।

कार्यशाला के 14 सत्रों में पहले दिन 40 से अधिक वक्ता जिन विषयों पर चर्चा की उनमें • पंचायती राज एक नजर में • पंचायती राज में विकास के मुद्दे, सूचना का अधिकार और पंचायती राज तथा • पंचायती राज संस्थाओं में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण शामिल हैं। कार्यशाला के दूसरे दिन 50 से भी अधिक वक्ता– • अर्थव्यवस्था, व्यवसाय और पंचायती राज संस्थाएं, • पंचायती राज में महिला–पुरुष मुद्दा, • पंचायती राज में भूमि के मुद्दे और खेती, • पंचायती राज में आजीविका सुरक्षा, जनजातीय कार्य, दलित और सीमांत समुदाय, • नागरिक समाज, समानांतर संस्थान और पंचायती राज • राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी और पंचायती राज तथा • राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी और पंचायती राज तथा • पारंपरिक संस्थाएं और पंचायती राज विषयों पर अपने–अपने विचार व्यक्त किए।

कार्यशाला के तीसरे दिन पंचायती राज में राज्य से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई। उस दिन दो अतिरिक्त सत्र जिनमें से एक में "पंचायती राज से जुड़े अन्य मुद्दे" पर चर्चा हुई। दूसरा सत्र अपंजीकृत वक्ताओं द्वारा चर्चा के लिए था। समापन सत्र मेगसेसे पुरस्कार विजेता श्रीमती अरूणा राय की एक फिल्म से शुरू हुआ। पूर्व केन्द्रीय मंत्री डॉ. वाई.के. अलघ और संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम के सहायक महासचिव डा. हफीज़ पाशा समापन सत्र को संबोधित किया। पंचायती राज मंत्री श्री मणि शंकर अय्यर "पाठ जो मैंने कार्यशाला से सीखे" विषय पर बोले।

श्रीमती अरूणा राय, श्री बी.एन. युगांधर, श्री एल.सी. जैन, नीरज गोपाल जयाल, श्री डी. बन्दोपाध्याय, डॉ बी.डी. शार्म, श्री सुभाष मेधापुरकर, श्री साईनाथ, श्री के.वी. शिवरामकृष्णन, श्री जोस चतुकुलम, श्री बेजोन मिश्रा सुभाष मेधापुरकर, श्री साईनाथ, श्री के.वी. शिवरामकृष्णन, श्री जोस चतुकुलम, श्री बेजोन मिश्रा, श्री शाहिर हसन और डॉ. जॉर्ज मैथ्यू इस कार्यशाला में वक्ताओं के रूप में पंजीकृत ख्यातिप्राप्त लेखक और विचारक थे।

पुराना इतिहास है झंडे का

विभा प्रकाश श्रीवास्तव

प्राचीन काल से ही विश्व भर से विभिन्न प्रकार की पताकाओं के उपयोग की परंपरा रही है। भारत में त्रेता युग अब तक कई प्रकार के चिह्नों से युक्त पताकाओं का उल्लेख मिलता है। आजादी से पहले तक राजधानियों को सजाने संवारने में और विशिष्ट अवसरों पर पताकाओं के सम्मानजनक उपयोग का एक लंबा इतिहास उल्लेखनीय है।

वाल्मीकि 'रामायण' में वर्णित है कि जब राम को युवराज घोषित किया गया, तो अयोध्या के मंदिरों, अटारियों, भवनों, चौराहों, मार्गों, बाजारों और ऊंचे वृक्षों पर असंख्य चिह्न पताकाओं द्वारा हर्ष व्यक्त किया गया था। लंकेश की राजधानी में सीता की खोज के दौरान हनुमान ने अट्टालिकाओं पर विभिन्न प्रकार की पताकाओं को लगा देखा था।

वेद व्यास के 'महाभारत' में उल्लेख है कि हस्तिनापुर, इन्द्रप्रस्थ एवं द्वारिका नगरी की अट्टालिकाओं पर अलग-अलग रंग, विभिन्न आकारों की अनगिनत पताकाएं नित्य ही लहराया करती थीं। यह भी उल्लेख मिलता है कि जब कौरवों पांडवों में समझौता वार्ता के लिए श्रीकृष्ण शांति दूत के रूप में हस्तिनापुर गये थे, तब धृतराष्ट्र ने उनके स्वागत के लिए संपूर्ण हस्तिनापुर को विशेष तौर पर ध्वज पताकाओं से सजाने का आदेश दिया था।

पताकाएं आठ प्रकार की होती थीं। जया, विजया, भीमा, चपला, वैजयंतिका, दीर्घा, विशाला और लीला। पताकाएं आयताकार भी होती थीं और तिकोनी भी। गुण भेद, वर्ण भेद से इनके और भी अनेक नाम प्राचीन ग्रंथों में लिखे मिलते हैं जैसे – जयंती, अष्टमंगला और जयहस्त इत्यादि।

देवी देवताओं के ध्वजों में उनके अपने-अपने वाहनों के चिह्न अधिकतर दृष्टिगोचर होते हैं जैसे विष्णु के ध्वज में गरुड़ का और शिव के ध्वज में वृषभ का चिह्न।

देवताओं की तरह राजाओं और सेनापतियों के ध्वजों में भी भिन्न-भिन्न चिह्न होते थे। ज्ञात जानकारी के अनुसार राम के समय तक आते-आते ध्वज पताकाओं की यह परंपरा और भी अधिक विकसित हो गयी थी।

जब कौरवों पांडवों की विशाल सेनाएं युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र में आमने-सामने खड़ी हुईं, तो दोनों सेनाओं में संख्यातीत ध्वज फहरा रहे थे। ध्वज न केवल रथों पर बल्कि हाथियों पर भी फहराये जाते थे। प्रमुख सेनानायकों के ध्वजों पर निजी और विशिष्ट चिह्न अंकित रहते थे, जिनसे उनकी पहचान दूर से हो जाया करती थी। कौरव सेना के प्रथम सेनापति भीष्म पितामह के रजत पथ पर ताड़ एवं पांच तारों से युक्त चिह्न का विशाल ध्वज फहराता था।

युधिष्ठिर की ध्वजा चंद्रमा और ग्रहगणों के चिह्नों से सुशोभित होती थी तथा इस ध्वजा में नंद, उपनंद नामक दो विशालकाय एवं दिव्य मृदंग लगे हुए थे, जो बिना बजाये ही यंत्र द्वारा बजते थे। भीम के ध्वज पर महासिंह, नकुल की ध्वजा पर शरभ और सहेदव की ध्वजा की घंटा, पताका एवं चांदी के हंस का चिह्न था। द्रौपदी के पांच पुत्रों के ध्वजों में क्रमशः धर्म, वायु, इन्द्र तथा अश्विनी कुमारों की प्रतिमाएं अंकित थीं। अभिमन्यु के रथ ध्वज में कहीं कर्णिकार एवं कहीं शाडर्ग पक्षी के चिह्न का उल्लेख मिलता है। सात्यकि एवं वृहदबल के ध्वजों में सिंह का चिह्न का उल्लेख मिलता है। सात्यकि एवं वृहदबल के ध्वजों में सिंह का चिह्न तथा का चिह्न अंकित था। उपर्युक्त ध्वज पताकाओं से प्राचीन और समृद्ध परंपरा का आभास होता है, जो आगे चलकर उत्तरोतर बढ़ती ही चली गयी।

सिहाबुद्दीन जल उमरी ने लिखा है कि "सुलतान मुहम्मद बिन तुगलक की खास पताकाएं काले रंग की होती हैं जिनके मध्य में सुनहरे काम का एक अजगर बना होता है। सुलतान के अतिरिक्त अन्य किसी को ऐसी पताकाएं रखने की अनुमति नहीं है। हां, अन्य अमीर अपनी श्रेणी (पदनाम) के अनुसार दूसरी पताकाएं लेकर चल सकते हैं।"

"आइने अकबरी" में सम्राट अकबर के चार प्रकार के ध्वजों के उल्लेख हुआ है। अलम, वत्रतोक, तुमनतोक और झंडा। आजादी के पूर्व राजाओं और नवाबों के अपने-अपने ध्वज थे। आजादी के बाद राज्यों के विलय होकर भारत गणराज्य बना और राष्ट्रध्वज के रूप में तिरंगे ध्वज को अपना लिया गया।

कहा जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज की सर्वप्रथम परिकल्पना मैडम भीकाजी कामा ने की और निर्वासित क्रांतिकारियों के सहयोग से इसे सन् 1905 में जर्मनी के स्टुटगार्ड शहर में फहराया गया जिसे भारतीय आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला पहला ध्वजारोहण माना गया। कुछ अन्य इतिहासकारों के अनुसार पहला भारतीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता के पारसी बागान में फहराया गया था। भीकाजी कामा के ध्वज में साथ-साथ सात तारे, आकाश गंगा के प्रतीक रूप में बने थे। बीच की पीली पट्टी में देवनागरी लिपि में 'वंदे मातरम्' लिखा था। निचली हरी पट्टी में बायीं तरफ सूरज बना था, और दाहिनीं तरफ चांद तारा।

इसके नौ वर्ष उपरांत होमरूल आंदोलन में श्रीमती एनी बेंसेट और लोकमान्य तिलक ने एक और ध्वज का स्वरूप पेश किया। इसमें ऊपर बाएं कोने में यूनियन जैक था (जो उन दिनों की भारतीय जन मानस की इस मांग का प्रतीक था कि हमें ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत होमरूल अर्थात् स्वशासन चाहिए) बाकी हिस्से में आकाश गंगा फैली थी, और नीचे दाहिने कोने पर चांद तारा बना था।

सन् 1929 में नेशनल कॉलेज मसूलिपट्टनम में एक छात्र ने महात्मा गांधी को एक दुरंगा ध्वज भेंट किया, जिसमें भारत के दो प्रमुख संप्रदायों का प्रतिनिधित्व प्रदान करने वाली लाल व हरी पट्टियां थीं। महात्मा गांधी ने इसमें एक सफेद पट्टी और बीच में चरखा शामिल कर लेने का सुझाव दिया।

संसद ने चिह्न और नाम के अनुचित प्रयोग निवारण अधिनियम में सन् 1930 में संशोधन करके केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना ट्रेड मार्कों और डिजाइनों में ध्वज का कोई जान बूझकर या अविवेकवश तिरस्कार न करें तथा राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और भावना का अनादर रोकने के लिए सन् 1971 में एक और कानून बना, जिसमें सार्वजनिक रूप में ध्वज फाड़ने, बिगाड़ने, दूषित करने, विकृत करने, नष्ट करने, रौंदने या अन्य किसी कारण से तिरस्कृत करने के दोषी व्यक्ति को तीन साल की कैद या जुर्माना या दोनों की घोषणा की गयी।

नियमानुसार हमारे राष्ट्रीय ध्वज "तिरंगे" को सूर्योदय के समय फहराना और सूर्यास्त के समय उतार देना चाहिए। महत्वपूर्ण अवसरों पर ही इसे सूर्यास्त के बाद फहराता हुआ रख सकते हैं। ध्वज दंड पर फूल मालाएं या कोई चिह्न आदि न बांधे जाएं तथा एक ध्वज दंड पर एक से अधिक ध्वज न फहराए जाएं। राष्ट्रीय ध्वज न जमीन छुये, न पानी में डूबे बल्कि वह उन्मुक्त फहरे।

आज हमारा राष्ट्रध्वज प्रतिदिन केवल लोक सभा, राज्य सभा, सर्वोच्च न्यायालय, सीमा चौकियों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तथा राज्यपालों और उपराज्यपालों के राजकीय निवास पर फहराया जा सकता है।

सामान्य जन राष्ट्रीय पर्वों, जलियांवाला बाग की स्मृति में मनाया जाने वाला राष्ट्रीय सप्ताह (6 अप्रैल से 13 अप्रैल) और कुछ विशेष अवसरों पर ही ध्वजारोहण कर सकते हैं। लोग अज्ञानतावश राष्ट्र ध्वज का फहराने के बाद उसे उतारना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से ध्वज कट फट तथा उड़े रंगों का हो जाता है। ऐसी स्थिति में भी ध्वज संहिता में आपराधिक हैं। फटे–कटे तथा रंग उड़े, जर्जर राष्ट्रध्वज को मर्यादा के अनुकूल किसी भी विधि से नष्ट कर देना चाहिए।

अपनी स्वतंत्रता के लिए अनगिनत वीरों ने अपनी जान देकर सालों साल देश की तंग कोठरियों में यातना सहते रहकर तिरंगे ध्वज को हम सबके लिए अमूल्य निधि बनाया, जो हमारे देश प्रेम का प्रतीक है।

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं)

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रमों को मंत्रिमंडल की मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम को आज अपनी मंजूरी दे दी है। इस कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित विषय रखे गए हैं :–

शिक्षा अवसर बढ़ाना

● समन्वित बाल विकास स्कीम सेवाओं की समान रूप से उपलब्धता। ● स्कूली शिक्षा सर्व–सुलभ कराना। ● उर्दू सिखाने के लिए और ज्यादा संसाधन जुटाना। ● मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण। ● अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिभाशाली छात्रों को छात्रवृत्ति। ● मौलाना आजाद फाउन्डेशन के जरिए शिक्षा संबंधी बुनियादी सुविधाओं में सुधार।

आर्थिक गतिविधियों और रोज़गार में समान भागीदारी

● गरीबों के लिए स्वरोजगार और वैतनिक रोजगार ● तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल को बढ़ावा। ● आर्थिक गतिविधियों के लिए और अधिक ऋण सहायता ● राज्य और केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती

अल्पसंख्यकों के जीवन स्तर में सुधार

● ग्रामीण आवासीय योजना में समान भागीदारी ● अल्पसंख्यक समुदाय की मलिन बस्तियों की हालत में सुधार।

सांप्रदायिक दंगों की रोकथाम और उन पर नियंत्रण

● सांप्रदायिक घटनाओं की रोकथाम। ● सांप्रदायिक अपराधों के लिए अभियोजन। ● सांप्रदायिक दंगों से प्रभावित लोगों का पुनर्वास।

मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि संबंधित स्कीमों/कार्यक्रमों में जहां भी संभव हो, निधि का प्रतिशत देश के अल्पसंख्यक समुदायों के लिए रखा जाए।

15 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय की सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक स्थिति में सुधार जैसे मुद्दों पर ध्यान देना और कुछ विशेष स्कीमों के लिए अलग से धन की व्यवस्था करना है ताकि वे प्रगति कर सकें।

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम को मई, 1983 में बनाया गया था। इस कार्यक्रम में 15 विभिन्न मुद्दों को शमिल किया गया है। प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम नाम दिया गया है।

एड्स युवा अभियान

जिल्ले रहमान

एड्स कैसे फैलता है–चूमने से, सूई द्वारा खून चढ़ाने से? क्या किसी को छूने से एड्स हो सकता है या नहीं? ऐसे ही कई सेक्सुअल हेल्थ, एचआईवी और संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए और ईनाम पाइए।

चौंकिए मत यह किसी निजी स्वास्थ्य फर्म द्वारा हेरा–फेरी नहीं है और न ही कोई विज्ञापन। बल्कि इन सबके पीछे है युवा और खेल मंत्रालय, जिसने सेक्सुअल हेल्थ, एचआईवी और एड्स के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक ऑनलाइन क्विज शुरू की है। क्योंकि हर आदमी डरा–सहमा है और यही वजह है कि इन क्विज कार्यक्रमों में बड़ी दिलचस्पी से हिस्सा ले रहे हैं। इस ऑनलाइन क्विज का मकसद भी साफ है। इस क्विज के जरिए आज की युवा पीढ़ी एचआईवी और एड्स से संबंधित विषयों को समझे और ठीक तरह से जागरूक हो सके। इसके माध्यम से लोग (युवा) खेल–खेल में सेक्सुअल हेल्थ, एचआईवी और एड्स जैसी बीमारी के बारे में जान सकते हैं। इसके प्रश्न यूएनएआईडीएस, यूएनएफपीए, नाको और यूनिसेफ के द्वारा 300 प्रश्नों को चुनते हैं। यूं तो सेक्सुअल हेल्थ के प्रति युवाओं को जागरूक करने के लिए कई अभियान चलाए जा रहे हैं। इस काम में पूरी तरह लगा है युवा मंत्रालय। यानि युवाओं का, युवाओं के लिए और युवाओं द्वारा ही इस घातक बीमारी का बचाव किया जा सकता और बचा जा सकता है। इसके लिए हाल ही में युवा शक्ति को पहचानते हुए खेल एवं युवा मंत्रालय की पहल पर 'युवा' अभियान को हरी झंडी दिखाई गई। और (यूथ यूनाइट फॉर विक्टरी ऑन एड्स) अभियान को हरी झंडी 27 जुलाई को विज्ञान भवन में दिखाई गई। और इस युवा अभियान को हरी झंडी दिखाने के लिए आगे आए उपराष्ट्रपति भैरो सिंह शेखावत। साथ ही देश के प्रमुख युवा संस्थानों जैसे नेहरू युवा केंद्र, एनएसएस, इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी, एनसीसी, भारत स्काउट एंड गाइड, यूथ हास्टल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। ये सभी संस्थाएं युवाओं को शिक्षा एवं जीवन में स्वास्थ्य व्यवहार के महत्व के बारे में बताएंगे और अभ्यास भी कराएंगे। यही सब इनका लक्ष्य है। ताकि एचआईवी/एड्स बीमारी को जड़ से उखाड़ दिया जाए। युवा अभियान के दौरान 'यूएन एड्स प्रीवेंशन एजेंसी' की रिपोर्ट भी इस युवा अभियान के दौरान रखी गयी है। इस रिपोर्ट के आधार पर कहा गया कि 5.7 मिलियन भारतीय घातक एड्स के शिकार हैं और यह आंकड़ा 2005 तक का है। जिस तेजी से यह बीमारी बढ़ रही है गर इसका कारगर उपाय नहीं तलाशा गया तो भयंकर परिणाम हो सकते हैं।

युवा कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाते हुए उपराष्ट्रपति श्री भैरो सिंह शेखावत ने एड्स जैसी भयानक बीमारी से निपटने के लिए अधिक से अधिक जानकारी के साथ संयमित जीवन और चरित्र निर्माण पर जोर दिये जाने की बात कही। साथ ही प्रमुख युवा संगठनों और ग्राम पंचायतों को भी इस मुहिम में संस्थागत माध्यम के रूप में योगदान के लिए शामिल किये जाने की बात कही। इसे फैलने से रोकने के लिए सुरक्षित यौन संबंधों जैसे उपायों की ही नहीं, बल्कि अपने जीवन साथी के प्रति वफादार रहने और विवाहेत्तर संबंध से बचे रहने की भी जरूरत है। पंचायती राज के तहत युवाओं में एड्स के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा कि वे विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अन्य लोगों को जागरूक बनाएं। इसके लिए 20 लाख पंचायत समितियों को शामिल करने की तो बात है ही इनमें 70 फीसदी युवा है। इनमें महिलाओं का प्रतिशत 50 प्रतिशत है। पंचायतों को शामिल करने के पीछे उद्देश्य है कि इस मुहिम को कोने–कोने तक पहुंचाया जा सके और यह काम भला पंचायत से बेहतर कौन कर सकता है। क्योंकि देश की आबादी का बड़ा हिस्सा गांवों में गरीबी रेखा से नीचे रहता है। वहां से रोजगार के लिए लोग शहरों में आते हैं जहां वे एड्स के शिकार हो जाते हैं। इस मौके पर पंचायती राज के केंद्रीय मंत्री (खेल एवं युवा मामले) मणिशंकर अय्यर ने कहा कि एड्स के खिलाफ अभियान में पंचायतों को शामिल करने से जागरूकता अभियान तेज होगा।

यह भी सत्य है कि देश में 26 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आते हैं और ये रेखा गांवों में ज्यादा है। पंचायत स्तर पर 'युवा' का यह पंचवर्षीय अभियान काफी असरकारक साबित हो सकता है तो जाहिर है इस पर खास ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि यही लोग बीमारियों से ग्रस्त और अशिक्षित होते हैं और एड्स जैसी घातक बीमारियों का निशाना बनते हैं। पंचायतें एड्स संबंधित सभी जानकारियां जैसे प्राइमरी स्तर पर रोकथाम कैसे हो, ब्लड डोनेशन से संबंधित सावधानियां, स्कूल स्तर पर एड्स की शिक्षा और एड्स पीड़ितों की सुरक्षा और देखभाल इस अभियान के तहत उन लोगों तक पहुंचाई जाएंगी जो आमतौर पर शहरी जागरूकता से अछूते रह जाते हैं। युवा के इस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 450 करोड़ युवाओं तक इन जानकारियों को पहुंचाना है। 1986 में जहां एचआईवी/एड्स में सिर्फ एक मामले सामने आए थे। परंतु ठीक दो दशक के दौरान यह 52 लाख तक पहुंच चुका है। और सबसे ज्यादा फैलाव अशिक्षितों व गांवों में देखा गया है। 57 प्रतिशत ग्रामीण इलाकों,

35 प्रतिशत शहरों जिसमें 15 से 24 साल के युवा इसकी गिरफ्त में ज्यादा हैं। अगर (यूएन) यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट पर गौर करें तो यह आंकड़ा 2019 तक 1.9 प्रतिशत तक पहुंच सकता है।

युवा अभियान के तहत इस पांच साला योजना की सहायता राशि 422.35 करोड़ है। इस पर युवा मंत्रालय खर्च करेगा। 277.5 करोड़ और यूएनडीपी ने भी 30 करोड़ रुपया योगदान देगा। और ई–क्विज के लिए कुल 15 करोड़ का बजट रखा गया है। इसकी एंकरिंग करेंगे। सिद्धार्थ बसु। इस अभियान में कुल 20.9 मिलियन स्वयंसेवक हिस्सा लेंगे। इतनी बड़ी संख्या, इतना बजट अगर किसी अभियान में लगे और लोग कर्मठता के साथ काम करे तो इस मिशन को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। साथ ही अभियान के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ऑल इंडिया रेडिया, दूरदर्शन, डीएवीपी, फील्ड पब्लिसिटी, गीत एवं नाटक प्रभाग, पीआइबी और फिल्म डिवीजन समय पर संदेश का प्रवाह करेगी। काउंसलिंग सर्विसेज, नाको, स्वयंसेवी संस्थाओं का सराहणीय सहयोग रहेगा पंचायत स्तर पर एचआईवी/एड्स की जागरूकता अभियान में।

यह पंचवर्षीय अभियान अगर कामयाब रहता है तो 2010 तक 35 सा के 70 प्रतिशत भारतीय युवाओं को इस घातक बीमारी से बचाया जा सकता है।

(लेखक पत्रकार हैं)

एड्स के खिलाफ युवा शक्ति को संगठित करने की मुहिम का उपराष्ट्रपति द्वारा शुभारंभ

उपराष्ट्रपति श्री भैरोंसिंह शेखावत ने कहा कि एड्स जैसी भयानक बीमारी से निपटने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि लोगों में इस बीमारी के विभिन्न पहलुओं और इसके बचाव के उपायों की अधिक से अधिक जानकारी का हम विकास करें और उनमें यह विश्वास जगाएं कि संयम, नियम और चरित्र निर्माण ही इसके प्रकोप को नियंत्रित करने की सबसे बड़ी कुंजी है। नई दिल्ली में खेल एवं युवा मामले मंत्रालय के "एड्स पर विजय के लिए युवाओं को संगठित करने की मुहिम की युवा" की शुरूआत करते हुए उन्होंने कहा कि एड्स की बीमारी धर्म, क्षेत्र, जाति अथवा राजनीति का भेदभाव नहीं करती इसलिए इन सभी से ऊपर उठकर हमें इस दिशा में प्रयास करने होंगे।

श्री शेखावत ने कहा कि उन्हें इस बात की प्रसन्नता है कि नेहरू युवा संगठन, राष्ट्रीय सेवा योजना, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स जैसे देश के 7 प्रमुख युवा संगठनों के अलावा ग्राम पंचायतों को भी इस मुहिम में संस्थागत माध्यम के रूप में योगदान के लिए शामिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज देश की जनसंख्या का एक बड़ा भाग गांवों में गरीबी की रेखा से नीचे की स्थिति में जीवन–यापन कर रहा है। रोजगार के लिए गांवों के लोग अपने परिवार को छोड़कर शहरों में आ जाते हैं जहां वे इस बीमारी के शिकार हो जाते हैं। ऐसी दिशा में उनके बीच तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भी जागरूकता फैलाकर एक ऐसा वातावरण तैयार किए जाने की आवश्यकता है जिससे बीमारी से ग्रसित व्यक्ति जब गांव लौटें तो उसका आचरण ऐसा ही जिससे बीमारी गांव के लोगों में न फैले। पंचायत समितियों के सदस्य एवं गांव के अन्य गणमान्य व्यक्ति इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि चूंकि एड्स की बीमारी का कोई इलाज अभी तक नहीं ढूंढा जा सका है, इसलिए अधिक से अधिक जानकारी के जरिए ही व्यक्ति अपने आपको इस बीमारी से बचाये रख सकता है। उन्होंने कहा कि एड्स को फैलने से रोकने के हमारे प्रयासों में सुरक्षित यौन संबंधों जैसे उपायों का ही नहीं बल्कि, अपने जीवन साथी के प्रति वफादार रहने और विवाहेत्तर संबंधों से बचे रहने की हमारी पुरानी परंपराओं तथा नैतिक व्यवहार नियम और संयम पर भी जोर देना आवश्यक है।

श्री शेखावत ने कहा कि इस बात की भी आवश्यकता है कि जो लोग दुर्भाग्यवश इस बीमारी के शिकार हो चुके हैं उनकी हम पूरी देखभाल करें। हमें उनमें यह विश्वास जगाना होगा कि वे समाज के लिए कोई खतरा नही है बल्कि उन्हें भी गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है।

इससे पहले खेल एवं युवा मामलो तथा पंचायती राज मंत्री श्री मणिशंकर अय्यर ने युवा अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि इसके अंतर्गत युवाओं में एड्स के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे विभिन्न क्षेत्र में जाकर अन्य लोगों को भी इस बारे में जागरूक बनाएं। इसके लिए मंत्रालय ने आवश्यक प्रचार साहित्य एवं प्रशिक्षण सामग्री विकसित की है। इसके साथ ही एक विशेष टी.वी. प्रश्नोत्तरी शो के जरिए जिला स्तर तक के विद्यार्थियों के लिए क्विज प्रतियोगिताएं आयोजित की जायेंगी। इनके जरिये युवाओं में उसकी जानकारी का उत्तरोत्तर विकास होगा।

एड्स से संबंधित संसदीय फोरम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री श्री ऑस्कर फर्नांडीस ने भी इस अवसर पर अपने विचार रखते हुए कहा कि देश के करीब 20 लाख पंचायत समितियों के सदस्यों में से 70 प्रतिशत युवा हैं और इनमें महिलाओं का प्रतिशत भी 40 से 50 तक है। अतः एड्स विरोधी मुहिम में पंचायतों को भी शामिल किए जाने से हम इसकी जानकारी देश के कोने–कोने तक पहुंचा सकेंगे।

देश के विभिन्न भागों से आये विभिन्न युवा संगठनों के सैकड़ों या प्रतिनिधि समारोह में मौजूद थे।

इस अवसर पर ग्रामीण युवाओं द्वारा प्रस्तुत रंगारंग कार्यक्रम के बीच श्री शेखावत ने झंडी दिखाकर "युवा मुहिम" के दो चेतना रथों को भी रवाना किया।

कृषि विकास के साकार रूप

प्रकाश मगदूम

हरित क्रांति का तात्पर्य केवल उपज और आय से नहीं है। इसका संबंध सशक्तिकरण से भी है। हमारे किसानों के जीवन को सुधारने में ज्ञान के महत्व में वृद्धि से, उनको शक्ति मिली है, वे सशक्त हुए हैं। इससे देश की खाद्य सुरक्षा में वृद्धि हुई है।

प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह खाद्य, पोषण सुरक्षा और ग्रामीण विकास पर नई दिल्ली में संपन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में कहा।

कृषि हमारे देश में एक जीवन पद्धति है। जनसंख्या के दो–तिहाई लोगों को जीविका प्रदान करने वाली कृषि देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। देश ने खाद्य पदार्थों के अभाव से खाद्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते परिवर्तन का दौर देखा है, जिसके दौरान अनेक प्रकार के फलों, सब्जियों और अनाजों के मामले में भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। वास्तव में खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को स्वतंत्रता के उपरांत देश की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि कहा जा सकता है।

कृषि के बारे में इन सब उपलब्धियों सहित तमाम तरह के बुनियादी तथ्यों, आंकड़ों आदि की जानकारियां हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर नाम की पुस्तक में विस्तार से दी गई है। इसका सर्व परिषद ने हाल ही में इस पुस्तक का संशोधित और विस्तारित संस्करण प्रकाशित किया है। कृषकों, विद्यार्थियों और कृषि में रुचि रखने वाले लोगों में समान रूप से लोकप्रिय यह पुस्तक कृषि क्षेत्र के बारे में सूचनाओं का भंडार है। नए संशोधित संस्करण में कृषि के क्षेत्र में चल रही ताजी गतिविधियों की जानकारी देने वाले अनेक नए अध्ययन शामिल किए गए हैं। अनेक प्रतिष्ठित कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने इस हैंडबुक में विद्वतापूर्ण लेखों का योगदान देकर इसे सचमुच में कृषि पर सूचनाओं का भंडार बना दिया है।

नये उभरते क्षेत्र

हैंडबुक में भारतीय राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणालियों के विकास से प्रारंभ करते हुए कृषि के विभिन्न पहलुओं, यथा–मौसम, पर्यावरण, मृदा, जल संसाधन, फसल पद्धति, कृषि उपकरण, फसलोपरांत प्रौद्योगिकी, विपणन एवं व्यापार तथा कृषि विस्तार (शिक्षा) आदि विषयों से जुड़े 42 अध्याय दिए गए हैं। मृदा एवं जल, भूमि उपयोग, खेतों और चारा फसलों जैसे कुछ अध्यायों में जहां जानकारियों को ताजातरीन बनाया गया है, वहीं बौद्धिक संपदा कानून, फसल जैव–प्रौद्योगिकी, संसाधन संरक्षण प्रविधियों, कृषि विपणन एवं व्यापार जैसे नए विषय जोड़े गए हैं जिससे यह वर्तमान समय में भी प्रासंगिक सिद्ध हो सके।

कृषि संबंधी कानून

हैंडबुक में कृषि संबंधी कानूनी जैसे कुछ रोचक अध्याय दिए गए हैं। यद्यपि कृषि संबंधी कानूनों की परिपाटी ब्रिटिश शासन काल से ही चली आ रही है, इस संबंध में वास्तविक प्रयास, आजादी के बाद ही शुरू हुए ताकि विधायी उपायों से किसानों की आर्थिक स्थिति और उनके स्तर को सुधारा जा सके। हैंडबुक में भूमि सुधार, किरायेदारी प्रथा में सुधार, कृषि में काम आने वाली सामग्रियों, जैसे उर्वरक, बीज, कीटनाशक आदि के प्रबंधन, कृषि में श्रमिक कानून, कृषि विपणन, पशुधन क्षेत्र, कृषि ऋण एवं वित्त, सहकारिता और पंचायत जैसे कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े कानूनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है।

जहां तक फसलों का संबंध है, हैंडबुक में बीज उत्पादन से शुरू करके खेती, जलवायु, सिंचाई, फसल कटाई, भंडारण और विपणन से जुड़ी तमाम जानकारियां उपलब्ध हैं। इस पुस्तक में विभिन्न जलवायु वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त संशोधित प्रजातियों और उन क्षेत्रों में प्रचलित कृषि के तौर तरीकों के बारे में भी सूचनाएं दर्ज हैं। इसमें खाद्यान्नों के पोषक तत्वों के बारे में भी ज्ञानपूर्ण सामग्री दी गई है। इसी तरह की रोचक सामग्री पूरी पुस्तक में सारिणियों और रेखाचित्रों के साथ भरी हुई है।

स्वदेशी तकनीकी ज्ञान

पांच हजार वर्ष पुरानी सभ्यता के नाते कृषि के बाद हमारी देसी तकनीकी ज्ञान अत्यंत संपन्न है। स्वदेशी तकनीकी ज्ञान (आईटीके) वह ज्ञान है जिसे क्षेत्र/समुदाय विशेष के लोगों ने सदियों के अनुभव से विकसित किया है और अब भी करते आ रहे हैं। इस ज्ञान का क्षेत्र बहुत व्यापक है तथा वर्षों के अनुभव पर आधारित स्थानीय संस्कृति और पर्यावरण के अनुकूल ढाल लिया गया है। ज्ञान का यह पुंज अत्यंत गतिशील और परिवर्तनशील है, तथा यह लाभ में वृद्धि के बजाए खतरों की समाप्ति पर अधिक जोर देता है। हैंडबुक में कृषि के स्वदेशी तकनीकी ज्ञान के बारे में अलग से एक विस्तृत अध्याय दिया गया है जिसमें ज्ञान के स्रोतों का लेखा–जोखा, कलमबद्ध करने की पद्धति और स्वदेशी ज्ञान पर आधारित तौर–तरीके बताए गए हैं। इस अध्याय में, आई.टी.के. में काम आने वाले विभिन्न पौधों और पशु आधारित सामग्रियों का भी वर्णन किया गया है।

कृषि सहित प्रौद्योगिकी के अनुसंधान एवं विकास में बौद्धिक संपदा अधिकार तेजी से उभरता क्षेत्र है। हैंडबुक में आई.पी.आर. की शब्दावली को सरल और सुबोध भाषा में समझाया गया है तथा आई.पी.आर. व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं की सरल व्याख्या की गई है। कृषि के क्षेत्र में आई.पी.आर. संबंधी भारतीय परिदृश्य और ट्रिप्स (टीआरआईपीएस) समझौते का भी वर्णन किया गया है। इसमें पौधों की

विविधताओं पर बौद्धिक संपदा अधिकार के साथ जैव प्रौद्योगिकी और जीन संबंधी संसाधनों संबंधी संपदा अधिकार के बारे में एक उप–अध्याय भी दिया गया है।

फसल जैव प्रौद्योगिकी

विश्व के अनेक देशों में फसलों की बढ़ोत्तरी के लिए जैव–प्रौद्योगिकी उपायों का चलन तेजी से बढ़ रहा है। पादप–जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हाल के दिनों में हुए विकास ने अनेक ऐसे साधन और तकनीक मुहैया कराए हैं जो फसलोत्पादन के लिए अधिक सक्षम और कार्यकुशल साबित हुए हैं। फसल जैव–प्रौद्योगिकी पर एक पृथक अध्याय इस संशोधित संस्करण में शामिल किया गया है जो इस नई प्रौद्योगिकी की बारीकियों को समझाने का प्रयास करता है। इसमें जेनोमिक्स (जैव आनुवंशिकी विज्ञान), जीन की वंशावली, उन्नत प्रजातियों का विकास और जर्मप्लाजम की विशेषताओं का भी वर्णन किया गया है। जीवाणु–अंतरण की प्रौद्योगिकी और जीव को अलग करने, जीन की अदला–बदली जैसे इसके विभिन्न पहलुओं की व्याख्या करने के साथ–साथ व्यावसायिक रूप से उपलब्ध जीवाणु अन्तरण प्रौद्योगिकी (ट्रांसजीनिक्स) का विश्लेषण भी दिया गया है।

उपज और ऊर्जा

साठ के दशक के अंतिम वर्षों में शुरू हुई हरित क्रांति के दिनों से कृषि में ऊर्जा का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। कृषि कार्यों में अधिक उपजदेने वाली प्रजातियों, रासायनिक उर्वरकों, डीजल और विद्युत का उपयोग लगातार बढ़ता जा रा है। कृषि में फार्म शक्ति (फार्म पावर) और ऊर्जा पर नया अध्याय दर्शाता है कि प्राप्त उपज और ऊर्जा के उपयोग में परस्पर संबंध है, परन्तु यह उसी फसल के लिए अलग–अलग राज्यों में अलग तरह से व्यवहार करता है। पंजाब में अन्य राज्यों की अपेक्षा ऊर्जा का अधिक प्रयोग हुआ है इसलिए वहां उपज भी अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। इस अध्याय में ऊर्जा संसाधनों और कृषि में ऊर्जा के साथ–साथ अक्षय ऊर्जा संरक्षण प्रौद्योगिकियों के बारे में भी विस्तार में जानकारी दी गई है।

व्यापारिक बुनियादी ढांचा

पिछले कुछ दशकों के दौरान देश का कृषि व्यापार और विपणन कई चरणों से गुजरा है। देश के अनेक राज्यों में कृषि व्यवसाय तेजी से बढ़ रहा है। इससे किसानों को अपना माल (उत्पाद) बेहतर दामों पर बेचने का अवसर प्राप्त हुआ है और उसका लाभ भी मिला है। विपणन और व्यापार के बुनियादी ढांचे के विकास के वर्णन के अलावा विपणन से जुड़ी समस्याओं और विभिन्न आयामों की जांच–परख भी की गई है। विभिन्न कृषि उत्पादों के आयात–निर्यात के ताजा आंकड़ों को देकर इन व्यावसायिक और विपणन प्रवृत्तियों की रोचक व्याख्या की गई है।

सकल घरेलू उत्पाद विकास के लिए कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करना अनिवार्य

आगामी वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में लक्षित 8 से 10 प्रतिशत की विकास दर बनाये रखने के लिए कृषि क्षेत्र को उचित प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। विकास की इस दर को बनाये रखने में ग्रामीण बुनियादी ढांचे का सुधार मुख्य भूमिका अदा करता है। साथ ही वायदा बाजार के लिए कुशल और पारदर्शी बाजार उपलब्ध कराता है। जिंस की मांग और आपूर्ति के सभी पहलुओं और लागत को ध्यान में रखते हुए जिंस बाजार में मूल्यों का पता लगाने की कुशल राष्ट्र व्यापी व्यवस्था होनी चाहिए। यह बात उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री डा. अखिलेश प्रसाद सिंह ने एसोचम के दूसरे वार्षिक जिंस सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही।

डा. सिंह ने जिंस बाजार के विकास के लिए सरकार द्वारा किये गए विभिन्न उपायों चर्चा की। और कहा कि इसमें सलाह मशविरा देने वाले कार्य, प्रशिक्षण कार्यक्रम और एफएमसी कार्यालय स्वचालन आदि शामिल हैं। जिंस बाजार पर सुधार प्रक्रिया का काफी प्रभाव पडा है और इससे जिंस वायदा व्यापार व्यापक हुआ है। जिंस वायदा व्यापार जहां 2004–05 में 5.71 लाख करोड़ रुपये का हुआ था वहां 2005–06 में यह बढ़कर 21.34 लाख करोड़ रुपये हो गया। इससे इस क्षेत्र में 274 प्रतिशत वृद्धि का पता चलता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का व्यापार तेजी से बढ़ रहा है।

मंत्री महोदय ने जिंस आदान–प्रदान के सुचारू संचालन के लिए उत्पादों की स्थिर डिलीवरी व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने गुणवत्ता आश्वासन लागू करने और पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं जैसे परिवहन और जिंसों के संभार तंत्र की तत्काल आवश्यकता की भी चर्चा की। इससे भारत जिंस व्यापार के क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के रूप में उभर सकेगा।

रेलवे में सुखद मोड़

आई.के. चारी

भारतीय रेलवे ने जिस वित्तीय रूप से अव्यवहारिक मानते हुए लगभग समाप्त मान लिया गया था, पिछले दो वर्षों में नाटकीय रूप स सुखद वापसी की है। रेलवे के पुनर्जागरण ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और जीई जैसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थानों और कंपनियों में उत्सुकता जगाई है और प्रशंसा हासिल की है। सेवा की गुणवत्ता को ऊंचा उठाते हुए रेलवे में सुधार किया गया है। उसकी इकाई लागत कम हुई है और उससे जो लाभ हुआ है उसको उपभोक्ताओं के साथ बांटा गया है।

आधुनिकीकरण, सुरक्षा और यात्रियों की संरक्षा, संपत्तियों का प्रतिस्थापन और नवीनीकरण, ट्रैक नवीनीकरण, यात्री सुविधाओं में सुधार, खर्च में कमी, उत्पादन में वृद्धि और परिचालन अनुपात में कमी, यात्री और माल यातायात सहित रेलवे प्रणालियो का कम्प्यूटरीकरण, सिगनल और दूरसंचार की नई प्रौद्योगिकी को अपनाया जाना और राजस्व क्षरण को रोकना, भारतीय रेलवे के समग्र विकास की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं।

रुझान वाले क्षेत्र : क्षमता का पूर्ण उपयोग, मालभाड़े और कोंचिग व्यापार में आक्रामक विपणन पहले करते हुए राजस्व में मात्रात्मक रूप से उल्लेखनीय वृद्धि, प्रौद्योगिकी उन्नयन, हानि को कम करना और मार्ग–वार निवेश रणनीति, रेलवे की विकास प्रक्रिया के रुझान के मुख्य क्षेत्र हैं।

यह ध्यान देने योग्य है कि यात्री और माल यातायात दोनों के मिश्रित परिचालन के बावजूद भारतीय रेलवे अमरीका और जर्मनी सहित विश्व की सर्वोत्तम रेलवे प्रणालियों के समकक्ष मानी जाने लगी है।

यात्री सेवा का वर्ष : वर्ष 2006 को मुस्कान के साथ यात्री सेवा का वर्ष घोषित किया गया है। भारतीय रेलवे को और सुरुचिपूर्ण, आरामदेह और यात्रियों की पंसद के अनुरूप बनाने के लिए मंत्रालय ने रेलवे के सभी जोनल जनरल मैनेजरों और 'छुओ और अनुभव करो' के बिंदुओं की सूची जारी की है।

ये, छुओ और अनुभव करो बिंदु हैं–विभिन्न स्टेशनों और रेलगाड़ियों में स्वच्छता के मानक में सुधार प्लेट फार्मों, गलियारों, प्रतीक्षालयों, टिकट बुकिंग, आरक्षण और पूछताछ कार्यालयों के सामने प्रकाश व्यवस्था में सुधार, सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों के आसपास के क्षेत्रों में सुधार और उनको भीड़भाड़ से मुक्त रखना तथा उचित रूप से पार्किंग क्षेत्रों की व्यवस्था कर यातायात को सुगम बनाना, प्रतीक्षालयों, मुसाफिरखानों और विश्राम कक्षों का उन्नयन, सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों पर बनाना, प्रतीक्षालयों, मुसाफिरखानों और विश्राम कक्षों का उन्नयन सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों पर गाड़ियों के आने–जाने की स्थिति दर्शाने वाले बोर्ड लगाना, स्टेशनों में उद्घोषणा व्यवस्था में सुधार, बुकिंग और पूछताछ कार्यालयों का उन्नयन, प्रतीक्षा अवधि को कम करने के लिए अधिक काउंटरों की व्यवस्था, सभी स्टेशनों पर पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना, मुसाफिर खानों/प्लेट फार्मों में लोगों की बैठने के लिए पर्याप्त स्थानों की व्यवस्था, गाड़ियों में सुधार और जनता की अन्य शिकायतों को दूर करना शामिल हैं। शिकायत नियंत्रण कक्ष की 24 घंटे व्यवस्था भी इस योजना में शामिल हैं।

नई खान–पान नीति : रेलवे ने गाड़ियों में परोसे जाने वाले भोजन के स्तर में सुधार और अधिक राजस्व कमाने के लिए नई खान–पान नीति तैयार की है। इस नीति के तहत खान–पान के ठेके अब खुली टेंडर प्रणाली के जरिए दिए जाएंगे।

फ्रिक्वैन्ट ट्रैवलर्स स्कीम : उच्च श्रेणी, जिनमें लोग कम यात्रा करते हैं उनमें यात्रा करने के लिए लोगों प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्कीमऑफ ट्रैवलर्स (एफओएफटी) नाम से एक नई योजना शुरू की गई है, जो एसी प्रथम श्रेणी, एसी द्वितीय श्रेणी और एसी चेयर कार वर्ग के लिए लागू होगी। बार–बार यात्रा करने वालों को प्रत्येक यात्रा के लिए पुरस्कार अंक प्रदान किए जाएंगे। इन अंकों के बदले में बाद में उन्हें एक यात्रा का उपहार दिए जाएगा।

देश के कुछ चुनिंदा स्थानों के बीच गरीब रथ गाड़ियों को चलाने को प्रस्ताव है। ये गाड़ियां पूरी तरह वातानुकूलित होंगी और इनका किराया वर्तमान एसी तृतीय श्रेणी के किराये से 25 प्रतिशत कम होगा। ये गाड़ियां दिल्ली–पटना–दिल्ली– मुंबई–दिल्ली चेन्नई और सहरसा–अमृतसर खंडों में चलाई जाएगी। धीरे–धीरे ये गाड़ी देश के सभी राज्यों की राजधानियों में भी शुरू की जाएंगी। ये गाड़ी अक्तूबर 2006 में शुरु होगी। तत्काल बुकिंग अब पांच दिन पहले की जा सकती है। इसके अलावा उच्च श्रेणी के डिब्बे में स्वतः स्थान दिए जाने की व्यवस्था भी शुरु की गई है। ये सुविधा इन्टरनेट और ई–टिकटिंग सुविधा सहित सभी गाड़ियों के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा प्रतीक्षारत टिकटों को स्वयं बनाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई है।

किराए में कोई वृद्धि नहीं : डीजल और पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि के बावजूद रेलवे ने यात्री किराये में कोई वृद्धि नहीं की है। विकास के लिए रेलवे ने यात्री प्रोफाइल प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ किया है। विभिन्न प्रकार के आरक्षण कोटा को तर्कसंगत बनाया है और खाली चलने वाली ट्रेनों से डिब्बों को हटाकर लंबी प्रतीक्षा सूची वाली गाड़ियों में लगाया गया है।

यात्रियों का उच्च श्रेणी में उन्नयन : उच्च श्रेणियों में यात्रा के लिए लोगों को आकर्षित करने की ठोस रणनीति बनाई गई है। रेलवे ने निम्न श्रेणी के प्रतीक्षारत यात्रियों को उच्च श्रेणी के खाली सीटों पर स्वतः स्थान देने की योजना शुरू की है। 26 जनवरी, 2006 से शुरु हुई इस योजना के लिए कोई अतिरिक्त प्रभार नहीं लिया जा रहा है। इस उन्नयन व्यवस्था से प्रतीक्षारत यात्री अब उच्च श्रेणी के डिब्बों को रिक्त स्थानों में मजे से यात्रा कर रहे हैं।

वर्तमान में प्रतीक्षा सूची वाले यात्री जिनका आरक्षण नहीं हो सका है, उन्हें पहले अपना टिकट निरस्त कराना पड़ता है और फिर लाइन में लग कर ट्रेन के लिए नया टिकट खरीदना पड़ता है। रेलवे ने अब तय किया यात्रा की तारीख, ट्रेन और श्रेणी आदि में परिवर्तन की सुविधा प्रतीक्षा सूची के यात्रियों के टिकटों पर भी दी जाएगी। इन सब उपायों से यात्री गाड़ियों में स्थानों का बेहतर इस्तेमाल होगा और यात्री आय में भी बिना किराए बढ़ाये ही वृद्धि हो सकेगी।

ई–गवर्नेन्स : इंटरनेट के जरिए टिकटों का आरक्षण उन सभी गाड़ियों के लिए उपलब्ध है, जिनमें कम्प्यूटर के जरिए आरक्षण होता है। वर्तमान में कोई भी उपभोक्ता इंटरनेट के जरिए अपना टिकट बुक कर सकता है, बशर्ते कि वो ऑन लाइन भुगतान कर सके।

इंटरनेट के जरिए बुकिंग को लोकप्रिय बनाने के लिए टिकटों की डिलीवरी का विस्तार अब 181 शहरों में कर दिया गया हैं इंटरनेट और प्रीपेड कैश कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड के जरिए भुगतान करने के विकल्पों को सरल और उदार बनाया गया है। बुकिंग समय भी अब सप्ताह के सभी कार्य दिवसों में सुबह 4 बजे से रात साढ़े ग्यारह बजे तक और रविवार को सुबह 4 बजे से रात के 8 बजे तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा मोबाइल फोन के जरिए बुकिंग की सुविधा भी शुरू की गई है। इसके साथ ही जहां पारंपरिक टिकट समाप्त हो गए हैं वहां ई–टिकटिंग के जरिए भी टिकट बुक कराने की सुविधा मिली हुई है।

इन्टरएक्टिव वॉयस रिकार्डिंग प्रणाली के जरिए गाड़ियों को आने–जाने की स्थिति, पीएनआर स्थिति और उपलब्ध स्थान की जानकारी प्राप्त करने के लिए एकीकृत ट्रेन पूछताछ प्रणाली शुरु की गई है। राष्ट्रीय ट्रेन पूछताछ प्रणाली भी शुरू की गई है, जिससे यात्रियों को ताजी स्थिति को जानकारी दी जा सके। इन केंद्रों की क्षमता प्रतिदिन एक लाख टेलीफोन कॉल सुनने की होगी। यह प्रणाली देश के नियंत्रण कक्षों द्वारा रियल टाइम इन पुट के आधार पर चल रही है। वेब संपर्क भी वेबसाइट ूण्जतंपमदुनपतलण्बवउ पर उपलब्ध है।

(लेखक जन संपर्क निदेशक (रेलवे) हैं)

भारत निर्माण कार्यक्रम के तहत 25870 गांवों में टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध

जून महीने में नये टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या में लगातार वृद्धि कायम रही। इस दौरान, 49.70 लाख नये फोन यानि औसतन प्रतिदिन 1.66 लाख फोन कनेक्शन दिए गए। परिणामस्वरूप, देशभर में टेलीफोन कनेक्शनों की कुल संख्या 31 मई, 2006 के कुल 1484.20 लाख के मुकाबले 1533.90 लाख तक पहुंच गई, जो 3.35 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। जून, 2005 के मुकाबले जून, 2006 में टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या में 48.50 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस दौरान मोबाइल फोन से जुड़े सभी क्षेत्रों में विकास दर्ज किया गया, जिसमें जीएसएम का योगदान 31.90 लाख और सीडीएमए का योगदान 16.80 लाख कनेक्शनों का रहा। इस प्रकार इस महीने के दौरान, फिक्सड लाइन सेगमेंट में 1.20 लाख अतिरिक्त फोन लगाए गए।

कुल मिलाकर जून, 2006 में टेलिघनत्व में 13.91 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो मई, 2006 में 13.27 प्रतिशत और 30 जून, 2005 को 9.37 प्रतिशत था। पूर्वोत्तर टेलिकॉम सर्किल में जीएसएम सेगमेंट की सर्वाधिक वृद्धि दर (10.10 प्रतिशत), उसके बाद मध्य प्रदेश (9.22 प्रतिशत), असम टेलिकॉम सर्किल में (7.51 प्रतिशत) दर्ज की गई। सीडीएमए के सेगमेंट में 16.50 लाख नये उपभोक्ताओं के साथ 16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इसमें आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र का योगदान अधिकतम है। माह के दौरान अकेले आंध्र प्रदेश में इसके 4.07 लाख नये उपभोक्ता शामिल हुए।

इसके अतिरिक्त मई, 2006 के अंत में ब्रॉडबैंड कनेक्शन के क्षेत्र में सुधार हुआ। लगभग 14.60 लाख ब्रॉडबैंड कनेक्शन उपलब्ध कराए गए और सार्वजनिक क्षेत्र के सेवा प्रदात्ताओं द्वारा 354 शहरों को ब्रॉडबैंड कनेक्शन के दायरे में लाया गया। इस समय 408 आईएएपी लाइसेंस धारक मौजूद है।

भारत निर्माण कार्यक्रम के तहत नवंबर 2004 तक शेष 66,822 गांवों में से कुल 25,870 गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध कराए गए। शेष 40952 गांवों, जिनकी जनसंख्या 100 से अधिक है और जो घने जंगलों वाले क्षेत्र में स्थित नहीं हैं, उन्हें नवंबर, 2007 तक इसके दायरे में लाया जाएगा।

एशिया के पुनरूत्थान में भारत की भूमिका

एशियाई विकास बैंक का भारत संस्थापक सदस्य है। इस बैंक ने 1997 के एशियाई वित्त संकट के बाद की स्थिति को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने एशियाई सुनामी, बड़े–बड़े भूकंपों और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सराहनीय कार्य किया। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए धन उपलब्ध कराने की इस बैंक की विशेषज्ञता की भारत बहुत कद्र करता है। इस बैंक से प्राप्त ऋणों से भारत में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए धन मुहैया हुआ। जम्मू–कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों जैसे दूर–दराज के क्षेत्रों को भी इस बैंक से प्राप्त धन से लाभ हुआ।

अगले कुछ वर्षों में भारत को अपनी बुनियादी ढांचे की जरूरतों के लिए 150 अरब डॉलर की जरूरत है। एशियाई विकास बैंक ने सार्वजनिक परिवहन, बिजली और शहरी बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं को समर्थन दिया है। अब यह जलाशयों को फिर से सक्रिय करने, पर्यटन के बुनियादी ढांचे और कृषि व्यापार जैसे नए क्षेत्रों के लिए धन उपलब्ध कराने पर विचार कर रहा है। हमारी पूंजी निवेश की दर हाल के वर्षों में बढ़कर हमारे घरेलू उत्पादन के 31 प्रतिशत तक पहुंच गई है। आने वाले वर्षों में पूंजी निवेश की दर और विदेशी निवेश की दर में और बढ़ोत्तरी होने की संभावना है।

पूर्व की ओर ताकने की नीति : भारत की पूर्व की ओर ताकने की नीति ने विश्व के बारे में हमारी दृष्टि की रणनीति में परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1940 और 1950 के दशकों में जब हम नए एशिया के निर्माण में सक्रिय रूप में लगे थे, इससे हमें उस समय की हमारी नीतियों को सहारा लेने में मदद मिली। भारत इस क्षेत्र के देशों के साथ मुक्त व्यापार और व्यापक आर्थिक विकास के लिए समझौते कर अपने संबंध बढ़ा रहा है। सार्क देशों, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार के समझौते कर लिए गए हैं। आसियान देशों, जापान, जनवादी गणराज्य चीन और दक्षिण कोरिया के साथ समझौतों पर बातचीत चल रही है। इन समझौतों से एश्यिा की सभी अर्थव्यवस्थाओं और संभवतः आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार शुरू हो जाए। पूरे एशिया में मुक्त व्यापार ही एशिया का भविष्य है। इस सपने को ध्यान में रखकर सीमा शुल्क की दरों में कटौती की गई है। साढ़े बारह प्रतिशत की वर्तमान दर आसियान स्तर के बहुत करीब है। भारत ने अपने नीतिगत उद्देश्यों में अपनी शुल्क दरों को आसियान के स्तर तक लाने की घोषणा की है। दक्षिण पूर्व एशिया के पास प्राकृतिक साधनों का भरपूर भंडार है, तकनीकी और वैज्ञानिक दक्षता है, वैश्वीकरण से यह मौका मिलता है कि इन संसाधनों का लाभ उठाया जाए, ताकि इससे ने केवल देश की या इस देश की, बल्कि विश्व की विकास संभावनाओं में बढ़ोत्तरी हो।

1997 का वित्तीय संकट : 1997 के एशियाई वित्तीय संकट से वे देश प्रभावित हुए जो चमत्कारिक अर्थव्यवस्था के रूप में प्रसिद्ध थे। यह संकट जिस तेजी से आया और जितना जबरदस्त था, उससे विश्व के वैश्वीकरण पर और आर्थिक विकास के जिस ढांचे पर आम सहमति बन रही थी, उस पर से विश्वास हिल गया। संकट से निबट लिया गया और प्रभावित अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आ गई है। उनमें से कुछ ने तो पहले से ज्यादा ऊंची विकास दर हासिल कर ली है, इनमें इन देशों की क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रणाली के लचीलेपन का पता चलता है।

विश्व में असंतुलन : विश्व के देशों के बीच असंतुलन को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों की भूमिका ज्यादा प्रासांगिक बन जाती है। विभिन्न देशों के चालू खातो में भारी अंतर को देखकर विश्व में असंतुलन का पता चलता है। सन् 2005 में अमरीका के चालू खाते का घाटा 805 अरब डालर था जो उसके सकल घरेलू उत्पाद का 6.4 प्रतिशत था। 2005 में ही जापान की चालू खाता बचत 163.9 अरब डालर थी, चीन की 158.6 अरब डालर और मध्य एशिया के देशों की 196 अरब डालर थी। चालू खातों में अंतर की कुछ हद तक तो आशा ही की जाती है और विश्व की अर्थव्यवस्था में ये वांछनीय भी हैं पर बहुत भारी अंतर अस्थिरता और कठिनाईयों को जन्म देते हैं। इन असंतुलनों का जो स्तर है वह हमेशा नहीं रह सकता। इसलिए जिन देशों में स्थिति चालू खाते में बचत की है उन दोनों को असंतुलन दूर करने के प्रयास करने चाहिए। स्थिति को बिगड़ने से बचाने के लिए मिलकर प्रयास करने की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को भी इसमें काफी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

विश्व विकास का इंजन : हाल के वर्षों में एशियाई क्षेत्र विकास का इंजन बन गया है। अमरीका और यूरो मुद्रा वाले देश काफी लचीला अर्थव्यवस्था वाले देश बने रहेंगे और विश्व अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण रहेंगे। लेकिन भारत सहित पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया के देश विश्व अर्थव्यवस्था में अपना दर्जा और भूमिका बढ़ाएंगे। एशिया विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में अपना हिस्सा बढ़ाना जारी रखेगा। यहां से निर्यात भी बढ़ेंगे और आयात के लिए मांग भी बढ़ेगी। एशिया में खाद्यान्नों और ऊर्जा की खपत बढ़ेगी। एशिया में बेहतर सेवाओं के लिए मांग बढ़ेगी। एशिया में बेहतर सेवाओं के लिए मांग बढ़ेगी।

चीन का उदाहरण : अन्य देशों की सफलताएं देखकर भी एशियाई क्षेत्र में सीखने की संभावनाएं हैं। चीन की अर्थव्यवस्था ने पिछले दो दशकों में बहुत बढ़िया कार्य किया है और ऐसी उंची विकास दर प्रदर्शित की है। जिससे अधिकतर देशों को ईर्ष्या हो रही है। इससे करोड़ों लोग घोर गरीबी के दायरे से निकल आए हैं। चीन ने अन्य देशों में सामान और सेवाओं की मांग को बढ़ाया है। चीन कई तरीकों से विश्व अर्थव्यवस्था के विकास का इंजन बन गया है।

कल्याणकारी गतिविधियां : आज जब विश्व एक एकल अर्थव्यवस्था बन रहा है, विकास और प्रगति अलग–अलग ढंग से नहीं हो सकती, विश्व के देशों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का कल्याणकारी गतिविधियां बढ़ाने के लिए मिलजुलकर प्रयास करना चाहिए। एशिया के सामने इस समय ऐसा क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वातावरण पैदा करने की चुनौती है जो ऊंची विकास दर को लगातार बनाए रखने के अनुकूल हो।

आबादी के उपेक्षित वर्ग को भी विकास में प्रभावशाली भागीदार बनने में सहायता करनी चाहिए। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आमदनी में अंतर को दूर करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। विकास की रफ्तार को बनाए रखने के लिए लाभों को पूरे क्षेत्र में और विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच वितरण में बेहतर संतुलन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के दो वर्ष
श्रम और रोजगार मंत्रालय की उपलब्धियां

श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार का सबसे पुराना और महत्वपूर्ण मंत्रालय है। सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंध कायम करना और सबसे ज्यादा श्रमिकों के हितों की रक्षा करना, ताकि उन्हें उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए स्वस्थ कामकाजी माहौल मिले, इस मंत्रालय की जिम्मेदारी है। यह मंत्रालय व्यावसायिक तथा कौशल प्रशिक्षण और रोजगार सेवाओं में तालमेल रखने के लिए भी जिम्मेदार है।

मई, 2004 में सत्ता संभालने के बाद संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम को स्वीकार किया। के अनुसार श्रम मंत्रालय पिछले दो वर्षों में श्रमिकों के कल्याण के लिए विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए इस कार्यक्रम को पूरा करती रही है और न्यूनतम वेतन कारगर ढंग से लागू करना, बाल मजदूरी को समाप्त करना और श्रम कानूनों की समीक्षा करने पर पूरा ध्यान देता रहा है।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का कल्याण

देश की कुल श्रम शक्ति का 93 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है। श्रम मंत्रालय अपना पूरा ध्यान इस क्षेत्र की ओर केंद्रित किए हुए है। मंत्रालय ने असंगठित क्षेत्र श्रमिक विधेयक, 2004 का मसौदा फिर से तैयार करने में सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों और संगठनों से विचार–विमर्श किया। मसौदे में शामिल करने के लिए राष्ट्रीय सलाहकार परिषद तथा राष्ट्रीय असंगठित क्षेत्र उद्यम आयोग से भी सामग्री प्राप्त हुई थी। इस विधेयक का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सेवा शर्तों तथा रोजगार को विनियमित करना और उन्हें सामाजिक सुरक्षा और संरक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना है। विधेयक के मसौदे पर अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 40वें अधिवेशन (दिसंबर, 2005) में विचार–विमर्श किया गया था। अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की सिफारिश पर एक त्रि–पक्षीय कार्यदल गठित किया गया है, जो विधेयक के मसौदे पर विचार कर उसे अंतिम रूप देगा।

इस बीच मंत्रालय ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के बारे में माननीय प्रधानमंत्री को एक प्रतिवेदन दिया है। इसी के अनुसरण में योजना आयोग के सदस्य, एलईएम, की अध्यक्षता में जीवन बीमा निगम के साथ मुंबई में बैठक आयोजित की गई। बैठक में यह सुझाव दिया गया कि जीवन बीमा निगम (1) 5,000 रुपए का जीवन बीमा (2) 40,000 रुपए दुर्घटना बीमा (3) 6,000 रुपए के हिसाब से स्वास्थ्य बीमा, (4) दो बच्चों तक प्रसूति के लिए 1,000 रुपए का मातृत्व लाभ और (5) 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए या 50 रुपए प्रति माह के हिसाब से आजीवन न्यूनतम पेंशन की गारंटी के प्रावधान के लिए आवश्यक धन राशि का आंकलन करेगा। इस योजना के लिए धन जुटाने के वास्ते कुछ उपाय भी सुझाए गए थे। जीवन बीमा निगम ने आवश्यक धनराशि का आंकलन करके बताया है कि निगम ने सभी पहलुओं की गहराई से जांच के लिए एक 'विशेष व्यावसायिक समूह' (एसबीजी) का गठन किया है। यह समूह असंगठित क्षेत्र के 37 करोड़ श्रमिकों के लिए इसी प्रकार की अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन सहित सभी पहलुओं पर विस्तार से गौर करेगा। एसबीजी की रिपोर्ट अभी आनी है। इस प्रस्ताव पर जीवन बीमा निगम के अधिकारियों तथा अन्य एजेंसियों से विचार–विमर्श किया जा रहा है।

श्रम कल्याण योजनाएं

मंत्रालय का श्रम कल्याण संगठन बीड़ी निर्माण, सिनेमा क्षेत्र और कोयले के अलावा अन्य खानों में काम करने वाले श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए कल्याण योजनाएं चला रही है। सरकार ने कारखानों में निर्मित बीड़ियों पर उपकर 2 रुपए प्रति हजार से बढ़ाकर 4 रुपए प्रति हजार और अब पहली अप्रैल, 2006 से इसे बढ़ाकर 5 रुपए प्रति हजार बीड़ी कर दिया है। सरकार ने आवास सब्सिडी के लिए अनुदान को उदार बनाया है तथा आवास योजना को विकेन्द्रीकृत कर दिया है। ये योजनाएं संबंधित राज्य सरकारें स्वयं लागू करेंगी। इस योजना के तहत आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और कर्नाटक में आवासों के निर्माण की मंजूरी दी गई है। श्रमिकों के लिए प्रति आवास 40,000 रुपए की सब्सिडी प्राप्त करने के लिए उनका हिस्सा 40,000 रुपए से घटाकर मात्र 5,000 रुपए कर दिया गया है। योजना आयोग ने बीड़ी श्रमिकों आदि के द्वारा आवासों के निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए की सांकेतिक राशि निर्धारित की है। ऐसी ही एक योजना के तहत वर्ष 2006–07 के दौरान एक लाख आवास बनाए जाएंगे। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए स्वास्थय तथा चिकेत्सा देखभाल, स्कूल तथा कॉलेज जाने वाले बच्चों के लिए छात्रवृत्ति (पहली कक्षा के लिए 250 रुपए प्रति वर्ष से लेकर बीई/एमबीबीएस के लिए 8,000 रुपए) आदि जैसी कई अन्य कल्याणकारी योजनाएं लागू की जा रही हैं। देश में बीड़ी श्रमिकों के लिए 7 अस्पताल तथा लगभग 270 डिस्पेंसरियां हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल के पुरूलिया जिले में झाल्दा में बीड़ी श्रमिकों के लिए एक और अस्पताल मंजूर किया गया है।

देश में 2 करोड़ के आसपास राजमिस्त्री और मजदूर हैं। इन श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने भवन तथा अन्य विनिर्माण श्रमिक (रोजगार विनियमन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 तथा भवन और अन्य विनिर्माण श्रमिक कल्याद उपकर अधिनियम, 1996 बनाया है। केरल, मध्य प्रदेश, पांडिचेरी, दिल्ली, उत्तरांचल, गुजरात और पश्चिम बंगाल ने इन पर अमल करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर मंत्रालय ने राज्यों में निम्नलिखित कानूनों के अमल पर निगरानी के लिए विशेष समूह गठित किया है:

- भवन निर्माण और अन्य विनिर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996

- भवन निर्माण और अन्य विनिर्माण श्रमिक (रोजगार और सेवा शर्तों का नियमन) अधिनियम, 1996
- बधुआ मजदूर (उन्मूलन) अधिनियम, 1976

श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में गठित एक विशेष समूह विभिन्न राज्यों का दौरा कर राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों से इन अधिनियमों पर शीघ्रातिशीघ्र अमल करने पर जोर दे रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू–कश्मीर पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विशेष समूह ने क्षेत्रवार अब तक छह बैठकें की हैं। इनके अलावा गुवाहाटी, तिरुवनन्तपुरम और अहमदाबाद में राष्ट्रीय स्तर की तीन कार्यशालाएं भी आयोजित की हैं।

न्यूनतम वेतन अधिनियम

मजदूरों के हितों, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अमल पर निगरानी के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से गैर–सरकारी संस्थाओं/व्यक्तियों से निगरानी कराने की बाहरी पद्धति शुरू करने को कहा है। तद्नुसार राज्य सरकारें अधिनियम के अमल पर नजर रखने के लिए गठित सलाहकार बोर्डों में गैर–सरकारी संस्थाओं/व्यक्तियों को शामिल कर रही है। मुख्य केंद्रीय आयुक्त के अधीन काम करने वाले श्रम आयुक्तों से भी कहा गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि किसी भी मजदूर को केंद्र/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम वेतन न दिया जाए।

औद्योगिक संबंध

सद्भावपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखना मंत्रालय का घोषित लक्ष्य रहा है। केंद्र और राज्यों के औद्योगिक संबंध विभागों के लगातार प्रयासों से देशभर में औद्योगिक वातावरण आम तौर पर शान्तिपूर्ण और सौहार्द्रपूर्ण रहा है।

वर्ष 2004–05 के दौरान मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) संगठन ने 6,236 विवादों को निपटाया और करीब 1,556 मामलों का औपचारिक रूप से निटान हुआ, मध्यस्थता के जरिए 2017 मामले निपटाए गए, जो पहले से 7 प्रतिशत ज्यादा है। हड़ताल की 447 संभावनाओं मेंसे 440 बार मेल–मिलाप और मध्यस्थता के जतरए हड़ताल को टाल दिया गया। इस प्रकार हड़तालों की संभावनाओं को समाप्त करने की सफलता का प्रतिशत 98 से भी अधिक रहा।

पिछले दो वर्षों में कई बड़ी हड़तालों को होने से रोक दिया गया और बैंकिंग उद्योग, सीमेंट उद्योग, ओएनजीसी, बीएसएनएल, एमटीएनएल, सभी बड़े बन्दरगाहों और गोदियों, तेल उद्योग, हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, भारत सरकार के टकसाल और सिक्योरिटी प्रेस इंडियन एयर लाइन्स आदि में राष्ट्रीय स्तर के समझौते कराए गए।

त्रिपक्षीय बैठकें

त्रिपक्षीय वार्ताओं की विशेषताओं और संस्कृति के महत्व को समझते हुए सरकार ने इसी प्रणाली को मजबूत करने के लिए उपाय किए। श्रम मंत्रालय ने अन्य समाज महत्वपूर्ण लोगों और संगठनों से सलाह–मशविरा करना जारी रखा, ताकि नए कानून बनाने के लिए या मौजूदा कानूनों में परिवर्तन के लिए आम सहमति बन सके। मंत्रालय का उद्देश्य श्रम वर्ग के लिए नीति बनाते समय समाज के सभी पक्षों के विचारों को सामने रखना है। नद्नुसार, श्रम मंत्रालय ने विभिन्न समितियों और बोर्डों के साथ अनेक त्रिपक्षीय बैठकें की, जिसमें राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष त्रिपक्षीय संस्था भारतीय श्रम सम्मेलन का 40वां अधिवेशन भी शामिल है।

संगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) ब्याज दर

सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा सुझाए गए फार्मूले के अनुसार सरकार ने वर्ष 2002–03 और 2003–04 के लिए ईपीएफ की जमा राशि पर 9.5 प्रतिशत की दर से ब्याज को मंजूरी दी। यह मामला पिछले तीन वर्षों से लंबित था। 2004–05 के लिए 9.5 प्रतिशत और 2005–06 के लिए 8.5 प्रतिशत की दर से ब्याज भुगतान की मंजूरी दी गई है। वर्ष 2004–05 में कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन के अंतर्गत 38,445 नए प्रतिष्ठान (कंपनियां) लाए गए, जबकि वर्ष 2003–04 में यह संख्या 25878 थीं। इस प्रकार नए प्रतिष्ठानों की संख्या में 48.56 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई।

वर्ष 2004–05 के दौरान 10 लाख 18 हजार नए अंशदाता शामिल हुए। इनमें से 8 लाख 83 हजार अंशदाता असंगठित क्षेत्र के थे।

कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन (ईपीएफओ) के तीन कोषों में जमा राशि में 17.03 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। छूट रहित भविष्य निधि को मिलाकर यह राशि 1,99,015,39 करोड़ रुपए हो गई।

कर्मचारी भविष्य निधि का कंप्यूटरीकरण कर दिया गया है और प्रत्येक अंशदाता को राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा क्रमांक दिया गया है। 29.04 लाख से अधिक नाम रिकार्ड कर लिए गए हैं, जिनमें से 28,78,593 के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा क्रमांक निश्चित कर लिए गए हैं।

कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) योजना

श्रम मंत्रालय के अधीन काम कर रहे कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने नए क्षेत्रों के इस योजना में शामिल होने के लिए वेतन सीमा की पात्रता 6,500 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए कर दी है। इस प्रकार 6 लाख 57 हजार नए कामगारों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआई) शामिल किया गया है।

निगम ने अंशदाताओं की स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान दिया है और वर्ष 2004 से 2006 के दौरान 35,000 फैक्ट्रियों/प्रतिष्ठानों को इसमें शामिल किया गया। चिकित्सा व्यय 750 रुपए से बढ़ाकर 900 रुपए प्रति व्यक्ति कर दिया है। निगम ने हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता में चार क्षेत्रीय सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों की स्थापना के लिए मंजूरी दी है।

व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों/संस्थाओं में प्रशिक्षण पाने वाले बीमित विकलांग व्यक्तियों को दैनिक नकद भत्ते की राशि 45 रुपए से बढ़ाकर 123 रुपए कर दी गई है। पूर्वोत्तर राज्यों में इस योजना का पूरा खर्च कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा वहन करने की अवधि भी तीन वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई।

निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों में आवर्ती कोष बनाए गए हैं ताकि राज्य सरकारों द्वारा खरीद की गई दवाओं आदि की राशि का भुगतान किया जा सके।

ईएसआईसी के अस्पतालों में आयुर्वेदिक औषधियां खरीदने के लिए पहली बार आयुर्वेदिक दवाओं की संविदा दर तैयार की गई है। एड्स कार्यक्रम के तहत मरीजों को 15,000 रुपए की दवाएं मुफ्त प्रदान करने वाला ईएसआईसी, देश के चुनिंदा संगठनों में शामिल हो गया है। निगम ने 35 स्वैच्छिक परामर्श और परीक्षण केंद्रों को एचआईवी/एड्स कार्यक्रमों के अंतर्गत उपकरण भी दिए हैं और 42 एसटीडी केंद्र भी स्थापित किए हैं।

श्रमिकों को बेरोजगार भत्ता

विभिन्न कारणों से छटनी और कारखानों के बंद होने के कारण बेरोजगार हुए श्रमिकों के संरक्षण के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के नाम से एक नई योजना शुरू की है। यह योजना ईएसआई योजना के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए है। देश में अपने तरह की पहली, इस योजना में छटनी आदि के कारण बेरोजगार हुए श्रमिकों/कामगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। यह योजना पहली अप्रैल, 2005 को शुरू की गई थी और मार्च, 2006 तक 179 मामलों में 24 लाख 63 हजार रुपए का भुगतान किया गया है।

श्रम कानूनों को सरल बनाना

वेतन भुगतान अधिनियम 1936 को संशोधित कर उसका कार्यक्षेत्र और उसके प्रवर्तन की सीमा में विस्तार किया गया है। संशोधन के अनुसार कानून के लागू होने के लिए मौजूदा सीमा 1600 रुपए से बढ़ाकर 6500 रुपए प्रतिमाह कर दी गई है और भविष्य में अधिसूचना के जरिए इस सीमा को बढ़ाने का सरकार को अधिकार दिया गया है। संशोधन के अंतर्गत इस कानून को लागू करने के लिए शिकायतों के निपटान के मामले में और कड़ी व्यवस्था की गई है।

महिलाओं के रोजगार में और लचीलापन लाने के लिए 1948 के फैक्ट्री अधिनियम की धारा 66 को संशोधित करने के लिए संसद में विधेयक पेश किया गया है। विधेयक के अनुसार महिलाओं को रात की पाली में काम करने के दौरान पर्याप्त सुरक्षा, उनके सम्मान की रक्षा के साथ–साथ कार्य स्थल से घर तक लाने ले जाने के लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

श्रम कानूनों संबंधी विभिन्न प्रकार के आवेदन पत्रों और रजिस्टरों को सरल बनाने के लिए भी राज्य सभा में बिल पेश किया गया है।

मंत्रिमंडल ने अप्रेन्टिस अधिनियम 1961 में संशोधन की मंजूरी दे दी है, जिससे अन्य बातों के अलावा अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण की सुविधा प्रदान की जा सकेगी।

कौशल उन्नयन

श्रमिकों का कौशल उन्नयन और उन्हें आधुनिक कौशल प्रदान करना संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की एक और प्राथमिकता है। देश में केवल 5 प्रतिशत श्रमिक ही कुशल कामगारों की श्रेणी में आते हैं। श्रम मंत्रालय ने मौजूदा औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों (आईटीआई) में से 500 संस्थाओं के उन्नयन का निर्णय लिया है। इन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर के बहुविधि कुशलता वाले श्रमिकों को तैयार करने के उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा।

इस योजना की महत्वपूर्ण बातों में पहले वर्ष बहुविधि पाठयक्रमों का शामिल किया जाना शामिल है, इसके बाद उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार उन्नत/विशिष्ट पाठयक्रम शुरू किए जाएंगे, जिनमें छात्र किसी भी स्तर पर प्रवेश ले सकेंगे या पाठ्यक्रम छोड़ सकेंगे। इसके लिए सरकारी–निजी क्षेत्र की भागीदारी पर जोर दिया गया है और प्रशिक्षण के सभी पहलुओं में उद्योगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन समिति संस्थान बनाया गया है। 16 क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षण के 96 पाठ्यक्रम और 13 क्षेत्रों के लिए 57 उन्न किस्म के पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं।

पहले बैच में एक सौ उत्कृष्टता केंद्रों में घरेलू संसाधनों से उन्नयन का काम हाथ में लिया गया है। इनमें से 80 केंद्रों में वर्ष 2005 में ही प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया था। 16 अन्य केंद्रों में, इस वर्ष अगस्त में उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। इन सभी सौ केंद्रों पर 1 अरब 60 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें से केंद्र का हिस्सा 1 अरब 20 करोड़ रुपए का होगा। शेष 40 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकारें वहन करेंगीं। इस प्रकार केंद्र और राज्य सरकारों में लागत के लिए राशि देने का हिस्सा 75:25 में होगा।

बाकी के 400 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उत्कृष्टता केंद्रों में बदलने के प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग को भेजे गए हैं, जो आर्थिक सहायता के लिए विश्व बैंक से बात करेगा। विश्व बैंक इस प्रस्ताव पर केंद्र और राज्य सरकारों से बात कर रहा है। विश्व बैंक की अंतरिम रिपोर्ट अगस्त–सितंबर 2006 मिल जाने की संभावना है। इस बीच मंत्रालय की 100 अन्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अगस्त 2006 से उत्कृष्टता केंद्रों में बदलने की योजना है, जिसके लिए विश्व बैंक राशि देने को सहमत हो गया है।

गैर औपचारिक साधनों से प्राप्त कौशल का परीक्षण और प्रमाणन

गैर–सरकारी साधनों और तरीकों से हासिल कौशल के परीक्षण और प्रमाणन के लिए प्रयोग के तौर पर एक नई योजना शुरू की गई है। शुरू में विनिर्माण उद्योग विकास परिषद (सीआईडीसी) को इस कार्यक्रम को लागू करने वाली एजेंसी के रूप में अनुबंधित किया गया है। परिषद

ने अब तक करीब 6 हजार विनिर्माण श्रमिकों का परीक्षण कर उनको प्रमाण–पत्र दिया है। एक और विनिर्माण एजेंसी, हैदराबाद की नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन को, निर्माण क्षेत्र के मजदूरों के कौशल के परीक्षण और प्रमाणन की एजेंसी के रूप में चिन्हित किया गया है। यह योजना पंजाब, केरल, तमिलनाडु और जम्मू–कश्मीर में शुरू हो चुकी है।

व्यावसायिक गतिविधियों का विस्तार

अब तक 237 नई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) स्थापित किए गए और कुछ मौजूदा संस्थानों में सीटें बढ़ाई भी गई है। इस प्रकार प्रशिक्षण के लिए 12,550 सीटों की वृद्धि हुई है। शिल्पकार प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय कुल सीटों की संख्या 7.18 लाख हो गई है।

रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के अंतर्गत क्षेत्रीय और राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक रोजगार योग्य क्षेत्रों में 11,500 से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है।

रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के क्षेत्रीय संस्थानों ने 35 हजार से अधिक औद्योगिक कर्मचारियों को उद्योगों की आवश्यकतानुसार उन्नत व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया गया है।

रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों में शारीरिक रूप से विकलांग 56,971 व्यक्तियों को प्रदेश दिया गया, 56,291 का मूल्याकलन किया गया, 2,201 को प्रशिक्षण दिया गया और 20,938 को इन केंद्रों में खपाया गया।

सार्वजनिक–निजी क्षेत्र की भागीदारी

28 राज्यों के 492 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में और संस्थान प्रबंधन समितियां गठित करके निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा दिया गया।

विश्व कौशल प्रतियोगिता में भागीदारी

भारत ने मेलबोर्न (आस्ट्रेलिया) में 6 से 10 मई, 2006 तक हुई विश्व कौशल प्रतियोगिता में भाग लिया।

बालश्रम उन्मूलन

बालश्रम का उन्मूलन, विशेषकर खतरनाक व्यवसायों से बाल मजदूरों को हटाना, श्रम मंत्रालय के सबसे महत्वपूर्ण प्रयासों में से एक है। बाल श्रम समस्या से प्रभावित जिलों में 100 और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं (एनसीएलपी) शुरू की गई हैं जिन्हें मिलाकर इनकी संख्या 250 हो गई है। योजनाओं में संशोधन करके अन्य सरकारी कार्यक्रमों के साथ इसके समन्वय पर विशेष जोर दिया गया है। संशोधित योजना के तहत 9 से 14 वर्ष के बाल श्रमिकों को मुख्य धारा में लाकर एनसीएलपी के अधीन चल रहे विशेष स्कूलों में औपचारिक शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जाएगा। 5 से 8 वर्ष के बाल श्रमिकों को भी सर्व शिक्षा अभियान के तहत मुख्य धारा में लाकर स्कूली शिक्षा दी जाएगी। संशोधित योजना में बच्चों के स्वास्थ्य की जांच, पोषाहार की आवश्यकता और व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे विषयों पर भी ध्यान दिया गया है। 10वीं योजना में बाल श्रम उन्मूलन के लिए 6 अरब 2 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है, जो 9वीं पंचवर्षीय योजना की निर्धारित 250 करोड़ रुपए की राशि के दुगने से भी अधिक है। कोशिश इस बात की है कि ऐसे जोखिम वाले व्यवसायों से बाल मजदूरी को पूरी तरह समाप्त किया जाए और यह काम 10वीं योजना के अंत तक पूरा हो जाए।

बाल श्रम उन्मूलन पर भारत–अमेरीका परियोजना इन्डस (भारत–अमरिका) के तहत वर्ष 2007 तक 80 हजार और बाल श्रमिकों को मुख्य धारा में लाने का लक्ष्य है। ये परियोजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य शिक्षा विभाग के साथ मिलकर इन जिलों में खतरनाक व्यवसायों में काम कर रहे बाल मजदूरों को हटाना है। अमरिका के श्रम विभाग ने इसके लिए 2 करोड़ डॉलर की सहायता दी है। इतनी ही राशि भारत सरकार भी देगी।

एनसीएलपी और इन्डस योजनाओं पर राज्य सरकार के अधिकारियों और जिला अधिकारियों के साथ होनेवाली बैठकों, बहुधा होने वाले दौरों और समय–समय पर मिलने वाली रिपोर्टों के जरिए नजर रखी जाती है। इस दिशा में निश्चित समय सीमा में ठोस परिणाम हासिल करने की सरकार की प्रतिबद्धता इसी तथ्य से स्पष्ट होती है कि हैदराबाद, पुणे, मसूरी और कोलकाता में हुए जिला कलेक्टरों के प्रादेशिक स्तर के सम्मेलनों में स्वयं विभाग के सचिव ने जिलावार योजना की समीक्षा की। इन सम्मेलनों ने चुने हुए नए जिलों में योजना को लागू करने में कौी मदद की है।

उपरोक्त दो योजनाओं के अलावा मंत्रालय का बालश्रम प्रभाग स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान सहायता देने की योजना पर काम कर रहा है। योजना के तहत राज्य सरकार की सिफारिशों पर कामकाजी बच्चों के पुनर्वास की परियोजना लागत का 75 प्रतिशत अंश वित्तीय सहायता के रूप में मंत्रालय द्वारा स्वयंसेवी संगठनों को दिया जाता है। इस योजना के तहत गैर सरकारी संगठनों को उन जिलों में बाल श्रम उन्मूलन के लिए सीधे सहायता दी जाती है, जहां राष्ट्रीय बालश्रम परियोजना या भारत–अमरिका परियोजना (इन्डेस) की योजनाएं लागू नहीं हैं।

नया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

श्रम ब्यूरो ने औद्योगिक श्रमिकों के लिए 2001=100 के संशोधित आधार के अनुसार नई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रृंखला जारी की है। नई श्रेणी ज्यादा व्यापक है और इसमें पुरानी श्रृंखला के 70 केंद्रों और 226 बाजारों के स्थान पर 78 केंद्रों और 289 बाजारों को शामिल किया गया है। परिवार की आय और व्यय के सर्वेक्षण के लिए नमूनों का आधार (परिवारों की संख्या) भी 32,616 परिवारों से बढ़ाकर 41,040 कर दिया गया है।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के दो वर्ष
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की उपलब्धियां

चहुंमुखी आर्थिक विकास के साथ कदम मिलाते हुए सरकार ने राजमार्गों के विकास को भी बहुत उच्च प्राथमिकता दी है। 5840 किलोमीटर लंबाई के स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्गो को चार लेन का बनाने का काम पूरा हो गया है और बाकी के 527 किलोमीटर मार्ग का काम चल रहा है। दूसरे चरण में उत्तर–दक्षिण और पूर्व–पश्चिम गलियारा 6240 किलोमीटर का है, जिसमें से 4684 किलोमीटर पर काम का ठेका जून 2004 से अप्रैल 2006 के बीच में दिया जा चुका है। बाकी 1481 किलोमीटर का काम किया जाना है, जिसमें से 519 किलोमीटर खंड लंबाई के जम्मू–कश्मीर और पश्चिम बंगाल में हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास

सड़क यातायात पर बढ़ते दबाव को देखते हुए सरकार ने विभिन्न चरणों में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम शुरू किए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण I और चरण II में चार महानगरों – दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन वाला बनाने का कार्यक्रम है। इनमें स्वर्णिम चतुर्भुज, उत्तर–दक्षिण गलियारा, पूर्व–पश्चिम गलियारा, बंदरगाहों को जोड़ने वाले मार्ग और अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं। स्वर्णिम परियोजना में 11 प्रमुख बंदरगाहों के संपर्क मार्गों को बेहतर बनाना है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम का कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के चरण–II में मुख्य रूप से उत्तर–दक्षिण और पूर्व–पश्चिम गलियारा है, जिसमें श्रीनगर से कन्याकुमारी तक और सिल्चर से पोरबंदर तक के मार्ग शामिल हैं। अधिकतर कार्यों का ठेका दिया जा चुका है केवल जम्मू–कश्मीर में 318 किलोमीटर मार्ग का हिस्सा बाकी है जो दुर्गम पहाड़ी इलाके में, जिसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अभी तैयार की जा रही है। पूर्व–पश्चिम गलियारे का एक हिस्सा जो पश्चिम बंगाल में वन्य प्राणी बिहार में से गुजरता है उसका रास्ता बदला जाना है क्योंकि पहले रास्ते को पर्यावरण मंत्रालय की स्वीकृति नहीं मिली। नये रास्ते के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने का काम शुरु किया गया है। जम्मू–कश्मीर में और पश्चिम बंगाल में मार्ग के इन हिस्सों के काम का ठेका सितंबर, 2006 तक दे दिया जाएगा।

जो मार्ग अब तक पूरे किए जा चुके हैं, जिनका ऊपर जिक्र किया गया है, उनमें से 2952 किलोमीटर लंबाई के मार्ग जून 2004 से अप्रैल 2006 की अवधि के दौरान पूरे किए गए। स्वर्णिम चतुर्भुज के 1419 किलोमीटर लंबे दिल्ली–मुंबई गलियारे को 4 लेन का मार्ग बनाने का काम 2005 में बिल्कुल पूरा हो गया था।

वर्ष 2005 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के कार्यों को पूरा करने के लिए 5000 किलोमीटर से भी अधिक लंबाई के राजमार्गों के काम का ठेका दिया। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के इतिहास में एक वर्ष के अंदर किसी एक एजेंसी द्वारा दिए जाने वाले ठेके में यह अब तक की सबसे अधिक लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्गों के रख–रखाव का काम भी अपने हाथ में लिया है। मई 2004 से अप्रैल 2006 के बीच संचालन और रख–रखाव के ये ठेके 2147 किलोमीटर लंबे मार्गों के लिए दिए गए।

भावी विकास

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के चरण–II से चरण–VIII के अंतर्गत राजमार्गों के विकास के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित समिति ने 2005–2012 के 7 वर्षों के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास का एक बड़ा कार्यक्रम तैयार किया है, जिसमें ये मार्ग शामिल हैं :–

- स्वर्ण चतुर्भुज तथा पूर्व–पश्चिम और उत्तर–दक्षिण गलियारों का काम पूरा करना।
- राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के चरण–III के अंतर्गत 10,000 किलोमीटर लंबे मार्ग को चार लेन का मार्ग बनाना।
- राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के चरण–IV के अंतर्गत 20,000 किलोमीटर लंबे मार्ग को चार लेन का मार्ग बनाना।
- राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के चरण–V के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों के 6500 किलोमीटर लंबाई के कुछ चुने हुए खंडों के छह लेन का बनाना।
- राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के चरण–VI के अंतर्गत 1,000 किलोमीटर लंबाई के एक्सप्रेस–वे मार्गों का विकास करना।
- राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के चरण–VII के अंतर्गत कुछ चुने हुए खंडों पर मुद्रिका मार्गों, फ्लाई ओवरों और उप मार्गों (बाई पास) का निर्माण करना।

सरकारी निजी क्षेत्र की भागीदारी

सड़कों के विकास के लिए, विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए विशाल पूंजी की आवश्यकता को देखते हुए सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास के काम में निजी क्षेत्रों के साथ भागीदारी को बढ़ावा देने की नीति अपनाई है। अब यह फैसला किया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के चरण–II और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के चरण–III A के कुल 2455 लंबाई की 43 परियोजनाओं का निर्माण, संचालन और हस्तांतरण (बीओटी) टॉल/वार्षिक भुगतान के आधार पर निर्माण करने का ठेका दिया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–III

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम चरण–III के अंतर्गत 10,000 किलोमीटर लंबाई के राजमार्गों को मुख्य रूप से सरकारी–निजी क्षेत्र भागीदारी के जरिए निर्माण, संचालन और हस्तांतरण (बीओटी) आधार पर चार लेन का बनाने का कार्यक्रम है। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम चरण–III के अंतर्गत मार्च, 2005 में 22,000 करोड़ रुपये की लागत से 4,000 किलोमीटर लंबे मार्ग को बेहतर बनाने के लिए स्वीकृति भी दे दी है और चरण–III बी के अंतर्गत बाकी के 6,000 किलोमीटर लंबे मार्ग के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने के लिए अग्रिम कार्यवाही करने के बारे में भी निर्देश दे दिए गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम चरण–III A के अंतर्गत 1090 किलोमीटर लंबाई के मार्गों को चार लेन का बनाने के लिए 17 ठेके दिए गए हैं और इन पर काम चल रहा है।

बुनियादी विकास के ढांचे से संबंधित समिति ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम चरण–V के अंतर्गत 6500 किलोमीटर लंबाई के राजमार्गों को 6 लेन का बनाने और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम चरण–VI के अंतर्गत 1,000 किलोमीटर लंबाई के एक्सप्रेस–वे मार्ग के विकास को सिद्धांत रूप से स्वीकृति दे दी है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास

सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों और अन्य मार्गों के विकास की योजनाएं भी शुरु की है। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्रा के दूर–दराज के स्थानों के बीच सड़क संपर्कों को बेहतर बनाना है। योजना के अंतर्गत 3251 किलोमीटर लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्गों को 2/4 लेना का बनाना और राज्य की लगभग 2500 किलोमीटर लंबी सड़कों को दो लेन का बनाना और उनमें सुधार करना तथा 1888 किलोमीटर लंबाई की सामरिक महत्व की सड़कों की निर्माण शामिल है, इससे 8 पूर्वोत्तर राज्यों में जिला मुख्यालयों का निश्चित रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ सड़क संपर्क हो जाएगा।

सरकार ने इस कार्यक्रम के चरण ए के लिए स्वीकृति दे दी है जिसमें 1110 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्गों और 200 किलोमीटर लंबी राज्य की सड़कों और अति महत्व की सड़कों को 4618 करोड़ रुपये की लागत से बेहतर बनाने का काम शामिल है। सरकार ने चरण बी की परियोजनाओं के लिए विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए भी मंजूरी दे दी है, जिनमें 2141 किलोमीटर लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्ग और 2981 किलोमीटर लंबी राज्य की सड़कों और अति महत्व की सड़कों को बेहतर का काम शमिल है। राज्य की बाकी की 1027 किलोमीटर लंबाई की सड़कों को बेहतर बनाने का काम इस कार्यक्रम चरण सी में लिया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत असम में पूर्व–पश्चिम गलियारे का काम पहले ही शुरू कर दिया गया है और पिछले दो वर्षों में 584 किलोमीटर लंबाई के लिए 24 ठेके दिए गए हैं।

राष्ट्रीय राजमार्गों का समग्र विकास

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत मार्गों के विकास के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को जो राष्ट्रीय राजमार्ग सौंपे गए हैं, उनके अलावा राष्ट्रीय राजमार्गों पर अन्य सुधार के काम संबद्ध राज्य सरकारों और सीमा सड़क संगठन द्वारा जहाजरानी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए एक एजेंसी के रूप में किए जा रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के लिए एक एजेंसी के रूप में किए जा रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधीकरण, सीमा सड़क संगठन और राज्य सरकारों ने मई, 2004 से मार्च 2006 के बीच विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों पर जो सुधार के कार्य किए हैं, उनका ब्यौरा इस प्रकार है:–

• चार लेनों को चौड़ा करना 3068 किलोमीटर; • मौजूदा दो लेन मार्गों को मजबूत करना 4485 किलोमीटर; • राइडिंग क्वालिटी प्रोग्राम के अंतर्गत सुधार कार्य 5693 किलोमीटर; • एक लेन के मार्ग के दो लेन में बदलना 1693 किलोमीटर; • निर्माण किए गए पुलों की संख्या 204 किलोमीटर

राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य की सड़कों के लिए धनराशि का आबंटन इस प्रकार है:–

राज्य की सड़कों के सुधार कार्यक्रम के सिलसिले में पिछले दो वर्षों में केंद्रीय सड़क निधि योजना के अंतर्गत 1257 कार्यों के लिए 2702.55 करोड़ रुपये और राज्य के आर्थिक महत्व के मार्ग तथा अंतर्राष्ट्रीय सड़क संपर्क (कनेक्टीविटी) योजना के अंतर्गत 111 कार्यों के लिए 425.16 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

(राशि करोड़ रुपयों में)

वर्ष	राष्ट्रीय राजमार्ग	राज्य की सड़कें	आर्थिक महत्व की सड़कें
2004–05	1848.00	868.00	96.00
2005–06	170.61	1535.36	170.54
2006–07	6407.45	1535.46	170.61

नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा

सरकार ने मार्च, 2006 में श्रीनगर–कारगिल–लेह

मार्ग (422 किलोमीटर) को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1डी और राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को जोड़ने वाले दिल्ली के पास पूर्वी–बाहरी एक्सप्रेस वे मार्ग को राष्ट्रीय एक्सप्रेस संख्या 2 घोषित किया है।

पर्यावरण सुधार

हरे भरे राजमार्ग : राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ–साथ पर्यावरण के महत्व को ध्यान में रखते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने वृक्षारोपण नीति तैयार की है। अब तक 7.5 लाख से ज्यादा वृक्ष और 8 लाख से ज्यादा झाड़ियां लगाई जा चुके हैं, जिसमें अधिकतर राज्य के वन विभागों का सहयोग लिया गया है।

परियोजना प्रभावित लोगों का पुनर्वास

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अलग–अलग परियोजना के लिए पुनर्वास कार्यक्रम बनाए हैं। परियोजना से प्रभावित परिवारों को अतिरिक्त सहायता देने के अलावा कुछ समुदायिक विकास कार्यक्रम भी किए गए हैं। इनमें से कुछ हैं– कानपुर में लगभग 245 पटरी वालों को जगह देना, बिहार में शेर घाटी में और झारखंड में बागोडा में दुकानों और रेहड़ी वालों को नया स्थान देना, राजकोट बाईपास के करीब 450 वालों को जगह देना, कर्नाटक में तुमकर जिले के करीब 40 पटरी वालों को और चित्रदुर्ग जिले में करीब 140 पटरी वालों को स्थान देना।

सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य

दिसंबर, 2004 में आए सुनामी से देश के कई भागों में भारी नुकसान हुआ। नौवहन, सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों को हुए नुकसान को ठीक करने और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सड़कों को ठीक करने के लिए जो कदम उठाए, वे इस प्रकार है :–

- राष्ट्रीय राजमार्गों के मरम्मत कार्यों के लिए 53 करोड़ रुपये की स्वीकृति।
- क्षतिग्रस्त अरासालार पुल के स्थल पर पांडिचेरी में कराईकल के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 45 ए पर बैली पुल का निर्माण कार्य शुरू।
- अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में अन्य सभी सड़कों का पुनर्निमाण।
- पांडिचेरी में राजमार्ग पर अरासालार पुल के लिए 4.70 करोड़ रुपये की स्वीकृति।

पाकिस्तान के साथ बस सेवाओं के लिए समझौते

21.12.2005 को अमृतसर–लाहौर और अमृतसर–ननकाना साहिब बस सेवाएं शुरू करने के लिए पाकिस्तान के साथ समझौते किए गए। अमृतसर–ननकाना बस सेवा 24.3.2006 को शुरू हुई।

सड़क सुरक्षा और सड़क सुरक्षा निधि के लिए कमिश्नर कार्यालय की स्थापना

सरकार ने सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के बारे में कमीश्नर कार्यालय स्थापित करने का फैसला किया है, जिसके अंतर्गत सड़क इंजीनियरी, वाहन इंजीनियरी, प्रर्वतन, सांख्यिकी अनुसंधान और विश्लेषण तथा सूचना, शिक्षा और संचार जैसे विषय होंगे। इसके लिए राष्ट्रीय राज्य मार्गों के लिए केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत उपलब्ध सरकार के एक प्रतिशत जितनी राशि रखी जा सकती है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एयर लाइन

पूर्वोत्तर कौंसिल ने, सार्वजनिक निजी उपक्रम के रूप में सयुंक्त उद्यम एयरलाइन को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित एयरलाइन बनाने हेतु एक प्रस्ताव पर विचार किया है। कौंसिल ने संबंधित मंत्रालयों के साथ, मामले को आगे बढ़ाने के लिए सिद्धांत रूप में स्वीकृति दे दी है। पूर्वोत्तर कौंसिल द्वारा, प्रस्ताव के ब्यौरे अभी तय किए जाने हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में लघु उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा

लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के तहत लघु उद्योग विकास संगठन (एसआईडीओ) ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई कार्य शुरू किए हैं। समन्वित बुनियादी ढांचा विकास स्कीम (आईआईडीएस) के तहत असम तथा त्रिपुरा से 2004–05 में एक–प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

दोनों प्रस्ताव मंजूर कर लिए गए हैं और इन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है। नागालैंड से 2005 में एक प्रस्ताव हुआ है और इस पर विचार किया जा रहा है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की दो वर्ष की उपलब्धियां

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार बनने के एक सप्ताह अंदर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग का दर्जा बढ़कर इस पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास मंत्रालय बना दिया गया ताकि पूर्वोत्तर क्षेत्र की विकास से संबंधित गतिविधियों में और तेजी लाई जा सके। इस प्रकार इस मंत्रालय ने 28 मई, 2004 से काम करना शुरू कर दिया। इस अवधि के दौरान पूर्वोत्तर परिषद का पुर्नगठन किया गया, ताकि यह क्षेत्रीय नियोजन समिति के रूप में प्रभावी ढंग से काम कर सके। इस उद्देश्य के लिए गठित एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुसार बेहतर तालमेल के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के मंत्री को परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा परिषद ने तीन विशेषज्ञों को सदस्य के रूप में नामजद किया गया है, जिनका दर्जा योजना आयोग के सदस्य के बराबर है। पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय के लिए आधुनिक संचार व्यवस्था और अन्य सुविधाओं से युक्त एक नया परिसर बनाया गया है ताकि परिषद इस क्षेत्र के समन्वित विकास के लिए अपनी भूमिका कारगर ढंग से निभा सके। परिषद ने इस नए परिसर से काम करना शुरू कर दिया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए दृष्टिकोण पत्र

पूर्वोत्तर क्षेत्र परिषद के अध्यक्ष ने इस क्षेत्र में तेजी से सामाजिक–आर्थिक उत्थान के वास्ते व्यापक समयबद्ध कार्य योजना की विस्तृत रूप रूखा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों में आई जागरूकता उनकी आंकाक्षाओं, आवश्यकताओं और विशेष रुचियों को ध्यान में रखते हुए **"पूर्वोत्तर दृष्टिकोण पत्र–2020"** दस्तावेज तैयार किया जा रहा है। इस दृष्टि फोरम पत्र में इस क्षेत्र के विशाल संसाधनों की क्षमता और अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा। यह दस्तावेज इस वर्ष के अंत तक तैयार हो जाने की आशा है।

सतत् केंद्रीय आर्थिक सहायता

पूर्वोत्तर क्षेत्र मंत्रालय ने अपनी महत्वपूर्ण सतत् केंद्रीय आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत परियोजनाओं की स्वीकृत के लिए प्रक्रिया को सुचारू बनाया है, जिसके परिणाम स्वरूप इस अवधि में बहुत सारी परियोजनाएं स्वीकृत की गई। इस दौरान 187 परियोजनाओं को मजूंरी दी गई, जो 1998–99 में इस योजना की शुरूआत से लेकर अब तक स्वीकृत की गई कुल 767 परियोजनाओं के 24 प्रतिशत के बराबर हैं। राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान ने केंद्र ने सतत् आर्थिक सहायता वाली परियोजनाओं के लिए कस्टम विभाग की सहायता से एक साफ्टवेयर तैयार किया है। निगरानी की व्यवस्था और संबंधित प्रयासों के फलस्वरूप 767 परियोजनाओं में से अब 375 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। पिछले दो वर्षों में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए सतत् आर्थिक परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। पिछले दो वर्षों में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए सतत् आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत 1329 करोड़ रुपये की राशि दी जा चुकी है, जिसमें से 200 करोड़ रुपये की राशि बोडोलैंड क्षेत्रों के विकास के लिए है। इस योजना के शुरू होने से लेकर जितनी राशि जारी की जा चुकी है, यह राशि उसका 36 प्रतिशत है।

सतत् आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत पिछले दो वर्षों में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की गई हैं। मणिपुर में थोबल जिले के लिए 59.71 करोड़ रुपये की लागत से **वैथू–पाट जल आपूर्ति परियोजना** को मंजूरी दी गई है। यह विस्तृत योजना है, जिससे 56 गांवों और 5 कस्बों को दो करोड़ लीटर दैनिक पीने के पानी की आपूर्ति की जाएगी। त्रिपुरा के लिए तीन महत्वपूर्ण परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं– 80. 94 करोड़ रुपये की लागत की **"रोखिया गैस आधारित ताप बिजली परियोजना" (ईकाई VIII)**, 88.55 करोड़ रुपये की लागत से **सरकारी मेडिकल कॉले ज और अस्पताल**, जहां हर साल 100 छात्र दाखिल हो सकेंगे और 14.07 करोड़ रुपये की लागत का **अगरतला मे राज्य स्तरीय अर्द्ध–चिकित्सा संस्थान**। रोखिया बिजली संयंत्र में 21 मेगावॉट बिजल का उत्पादन होगा जबकि अगरतला के अर्द्ध–चिकित्सा संस्थान में हर साल 200 तकनीशियनों को विभिन्न तकनीकों में प्रशिक्षण दिया जायेगा। असम में राष्ट्रीय खेल 2005 के आयोजन के लिए गुवाहाटी में 55.10 करोड़ रुपये की लागत से मुख्य एथलेटिक स्टेडियम परिसर बनाने के लिए एक परियोजना को स्वीकृत दी गई, जिसके साथ बहु–उद्देश्यीय इन्डोर हॉल भी होगा इस परिसर में मुख्य एथलैटिक स्टेडियम, वातानूकूलित इन्डोर स्टेडियम, जल–क्रीड़ा परिसर और शूटिंग रेंज शामिल हैं।

असम में बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद क्षेत्रों के विकास के लिए 400.85 करोड़ रुपये की लागत की 36 परियोजनाएं मंजूर की गई है। **नागालैंड** में 105.54 करोड़ रुपये की लागत से 4 प्रमुख सड़क परियोजनाएं शुरू की गई। अरूणाचल प्रदेश के लिए इस अवधि में 179.89 करोड़ रुपये की लागत की 13 सड़क और पुल परियोजनाएं मंजूर की गई हैं।

पूर्वोत्तर परिषद

पूर्वोतर परिषद ने विकास योजनाओं को लागू करने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों को 959 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की है।

इस क्षेत्र में विमान सेवा से कनेक्टिविटी बढाने के लिए पूर्वोत्तर परिषद ने एलाईन्स एयर विमान सेवा कंपनी को 4 एटीआर विमान चलाने के

लिए 35 करोड़ रुपये वार्षिक की राशि दी है। इस क्षेत्र में प्रति सप्ताह विमान उड़ानों की संख्या 74 से बढ़कर 141 हो गई है और सीटों की संख्या 7518 से बढ़कर 9617 हो गई है। परिषद की सहायता से इस क्षेत्र में 7 हवाई अड्डों का दर्जा बढ़ाया गया तथा 3 और हवाई अड्डों का काम प्रगति पर है।

पूर्वोत्तर परिषद ने गुवाहाटी, सिलचर और आईजोल में अंतर्राज्यीय बस अड्डों के निर्माण में सहायता की है और इन बस अड्डों का काम पूरा हो चुका है। दो अंतर्राज्यीय ट्रक अड्डों के लिए भी आर्थिक सहायता दी जा रही है।

पूर्वोत्तर परिषद ने कई अन्य बड़े कार्यों के लिए भी सहायता दी है, जिनमें महत्वपूर्ण सड़कें और पुल, सम्प्रेक्षण लाईने, लोक्टक झील सरंक्षण परियोजना, रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम, ई–प्रशासन में राज्यों को सहायता और चिकित्सा संस्थाओं में सुविधाओं में सुधार के लिए सहायता शामिल है। 40 लकड़ी के पुलों को स्थाई पुलों में बदल गया। टेली–मेडिसन योजना के अंतर्गत 11 स्थानों पर उपकरण लगाए गए हैं तथा 24 और स्थानों पर काम चल रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा के लिए 122 विद्यालयों को दो–दो पर्सनल कम्प्यूटर दिए गए हैं।

पूर्वोत्तर परिषद : क्षेत्रवार उपलब्धियां

करोड़ रुपये में

क्र.सं.	क्षेत्र	जारी राशि (2005–06)
1.	कृषि और संबद्ध क्षेत्र	31.27
2.	बिजली, जल विकास और आरआई	73.95
3.	उद्योग और पर्यटन	44.24
4.	परिवहन और संचार	532.29
5.	चिकित्सा और स्वास्थ्य	141.46
6.	जन शक्ति विकास	45.00
7.	बाहरी सहायता वाली परियोजनाएं	45.00
8.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	34.04
9.	सूचना, प्रचार और जनसंपर्क	2.59
10.	मूल्यांकन और निगरानी प्रकोष्ठ	5.39
	कुल	958.86

पूर्वोत्तर परिषद ने इस क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा को युक्तिसंगत बनाने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया है। बांस, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बागवानी के लिए तीन क्षेत्रीय मिशन शुरू किए जा रहे हैं ताकि विकास के क्षेत्रों पर पूरा ध्यान देकर पूर्वोत्तर क्षेत्र की विकास प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।

केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के बारे में एक संचालन समिति का गठन किया गया है जो सुरक्षा और सीमा संबंधी मसलों पर ध्यान देगी। बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए भूकंप से संबंधित सूचना एकत्र करने के वास्ते पूर्वोत्तर अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, शिलांग की सहायता से पांच केंद्र बनाए गए हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

इस अवधि के दौरान पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए विदेशों से आर्थिक सहायता जुटाने के लिए एक बड़ी पहल की है। विशेष रूप से यह आर्थिक सहायता 4 क्षेत्रों की परियोजनाओं के लिए होगी – पूर्वोत्तर राज्य सड़क परियोजना, शहरी विकास परियोजना, एशियाई विकास बैंक के साथ मिलकर व्यापार और पूंजी निवेश बढ़ाने की पहल और पूर्वोत्तर भारत में विकास को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक संसाधनों, जल और पर्यावरण पर ध्यान देना। मंत्रालय की इस पहल से इस क्षेत्र के लिए अधिक पूंजी उपलब्ध होने की संभावना है जिसके परिणामस्वरूप संस्थागत सुधार होंगे और आधुनिक परियोजना प्रबंधन गतिविधियों की शुरूआत होगी। संबद्ध क्षेत्रों में क्षमता विकास पर भी ध्यान दिया जायेगा।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान

पूर्वोत्तर क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए और विशेष रूप से तकनीकी और प्रबंधन क्षेत्रों में शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं थी। इस स्थिति में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की सहायता से शिलांग में एक भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थापित करने का फैसला लिया है। संस्थान इस क्षेत्र के प्रतिभाशाली युवाओं की प्रबंधन के क्षेत्र में उच्च स्तरीय शिक्षा के आवश्यकताओं को पूरा करेगा। यह संस्थान सरकारी और निजी क्षेत्र में आधुनिक तकनीक प्रबंधन को बढ़ावा देने में सहायक होगा।

दिल्ली विश्वविद्यालय में राजीव गांधी बालिका छात्रावास

पूर्वोत्तर क्षेत्र से काफी संख्या में छात्र दिल्ली और अन्य शहरों में उच्च शिक्षा के लिए आते हैं। इन छात्रों को, विशेष रूप से लड़कियों को आवास की दृष्टि से काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आदिवासी मामलों के मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय साथ मिलकर दिल्ली विश्वविद्यालय में पूर्वोत्तर क्षेत्र की 500 लड़कियों के लिए छात्रावास बनाने का फैसला किया है। पूर्वोत्तर परिषद इसके लिए 60 प्रतिशत धन देगा जबकि बाकी की राशि आदिवासी मामलों के मंत्रालय द्वारा दी जाएगी। श्री राजीव गांधी के नाम पर बनने वाले इस छात्रावास की आधारशिला इस वर्ष 6 जनवरी को रखी गई।

क्षमता निर्माण कार्यक्रम

पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ने के उद्देश्य से भारतीय प्रबंधन संस्थान कोलकाता इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी महानिदेशालय, नई दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई, राष्ट्रीय फैशन टेक्नालॉजी संस्थान कोलकाता, खिलौना निर्माण संस्थान कोलकाता तथा ऊर्जा और अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली जैसे उच्च संस्थाओं के साथ मिलकर बेहतर तकनीकों के प्रशिक्षण के लिए दीर्घावधि प्रबंध किए गए हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार मिलने लगे हैं।

उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय के उद्यमों, पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम और पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम और पूर्वोत्तर क्षेत्र कृषि विपणन निगम की सहायता से एक बड़ा कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस क्षेत्र बागवानी, हथकरघा और हस्तशिल्प की क्षमताओं का लाभ उठाने की योजना बनाई गई है। इस कार्यक्रम से बड़ी संख्या में छोटे–छोटे उद्यमियों और आत्म–निर्भरता के उद्देश्य से अपना काम पूरा करने वाले समूहों को सहायता मिलेगी।

दक्षिण पूर्व के एशियाई देशों के नजदीक होने के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र, केंद्र सरकार की लुक इस्ट पॉलिसी में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने सीमाओं को खुला बनाने और उसके परिणामस्वरूप व्यापार और सांस्कृतिक आदान–प्रदान बढ़ने से होने वाले सामाजिक प्रभावों का अध्ययन करने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को भी आर्थिक सहायता प्रदान की है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र की क्षमता प्रस्तुति

पूर्वोत्तर क्षेत्र को क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए व्यापार, पूंजीनिवेश, पर्यटन, हथकरघा, हस्तशिल्प और कृषि जैसे विविध क्षेत्रों के बारे में महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया है। मुख्य रूप से प्रदर्शनियां दिल्ली, कोलकाता और गुवाहाटी में आयोजित की गई हैं, जिससे पूर्वोत्तर क्षेत्र के उत्पादनों के देश और विदेश के लिए प्रदर्शित करने के वास्ते जरूरी अवसर मिला है और इनकी पर्याप्त बिक्री भी हुई है। चालू वर्ष में मुंबई, बंगलौर, हैदराबाद और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में भी प्रदर्शनियां लगाने के प्रबंध किए जा रहे हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र कृषि विपणन निगम और पूर्वोत्तर हथकरघा और हस्तशिल्प विकास निगम जैसे सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को बागवानी उत्पादनों तथा दस्तकारी सामान की बिक्री के लिए बेहतर ढंग से प्रचार करने के उद्देश्य से आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई है।

मंत्रालय ने इस क्षेत्र के छात्रों में वैज्ञानिक रुचि को बढ़ावा देने के लिए जे.सी.बोस विज्ञान प्रतिभा खोज कार्यक्रम के साथ मिलकर संयुक्त कार्यक्रम चलाया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र की विकास गतिविधियों की जानकारी देने एक समाचार पत्रिका डोनर न्यूज लाईन 18 जून, 2004 को शुरू की गई। इस पत्रिक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय तथा भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों द्वारा इस क्षेत्र के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों को दर्शाया गया है। इसमें इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में भी सूचनाएं दी जाती है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास के लिए सहायता

पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिक विकास में सहायता के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम ने ब्याज–मुक्त ऋण की व्यवस्था की है। पिछले दो वर्षों में निगम ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की है। इस दौरान निगम ने 523 औद्योगिक इकाईयों को 156.65 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी है। इसके परिणामस्वरूप लगभग 96 हजार रोजगारों का सृजन हुआ है। पूर्वोत्तर परिषद ने भी वर्ष 2005–06 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में उद्योग संवर्धन योजना के अंतर्गत 41 औद्योगिक इकाईयों की सहायता की है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए केंद्रीय मंत्रालयों का योगदान

पिछले दो वर्षों में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों द्वारा दी गई सहायता राशि और खर्च में काफी वृद्धि हुई है। 2006–07 के दौरान 12 हजार 621 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है, जो 2004–05 की 6787 करोड़ रुपये की राशि से लगभग 86 प्रतिशत अधिक है।

सूचना प्रौद्योगिकी

सतत् केंद्रीय आर्थिक सहायता योजना की परियोजनाओं के विभिन्न पहलुओं की निगरानी करने के लिए राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केंद्र की तकनीकी सहायता से एक नया परियोजना निगरानी कार्यक्रम विकसित किया गया है। पूर्वोत्तर परिषद की परियोजनाओं की निगरानी के लिए भी इसी तरह का कार्यक्रम विकसित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केंद्र ने पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय के लिए एक विस्तृत वेबसाइट का भी डिजाईन तैयार किया है, जिसका पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री पी.आर. किंडिया ने 5 जनवरी, 2006 को उद्घाटन किया। मंत्रालय ने बेतार प्रणाली का स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (LAN) विकसित करने का भी कार्य चल रहा है। राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केंद्र ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास की जानकारी देने के लिए इसका एक अपना पोर्टल बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। इस पोर्टल से कर्मचारियों के व्यक्तिगत मामलों के बारे में **जी2ई** सेवा और सरकारों के बीच सूचना के आदान–प्रदान के लिए जी2वी सेवा शुरू करने का प्रयास आरंभ कर दिया है।

सूचना का अधिकार कानून

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और इसके विभिन्न संगठनों ने सूचना का अधिकार कानून 2005 लागू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कायम की है। मंत्रालय से संबंधित अधिकतर आवश्यक जानकारी पहले ही वेबसाईट मे उपलब्ध कराई जा रही है। सार्वजनिक सूचना का अधिकारियों की भी नियुक्तियां भी की गई हैं।

कुरुक्षेत्र मंगाने का पता

विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक
प्रकाशन विभाग
पूर्वी खंड-4, तल-7
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066

मूल्य एक प्रति	:	सात रुपये
वार्षिक शुल्क	:	70 रुपये
द्विवार्षिक	:	135 रुपये
त्रिवार्षिक	:	190 रुपये

विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)

पड़ोसी देशों में	:	500 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	700 रुपये (वार्षिक)

पूर्वोत्तर क्षेत्र में आर्थिक संभावनाएं

पूर्वोत्तर क्षेत्र में आठ राज्य–अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल हैं। इसका क्षेत्रफल लगभग 2,62,500 वर्ग किलोमीटर है जो देश के कुल क्षेत्रफल का 8 प्रतिशत है और 2001 की जनगणना के अनुसार इसकी जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या लगभग 3 करोड़ 90 लाख है जो देश की जनसंख्या का लगभग 3.80 प्रतिशत है। इस क्षेत्र का भौगोलिक विन्यास बेजोड़ है, क्योंकि भूटान, चीन (तिब्बत), वर्मा और बंगलादेश जैसे पड़ोसी देशों के साथ इसकी 98 प्रतिशत सीमाएं लगी हैं। यह क्षेत्र शेष देश के साथ सिलीगुड़ी के पास मात्र 20 किलोमीटर चौड़े संकीर्ण गलियारे के माध्यम से जुड़ा है।

उपजाऊ भूमि, संपन्न वनों और पर्याप्त खनिजों और हाइड्रोकार्बनों जैसे प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर होने के बावजूद भी ऐतिहासिक कारणों से पूर्वोतर क्षेत्र विकास के मामले में देश के अन्य भागों से पीछे रह गया है। इस वजह से इस क्षेत्र में निवेश, विशेषकर निजी क्षेत्र द्वारा निवेश को झटका लगा है और इस कारण इसके विकास पर कुप्रभाव पड़ा। इसलिए सरकार हाल में इन राज्यों का अन्य राज्यों की बराबरी में लाने के लिए कई कदम उठाए हैं।

बाधाएं हटाने, न्यूनतम आधारभूत सेवाओं के प्रावधान तैयार करने और विकास के अनुकूल पर्यावरण तैयार करने के उद्देश्य से विशेष रणनीतियां तैयार की गई हैं। पूर्वोतर क्षेत्र के सभी आठ राज्यों को विशेष श्रेणी के राज्य के रूप में मान्यता है। इनके बजट आबंटनों का 90 प्रतिशत अनुदान के रूप में है और शेष 10 प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा ऋण के रूप में है। इसके अलावा इन्हें गैर–योजना खर्च के लिए केंद्रीय सहायता का 20 प्रतिशत भाग इस्तेमाल करने की अनुमति है। राज्यों का विकास कार्य केंद्रीय मंत्रालयों और केंद्रीय एजेंसियों की तरह ही पंचवर्षीय और वार्षिक योजनाओं द्वारा संचालित होता है। इसके अलावा इस क्षेत्र में अंतर्राज्यीय प्रकृति वाली योजनाओं के लिए पूर्वोतर परिषद् के माध्यम से धन दिया जाता है और इसके लिए अतिरिक्त बजट अलग से उपलब्ध है।

इस क्षेत्र में विकास की गति को तेज करने के लिए केंद्र सरकार ने पूर्वोतर क्षेत्र विकास मंत्रालय की स्थापना की है। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में भी इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया जा रहा है कि सभी पूर्वोत्तर राज्यों के उत्थान और वहां आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए विशेष सहायता दी जाएगी और वहां आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए विशेष सहायता दी जाएगी और पूर्वोतर परिषद् को सशक्त करने के साथ ही उसे व्यावसायिक समर्थन दिया जाएगा।

इस मंत्रालय की मुख्य गतिविधि गैर–व्ययगत केंद्रीय संसाधन पूल का संचालन करना है। यह पूल पूर्वोतर क्षेत्र के लिए केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के बजट में सकल बजटीय समर्थन के 10 प्रतिशत के राशि के प्रावधान में से शेष राशि से बना है। इस योजना का व्यापक उद्देश्य नई आधारभूत परियोजनाओं के लिए पूर्वोतर क्षेत्र में धन का प्रवाह बढ़ाकर सामाजिक–आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है। इस पूल के अधीन बिजली, सड़क और पूल, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति और स्वच्छता, खेल और पर्यटन आदि जैसे सामाजिक–आर्थिक ढांचे के विकास पर विचार किया जाता है। इसके अधीन अब तक 4151 करोड़ रुपए की लागत वाली कुल 663 ऐसी परियोजनाएं मंजूर की गई हैं।

केंद्र सरकार की पूर्वोतर क्षेत्र की नीति के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की केंद्रीय योजना में लगातार वृद्धि हुई है और यह 1998–99 के 3211 करोड़ रुपए से बढ़कर 2005–06 में 93.6 करोड़ रुपए हो गई। इस क्षेत्र के लिए वास्तविक व्यय 1998–99 के 6.63 प्रतिशत से बढ़कर 2002–03 में 8.50 करोड़ हो गया। इस क्षेत्र के त्वरित विकास के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा कई अभिनव योजनाएं, कार्यक्रम और परियोजनाएं शुरू की जा रही है।

राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए पूर्वोतर परिषद् का पुनर्गठन किया गया है। पुनर्गठित पूर्वोतर परिषद् की पहली बैठक के 12 अप्रैल 2005 को प्रधानमंत्री ने इसके बारे में विचार व्यक्त किए। उन्होंने विकास और सुरक्षा, दोनों मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने के लिए परिषद् का आह्वान किया। उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि कृषि, बागवानी, औषधीय और सुगंधयुक्त जड़ी–बूटियों, बांस, जल संसाधनों, बिजली संसाधनों और खनिजों के संदर्भ में इस क्षेत्र की व्यापक संभावनाओं का लाभ देकर ग्रामीण परिवारों की आमदनी का स्तर ऊपर उठाना चाहिए।

पूर्वोतर परिषद् के अध्यक्ष की ओर से पूर्वोतर क्षेत्र के त्वरित सामाजिक–आर्थिक उत्थान के लिए एक विस्तृत रूपरेखा तैयार करने के उद्देश्य से एक समिति गठित की गई है। पूर्वोतर क्षेत्र के लोगों में जागरूकता बढ़ाने उनकी आकांक्षाओं, जरूरतों और भावुकता को ध्यान में रखते हुए "पूर्वोतर दृष्टि 2020" नामक एक आलेख तैयार किया जा रहा है। इसमें इस क्षेत्र की व्यापक आर्थिक और संसाधन संबंधी संभावनाओं वाले सभी प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया।

पूर्वोतर क्षेत्र विकास मंत्रालय की ओर से पूर्वोतर क्षेत्र विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जुटाने के उद्देश्य से कई प्रयास किए गए हैं। इसके अंतर्गत बाहरी सहायता वाली परियोजनाओं की सुविधा हेतु दृष्टि–पत्र तैयार करने के लिए पांच प्रमुख क्षेत्रों का चयन किया गया है। इनमें समन्वित सड़क परियोजनाएं, शहरी विकास परियोजनाएं, व्यापार और निवेश सृजन के प्रयास, जल संसाधन विकास और समन्वित ऊर्जा

परियोजनाएं शामिल हैं। शहरी विकास परियोजना और समन्वित सड़क परियोजना एशियाई विकास बैंक की तकनीकी सहायता अनुदान से शुरू की गई है। जिसके लिए क्रमशः 20 लाख अमरीकी डालर और 8 लाख अमरीकी डालर की सहायता दी गई है। परामर्शकों ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है और जल्द ही इसकी रूपरेखा तैयार होने की संभावना है। एशियाई विकास बैंक ने इन परियोजनाओं के लिए क्रमशः 40 करोड़ अमरीकी डालर और 20 करोड़ अमरीकी डालर का ऋण उपलब्ध कराने का संकेत दिया है। जबकि अन्य परियोजनाएं बहुपक्षीय एजेंसियों के साथ वार्ता की प्रक्रिया के साथ वार्ता की प्रक्रिया में है और वर्ष 2004–05 के दौरान व्यापार और निवेश सृजन के उद्देश्य से एशियाई विकास बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इन प्रयासों में पूर्वोतर क्षेत्र में बाहरी सहायता वाली परियोजनाएं बड़ी संख्या में शुरू होने की संभावना है और इसके साथ ही इस क्षेत्र में संसाधनों का प्रवाह काफी बढ़ेगा। इससे विभिन्न क्षेत्रों में संस्थागत सुधार आने के साथ ही आधुनिक परियोजना प्रबंध तकनीक का विकास होगा।

सार्वजनिक–निजी भागीदारी के अवसर पर निजी निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए मंत्रालय ने एक परियोजना विकास कोष की स्थापना करने का फैसला किया है। इस कोष का उद्देश्य अच्छी संभावनाओं वाली परियोजनाओं का विकास करना और उन्हें संभावित निवेशकों के ध्यान में लाना है। इस क्षेत्र में पन बिजली, हाइड्रोकार्बन, पर्यटन और जैव प्रौद्योगिक सहित खनिज आधारित उद्योगों की काफी अच्छी संभावना है।

केंद्र सरकार की "लुक ईस्ट" नीति का लाभ प्राप्त करने के संदर्भ में पूर्वोत्तर क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल के रूप में इसकी अच्छी संभावनाएं हैं। यह देश के जैव–विविधता वाले दो हॉट स्पॉटों में से एक है। ऐसी संभावना है कि पूर्वोतर क्षेत्र विकास मंत्रालय के प्रयासों से यह क्षेत्र आर्थिक संपन्नता की पूरी संभावनाओं से लाभ प्राप्त कर सामाजिक सद्भाव के लक्ष्य तक पहुंचने में सफल होगा।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन जरूरी

पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री श्री पी.आर. किंडिया ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के स्थायी विकास और प्रगति के लिए यहां मौजूद विशाल प्राकृतिक संसाधनों के सर्वोत्तम इस्तेमाल की जरूरत पर बल दिया। पूर्वोत्तर क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण, बिजली उत्पादन, सिंचाई सुविधा के प्रबंध और बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए एक सक्षम, स्वायतशासी तथा सर्वनिहित निकाय की स्थापना के प्रस्ताव की चर्चा करते हुए श्री किंडियां ने कहा कि अब इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करने का समय आ गया है। श्री किंडिया राष्ट्रीय विचार विमर्श कार्यशाला के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग मंत्रालय और विश्व बैंक ने मिलकर इस कार्यशाला का आयोजन किया था। कार्यशाला का उद्देश्य विश्व बैंक द्वारा तैयार की गई कार्यनीति रिपोर्ट के मसौदे पर विचार विमर्श करना था। विश्व बैंक ने "भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास तथा प्रगति के लिए प्राकृतिक संसाधनों, जल और पर्यावरण के बीच परस्पर तालमेल" विषय पर अध्ययन के एक हिस्से के रूप में यह कार्यनीति रिपोर्ट तैयार कर भारत सरकार को पेश की थी। रिपोर्ट की प्रति मंत्रालय की वेबसाइट www.mdoner.gov.in पर भी उपलब्ध है।

कार्यशाला में पूर्वोत्तर क्षेत्र में जल तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंध के लिए सक्षम संस्थानों की जरूरत पर जोर दिया गया। कार्यशाला में इस क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए इन संसाधनों के सर्वोत्तम इस्तेमाल पर भी जोर दिया गया लेकिन साथ ही यह भी कहा गया कि इसके लिए पारिस्थितिकीय चिंताओं, स्थायी विकास और स्थानीय समुदाय की पारंपरिक ज्ञान प्रणाली को भी ध्यान में रखना होगा।

केंद्रीय जल संसाधन मंत्री श्री सैफुद्दीन सोज़, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री गेगाँग अपांग, असम के जल संसाधन मंत्री श्री भरत चंद्र नाराह, पूर्वोत्तर क्षेत्र परिषद की सदस्य श्रीमती आई.के. बडठाकुर और पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी आठ राज्यों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, केंद्रीय जल आयोग, ब्रह्मपुत्र बोर्ड, भारतीय अंतर–स्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास परिषद और विश्व बैंक के अधिकारियों ने इस दो दिवसीय कार्यशाला में भाग लिया। अमरीका की टेनसी वैली अथॉरिटी (टीवीए), कोलंबिया रिवर बेसिन (कनाडा और अमरीका) तथा ब्राजील के विशेषज्ञों ने विचार विमर्श के बाद विस्तृत जानकारी प्रदान की।

विश्व बैंक के भारत में निदेशक श्री माइकल कार्टर और सुश्री कैरीन कैम्पर ने भी कार्यशाला को संबोधित किया। सुश्री कैम्पर ने रिपोर्ट तैयार करने और अनुसंधान में विश्व बैंक के दल की अगुवाई की थी। विशेषज्ञ दल ने मसौदा रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के संदर्भ में इसकी प्रसांगिकता पर अंतर्राष्ट्रीय अनुभव का इस्तेमाल किया।

RAU'S IAS

A name that Nation trusts

Amazing Success

Our 2005 Exam Results : Nine positions secured by our students in first 20 and 49 in first 100 with overall 203 total selections. As regards the past achievements, Study Circle has contributed nearly one-third of the total selections done for Civil Services by UPSC since 1953.

It is a well known fact that Rau's is the most trusted and recommended name all over the country for IAS & PCS coaching.

Unbeatable Strategy

Answers that matter : The most crucial fact about coaching is that it should improve the quality of your answers in the minimum possible time. It is precisely this training on which we focus on at Rau's to give an extra edge to the answers you give / write in the Civil Services Examination.

Be Sure

We have no branches or associates any where in India except Jaipur. Our name which has become a legend among students for the highest standards in teaching, and hence has been copied by a lot of people across India, but no one can match our quality.

Programme Highlights

Civil Services/PCS Exam - 2007

- Personal Guidance (English Medium) is available for -
  General Studies/ Essay, History, Sociology, Public Administration, Geography, Psychology, Law & Commerce.
- पर्सनल गाइडेंस (हिन्दी माध्यम) -
  सामान्य अध्ययन / निबंध, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र एवं लोक प्रशासन में उपलब्ध।
- Postal Guidance in English Medium available for -
  General Studies, History, Sociology, Public Administration and Geography.
- पोस्टल गाइडेंस (हिन्दी माध्यम) -
  केवल सामान्य अध्ययन एवं भारतीय इतिहास में उपलब्ध।
- Hostel facility arranged.

कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं ।
जीता वही जो डरा नहीं ।।

If you are taught by the stars, sky is the limit.

Contact personally or write for prospectus with a DD/MO for Rs. 50/- favouring

RAU'S IAS STUDY CIRCLE

309, Kanchanjunga Bldg., 18, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110001.
Phone : 39448880-81, 55391202, 23318135-36, 23738906-07, Fax: 23317153
Jaipur Centre : 701, Apex Mall, Lal Kothi, Tonk Road, Jaipur-302015. Ph.:0141-6450676, 3226167, 9351528027.
For full details on fast-track log-on our website: www.rauias.com

The Original Rau's / Rao's - Since 1953

KH-08/06/01

आर. एन./708/57
डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. (एस)-05/3164/2006-08
आई.एस.एस.एन. 0971-8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस.
दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.)-55/2006-08

R.N./708/57
P&T Regd. No. DL (S)-05/3164/2006-08
ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-55/2006-08
to Post without pre -payment at R.M.S. Delhi.

स्वतंत्रता दिवस
की हार्दिक शुभकामनाएं

प्रकाशक और मुद्रक : वीना जैन, निदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003.
मुद्रक : अरावली प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्रा. लि., डब्ल्यू-30 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया-II, नई दिल्ली-110 020 : संपादक : स्नेह राय